राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या: 18

बुधवार,

17 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज को वापस लेने की कार्ययोजना

309. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पंजीयन एवं मुद्रांक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोविड-19 के दौरान मई 2020 में स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज बढ़ाया गया है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरचार्ज की बढ़ोतरी से दस्तावेजों का पंजीकरण महंगा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरचार्ज को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) दिनांक 07.03.2016 तक स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार 10 प्रतिशत था। दिनांक 08.03.2016 को 10 प्रतिशत Cow Cess और लगाकर इसे 20 प्रतिशत कर दिया गया। पहले 10 परसेंट था फिर 10 परसेंट और बढ़ा दिया, कुल मिलाकर 20 परसेंट हो गया। दिनांक 15.05.2020 को गाय एवं उसकी नस्ल के संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, धड़ाधड़, धड़-धड़ आदि के प्रभाव को कम करने के लिए 10 प्रतिशत Cow Cess को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज की दर 30 प्रतिशत है।

(2) दिनांक 20.02.2020 से भूमि की डीएलसी दरें 10 प्रतिशत घटाई गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए डीएलसी दरों में वृद्धि नहीं की गई है। अत:

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

डीएलसी दरों में कमी होने से सरचार्ज में वृद्धि के इस निर्णय से दस्तावेजों के पंजीकरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरचार्ज की दर में बढ़ोतरी को वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (1) में जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल पारित हुआ, यह बिल की कापी मेरे पास है और इस बिल में जो लिखा है, वह मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं, "राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयोजन के लिए, या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जावे।" यह खण्ड 3 (ख) में संशोधन है। उद्देश्य और कारणों में भी यही लिखा है तो एक तो प्रश्न का आधा-अधूरा जवाब दिया है, पूरा जवाब नहीं दिया। जो खण्ड (1) है, उसकी मैं बात कर रही हूं। यह बिल है और बिल की कापी टेबल कर सकती हूं आपने ही पिछले सत्र में यह बिल पारित किया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न है उसका रिलेवेंट ही तो जवाब देंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं बता रही हूं, वह रिलेवेंट है इसीलिए बोल रही हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा जो प्रश्न है मूल, वह मैं पूछना चाहती हूं कि 15.05.2020 से जनवरी, 2021 तक सरकार को सरचार्ज के पेटे कितनी राशि प्राप्त हुई और इस राशि का आपने पिछले एक साल में कहां-कहां, कैसे-कैसे उपयोग किया? यह मेरा एक प्रश्न है, पहले इसका जवाब दे दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह तो बता दिया कि 10 प्रतिशत Cow Cess और 10 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा, लेकिन आपने यह नहीं बताया जो कि सबसे पहले लगाया गया था 10 परसेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का। यह 10, 10 और 10 मिलाकर 30 परसेंट हो गया। आपकी बात का ही जवाब है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने तो यह सवाल पूछा ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप नहीं सुनना चाहते हो तो मैं अगला प्रश्न लूंगा। आप प्रश्न में प्रश्न पूछ रहे हैं। स्टाम्प का प्रश्न है, आप उसको डिटेल में पूछ रहे हैं। प्रश्न में तो यह नहीं होता। आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा सवाल आपने पूछा कि 15.05.2020 से लेकर 31 जनवरी तक 30 प्रतिशत सरचार्ज से कितना पैसा आया। कुल मिलाकर 805 करोड़ 5 लाख रुपये प्राप्त हुए। उनमें से 20 प्रतिशत तो Cow Cess के पेटे 537 करोड़ आए, उनमें से आधे, यह बाद में आर्डर हुआ कि उनमें से आधे 268.5 करोड़ रुपये महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा जैसे मैंने आपको बताया, धड़-धड़, धड़ाधड़, इनके लिए रखा गया और इनमें से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। मतलब 268.5 करोड़ में से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज कुछ सौभाग्य है कि एक प्रश्न इसी के ऊपर आगे 313 नम्बर का और आ रहा है। उसमें जो आपने परिशिष्ट लगाए हैं, वे परिशिष्ट इस बात को साबित कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: 313 में पूछ लेना आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, उसमें इन्होंने पैसा दिया हुआ है कि कितना दिया, नहीं दिया। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आपने जो चार्ट हमको अगले क्वेश्चन में दिए हैं, उनमें आपने यह बताया है कि हमने 2020-21, जो अप्रैल से शुरू होता है, एक पैसा भी गौशालाओं को नहीं दिया है। क्या यह सच है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप सीनियर आदमी हैं। अगला प्रश्न। आई विल नाट अलाउ इट। आई विल नाट अलाउ इट, जो सम्भव नहीं। प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो सवाल किया है, मैं सिर्फ एक ही साल का नहीं, मैं तो 2019 से लेकर 2021 तक का सारा ही हिसाब दे देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सारा हिसाब नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी, दोनों ही

(श्री अध्यक्ष)

आप वरिष्ठ हैं। माननीय कटारिया जी, वह 313 का प्रश्न आए, जब 313 में पूछ लेना। अभी आप उसको इससे लिंक मत करो। अनिता जी, कोई सप्लीमेंट्री पूछना है तो आप पूछें बस।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मुझे एक सप्लीमेंट्री पूछना है सिर्फ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि राजस्थान की जो स्टाम्प ड्यूटी की दरें हैं और राजस्थान के आसपास के राज्यों, गुजरात और बाकी के स्टेट की जो डीएलसी दरें हैं, वह कम हैं और उसी वजह से उन राज्यों का रेवेन्यू बहुत अधिक है। महाराष्ट्र राज्य का रेवेन्यू....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न ही है मेरा। महाराष्ट्र राज्य ने जिस प्रकार से डीएलसी की रेट को फिफ्टी परसेंट कम किया है और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया है तो क्या आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए डीएलसी दरों को महाराष्ट्र की तर्ज पर कम करने का विचार रखते हैं? यह मेरा प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप यदि समझते हैं कि इस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ सकती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लिखित में मुझे यह सारे दे दें कि किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ सकती है तो हो सकता है, मैं उन पर विचार करवाने की कोशिश करूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

जयपुर के पुरामहत्व के स्मारकों का रखरखाव

310. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विश्व विख्यात आमेर महल सहित जयपुर के प्रमुख स्मारकों के संरक्षण, रख-रखाव आदि के लिए आमेर विकास प्राधिकरण संचालित है? यदि हां, तो उक्त में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कार्मिक कार्यरत हैं? श्रेणीवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आमेर महल सहित जयपुर शहर के प्रमुख पुरामहत्व के स्मारकों यथा हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट म्यूजियम, विद्याधर गार्डन एवं सिसोदिया रानी बाग आदि के रख-रखाव व मरम्मत तथा

(श्री सतीश पूनियां)

संरक्षित रखने के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त प्राधिकरण को विगत 2 वर्षों में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया व किस-किस मद में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से उक्त पुरामहत्व के स्मारकों को संरक्षण, रख-रखाव एवं मरम्मत कराने की पुख्ता व्यवस्था कराए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त स्मारकों की प्राप्त प्रस्तावानुसार मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। विभाग के अधीन आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिक का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग के अधीन आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण वर्णित स्मारकों के रखरखाव/मरम्मत एवं संरक्षित रखने के कार्य हेतु प्राधिकरण को स्मारक अधीक्षकों से समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे कार्यों को करवाने हेतु सभी स्मारकों पर मरम्मत हेतु वार्षिक अनुबन्ध किये जाते हैं तथा रखरखाव/मरम्मत/संरक्षण के लिखित/ मौखिक प्रस्ताव प्राप्त होते ही संवेदन को निर्देशित कर कार्य प्रारम्भ कर दिए जाते हैं। सामान्य मरम्मत से भिन्न प्रकृति के कार्य हेतु पृथक निविदा आमंत्रित कर कार्य करवाये जाते हैं। वर्तमान में प्रगतिरत/स्वीकृत मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। प्राधिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में कराये गये रखरखाव/मरम्मत/संरक्षण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 एवं प्राप्त नवीन रखरखाव/मरम्मत/संरक्षण प्रस्ताव जिन पर आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य किया जाना है, परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग के अधीन आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण को दो वर्षों में बजट आबंटन का मदवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) जी हां। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आमेर विकास प्राधिकरण, जिस पर जयपुर शहर के पुरातत्व महत्व के स्मारकों के

(श्री सतीश पूनियां)

संरक्षण की जिम्मेदारी है और इसमें जो बजट की कटौती की गई है, इसमें सरकार वृद्धि का कोई प्रस्ताव रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कोई बजट कटौती नहीं की गई है। आमेर में जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, आन-गोइंग वर्क्स 8 हैं जिनमें 135.64 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे और आमेर का आप चाहें तो मैं बता दूं। अभी आमेर महल जयपुर में डीजी सैट व विद्युत मोटरों की वार्षिक मरम्मत पर 9.94 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे, कार्य प्रगति पर है। आमेर में परियों का बाग़ व मावठा के निकट क्षतिग्रस्त हुई दीवारों पर 2.42 लाख रुपये का कार्य प्रगति पर है। आमेर महल में 22.18 लाख के विविध कार्य प्रगति पर हैं। जलेबी चौक में नई लॉज बनाने व फर्नीचर बनाने का 4.77 लाख का कार्य प्रगति पर है। आमेर महल, जयपुर में वार्षिक रख-रखाव का 69.09 लाख दिनांक 31.03.2000 तक की अवधि बढ़ाई है, 29.01.2021 को पूर्ण होनी थी, आमेर महल जयपुर में इलेक्ट्रिक सिस्टम की मरम्मत हेतु विभिन्न विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने का वार्षिक दर अनुबंध 10.77 लाख का था, वह कार्य प्रगति पर है। आमेर महल, जयपुर में सीसीटीवी एवं पीए सिस्टम का वार्षिक संचालन एवं रख-रखाव का कार्य 6.57 लाख, यह भी कार्य प्रगति पर है। आमेर महल, जयपुर में इलेक्ट्रिक सिस्टम की मरम्मत हेतु विभिन्न विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने का वार्षिक दर अनुबंध 9.95 लाख, निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): एक पुराने सवाल के जवाब में 8 करोड़ था, जिसको 5 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन दूसरा मेरा प्रश्न है कि पुरा-महत्व के कौन-कौनसे कार्य जो आइकोनिक ट्यूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र की सरकार ने 325 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। इसका प्रजेंटेशन भी केन्द्र के समक्ष हो गया था। ये जो काम इसमें होने थे, इसमें प्रगति क्या है? यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

बसेड़ी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

311. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में मुंसिफ न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, एक ही खण्ड है। किसी स्थान पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर ही की जा सकती है।

भविष्य में बसेड़ी क्षेत्र में सुनवाई योग्य लम्बित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें दूसरा प्रश्न है, कितने एसडीएम मुख्यालय ऐसे हैं, जहां अभी मुंसिफ कोर्ट नहीं है?

श्री अध्यक्ष: बसेड़ी का पूछ रहे हैं, कहां एसडीएम हैडक्वार्टर पर जा रहे हो।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, इसमें फिर मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेशचन और है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केसेज के आधार पर होता है, 1700 केसेज बसेड़ी में होंगे तो बसेड़ी में भी हो जाएगा।

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज समझें बात को।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): एक छोटा सा क्वेशचन है। हर बार ये ही उत्तर आता है कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर न्यायालय की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 1700 केस नहीं हैं इसलिए, वित्तीय संसाधन तो बाद की बात है।

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ में पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद

312. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पदस्थापित पशु चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारियों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाएं परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पशुधन सहायकों के 14 व जलधारी के 28 पद रिक्त हैं, उनको कब तक भरेंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जलधारी के आपके विधान सभा क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश में काफी पद खाली हैं। राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 2018 में 1502 पद एवं 2020 में 400, ऐसे 1902 पद हैं, उसके लिए हमने लिख दिया और वित्त विभाग ने स्वीकृति भी जारी कर दी है पर नियम 1977 में कोई योग्यता के संशोधन में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जैसे ही यह कार्यवाही पूर्ण होगी, अगले वर्ष में हम नई भर्ती करके इन पदों को भरेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर जिले की गौशालाओं को अनुदान

313. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) प्रदेश में वर्तमान में ऐसी कितनी गौशालाएं हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 व 2020 में उक्त गौशालाओं को प्रतिमाह कितनी राशि का अनुदान दिया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गौशालाओं को वर्ष 2020 का अनुदान अभी तक नहीं दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? जिला अजमेर की कौन-कौनसी गौशालाओं को उक्त अवधि में कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने की कोई घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब तथा अनुदान राशि में कितनी बढ़ोतरी कब से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) प्रदेश में अनुदान हेतु पात्र गौशालाओं की संख्या 2018 है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दी गई सहायता राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अजमेर जिले में गौशालाओं को वर्ष 2020 में अनुदान दिया जा चुका है। वर्ष 2019-20 के द्वितीय चरण (जनवरी, फरवरी, मार्च 2020) तथा प्रथम चरण 2020-21 (अप्रैल, मई, जून 2020) में पात्र गौशालाओं को दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। वित्तीय वर्ष 2018-19 से सहायता राशि की अवधि 90 दिवस से बढाकर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दिये जाने का प्रावधान किया गया।

(गोपालन मंत्री)

गो-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत गोशाला/कांजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से सहायता राशि बड़े एवं छोटे गोवंश हेतु क्रमश: रुपये 32 एवं रुपये 16 से बढ़ाकर बड़े गोवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है व इनमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 और 2020-21 में 716.66...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रश्न दूसरा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा प्रश्न सीधा सा है। 1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है? उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया है? बाकी 2019-20, 2020-21 उसका तो कोई...

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): वह तो मैंने आपको पूरी डिटेल टेबल में दे दी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप तो यह बताइए, यह नहीं है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने माननीय सदस्य को टेबल में दे दी है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह टेबल मेरे पास है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं जो पूछ रहा हूं 1 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक राज्य की गौशालाओं को कितनी राशि देय बनती है और उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया है? इसी का केवल बताओ।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): मैंने आपको टेबल में पूरी डिटेल दी है।

श्री अध्यक्ष: मैं स्पष्ट कर दूं। मैं भी देख रहा हूं 2020-21 तक की राशि का इसमें दे रखा है, 2020-21 तक की राशि का कालम में दे रखा है, 2019-20 से देय राशि का 2020 तक दे रखा है, वर्ष 2019-20 तक का इसमें दे रखा है। 2020-21 का इसमें नहीं है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): देना चाहिए न?

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गया मुझको। माननीय मंत्री जी, 2020-21 का दिया है तो बता दें, नहीं दिया है तो री-कंसाइल करके इंफोर्मेशन देंगे, सीधी बात है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान दिया है पूरी टेबल इनको जवाब में दे दी और जो जानकारी सदस्य चाहेंगे, वह मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): खण्ड-1 में लिखा है कि दे दी गई है राशि।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न में आपने जो उत्तर दिया है, उसमें लिख दिया है 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की परिशिष्ट-2 में लिखा हुआ है और परिशिष्ट-2 में 2020-21 का नहीं है। आप बैठें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, जो आपने उत्तर दिया है उसमें माननीय सदस्य ने 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की मांगी है। आपने लिखा है कि सहायता राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर है। परिशिष्ट-2 देखें, परिशिष्ट-2 में आपने केवल 2018-19 तक की ही सूचना दी है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 274.25 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: उनका पूछना है कि 2020-21 में कितनी लायबिलिटी थी और कितना दिया।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना अनुदान बनता था, हमने पूरा अनुदान संबंधित जिलों में ट्रांसफर कर दिया है और अनुदान केवल मात्र जो बाकी रहा है वह जैसलमेर जिले का बाकी रहा है और बाकी सब जगह का वितरण हो चुका है। वहां के भी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। वहां कागजी औपचारिकता की वजह से वह बाकी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-2 पर जो आपने चार्ट दिया है, उसमें ऊपर लिखा है वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण में 31-03-2019 और प्रथम चरण भी आप दे रहे हो, 31-03-2019 उसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लाइन में और उसमें द्वितीय चरण में आपने केवल और केवल 6 करोड़ 87 लाख रुपया ही दिया है, बाकी सब को जीरो-जीरो बता रहे हो आप। केवल और केवल आपने कुछ गौशालाओं को दिया है। दूसरा आपके चार्ट का जो पेज-3 है उस पेज-3 में आप ऊपर तो लिख रहे हो 2020-21 में देय सहायता राशि रिपोर्ट, नीचे आप लिख रहे हो कि वर्ष 2019-20 की द्वितीय किस्त। वर्ष 2019-20 की द्वितीय किस्त का तो दे रहे हो चार्ट और ऊपर लगा रहे हो 2021-22 में देय सहायता राशि की रिपोर्ट। यह क्या सही है, कौन सा सही है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बैठें आप। मैं जो समझ पाया हूं, दो चरणों में उनको राशि देनी है। 2020-21 तक का इन्होंने दे दिया है, आगे तक की प्रथम चरण की जो राशि है, वह रिलीज हुई कि नहीं? नहीं रिलीज हुई, तो बात खतम होती।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात समझें। जब दो चरणों में देना है तो दो चरणों में फरवरी में थोड़ी देना है, मार्च में थोड़ी देना है, वह दो चरणों में देने के लिए अभी उनके पास समय है। 2020-21 का जो प्रथम चरण है, वह नहीं दिया है, यह सूचना इसमें अपने आप रिफ्लैक्ट हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बार-बार पूछ रहा हूं कि द्वितीय किस्त देते हो आप अप्रैल, मई और जून जब नया साल शुरू होता है तो मेरा यह कहना है कि जो सूची आपकी आई है अप्रैल, मई और जून के बाद एक भी पैसा अब तक किसी भी गौशाला को नहीं मिला है। यह मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शेम बाद में करें, जवाब तो सुन लें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 की मैं बता देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री खड़े हैं, जवाब दे देंगे।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य के सभी जिलों के 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून का भुगतान पूरा हो गया है। साथ ही, जैसलमेर में 8.60 देना शेष है जो यहां से ट्रांसफर हो चुका है लेकिन वहां की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही वह औपचारिकता पूरी होगी, उनको भी वितरण कर दिया जाएगा।

(श्री प्रमोद भाया)

साथ ही, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि गोवंश के लिए सबसे पहले अनुदान पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 83.80 करोड़ रुपये 2013 में दिए थे। साथ ही, भाजपा सरकार ने लगभग 3 वर्ष में गौशालाओं को सहायता अनुदान दिया 506 करोड़ रुपये और हमारी वर्तमान सरकार ने दिया 1025 करोड़ रुपये। साथ ही भाजपा सरकार के समय अनुदान बड़े पशु पर 32 रुपये छोटे पशु पर 16 रुपये का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर बड़े पर 40 रुपये और... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) क्या पढ़ रहे हो आप?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, एक मिनट, मंत्री जी को बोलने दें। प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): ... छोटे पर 20 रुपये लागू किया। भाजपा के समय 1,445 गौशालाओं को सहायता दी गई और हमारे समय बढ़ाकर 2018 गौशालाओं को आज सहायता दी जा रही है। साथ ही भाजपा सरकार के समय पंजीकृत गौशालाओं में औसतन साढ़े 6 लाख गोवंश थे और आज पंजीकृत गौशालाओं में नौ लाख के ऊपर गोवंश की अवेयरनैस की जा रही है। जिलास्तरीय नंदी गौशाला की जो योजना लागू की थी आपकी सरकार के समय, उसमें केवल मात्र 50 लाख रुपये प्रति नंदीगौशाला के लिए देने का प्रोविजन किया गया था इसलिए वह माडल फेल हुआ और जो पंचायत समिति नंदी गोशाला की योजना की घोषणा अभी बजट में मुख्य मंत्री जी ने की है, डेढ़ करोड़ रुपये उसमें दिए जाएंगे। यह जानकारी माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग गौ माता पर राजनीति करते हैं और हमारी सरकार गौ माता पर काम करती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। केवल जो प्रश्न पूछा है और जो उत्तर आपने मुझे दिया है या हमको जो दिया है, उस उत्तर में यह कहीं नहीं है कि आपने अप्रैल, मई और जून, यह जो आपका पहला साल है अप्रैल, मई, जून 2020 के बाद आज दिन तक एक नया पैसा आपके इस चार्ट से नहीं गया है, यह मैं आप को कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात सुनें, हल्ला न करें। मंत्री जी बोल रहे हैं, बोलें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जो जानकारी चाहिए थी वह मैंने अलग से दे दी और माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी जो और जानकारी चाहेंगे, वह मैं और उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सीधा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस बात के लिए कह रहे हैं उस समय कोई राशि दी है या नहीं दी, बस सीधी बात है। नहीं दी, तो नहीं दी और दी है, तो दी है। बात खतम हुई।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): मार्च, अप्रैल, मई की मैंने बता दी है न।

श्री अध्यक्ष: आप जोर से बोलें न। जोर से बोलो कि दी है। अच्छा, मैंने उत्तर सुन लिया है, मैं दे देता हूं। आप बैठें। मैंने सुन लिया है। मार्च, अप्रैल, मई में सब जगह दे दी है, एक जैसलमेर की नहीं दी है। उसमें उन्होंने यह बताया कि जैसलमेर की प्रक्रिया में है।

अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे अलाउ नहीं है। श्री देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गायत्री गोशाला समिति पुष्कर को आपने इन 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च, 2020 का अनुदान क्यों नहीं दिया है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): वह तो अब टाइम ड्यू होगा, जैसे ही बिल सब्मिट होंगे, उनको भी समय पर दिया जाएगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं-नहीं पहले का।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

रायपुर (पाली) बस स्टैण्ड पर बसों का आवागमन

314. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बस स्टैण्ड बुकिंग को एजेंटो को देने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो रायपुर (पाली) बस स्टैण्ड पर एजेंट द्वारा बुकिंग क्यों नहीं की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बसें तय रूट के अलावा भी चल सकती हैं? यदि नहीं, तो रायपुर (पाली) बस स्टैण्ड पर बसें क्यों नहीं आती हैं? क्या सरकार दोषियों पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बस स्टैण्ड पर कौन कौनसी बसों का आगमन व प्रस्थान

(श्रीमती शोभा चौहान)

की क्या समय सारणी है? उक्त बस स्टैण्ड पर विगत दो माह में कौन-कौनसी बसों का आवागमन हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। रायपुर (पाली) बस स्टैण्ड पर बुकिंग एजेन्ट द्वारा नवम्बर, 2020 के पश्चात् पर्याप्त यात्रीभार की अनुपलब्धता के कारण एजेन्सी का आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Viable) नहीं माने जाने की वजह से वर्तमान में बुकिंग कार्य नहीं किया जा रहा है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें उनके पूर्व से निर्धारित मार्ग एवं ठहराव स्थल हेतु नियत स्थान से ही संचालित होती हैं।

रायपुर बस स्टैण्ड होकर जिन बसों का ठहराव निर्धारित है, उनकी समय सारणी (अप/डाउन) परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रश्नगत स्थान पर ठहराव हेतु निर्धारित बसों के नहीं जाने पर सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) रायपुर बस स्टैण्ड/बाईपास होकर संचालित निगम वाहनों की समय सारणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विगत दो माह में परिशिष्ट-1 में वर्णित सेवाओं का उक्त बस स्टैण्ड से आवागमन हुआ है।

वर्तमान में निम्न निजी बसें रायपुर (पाली) बस स्टैण्ड पर आती हैं:-

क्रम संख्या	वाहन संख्या	आगमन	प्रस्थान
1.	RJ22PA5563	12:15 PM	09:00 AM
2.	RJ06PA1596	5:15 PM	09:15 AM

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि 25000 की आबादी का उपखण्ड है, यहां पर उचित यात्री भार भी है, आप कब यहां बुकिंग एजेंट की व्यवस्था करवाएंगे? साथ ही बस जो बाईपास से होकर जाती हैं, उसका क्या कारण है, बसों के अन्दर आने की क्या व्यवस्था है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या को पूरी सूची उपलब्ध कराई है और आप जो बुकिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, यह बुकिंग एजेंट इसका अभी तक है लेकिन इसने खुद ने

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आगे पैसा जमा नहीं कराया है, जब यह आगे पैसा जमा करा देगा क्योंकि वहां पर उसको यात्री भार नहीं मिल रहा है और जब पैसा जमा करा देगा तो हम वापस बुकिंग शुरू करा देंगे। आप उससे बात कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बुकिंग एजेंट जब एडवांस पैसा जमा कराता है, उसके बाद रोडवेज का बुकिंग कार्यालय शुरू होता है। रही बात बसें अन्दर से जाती हैं, यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है, ऐसे कर्मचारी जो अन्दर लेकर नहीं जा रहे हैं, आप वह सूची उपलब्ध करवा दें, जो बसें पहले अन्दर से जाती थीं, वे अन्दर से जाएंगी। किसी भी माननीय सदस्य को यह लगता है कि बसें पहले अन्दर से जाती थीं और अब वे बाहर से जा रही हैं, अन्दर नहीं जा रही हैं तो आप हमें सूची उपलब्ध करवा दें, उनको अन्दर से शुरू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर में बंद स्कूलों को पुनः प्रारम्भ करने की कार्ययोजना

315. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2018 से पूर्व बंद की गई राप्रावि तथा राउप्रावि को वर्ष 2019 व 2020 में पुन: खोली गई हैं? यदि हां, तो कितनी स्कूलें पुन: प्रारम्भ की गईं? जिलेवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर में वर्ष 2018 से पूर्व बंद की गई एक भी स्कूल पुन: प्रारम्भ नहीं की गई है? उक्त को पुन: नहीं खोलने के क्या कारण रहे? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी स्कूलें पुन: प्रारम्भ की गईं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में 2018 से पूर्व केवल 50 प्राथमिक व 80 उच्च प्राथमिक विद्यालय ही बंद किये गये थे? यदि नहीं, तो कितनी स्कूलें बंद की गईं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। प्रदेश में 2018 से पूर्व समन्वित किये गये विद्यालयों की आर.टी.ई. एक्ट के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा उपरान्त पर्याप्त नामांकन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुन: खोले जाने (डी- मर्ज) की कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-क से ख पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर जिले में वर्ष 2018 से पूर्व बन्द किये गये

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

विद्यालयों में से जनवरी, 2019 से अब तक प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत 26 राजकीय (24 प्राथमिक विद्यालय व 02 उच्च प्राथमिक विद्यालय) विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत 32 राजकीय (28 प्राथमिक विद्यालय व 04 उच्च प्राथमिक विद्यालय) विद्यालय पुन: प्रारम्भ किये गये हैं, जिनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट ग1 व ग2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जयपुर जिले में 2018 से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत कुल 452 (423 प्राथमिक विद्यालय व 29 उच्च प्राथमिक विद्यालय) राजकीय विद्यालय समन्वित/मर्ज किये गये, जिनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

इसी प्रकार जयपुर जिले में 2018 से पूर्व माध्यमिक शिक्षान्तर्गत कुल 1,032 (868 प्राथमिक विद्यालय, 163 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 1 माध्यमिक विद्यालय) राजकीय विद्यालय समन्वित/मर्ज किये गये, जिनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 2018 से पहले जितने भी विद्यालय, चाहे वह पीएस हो, चाहे यूपीएस हो, जो मर्ज किये गये वह आरटीई के नियमों के तहत किये गये, क्या यह बात सही है? यदि यह बात गलत है तो ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की जिन्होंने आरटीई के नियमों से बाहर जाकर स्कूलों को मर्ज किया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 2450 तो आपकी सरकार ने जो बंद किये थे, उसमें से गलत मानकर वापस खोल दिये और हमने जो प्रस्ताव मंगाया कि आरटीई नोर्म्स के विपरीत कितने-कितने बंद किये गये, तो उसमें 2744 के प्रस्ताव हमारे पास आये थे। हमने एसडीएम लेवल और जिला कलेक्टर व जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव मंगाये थे। वे जो प्रस्ताव आये उसमें से 1,074 हमने वापस खोल दिये। आपके विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भी, चौमूं ही है न, वही चौमूं जहां से आप आते हो...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, वही चौमूं जहां से आप गुजरते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): चौमूं, चौमूं में भी 75 विद्यालय बंद कर दिये थे। अभी हमारे पास 9 प्रस्ताव आये हैं, आगे अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप चाहोगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। चौमूं, हां चौमूं, वही चौमूं जहां से यह आते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब इसमें कार्यवाही की बात है तो कार्यवाही दिख नहीं रही है कि हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हो। जनता ने कार्यवाही कर दी न और क्या कार्यवाही कराना चाहते हो। एक पांच साल का गैप और दे देंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसी सदन में चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि आपने 20 हजार स्कूलें बंद कर दीं। जयपुर जिले में अगर 1,032 स्कूलें मर्ज हुई हैं उनमें से आपने सिर्फ 58 स्कूलें खोली हैं, तो क्या आपकी सरकार की यही उपलब्धि है कि दो साल में सिर्फ 58 स्कूलें खोलोगे, बाकी शेष 974 स्कूलें आप कब तक खोलोगे, आप यह बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही पूछ रहे हैं लेकिन पहली बार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ने पारदर्शिता के साथ सभी पार्टियों के जन प्रतिनिधियों को स्कूलें खोलने में भागीदार बनाया और ब्लाक लेवल पर हमने यह कहा कि जन प्रतिनिधियों से आप पूछिए, उनके प्रस्ताव लीजिए, ... (व्यवधान) आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। बैठें आप, अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आपको सुनना ही नहीं है, माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा। आपको उत्तर सुनना ही नहीं है। अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में चरागाह भूमि का वन भूमि में परिवर्तन

316. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वन भूमि डैम के डूब क्षेत्र में आने के कारण से विभाग को खानपुर तहसील के

(श्री नरेन्द्र नागर)

लगभग सभी गांवों में स्थित चरागाह जमीन वन भूमि की जगह आबंटित की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त भूमि में पेड़ पौधे लगाकर वन में परिवर्तित किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि वनों के विकसित होने से उक्त गांवों में जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है?

(4) क्या सरकार उक्त गांवों की वन भूमि पर तारबंदी करवाकर किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खानपुर में परवन सिंचाई परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले में तहसील खानपुर के विभिन्न गांवों की 859 हैक्टेयर गैर वन भूमि जिला कलेक्टर, झालावाड़ के आदेश दिनांक 23.04.2010 एवं 11.07.2016 से वन विभाग को आबंटित हुई है।

(2) जी हां। भाग 1 में वर्णित भूमि में से अभी तक 583.54 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। शेष भूमि पर भी आगामी वर्षों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। भाग संख्या 1 अनुसार प्राप्त अधिकांश गैर वन भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी होकर चरागाह भूमि है। इस भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने से वर्तमान में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

(4) भाग संख्या 1 अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में से अभी तक 583.54 हैक्टेयर क्षेत्र में खाई फैंसिंग एवं लूज स्टोन वाल फैंसिंग करवाई जाकर वृक्षारोपण कराया जा चुका है। शेष 275.46 हैक्टेयर भूमि पर भी आगामी वर्षों में खाई फैंसिंग एवं लूज स्टोन वाल फैंसिंग करवाई जाएगी। उक्त फैंसिंग द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र से समीपस्थ क्षेत्र में वन्यजीवों का मूवमेंट बाधित होगा एवं किसानों की फसलों का वन्यजीवों से नुकसान नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा था कि खाई फैंसिंग एवं लूज स्टोन वाल फैंसिंग से क्या जंगली जानवर रुक जाते हैं? यदि नहीं रुकते हैं तो इसके अलावा कोई ऐसा ठोस उपाय करने का सरकार विचार रखती है जिससे जंगली जानवर जंगल से बाहर नहीं आये और फसलों का नुकसान न हो?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, इन 44 गांवों में जो जमीन चरागाह की फोरेस्ट को दी गई, वह कम से कम 143 छोटे-छोटे टुकड़े हैं और वह कहीं पर रेवेन्यू लैंड के पास आये हुए हैं, कहीं खातेदारी लैंड के पास आये हुए हैं और जहां हमने वृक्षारोपण किया है, आधे से ज्यादा जंगल में, वहां बाकायदा हमने खाई खोदी है, बाकायदा हमने छोटे स्टोन से दीवार की है। बाकी जो भाग बचा है, उसमें भी आने वाले वर्षों में कर दी जाएगी। फिलहाल यह जो 44 गांव की जमीन है, वहां फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों के अलावा अन्य कोई वन्य जीव है नहीं। वह केवल वन में ही रहे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, वह खेतों में भी रहते हैं। इसलिए समय समय पर फोरेस्ट में फैंसिंग या दीवार करा दी जाएगी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष जी, मैं तो आपके माध्यम से यह पूछ रहा हूं कि आप जो खाई फैंसिंग एवं लूज स्टोन वाल फैंसिंग बता रहे हैं, छोटे -छोटे हल्के में अभी आपका वन डवलप नहीं हुआ। उसके अलावा दूसरा वन भी है परन्तु उस वन में आपकी इस खाई फैंसिंग से एवं लूज स्टोन वाल फैंसिंग से जंगली जानवर रुकते नहीं हैं तो क्या आप इसकी जांच कराकर, अपन को तो जानवरों को रोकना है तो इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था करने का आप विचार रखते हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): हमारे फोरेस्ट में कंटीले तार तो प्रतिबंधित है। जो हमारे नोर्म्स हैं उसी अनुसार हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

जगतपुरा शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रोनिक टार्गेट्स पर व्यय राशि

317. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जगतपुरा शूटिंग रेंज को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गयी? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य हुए तथा इलेक्ट्रोनिक टार्गेट्स क्रय करने पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): जगतपुरा शूटिंग रेंज को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए विगत तीन वर्षों में 97.38 लाख रुपये व्यय किया गया।

उक्त राशि से शाटगन रेंज को अपग्रेडेशन करने के लिए नवीनतम अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेप स्कीट, मोटर कंट्रोलर, ट्रेप स्कीट मशीन स्कोर बोर्ड, सी.पी.यू., एल.सी.डी. डिसप्ले बोर्ड क्रय कर लगाये गये हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

विगत तीन वर्षों में इलेक्ट्रोनिक टार्गेट पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। वर्तमान में शूटिंग रेंज पर इलेक्ट्रोनिक टार्गेट लगाया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटी-सी जानकारी चाहता हूं कि जगतपुरा शूटिंग रेंज को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये पिछले पांच वर्षों में दो बार आपको इलेक्ट्रोनिक टार्गेट लगाने के लिये पैसा दिया गया। आपने टेंडर भी किये, फिर उस पैसे का आपने क्या उपयोग किया, नम्बर वन। नम्बर टू, आपने राइफल एसोसिएशन से एमओयू कर रखा है तो अभी जगतपुरा शूटिंग रेंज में कितने मैम्बर हैं और नये मैम्बर बनाने की आपकी क्या प्रक्रिया है?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूं 2015 में जेडीए से शूटिंग रेंज खेल विभाग को हस्तानांतरण हुई और उस समय 2 करोड़ रुपये इलेक्ट्रोनिक टार्गेट के लिये दिये गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इलेक्ट्रोनिक टार्गेट परचेज करने के लिये बिना किसी टेंडर की प्रक्रिया से गुजरते हुए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी एफरटीकोन को परचेज आर्डर दे दिया गया। अब यह टेंडर क्यों नहीं किया और इनको सीधा ही क्यों दे दिया गया और पूरी दुनिया में यह स्विट्जरलैंड की कंपनी ही क्यों थी, सामने बैठे हुए सदस्यों के समय में यह काम हुआ है तो वे ज्यादा जानते होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जब उस कंपनी को आर्डर दिया गया, उस कंपनी ने शर्त रखी कि 90 प्रतिशत एडवांस यदि राजस्थान सरकार क्रीड़ा परिषद् उन्हें देंगे तभी वह टार्गेट को सप्लाई करेंगे। इतना मोटा अमाउंट उन्होंने एडवांस क्यों मांगा, यह भी मेरे ख्याल से जवाब यही दे सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में कुछ महीने गुजर जाने के बाद इस पर सहमति बनी कि बैंक एलसी खुलवा दी जाएगी ताकि उनके पेमेंट की गारंटी हो जाए। उसको खुलते-खुलते इतना समय हो गया कि यूरो की रेट फ्लक्चुएट हो गई और यूरो की रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से टार्गेट के लिये जितना पैसा सैंक्शन था, भारतीय मुद्रा में उस टार्गेट को खरीदना सम्भव नहीं था। उसके रिवाइज आर्डर देने की जरूरत थी और इसी खेलमपेल में तीन साल निकल गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 से यह जो खेल खेल रहे थे, उस प्रकार से 2018 आ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार 2018 में बजट में

(श्री अशोक)

घोषणा हुई कि 5 करोड़ 65 लाख रुपये इलेक्ट्रोनिक टार्गेट के लिए खर्च किये जाएंगे। मैं समझता हूं कि दूसरी बार यह खेल हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। खेल विभाग के बजट के अन्दर 25 करोड़ की कैप लगा दी गयी। घोषणा ज्यादा कर दी और डिपार्टमेंट में 25 करोड़ की कैप लगा दी गयी। उसमें किसी भी कीमत पर 5 करोड़ 65 लाख के इलेक्ट्रोनिक टार्गेट खरीदना सम्भव नहीं था, क्योंकि कैप लगा दी गयी थी कि 25 करोड़ के अन्दर ही आपको व्यय करना है। उस वजह से अंत में जाकर विभाग को यह फैसला करना पड़ा कि इसको डिले किया जाएगा और एक केवल एक करोड़ के, जो डिटेल मैंने आपको बतायी है, स्किट मशीन, मोटर कंट्रोलर्स, स्कोर बोर्ड, सी.पी.यू. व एलसीडी की एक करोड़ की खरीद हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आने के बाद, क्योंकि यह पूर्व का 2015-16 का इतना ज्यादा मामला खिंच गया था कि उनसे सम्पर्क भी नहीं हो पा रहा था और कम्युनिकेशन ही खतम हो गया था। हमने आने के बाद इस टेंडर को निरस्त करने का काम किया और नये टेंडर की प्रक्रिया शुरू की। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दो से तीन दिन के अन्दर-अन्दर नये टेंडर फ्लोट कर दिये जाएंगे और जल्दी से जल्दी शूटिंग के जो हमारे होनहार बच्चे हैं, उनको इलेक्ट्रोनिक टार्गेट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।

इसके साथ, एक और अच्छी खबर मैं सदन को देना चाहता हूं, जो कल शोर-शराबे में वह खबर पहुंच नहीं पायी, जो कि सबकी नजर में होना बहुत जरूरी है, सदन की नजर में होना बहुत जरूरी है। राजस्थान के जो उम्दा क्वालिटी के शूटर होते थे। राजस्थान में अच्छी सुविधाएं या नौकरी की पालिसी नहीं होने की वजह से वे प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों से और दूसरी सर्विसेज से खेलने लग जाते थे। 2018-19 के अन्दर तकरीबन 12 बच्चे राजस्थान छोड़कर गये। 2019-20 में 16 उम्दा खिलाड़ी राजस्थान छोड़कर गये। मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 2020-21 के अन्दर जब यह ट्रांसफर का प्रोसेस खुला, मात्र 6 खिलाड़ी राजस्थान छोड़कर गये। उन 6 में से भी 4 सी.आई.एस.एफ. और आर्मी के थे और 2 बच्चे, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन मिला, उस वजह से उनको स्टेट छोड़कर उन यूनिवर्सिटीज का रिप्रेंटेशन करने की वजह से गये। एक भी उम्दा लेवल का शूटर इस बार राजस्थान छोड़कर नहीं गया, सब भविष्य में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की खेल पालिसी की देन है।

(श्री अशोक)

माननीय सदस्य, आपका दूसरा सवाल था कि कितने मैम्बर हैं और क्या प्रोसेस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राइफल एसोसिएशन के लिए हमारी सरकार आने से पहले एमओयू की प्रक्रिया चालू हो गयी थी। सारी शर्तें तकरीबन तय हो गयी थीं, एमओयू होना बाकी था। हमने आकर उसमें शर्तों का बदलाव किया और उन शर्तों में इतने बड़े बदलाव किये, जो मैं आपको बता दूं। पूर्व में यह था कि फिक्स कोस्ट निकलने के बाद में यदि कोई बचत राइफल एसोसिएशन को होती है तो उसमें से आधे डिपार्टमेंट को मिलेंगे और आधे राइफल एसोसिएशन के पास ही वापस जमा हो जाएंगे, ताकि वह भविष्य में उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन किस में इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। हम लोगों ने आने के बाद बाध्यता की।

श्री अध्यक्ष: ब्रीफ कर दें। (व्यवधान) मेरा काम है। आपका काम नहीं है।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जानकारी दे रहा हूं, भाषण थोड़े ही दे रहा हूं। सर, इनका कोई एजेंडा अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है।

सालाना मैम्बर 556 हैं। जो मंथली मैम्बर्स हैं, वे करीबन 183 हैं। जो पर-डे के हिसाब से कभी-कभी प्रैक्टिस करने आते हैं, वे 1161 मैम्बर्स हैं, जो जयपुर शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन पर-डे की मैम्बरशिप लेकर वे आते हैं। वहां पर राइफल एसोसिएशन का आफिस संचालित है। वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर मैम्बरशिप फीस को भरकर कोई भी वहां पर मैम्बर बन सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुडला।

महवा में अवैध हैलीपैड का निर्माण

318. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महवा में नागरिक विमानपत्तन से बिना अनुमति के अवैध हैलीपैड का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अवैध हैलीपैड के निर्माण में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) क्या सरकार उक्त अवैध हैलीपैड को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) महानिदेशालय नागरिक विमानन द्वारा अस्थायी हैलीपेड निर्माण कराने के संबंध में न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (सीएआर) निर्धारित किये हैं। (परिशिष्ट-क)

इसके तहत अस्थायी हैलीपेड निर्माण हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मात्र मापदण्ड पूर्ण करना आवश्यक होता है। (परिशिष्ट-ख एवं ग)

(2) इस संबंध में विस्तृत प्रशासनिक जांच करायी जाएगी।

(3) प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक वर्ष पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी आपने कहा था कि जांच करवायी जाएगी और एक वर्ष बाद भी आप यही जवाब दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपने लिखा है, अस्थायी हैलीपैड के बारे में मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, अधिकारियों की सदन को गुमराह की यह बात गलत है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि खसरा नंबर 765 निजी खातेदार, श्री अजय सिंह राजपूत के नाम है, जिसमें खोहरामुल्ला में एक हैलीपेड बना रखा है। दूसरा हैलीपेड खसरा नंबर 815, जो श्रीमती पिंकी गुप्ता के नाम पर दर्ज है। इन हैलीपेड की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति विधायक कोष से 19 अक्टूबर, 2006 को दी गयी। उस समय तत्कालीन नेता जी के दबाव में जिला परिषद्, कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति बिना कागज देखकर की। नम्बर एक, क्या उस सी.ई.ओ. के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है?

नम्बर दो, तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के द्वारा वहां निर्माण कराया गया। उस निर्माण को कराने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है या नहीं करना चाहती? सदन को अवगत कराएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि खसरा नम्बर 765 निजी खातेदार श्री अजय सिंह, श्री मानसिंह, श्री नरेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह ग्राम खोहरामुल्ला तहसील महवा जिला दौसा में यह हैलीपेड बनाया गया और 15 जनवरी, 2007 को इसका विधिवत उद्घाटन भी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हुआ। यह एमएलए लैड फंड से हुआ लेकिन जब कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया, उसमें यह साफ लिखा था कि निर्माण कार्य निर्धारित एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर ही करवाना होगा, निजी खातेदारी में अथवा व्यक्तिगत लाभ वाले स्थान पर निर्माण कार्य किसी भी दशा में नहीं करवाया जायेगा। निजी भूमि अथवा व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर निर्माण कार्य कराने की दशा में कार्यवाही एजेंसी पूर्णतया उत्तरदायी होगी। उसके पश्चात् कलेक्टर, दौसा ने 27.02.2020 को अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, दौसा को पत्र लिखकर उत्तरदायित्व निर्धारित करने और अपेक्षित कार्यवाही करने की बात की। अधीक्षण अभियंता ने उसी दिन, तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता हरि राम जी मीणा ने दी। किंतु मुझे खेद है कि हरि राम जी मीणा इस दुनिया में नहीं रहे। फिर भी ये कोई प्रशासनिक जांच करवाना चाहते हैं तो मैं डिवीजनल कमिश्नर से इसकी जांच कराऊंगा।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि एक्स.ईएन. पीडब्ल्यूडी को पाबंद किया, वहां सहायक अभियंता काम करते हैं। हरि राम जी मीणा की मृत्यु हो गयी, इस दु:ख में मैं आपके साथ हूं, उनके परिवार के साथ हूं। लेकिन सहायक अभियंता (एक्जिक्यूटिव), जिसने काम किया, उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है? मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, क्या किसी के दबाव में, मंत्री के दबाव में आकर किसी निजी खातेदारी की जमीन पर कब्जा करके सरकार लगातार हैलीपेड बनाती रहेगी और जो बनाये.. मैं पूछना चाहता हूं कि उस सम्य इस कार्यक्रम की अध्यक्षता..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): यही कह रहा हूं कि 15.01.2007 को इस हैलीपेड का उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता किस माननीय मंत्री ने की? आप सदन को अवगत करायें और इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): संभागीय आयुक्त से जांच कराने का आश्वासन मैंने दे दिया। अध्यक्षता,15 जनवरी, 2007 को तत्कालीन खाद्य मंत्री जी ने और उद्घाटन तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने किया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

धौलपुर में लम्बित कृषि कनेक्शन

319. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल कितने कृषि कनेक्शन हैं? उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बित कृषि कनेक्शनों का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल 367 रैगुलर कृषि विद्युत कनेक्शन हैं। वर्तमान में 31.12.2012 तक के पंजीकृत आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। उक्त अवधि में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 73 कृषि आवेदकों के डिमांड नोटिस जारी कर दिये गये हैं। इनमें से 61 कृषि आवेदकों द्वारा डिमांड नोटिस जमा करा दिये हैं तथा 12 कृषि आवेदकों द्वारा मांग पत्र राशि जमा नहीं करवाने के कारण पत्रावली अस्थायी निरस्त की गयी है। 8 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष कनेक्शन वरीयतानुसार सामान की उपलब्धतानुसार सतत प्रक्रिया के तहत जारी किये जा रहे हैं। कट आफ डेट 31 दिसम्बर, 2012 के बाद के 87 कृषि आवेदनों के कनेक्शन नई कट आफ डेट के अनुसार जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार कोरोना काल में बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के कम से कम तीन माह के बिजली के बिल माफ करने का विचार रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ये तो अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

आबू पर्वत में सीवरेज योजना से क्षतिग्रस्त सड़कें

320. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा आबू पर्वत में चलाई जा रही सीवरेज योजना से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो सही देख रेख के अभाव में हुए करोड़ों के नुकसान के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री समाराम गरासिया)

(2) क्या सरकार आबू पर्वत नगरपालिका द्वारा नगर को स्वच्छ रखने के लिए नियमित सफाई तथा ठेके की जांच करवाने का विचार रखती है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) सीवरेज का कार्य भूमिगत होने के कारण सड़क को काटा जाना योजना का एक हिस्सा होता है। योजनाबद्ध तरीके से सड़कों को काटकर सीवर लाइन डालने, मैनहोल बनाने व घरों के जलमल निस्तारण हेतु आई.सी. चैम्बरों का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात् समयबद्ध तरीके से सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। अत: कोई नुकसान नहीं हुआ है तथा कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

अभी तक कुल 30.24 कि.मी. सड़कें काटी गई हैं, जिसमें से 28.19 कि.मी. सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किया जा चुका है। सिर्फ 2 कि.मी. लम्बाई में सीमेन्ट एवं डामर की सड़कों का काम प्रगति पर है। कार्य की देख रेख नियमित रूप से माउण्ट आबू में पदस्थापित आरयूआईडीपी व सहयोगी स्टाफ द्वारा की जाती है।

(2) नगरपालिका आबू पर्वत द्वारा नगर को स्वच्छ रखने के लिये नियमित रूप से सफाई करवायी जा रही है व रात्रिकालीन भी सफाई करवायी जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जा सकती है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने यह लिखा है कि मरम्मत के लिए कोई अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने जवाब दिया है। क्या मतलब, सीवरेज में खुदाई गयी सड़कें टूटी हैं, वह कब तक ठीक करेंगे? जवाब अगर लिखा है, इनको ये कहलवा दें कि कम से कम इस प्रकार जो कोई कर्मचारी-अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या वहां की जनता जिम्मेदार है? जिस प्रकार से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): एक प्रश्न साथ में सफाई का और है। एक तो ये जवाब दिलवा दें और जिस प्रकार से आपने कहा कि आबू पर्वत की सफाई व्यवस्था बहुत ठीक ढंग से हो रही है। कहां व्यवस्था ठीक ढंग से हो रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): आबू पर्वत से नीचे 22-23 किलोमीटर दूर लाकर कचरा डाला जाता है। स्थायी व्यवस्था करने की व्यवस्था

(श्री समाराम गरासिया)

कब निष्पादित करेंगे, स्थायी व्यवस्था कब तक करेंगे? यह प्रश्न का जो जवाब दिया है, उसका कौन जिम्मेदार है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कचरा निस्तारण के लिए जो बात आपने कही है, इसको दिखवा लूंगा। जो कुछ सम्भव हो सकेगा, करने की कोशिश करेंगे और सफाई का मामला तो ऐसा है कि किसी भी नगर को ले लो, किसी भी कस्बे को ले लो, हमेशा डिफरेंस आफ ओपिनियन रहेगी। कोई तो कहेगा कि सफाई ठीक है और कोई कहेगा कि सफाई ठीक नहीं है। इसलिए यह तो विवाद का विषय हमेशा रहता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि कितनी सड़क बाकी रह गयी? सिर्फ दो किलोमीटर की सड़क बाकी रह गयी, जिसको, मुझे बोलने दें,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी का उत्तर सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो किलोमीटर की चौड़ाई की सड़क रह गयी है और चार किलोमीटर सीवर लाइन डालना बाकी है। चार मिनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सिविल का काम पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि आबू पर्वत को ईको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया गया। एक, चट्टानें बहुत सख्त हैं। सीवर लाइन जो चलती है, वह 11 फिट नीचे जाकर आती है। 11 फिट में माउण्ट आबू की चट्टानों में लोहा बहुत है, 70 परसेन्ट लोहा है तो बड़ी मुश्किल से जाकर खुदाई होती है। ये तो काम पूरा हो जाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना हमारी सरकार को आप कि हम इस काम को पूरा कर देंगे क्योंकि वैसे भी कंसेसनर की, ठेकेदार की गलतियां तो हैं, दो बार उस पर जुर्माना किया जा चुका है। एक बार 44 लाख 67 हजार का जुर्माना हो चुका, एक बार 3 लाख 47 हजार का जुर्माना हो चुका है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि चाहे डामरीकरण हो, चाहे सीमेन्ट की सड़क हो, पैनल्टी के प्रावधान हैं। बाकायदा अगर और कोई गड़बड़ पायी गयी तो फिर और पैनल्टी लगायी जाएगी, लेकिन अगर किसी अधिकारी की गलती है तो आप अधिकारी का नाम दे दो, मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में कृषकों को देय अनुदान

321. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्द्रा)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को किन-किन कार्यों एवं किन-किन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है? उक्त के लिए किसान को कौन-कौनसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उक्त योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? कृषकवार, ग्रामवार, योजनावार सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान पात्र कृषकों के अनुदानित कृषि यत्रों के आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों एवं कृषि यंत्रों की खरीद पर देय अनुदान का विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है। अनुदान प्राप्ति हेतु कृषकों को वांछित दस्तावेजों सहित नजदीकी ई-मित्र कियोस्क अथवा मोबाइल/कम्प्यूटर के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होता है। पात्र कृषकों को विभागीय लक्ष्यानुसार आनलाइन वरीयता के क्रम में लाभान्वित करते हुए अनुदान राशि को सीधे ही उनके बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा किया जाता है। जिन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं है, उनमें विभागीय दिशा-निर्देशानुसार आवेदन करना होता है।

(2) विगत दो वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कृषि विभाग की मुख्य योजनाओं में प्राप्त आवेदनों एवं लाभान्वित कृषकों का कृषकवार, ग्रामवार, योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 एवं 4 तथा उद्यान विभाग का विवरण परिशिष्ट-5 एवं 6 पर संलग्न है। जिन योजनाओं में आनलाइन आवेदन अनिवार्य नहीं है, उनमें विभागीय दिशा-निर्देशानुसार लाभान्वित किया गया है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 42 कृषकों की कृषि यंत्रों की पत्रावलियां बजट अभाव में अनुदान भुगतान हेतु लम्बित रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। इन पत्रावलियों के निस्तारण हेतु बजट आबंटित किया जा चुका है तथा अनुदान भुगतान हेतु बिल कोष कार्यालय भिजवाये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार पूछना चाहूंगी कि फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना में कितना अनुदान दिया जाता है? किसानों के चयन कैसे करते हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने किसानों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाकर लाभान्वित किया गया है? परिशिष्ट-5 में सरकार द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सोलर योजना में 173 आवेदन आए, लेकिन किसी भी किसान को स्वीकृति जारी नहीं की गयी, इसके क्या कारण रहे? क्या वर्ष 2019-20 के बाद में वर्ष 2020-21 में इनको लाभान्वित किया गया? अगर हां तो कितने लोगों को? शेष बचे हुए के लिए सरकार किस प्रकार के कार्य कर रही है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, दोनों की मिलीजुली योजना है 60:40 के अनुपात में, उसके तहत तारबंदी का काम किया जाता है। योजना को प्रभावी एवं किसान हित में, 2019 में कृषक समूह 5 कृषक के स्थान पर 3 कृषक तथा 10 हैक्टेयर भूमि क्षेत्रफल में स्थान 5 पर किया गया है। कृषक अपने खेत की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, आधार कार्ड, बैंक खाते की पास बुक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर ऑनलाइन पत्रावली ई-मित्र पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन की प्रशासनिक स्वीकृति की जाकर मौके पर कार्य पूर्ण पश्चात् सत्यापन कर संबंधित लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है। यह तारबंदी का है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र बामनवास के गांव सेरावता, कुंडिला, सकरपुरा, बंधावल के एक-एक कृषक समूह के 25 कृषकों को 4696 मीटर के लिए 4 लाख 69 हजार रुपये का वित्तीय अनुदान दिया जाकर लाभान्वित किया गया है।

आपने दूसरा पूछा है, सोलर पम्प के बारे में। इसमें 173 आवेदन ई-मित्र के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदन पत्रों की वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी। इनमें से 138 कृषकों द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के उपरांत, कृषक की सहमति उपरांत, कृषक की सहमति अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म कंपनियों को कार्यादेश नोटिस जारी किये गये हैं। आपूर्तिकर्ता फर्म कंपनियों द्वारा 51 कृषकों के यहां सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कर दिये गये हैं। बाकी प्रक्रियाधीन हैं।

(12.00 बजे)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि ग्रामीण इलाक़ों में योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। योजनाओं की जानकारी के अभाव में ग्रामीण इलाक़ों में योजनाओं का पूरे तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। आपने बिन्दु संख्या एक में बताया है कि ई-मित्र, यह और ज्यादा टिपिकल है, लेकिन आज के टाइम में यह जरूरी भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इनकी मोन्टिरिंग, प्रचार-प्रसार के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने परसों बताया कि कृषि विभाग ने एक राहत साथी किसान पोर्टल तैयार किया है, जो आने वाले वर्ष में सभी योजनाओं का लेखा-जोखा रखेगा। जो शिकायत होगी, उसका निस्तारण भी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रामलाल सोलंकी, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामलाल सोलंकी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री रामलाल सोलंकी का जन्म 25 जून,1944 को सिरोही ज़िले के शिवगंज में हुआ। आपने बीए एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामलाल सोलंकी आठवीं राजस्थान विधान सभा में सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस(आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका, शिवगंज के अध्यक्ष रहे। कृषकों की दशा सुधार के लिए प्रयासरत रहे श्री सोलंकी भूमि विकास बैंक, सिरोही के अध्यक्ष; मार्केटिंग सोसाइटी, शिवगंज तथा कृषि उपज मंडी समिति, शिवगंज के निदेशक रहे। आप जिला कारागृह की सलाहकार समिति

(श्री अध्यक्ष)

के सदस्य भी रहे। सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे श्री सोलंकी लायंस क्लब, सुमेरपुर के अध्यक्ष रहे।

श्री रामलाल सोलंकी का दिनांक 16 मार्च, 2021 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

नेता प्रतिपक्ष, श्री गुलाबचंद कटारिया।

निलम्बन निरस्तीकरण

मदन दिलावर, श्री, सदस्य के निलम्बन का निरस्तीकरण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभार। एक बार अपनी कार्यवाही शुरू हो, उसके पहले मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करता हूं कि कल का जो कुछ भी आक्रोश था, वह दिन भर आपने सदन में देखा। मैं सोचता हूं कि उसी में से मदन जी को, अति आवेश में आकर उन्होंने जो कुछ भी, आगे बढ़े, उसके लिए आपने उनको निलम्बित किया। मेरी विनम्र प्रार्थना है इस प्रकार के वातावरण में कभी-कभी उत्तेजना आ जाती है। मैं सोचता हूं कि आप और सदन मिलकर इसको क्षमा करें और उनको आने का, अगर आप उचित समझें तो निर्णय करें, ताकि सदन और अच्छी प्रकार से चल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, खेद व्यक्त करना पड़ेगा। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, बार-बार कहता हूं। उनका व्यवहार डिजायरेबल नहीं था। मैं स्वयं इस पक्ष का हूं कि इस तरह की घटना नहीं हो। आपके द्वारा कम से कम सदस्य को यह तो कहा जाना चाहिए कि इस तरह का कृत्य अगर हम सदन में करेंगे तो सदन की परम्परा का निर्वहन नहीं कर पाएंगे।

मैं आपसे आशा करूंगा, मैं तो अध्यक्ष पद की तरफ से सबको क्षमा

(श्री अध्यक्ष)

करता हूं। मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि हम सदन की गरिमा को बनाने के लिए काम करें। कभी-कभी मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे दु:ख भी होता है पर मैं आशा करता हूं, आपके रहते हुए, आप और हम सब मिलकर, यदि सदन की गरिमा को नहीं बना पाएंगे तो सदन में हम जनता को सही मैसेज नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कृपया उसकी गम्भीरता को लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अनुशासन और सदन की गम्भीरता रहे, उन्होंने जिस प्रकार किया, मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत उनको बुलाकर भी कहा, मैंने बात भी की है, इस प्रकार का व्यवहार अपने जैसे सदस्य को उचित नहीं दिखता। जो मैं कह सकता था, मैंने उनको कहा है। भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो, इसके लिए भी उन्हें आगाह किया है। मैं अपने दल की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से सदैव अनुशासनबद्ध चले, तरीके से चले, नियमों से चले। हम जनता के जिस काम के लिए आए हैं, उस जनता के प्रति न्याय कर सकें। इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खेद प्रकट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: मैं खेद प्रकट कर देता हूं, सदन की कार्यवाही करने के लिए। माननीय कोई नहीं प्रकट करता, मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं ऐसे सदन का अध्यक्ष हूं जिसमें कृत्य के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ती है मैं माफी मांगता हूं। आप प्रस्ताव रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सर, जिस माननीय सदस्य के लिए यह प्रस्ताव रखा गया था कि उनको सात दिन के बाहर निकाल दिया जाए, उनका आचरण आज से ही नहीं, वर्षों से देखा गया है। देखते-देखते, एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उनको तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तीन बार रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद हाथ-पांव जोड़ जुड़ाकर वह यहां आ गए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनका बर्ताव हमेशा ऐसा रहा है। इसलिए मैं कटारिया साहब

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं कल यहां पर मौजूद थे उस वक्त भी आप जाकर रोक सकते थे। वह संयम लोढ़ा के ऊपर हमला करने जा रहा था। आप उस वक्त भी रोक सकते थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, let us wind up. मैंने खुद ने, अध्यक्ष के पद पर क्षमा मांग ली और तो क्या? आप प्रस्ताव रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं अपने मन को मारकर आपका आदेश मानने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आप मन मारकर प्रस्ताव रखें, आप प्रस्ताव रखें। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): या तो फिर आप ऐसा करें, साहब, कि पहले इस बार बहस करवा लें, उसके बाद उनको बुलवा लें। वरना मुझे पूरी आशंका है कि वह बीच में फिर बोलेंगे। फिर गड़बड़ करेगा।

श्री अध्यक्ष: आपकी आशंका निर्मूल हो गई। आप प्रस्ताव रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि जैसे भी है वैसे है लेकिन उनका निलम्बन समाप्त करने के बाद उनको यहां बुलाने के लिए आप इजाजत फरमा दें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह विषय हम सबको मालूम है। उस विषय की गम्भीरता को समझते हुए हम आधे घंटे में अपनी चर्चा को समाप्त करें, मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

फोन टैपिंग से जनता की निजता पर हमला

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, फोन टैपिंग का भी सरकार को अधिकार रहता है। सरकार चाहे तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात हो गई भई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कारण क्या है कि भारतीय तार अधिनियम 1885 है, इसमें धारा 5/2 इस बात का आपको अधिकार देती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने माफी मांग ली, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव डीम्ड टू बी पास, ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किन परिस्थितियों में किया था, वह परिस्थितियां भी बता रखी हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी कई बातें बताई हैं, जिनके आधार पर धारा 419 (ए) में 2007 में एक संशोधन करके जोड़ा गया, उसमें कहा कि जिसके अनुसार फोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। फोन टैपिंग के आदेश राज्य के गृह सचिव या विशेष सचिव, उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो, के द्वारा जारी किया जाएगा। यह एक नियम है, जिस नियम की पालना करके, सरकार चाहे तो दे सकती है। मुझे इस बात का विशेष दु:ख है कि जब गांधी के विचारों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने अपने आपको उस रास्ते पर डाला, उसने इस बात को नहीं किया कि इस तरह से अगर कोई फोन टैपिंग हुआ होगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। राजस्थान का गृह सचिव 18 तारीख को कहता है कि फोन टैपिंग की मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जिसको यह आदेश जारी करना हो, वह यह कह रहा है। राज्य के मुख्य सचिव ने भी उसी दिन, 18 तारीख को कहा, मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अब मैं विषय की गम्भीरता की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जब इस राज्य का मुख्य मंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है तो आखिर यह फोन टैपिंग हुआ कैसे। मैं सोचता हूं कि सीएम. के जो ओ.एस.डी. हैं, वह मिस्टर शर्मा हैं, उन्होंने तीन वीडियो क्लिप वायरल किये। उस वायरल वीडियो क्लिप में ये सब बातें थीं कि कौन किससे बात कर रहा है, गजेन्द्रसिंहजी ने किससे बात की, भंवरलालजी ने किससे बात की, विश्वेन्द्र सिंहजी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज थी। वह जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक, कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझते, यह तो पूरी सरकार की ही इच्छा थी, उसके आधार पर इन्होंने एस.ओ.जी. में एफ.आई.आर. दर्ज कराई, 47, 48 और 49, और उस एस.ओ.जी. को जो आपने आधार दिया, वह वही क्लिप दी जो तीनों वीडियोज थे, उसके आधार पर यह केस दर्ज हुआ।

17 तारीख को ही आपके यहां प्रवक्ता हैं, सुरजेवालाजी ने और आपकी पार्टी के अध्यक्षजी ने प्रेस कांफ्रेंस करके यह बात कही, उस बात में उन्होंने इस बात को बिलकुल स्पष्टत: नामजद, मैं सोचता हूं कि उन्होंने कहा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महेश जोशीजी ने, यह जो हैं भंवरलालजी विधायक, संजय जैन, गजेन्द्र सिंह नामक व्यक्तियों के द्वारा पैसे के लेन-देन पर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि यह बात, ओ.एस.डी. को किसने अधिकार दिया कि वह इस प्रकार की कोई क्लिप बनाए और उस क्लिप के आधार पर वह उसको वायरल करे। उसी को बेस बना करके मुख्य सचेतक, जो हमारे यहां के व्हिप हैं, उन्होंने उस चीज को आधार मान करके एस.ओ.जी. में मुकदमे दर्ज कराये। यह इस बात के लिये पर्याप्त प्रमाण है या नहीं है, इस बारे में बिना इसको टैपिंग किये, ओ.एस.डी., और वह भी कहां का, मुख्य मंत्री के दफ्तर का, मैं सोचता हूं इससे ज्यादा और क्या राजस्थान की जनता के साथ आप असत्य बोल सकते हो। मैं सोचता हूं कि इसके आधार पर ही आपने केस बनाया और एस.ओ.जी. ने आपको, 17 तारीख को दो केस आपने कराये, ए.सी.बी. में भी आपने 17 तारीख को एक केस दर्ज कराया। उसके आधार पर आपने देखा होगा, इस केस के आधार पर संजय और तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया। वे गिरफ्तार होकर के एक लम्बे समय तक जेल में रहे। अगर आपने फोन टैपिंग नहीं की होती, अगर आपने इस प्रकार की घटना का आधार नहीं दिया होता तो इन तीन लोगों को, जिसमें संजय भी है, एक और भरत यहां का, अजमेर का है और एक मेरे यहां अशोक चौहान है, इन तीन लोगों को किया। दो लोगों को और करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे एरिये से बाहर निकल गये। ये तीनों लोग गिरफ्तार रहे और लम्बे समय तक गिरफ्तार रहे। इसके बाद आपके यहां की एस.ओ.जी. का एक अधिकारी है वह यहां से मानेसर गया, किस बात के लिये गया, भंवरलालजी का और विश्वेन्द्र सिंहजी का क्लिप, वह भाषा, वह बात उन्होंने कही कि नहीं कही, इसका वैरिफिकेशन करने के लिये उनको नोटिस देने गया। जब आपका यह फोन टैपिंग ही नहीं है तो यह आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है। कोई न कोई आधार तो हो, और वह आधार आपने पुलिस को दिया है। आपने वह आधार पुलिस को सब्मिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया और वह भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में भी दर्ज हुआ, तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि नहीं करता कि फोन टैपिंग हुआ? यह बिना फोन टैपिंग के और बिना इस प्रकार के वीडियो बना करके ओ.एस.डी. शर्मा अगर देता है तो यह तो पर्याप्त सबूत मिल गये कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके कारण से, मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं, अध्यक्षजी, अगर इसको आप फोन टैपिंग नहीं मानते हैं, अगर आप इसको इसका आधार नहीं मानते हैं, जबकि आपके सब लोग कह रहे हैं, हमने नहीं किया तो यह केस बना कैसे है। फिर उस दिन तो आप कह रहे थे, सब लोगों के खिलाफ, उसमें गजेन्द्रसिंहजी का भी नाम था, उनके खिलाफ भी आपने पब्लिकली जिस प्रकार से प्रेस कांफ्रेंस करके कह सकते हो, वह आपने कहा। एक तरह से आपकी मंशा यह थी कि ये सब लोग इसके मुल्जिम बने। फिर यह दफ्तर-दाखिल कैसे हो गया। अगर केस बना तो उन तीन ही लोगों का केस क्या था, जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा। अगर आपमें दम हो, अगर यह सच्ची घटना हो तो इसकी तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अन्दर हिम्मत है। केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर किसी पर ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): उसमें गजेन्द्रसिंहजी का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महेशजी, बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप बोल लेना न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है। (व्यवधान) मेरा नाम लिया जा रहा है इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान) महेशजी, महेशजी ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): और मेरे को दुबारा क्लिपिंग मिली तो दुबारा केस दर्ज कराऊंगा। (व्यवधान) दुबारा केस दर्ज कराऊंगा, दुबारा क्लिपिंग मिली तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, मौका मिलेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठें, यह गलत बात है, गलत, गलत बात है। (व्यवधान) I'll wind up this debate. माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, नीचे बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नीचे बैठें। नीचे बैठें, नीचे बैठें। माननीय सदस्य, I'll name you. क्या कर रखा है आपने, यह आपका अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य, मैं फिर कह रहा हूं, कटारियाजी बोल रहे हैं, फिर उसके बाद भी खड़े होने की

(श्री अध्यक्ष)

जरूरत पड़ रही है। (Interruption) Please, don't intervene. आप तो खड़े हुए थे, बोल रहे थे। आप क्यों खड़े हुए? ये कुछ भी कर रहे थे, आप अपने लीडर के ...(व्यवधान) इनको बताकर आप शैल्टर लेना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): Sorry, sir, sorry.

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है। नई परम्परा है। बंद करिये इस डिबेट को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फोन टैपिंग नहीं हुआ, तो यह मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन-कार्ड आपने सुपुर्द किया, वह पैन-कार्ड क्या था और उस पैन कार्ड के अन्दर वर्शन कहां से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो, और अगर वास्तव में यह केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मिट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो न, घबराने की जरूरत क्या है। मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिये और बी.जे.पी. को बदनाम करने के लिये, मैं सोचता हूं कि अगर आपमें वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्यवाही करो न ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गलत, गलत बात ...(व्यवधान) I don't expect this from the senior leader. Please, don't intervene.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराई है उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, होनी चाहिए, दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इल्लीगल हुआ है, बिना परमिशन के हुआ है, बिना विभाग की जानकारी के हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है, और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, इसका मतलब यह कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना।

श्री अध्यक्ष: सतीश पूनियांजी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन टैपिंग आपातकाल है और एक आपातकाल देश में 25 जून, 1975 को भी लगा था। सरकारें गिराने की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग मेरी मित्र मंडली ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी ने 100 से भी ज्यादा बार किया है, यह हिन्दुस्तान का जाना-माना प्रकरण है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा है। (व्यवधान) नहीं, प्लीज, यह आपको अधिकार नहीं है। यह कौनसा तरीका है?

एक माननीय सदस्य: क्या हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। आप खुद ही, ...(व्यवधान) मेरा काम आप कर लें, बड़ी अजीब स्थिति है। वे बोल रहे हैं तो मेरा काम है न, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपको डिबेट नहीं करनी है तो मैं बंद कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please. Mr. Ghoghra, I'll not allow it. I'll not tolerate it. माननीय पूनियांजी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में टेलीफोन टैपिंग की कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थीं, जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने किया है, किस कानून में किस तरीके से टेलीफोन टैपिंग होती है। 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार पर यह आरोप लगा था, उस सरकार को जाना पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमारजी, शरद पवारजी, प्रकाश करातजी के बारे में ऐसी बात हुई और 2019 में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ भी इस तरीके के आरोप लगे थे। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने इस पर सी.बी.आई. जांच के आदेश दिये थे।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि एक माननीय सदस्य का सवाल था, जिसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया और यह एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टैप किये जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि यह सक्षम अधिकारी कौन है। सक्षम अधिकारी ए.सी.एस. स्तर का होता है लेकिन शंका यह है कि वह कोई और अधिकारी था, जिसके इशारे पर यह सब किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत

(श्री सतीश पूनियां)

संक्षेप में निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाया, या तो वह वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी और यदि वह गलत थी तो उसका इस्तेमाल सत्तापक्ष के माननीय लोगों ने किस रूप में किया? यदि वह सोर्स ठीक नहीं था तो ये टेप आए कहां से, यह बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो एफ.आई.आर. अशोक नगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? जिन लोगों के खिलाफ वह एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, और मैं चाहता हूं कि यह बताएं कि ये टेप असली थे और क्या टेप किये जा रहे थे, अधिकारिक फोन टैपिंग की गई, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। फोन टैपिंग की गई तो क्या यह संवेदनशील कानूनी मुद्दा नहीं है? क्या फोन टैपिंग के स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया गया था? प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि क्या निजता खतरे में नहीं है? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद को विपरीत परिस्थितियों में पाकर गैर-संवैधानिक तरीका नहीं अपना रही है? यह प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 21 में हम सब लोगों को अधिकार मिला है, उसकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए आपने आज की यह बहस रखी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं मेरी बहस को उन बातों में नहीं उलझाऊंगा जिसका जिक्र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के सैक्शन 5(2) का आपने किया और इंडियन टेलीग्राफ रूल्स, 1951 के सैक्शन 419(ए) का भी आपने किया। मंत्री महोदय, यह सही है कि एफ.आई.आर. नम्बर 47/2020 जो दर्ज हुई है 10 तारीख को, 48 जो कि 17 तारीख को दर्ज हुई है, 49 जो कि 17 तारीख को दर्ज हुई है और इसके अलावा एक ए.सी.बी. में और एफ.आई.आर. नम्बर 129 जो 17 तारीख को दर्ज हुई है, ये चार एफ.आई.आर. हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन चारों एफ.आई.आर. का आधार वह वीडियो क्लिप है जो सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने प्रामाणिक तौर पर एक परिवाद के साथ अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगों को अलेज करते हुए और अगर आप मुलाहिजा फरमाएं इन वीडियो क्लिप में जो बातें आईं, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसके साथ कुछ लोगों को नामजद भी किया, मैं उनका नाम उल्लेख करके उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया क्योंकि चार मुकदमों में तीन मुकदमे सरकारी मुख्य सचेतक ने करवाये और एक मुकदमा एस.ओ.जी. के इंस्पेक्टर श्री विजय कुमार ने करवाया। अब जब यह टेलीफोन की सारी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो एक एडिशनल डी.जी.पी., ए.टी.एस. और एडिशनल एस.पी., एस.ओ.जी. यादव ने समाचार पत्रों को नोटिस जारी किये।

राजस्थान पत्रिका को जो नोटिस जारी किया, उसका क्रमांक है 128, दिनांक 20.07.2020, राजस्थान पत्रिका। भास्कर को किया, 129, दिनांक 20.07.2020, इन दोनों समाचार पत्रों को जब यह नोटिस देकर पूछा गया कि आपने किस आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया, यह आपके पास आडियो क्लिप कहां से आयी? तो मुझे सदन को बताते हुए यह संकोच नहीं कि उन्होंने जब यह कहा कि यह दोनों जो हमारे पास आडियो क्लिप आयी, यह जारी हुई है- 9829620202, इस टेलीफोन से यह आडियो क्लिप, जिसके अन्दर अलग-अलग नाम दिये गये कि सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया और यह जो 9829620202 है, यह और किसी का नम्बर नहीं है, यह ओ.एस.डी. टू चीफ मिनिस्टर श्री लोकेश शर्मा का यह नम्बर है, जो संविदा स्तर पर एक लाख रुपये की सैलेरी लेता है और सिर्फ इसीलिए लेता है कि यह इस प्रकार के षड्यंत्र करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त करूं, यह 17 तारीख का वाकया है। 19 जुलाई को राजस्थान के मुख्य मंत्री प्रधान मंत्रीजी को एक चिट्ठी लिखते हैं, उसका मैं आपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाता हूं। यह चिट्ठी है- प्रिय श्री नरेंद्र मोदीजी, इसमें ये लिखते हैं कि- राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस कृत्य में केन्द्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता एवं हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। इनमें से एक श्री भंवरलाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार को भी विधायकों की खरीद-फरोख्त से गिराने का प्रयास किया था और धनराशि कई विधायकों के पास पहुंच गयी है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री देश के प्रधान मंत्री को जब यह चिट्ठी लिखते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं कि धनराशि कई लोगों के पास पहुंच गयी है, इसका सोर्स था वह टेलीफोन टेप जो अनधिकृत रूप से टेलीग्राफ एक्ट के सैक्शन 5(2) को धता बताकर, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 419(ए) को धता बताकर आपने की। अब इससे यह साफगोई हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब सरकार इससे बच नहीं सकती।

मैं वह सोर्स पूछना चाहता हूं, मुख्य सचेतक महोदय, आपने तीन बार आडियो क्लिप बनाकर एक पैन ड्राइव के अन्दर आपने यह तस्दीक किया- महेश जोशी पुत्र श्री मूलचंद जोशी, उम्र-66 वर्ष यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है, यह मेरी निजी जानकारी में है तो आप यह बताओ कि आपकी निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी? मैं यह समझता हूं कि उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी हैं जिनका उल्लेख हमारे प्रदेशाध्यक्षजी ने कहा। अमरीका की सरकार गयी वाटरगेट कांड के अन्दर, रामकृष्ण हेगड़े गये और मैं समझता हूं कि अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यह समझता हूं कि नैतिकता है तो आप सही-सही बात कहें। आज मुख्य मंत्री का ओ.एस.डी., मुख्य मंत्री का ओ.एस.डी. मेरा यह रिकार्ड में जाना चाहिए, मैंने टेलीफोन नम्बर भी दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'll not allow, please wind up.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Any particular issue, please.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो नम्बर दिया है मैंने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने यह नम्बर बोला है, इस नम्बर से वीडियो, आडियो क्लिप गयी है समाचार पत्रों में और आपने नोटिस जारी किया। समाचार पत्रों ने बदले में जो आपको लिखा है वह आप उद्धृत करें कि उन्होंने क्या कहा कि यह आडियो क्लिप किससे प्राप्त हुई? मुख्य मंत्री का कार्यालय/निवास अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में भागीदार बनता है तो इससे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। यह हमारी निजता पर हमला है, यह आर्टिकल 21 पर हमला है इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को सत्ता में बने रहने का।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। Not allowed. माननीय मंत्रीजी। प्लीज, फिर मुझे वही बात करनी पड़ेगी। कुछ चीजों में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। नहीं, प्लीज, मेरे पास यह कागज है। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। माननीय मंत्रीजी। बस, please, don't intervene. ...(व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय संयम लोढ़ाजी। माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रतिपक्ष के लोग बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने इंटरवीन नहीं किया और मैं यह आशा करता हूं कि मेरी बात आप पूरी ध्यान से सुन लें, मैं बड़ी तसल्ली से आपको बात बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह अकेले ही काफी हैं, आपके सपोर्ट की जरूरत कहां है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय सतीशजी पूनियां साहब और आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब का दिया हुआ एक लैटर पढ़ा जो सचिव महोदय को उन्होंने दिया। उसमें उन्होंने रिलेक्सेशन मांगा है। रिलेक्सेशन किस चीज के लिए मांगा जाता है? जब आपके पास पूरे सबूत नहीं हों, आपके केस में कोई दम नहीं हो, आपका केस इतना कमजोर हो तब फिर वह जाकर यह कहता है कि साहब, रिलेक्सेशन दे दो तो आप तो खुद यह मंजूर कर चुके हो, आप स्वयं यह मंजूर कर चुके हो कि आपका जो केस है, उसमें कोई दम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो चिंगारी उठी, यह चिंगारी इस बात की उठी कि आदरणीय सराफ साहब ने एक सवाल पूछा और सवाल यह था कि क्या यह सही है कि विगत दिवस में फोन टेप किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं और यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत और किसके आदेश पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जवाब दिया गया, प्रोसीजर बता दिया गया पूरा का पूरा कि प्रोसीजर यह है। न किसी का नाम आपने पूछा, न आपने कोई घटना बताई और न कोई घटना पूछी आपने, कुछ नहीं पूछा है तो यह सारी बात वहां से उठी है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस एक्ट का आपने हवाला दिया प्रतिपक्ष के नेता ने, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को टेलीफोन इंटरसैप्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है और यह इंटरसैप्शन लोक व्यवस्था के लिए है। राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए है और अपराध घटित न हो, उनको रोकने के लिए है। विधि द्वारा विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान पुलिस की इकाइयों के द्वारा विधिक इंटरसैप्शन किये जाते हैं और उसकी कई इकाइयां हैं, ए.सी.बी. है, एस.ओ.जी. है, यह है, वह है। वह है। वह सब आप जानते हैं, आप तो वर्षों होम मिनिस्टर रहे हैं और यह व्यवस्था कोई राजस्थान के लिए ही नहीं है, पूरे राज्यों के लिए है। पूरे राज्यों को यह अधिकार इस एक्ट के तहत में केन्द्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आवश्यक होने पर इंटर स्टेट इंटरसैप्शन की अनुमति भी केन्द्र सरकार देती है। यह कोई नई बात नहीं है।

नियमानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से इंटरसैप्शन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाती है। छह महीने तक देखते हैं, फिर छह महीने तक देखने के बाद उसकी समीक्षा करने के बाद में पूरी कार्यवाही को तलफ कर देते हैं। राज्य सरकार ने सख्ती से इन नियमों का अनुसरण किया तथा कहीं भी इस संबंध में कोई रिलक्सेशन नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो माननीय सदस्यों की चिंता का आधार बन सके।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी परम्परा रही है कि हमने किसी भी जन प्रतिनिधि की कोई निजता, न तो पहले भंग की है और न ही आगे भंग करेंगे। यदि इसमें किसी सदस्य को कोई शिकायत है कि मेरी निजता भंग हो गयी है तो अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकता है। हुई है क्या किसी की निजता भंग? तो रूको मत, फटाफट दो दरख्वास्त।

मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एस.ओ.जी. के द्वारा दिनांक 17.07.2020 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को धन बल से गिराने के मुकदमे दर्ज किये गये। मुकदमों को बाद में ए.सी.बी. को ट्रांसफर कर दिया गया। इस एफ.आई.आर. में एक व्यक्ति, गजेन्द्र सिंह का नाम भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आया, जो संजय जैन से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह गजेन्द्र सिंह कौन हैं? यह जांच में क्यों नहीं सहयोग करते, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है। इंटरसैप्शन करने का अधिकार एस.ओ.जी. को है, लेकिन कब है? जब वह होम सैक्रेटरी से इजाजत ले लेंगे। होम सैक्रेटरी से इजाजत ले ली एस.ओ.जी. ने और एस.ओ.जी. ने विजय कुमार राय को अधिकृत किया। विजय कुमार राय वह इस सैक्शन का इंचार्ज है। वह सी.आई. लेवल का आदमी है, वह इंचार्ज है। उसको इजाजत दी गयी कि तुम इनसे मालूम करो, क्योंकि खबर यह थी कि साहब, अवैध हथियारों और विस्फोटकों के बाबत उसको इंटरसैप्शन की इजाजत दी गयी थी। वह इंटरसैप्शन लगते-लगते दो आदमियों के पास, एक अशोक सिंह और दूसरा भरत मालानी, यह कोई राजनेता नहीं हैं, कोई जन प्रतिनिधि नहीं हैं, जिसकी चिंता हम सब कर रहे हैं कि जन प्रतिनिधि की निजता भंग कर दी गयी। इन दोनों के टेलीफोन को जब इंटरसैप्शन में किया गया तो यह बात करते-करते विस्फोटक और इधर-उधर की बातें करते-करते राजनीति की सारी बातें आ गयीं और बहुत लम्बी बात आ गयी कि कौन-कौन क्या-क्या कर रहा है? कितने पैसे का लेनदेन होगा? सरकार कब गिरेगी, कैसे गिरेगी, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो वह चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बीजेपी तैयार है कि नहीं है? यह नहीं है, वह नहीं है। ऐसे करके लम्बा सा किस्सा आया। इन सब बातों को देखते उसने एक एफ.आई.आर. दर्ज करवायी 47 नम्बर की। 47 नम्बर की यह एफ.आई.आर. दर्ज करवायी कि साहब, यह तो एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र है, इसलिए इसकी एफ आई आर दर्ज करवायी जाती है। एक एफ.आई.आर. तो वह हुई।

फोन टैपिंग का मुद्दा, जो विपक्ष के द्वारा बार-बार उठाया जा रहा है। उसका मुख्य मन्तव्य, जो मैं मानकर चलता हूं वह यह है कि वह केन्द्रीय मंत्री, जिनका नाम गजेन्द्र सिंह शेखावत है, उनको बार-बार बचाने के लिये यह मुद्दा उठाया जाता है और मोटे तौर पर तो उन पर इतना बड़ा आरोप था कि प्रधान मंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह मांग दुबारा से न उठे, इसीलिए बार-बार आप यह फोन टैपिंग, फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हैं। यदि वे पाक साफ हैं तो वह इस टैस्ट से क्यों बचते हैं? तीन दिन तक लगातार एस.ओ.जी. के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर और दिल्ली के दफ्तर में चक्कर काटते रहे कि वाइस

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

टैस्ट दे दीजिए, वाइस टैस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या एतराज है उनको? अगर पाक साफ हैं तो वाइस टैस्ट दे देना चाहिए था और अब दे दें। अभी कौन से मियां मर गये हैं, अभी कौनसे मियां मर गये, रोजे घट गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों महानुभावों ने जो बात उठायी है, उसका तो मैं जवाब दूंगा। एक-एक जवाब दूंगा, मैंने आपके सारे पाइंट लिख लिये, लेकिन, उसके पहले मैं आपको मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर जो सम्बोधन दिया था 14 अगस्त, 2020 को, उसको पढ़कर सुनाता हूं। वह इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। यह डेढ़ पेज का है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है।

मुख्य मंत्रीजी ने बोला 'देश के अन्दर हर पोलिटिकल पार्टी में कई बार डिफरेंसेज हो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती के साथ उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का देश के अन्दर अगर किसी को लगा तो या तो अमित शाह जी को लगा या आप लोगों को लगा। किस खूबसूरती के साथ डिफरेंसेज खतम कर दिये गये। बड़ा मुश्किल होता है, आप पर खतम नहीं हुए हैं। डे-बाई-डे बढ़ते ही जा रहे हैं, 30 की संख्या रह गयी है 73 में से। मालूम है आपको किन-किन को इन्वाल्व करना है, कौन केन्द्रीय मंत्री इन्वाल्व, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आपको मालूम है, उनका नाम तो आडियो टेप में आ गया। कैसे हो गयी? आपके लिये कहा है कि आप तो गृह मंत्री रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हो कि लीगल होता है या इल्लीगल होता है? राजस्थान में कभी परम्परा नहीं रही, विधायकों के, एम.पी. के टेप करने की और न राजस्थान में ऐसा हुआ है। मैं यह कह सकता हूं। यह मुख्य मंत्रीजी ने कहा है यहां पर सदन में, कि मैं यह कह सकता हूं। राजस्थान में कभी परम्परा नहीं रही इल्लीगल टेप करवाने की। यह कहना कि मुख्य मंत्री हमारे फोन टेप करवा रहे हैं। आप लोगों का यह कहना, जिसके लिये मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि आप लोगों का यह कहना कि मुख्य मंत्री हमारे फोन टेप करवा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं कि मैं तो स्वयं अब आरोप लगाता हूं केन्द्र सरकार पर, कि आज पूरा देश डरा हुआ है। मुख्य मंत्रीजी खुद कहते हैं कि मैं तो आरोप लगाता हूं कि पूरा देश डरा हुआ है। टेलीफोन पर बात करते हुए आदमी डरता है। यह कहता है वाट्सएप पर बात कर लो। कहीं हमारी बात टेप न हो रही हो। देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, पोलिटिशियन सब डरे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मेरा आरोप है केन्द्र सरकार पर, कि वह इस तरह की बातें करके पूरी जनता को डराना चाहते हैं और डरा-डराकर वह राज करना चाहते हैं। पूरे देश के अन्दर माहौल बन गया कि सी.एम. इल्लीगल टैपिंग नहीं करवा सकता। कुछ लोगों ने कहा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि आपके घर पर टेप बन गयी। आपका भी यह आरोप है कि साहब, उन्हीं के घर पर बन गयी टेप। सबूत तो हैं नहीं आपके पास, टप्पे की बातें हैं। आपके आफिस में टेप बन गयी और फिर उसे रिलीज कर दी। मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर आप प्रूव कर दो तो। वह आज भी कहने को तैयार हैं कि अगर आप यह प्रूव कर दो कि उनका टेप में कहीं पर भी कोई हाथ रहा हो या उनके घर पर कोई टेप बनी हो तो वह आज भी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं।

मान्यवर, मेरी बात सुनिए। कोई भी चीज मेरे मोबाइल पर आती है। मैं एक वाट्सएप ग्रुप का मैम्बर बना हुआ हूं। मैं मैम्बर बना हुआ हूं तो बटन दबाते ही वह जितने भी वाट्सएप ग्रुप के मैम्बर हैं, उनके पास चली जाती है। अगर लोकेश शर्मा के पास कोई चीज आयी और आगे उसने बटन दबाकर उस वाट्सएप ग्रुप में भेज दी, क्या गुनाह कर दिया? क्या आप नहीं करते हैं? आपके पास कोई चीज आएगी तो आप दूसरे को टिक करते नहीं भेजते? एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, मुख्य मंत्रीजी से कहा कि काम चीफ मिनिस्टर के आफिस की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि यह आरोप आप पर लग रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि कभी अगर उनको लगता है कि हमने षड्यंत्र करके फर्जी टेप बनायी है।

क्या कहते हैं उसको, डाक्टर्ड टेप दीजिए, यह आरोप लगाते हैं, मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, राजनीति छोड़ सकता हूं। आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे आफिस में टेप बनायी। फिर दोबारा सवाल पूछता है पत्रकार, कि अगर यह साबित हो गया तो क्या आप राजनीति छोड़ने को तैयार हैं? जवाब में बोलते हैं कि, अगर मैं झूठी टेप बनाऊंगा और लोगों को सरकार बचाने के लिए तो मेरा मोरल अधिकार है कि क्या मैं इस सरकार में रहूं। यहां तक कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार है उस चैलेंज को, उस चैलेंज को आप मीट आउट करो, साबित करो कहां पर टेप बनी थी, कहां नहीं बनी थी। सिर्फ यह कि उनके एक ओ.एस.डी. ने वह टेप इधर-उधर भेज दी, उससे क्या होता है? क्यों नहीं भेजेगा? नहीं, क्यों नहीं भेजेगा?

यह स्टेटमेंट है राजस्थान के मुख्य मंत्री का और यह वह मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने यह कहा कि मैं वही आदमी हूं जब सदन में मैंने, जिसने दो बार, 1993 से लेकर के 1998 तक, जब आदरणीय भैरोंसिंह जी की सरकार थी और राजेन्द्र सिंह जी, आप भी उसमें चिकित्सा मंत्री थे, दो बार आपकी सरकार को गिराने की कुछ विधायकों के द्वारा कोशिश हुई, यह वही मुख्य

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मंत्री है जो देश के प्रधान मंत्री नरसिम्हाराव के पास जाकर के, दो बार जाकर के कहकर आया कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक बार सरकार बन गयी तो लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब वो पूरे पांच साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी।

यही नहीं, इसके अलावा वो राज्यपाल बलिराम भगत के पास गये, उनसे भी यही कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी हरकतों का सहयोग नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि हमारी पार्टी अलग है और भैरोंसिंह जी की पार्टी अलग है। भैरोंसिंह जी ने सरकार भी बनायी, हम उससे एग्री नहीं थे, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जोड़-तोड़ करके बनायी थी, क्लियर मैजोरिटी तो थी नहीं न आपकी उस वक्त, जोड़-तोड़ करके बनायी थी लेकिन बन गयी, बन गयी और शासन में आ गयी तो फिर लोकतंत्र की यही मान्यता थी कि वो कम से कम पांच साल राज्य की सेवा के लिए काम करे और उस मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप कि वो टेप बनायेगा। लाहौल विला कूवत।

मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम उन लोगों में से हैं जो व्यक्ति की केवल अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि राजेन्द्र सिंह जी ने आज पर्सनल लिबर्टी की बात कही। पर्सनल लिबर्टी की बात, अभिव्यक्ति की स्वीकृति की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से सुनें तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है हमें।

होता क्या है, जब शिशु का जन्म होता है तो नाल को निकाल करके नाल को काटा जाता है, काटने के बाद में ही वह पहली बार सांस लेता है और वह सांस, वह स्वतंत्र सांस उसके लिए प्रकृति की देन होती है तो यह स्वतंत्रता वाक्य ही कितना महत्वपूर्ण शब्द है। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, अगर इसको समझ जाओ तो देश का कल्याण हो जाएगा, लेकिन आपकी जिद है, आपकी जिद है कि आप हमें जीने नहीं दोगे और जनता की जिद है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बच्चे-बच्चे की जुबान पर है कि इस लोकतंत्र में निष्ठा की रक्षा अगर हम नहीं कर पाये तो कोई नहीं कर पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार सिंह के लिए जो बात आपने कही, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो इन्टरसैप्ट कर रहा था, इजाजत लेकर के कर रहा था। आपने कहा कि, साहब, बगैर इजाजत के कर रहा था। आप यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

साबित कर दो कि बगैर इजाजत के कर रहा था तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं यहां पर आज, अभी देने को तैयार हूं। आप गृह मंत्री रहे हो, गृह मंत्रालय आपसे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं होगा। क्या एस.ओ.जी. के उस व्यक्ति को जो आपका लोगर सैक्शन का हेड है और जिसको यह ऊपर से कहा जाता है कि तुम इन्टरसैप्ट करो क्योंकि खबर यह है कि विस्फोटक आ रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं और उसने वो इन्टरसैप्ट किया, इन्टरसैप्ट में ही यह सब बातें आकर के चली गयीं। क्या गलत किया? किसी पोलिटिकल आदमी के लिए किया? मुख्य आरोप आपका यह था कि केन्द्रीय मंत्रियों को, मैम्बर पार्लियामेंट्स को, विधायकों को, जन प्रतिनिधियों को, उनको इन्टरसैप्शन किया गया, उनका टैप किया गया। साबित कर दो, मुख्य मंत्री इस्तीफा देने को तैयार हैं, और मुख्य मंत्री छोड़ो, हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं, हम सब इस्तीफा दे देंगे। करो साबित। किसी भी पोलिटिकल व्यक्ति के कोई भी, किसी भी स्तर के जन प्रतिनिधि के कभी कोई इन्टरसैप्ट अशोक गहलोत की सरकार में हुआ हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप साबित करके दिखाइये।

पूनियां साहब, आप अभी नये-नये आये हो, भटको मत, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। आप हमसे कहते हो कि मध्यावधि चुनाव होंगे, आप खुद मध्यावधि में चल दोगे।

जहां तक आपने पूछा कि महेश जोशी ने किस आधार पर 48 और 49 की एफ.आई.आर. दर्ज करवायी? एफ.आई.आर. में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि वीडियो के..

एक माननीय सदस्य: आडियो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं, आडियो, सॉरी। आडियो और टीवी पर चल रहे समाचार को देख करके मैं यह इस प्रकार की एफ.आई.आर. दर्ज करवा रहा हूं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि एस.ओ.जी. ने या पुलिस की किसी दूसरी इकाई ने मुझसे यह कहा है कि इन्टरसैप्ट में आज ऐसी-ऐसी बात हुई है, ऐसी-ऐसी बात हुई है। कहीं पर भी नहीं है, आप पूरी एफ.आई.आर. पढ़कर देख लो। ये तीन एफ.आई.आर. हैं, ये आप तीनों की तीनों पढ़ करके देख लो।

अनेक माननीय सदस्य: पढ़े हुए मान लिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मान लिया?

अनेक माननीय सदस्य: मान लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, मान लो तब तो फिर कोई बात नहीं, बोलूं ही नहीं मैं।

तीनों एफ.आई.आर. में पहला शब्द ही यही है कि मैंने टीवी देखा, टीवी में समाचार देखे, वीडियो क्लिप देखे, उसके आधार पर मैं यह एफ.आई.आर. लिखवा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण अनुसंधान के लिए एस.ओ.जी. ने कहा क्या, और एस.ओ.जी. ने ईमानदारी के साथ इनकी एफ.आर. लगा दी। एफ.आर. किसलिए लगा दी, अदमबकुआ में। अदमबकुआ में भी लगा दी और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना जूरिस्डिक्शन इसके लिए नहीं माना। अदालत में चले गये, अदालत में जाकर के एफ.आर. दर्ज करवा दी। अदालत में उस एफ.आर. को मन्जूर करते हुए यह आदेश दिये कि इन तीनों केसेज को ए.सी.बी. तफ्तीश करेगी और ए.सी.बी. को, एंटी करप्शन ब्यूरो को वो केसेज दे दिये गये जिस पर आज भी अनुसंधान जारी है। आज भी जारी है। लेकिन वाइस सैम्पल नहीं आया क्योंकि वाइस सैम्पल तो दिया ही नहीं न तीन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, Don't intervene.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 3 दिन तक दफ्तर और घर के चक्कर काटते रहे बड़े-बड़े अफसर, नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, कोई जमाने की मान्यता थी, प्रारम्भिक कालखण्ड में कि यह माना जाता था कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी निकल गई। वह निकल गई तो कुछ भी हो जाता है। होता क्या है? एक आम सभा हो रही है, आम सभा में कुल मिलाकर 50 आदमी हैं, लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी से 50 हजार दिखा दिए जाते हैं। जैसा आजकल बंगाल में हो रहा है।

इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के अन्तर्गत केन्द्र की 9 एजेंसियां एवं राज्य में केवल एक पुलिस विभाग को टेलीफोन इंटरसैप्शन के लिए अधिकृत किया गया है, 9 एजेंसीज हैं उनके पास। हमारे पास कुल मिलाकर एक है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हमारे पास ही नहीं, दूसरे राज्यों के पास भी एक ही है, पुलिस। अब पुलिस की अलग-अलग इकाइयां हैं, वह अलग बात है। इंटेलीजेंस ब्यूरो नंबर 1, सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, नंबर 3 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नंबर 4 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नंबर 5 सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, जो आजकल बड़े जोरों पर आती है, रॉ और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलीजेंस, मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की। इतनी सारी एजेंसीज हैं। इनसे करवा क्या रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? जगह-जगह छापे, जगह-जगह सब कुछ। किसके छापे? अरोड़ा के छापे, अरोड़ा क्या नाम था उसका पूरा? राजीव अरोड़ा। धर्मेन्द्र राठौड़, सीएम के बड़े भाई। कभी किसी बीजेपी वाले के पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। कभी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ेगा? कालीचरण जी, पड़ जाएगा। बात मान जाओ, हंसो मत। नहीं, थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं न। ये 3 महाशय हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं कि किसी भी दल के चुने हुए विधायक, मंत्री या लोक सभा का सदस्य या राज्य सभा के सदस्य को कभी हमने इंटरसैप्शन नहीं किया। संदिग्ध गतिविधियां चाहे वह हथियारों की तस्करी हो, मादक पदार्थों के बाबत इंटरसैप्शन किया जा रहा हो, उन्हीं में ऐसी-ऐसी बातों के लिए इंटरसैप्शन किया जाता है।

एफआईआर में साफ-साफ है कि क्लिपिंग कहां से आई? आप कहते हो कि क्लिपिंग लोकेश शर्मा ने बनाई। सबूत दे दो। आडियो चल रही है, टीवी चल रहा है, टीवी समाचार दे रहा है, समाचार-पत्र छाप रहे हैं। अब यह किसने बनाई, यह तो बता दो आप। हमें तो कोई जरूरत नहीं है पूछने की। इसलिए हम कहते हैं कि कभी वाइस सैंपल तो दे दो। वाइस सैंपल देने में क्या है?

अब मैं आपकी बात पर आता हूं। आदरणीय कटारिया जी ने बात कही कि टैपिंग होगा तो सीएम ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। कायम हैं, बात पर कायम हैं। आज भी कायम हैं। शर्मा ओएसडी ने वाट्सअप वायरल किया, किया, क्यों नहीं करेगा वायरल? क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए उसके वाट्सअप पर कोई मैसेज आता है तो वह मैसेज अगर दूसरों को भेज देता है तो क्या अपराध करता है? बताइए आप कौनसा सैक्शन लगता है? उसी के आधार पर महेश जी ने 3-3 एफ.आई.आर. दर्ज करवाईं। आपने कहा कि टेप बनवाया। दे दो आप सबूत। आप सबूत दे दो। मुख्य मंत्री जी जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। आप दो तो सही सबूत। आपने यह भी कहा कि बिना विभाग की इजाजत के, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप जैसा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आदमी जो सालों होम मिनिस्टर रहे हों, कई काम तारीफ के भी किये, वो यह कहे कि बगैर इजाजत के इंटरसैप्शन हो सकता है। करने वाला मरेगा क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूनियां जी ने कहा कि स्वीकृति देने वाला अधिकारी कौन होता है? होम सैक्रेटरी होता है। होम सैक्रेटरी किसी को भी अधिकृत करेगा तो बराबर वाले को अधिकृत करेगा। बाकी इसमें हमेशा ही होम सैक्रेटरी इजाजत देता है। ये टेप कहां से आए? यह तो हम भी आपसे पूछते हैं कि टेप कहां से आए? आप बता दो। ये टेप असली हैं कि नकली हैं, तो वाइस रिकार्ड करवा दो। पता लग जाएगा कि असली हैं कि नहीं हैं। यह तो आपके हाथ की बात है। निकालो एक चिट्ठी, डायरेक्शन दो कि तुम्हारी वजह से बीजेपी को नीचा देखना पड़ रहा है। वाइस सैम्पल दो।

राठौड़ साहब ने कहा, कोई खास बात तो कही नहीं। क्या जवाब दूं? एक निजता वाली बात कही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक तीर से दो शिकार।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सब जानकारी है इनको कि यह टेप कहां से आया। कैसे नहीं हुआ? सब जानकारी है क्योंकि महेश जी और रघु जी, इनके खास लंगोटिया यार हैं। अब ये कहें न कहें, वह बात दूसरी है। निजता की आपने बात कही। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपने आरोप लगाए हैं कि ये टेप सीएमआर में बने हैं, इन आरोपों को साबित करने का बर्डन आफ प्रूफ आप पर है क्योंकि ये आरोप आपके लगाए हुए हैं। हमारे लगाए हुए नहीं हैं। आरोप लगाने वाला व्यक्ति ही बर्डन आफ प्रूफ को झेलेगा। करिए, यह सदन तैयार बैठा हुआ है, सुनने के लिए आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिजूल वक्त जो विपक्ष के द्वारा बिगाड़ा गया और जिस प्रकार की हरकत हुई, वह तो अच्छा हुआ, आ गया, आ तो गया, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। कम से कम आप जैसे व्यक्ति से मैं हमेशा यही आशा करूंगा कि आप सत्य को सत्य कहोगे और असत्य को असत्य कहोगे। यह सत्यता है। आप एक ही काम कर दो, कुछ मत करो, इसकी असलियत पता लग जाएगी, गजेन्द्र सिंह जी को बुलाकर वाइस रिकार्ड करवा दो। इतने से बिन्दु पर सारा काम खतम हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आखिर में कालीचरण जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा जो प्रश्न लगाया गया और यह चिंगारी जो उठाई गई, आज वह चिंगारी आपको ले डूबी।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बर्डन आफ प्रूफ की बात भी की और एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि यह कूटरचित टेप थी या सही टेप थी, आई कहां से?

मेरा एक ही निवेदन है कि कोई न कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। मैं प्रस्ताव करता हूं सदन के सामने कि इसकी पूरी जांच सीबीआई से करवाई जाए। नंबर एक बात।

अध्यक्ष महोदय, नंबर 2 बात, एक मिनट, मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा। जब इन्होंने बात कही और एक केन्द्रीय मंत्री का नाम लेकर के कहा वाइस टैस्ट के लिए तो 13.07.2020 को आपने पूर्व उप मुख्य मंत्री सहित 16 माननीय विधायकों को नोटिस दिया और मानेसर में आपकी टीम 4 बार गई।

(13.00 बजे)

यह रिकार्ड पर है, चार बार वह रिकार्ड पर गई, वह उनको मिठाई खिलाने गई थी या कि उनका वाइस टैस्ट कराने गई थी? आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनका वाइस टैस्ट करवा लो आप। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये धंधे हम नहीं करते राठौड़ साहब, 90 हजार, ...(व्यवधान) 90 हजार टेलीफोन टेप हुए हैं +++...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): +++...(व्यवधान) 90 हजार। (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): आप इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो, हिम्मत नहीं है कुछ करने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 90 हजार ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक कागज लेकर ज्यादा हेंकड़ी मत करना, समझ में आया न, यह कागज दे दो।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): इस लीपापोती से काम नहीं चलेगा, यदि गैरत है तो यहां से रिकमंड करो सीबीआई इन्वेस्टीगेशन की। (व्यवधान) तो फिर रिकमंड करो सीबीआई जांच के लिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, यह कागज दे दो, क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान) बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) राजेन्द्रजी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, यह कागज दो, कागज। क्या है? (व्यवधान) अगर तुम्हारे में दम हो न तो एक आरोप कभी जिन्दगी में तय कर दो तो यहां +++ एक सैकण्ड से दूसरा सैकण्ड नहीं...(व्यवधान) याद रखो। (व्यवधान) क्या आरोप लगा रहे हो? कागज क्या है? (व्यवधान) +++ ...(व्यवधान) +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 90 हजार ...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): कुछ लेना-देना नहीं है। (व्यवधान) +++ खेल खेल रहे हो...(व्यवधान) असत्य आरोप लगा रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कागज दो, कागज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पढ़ लो, पढ़ लो, उसको पढ़ लो अच्छी तरह से। 90 हजार... (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): ये फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होगा ... (व्यवधान) पाप नहीं धुलेंगे आपके। (व्यवधान) पाप नहीं धुलने वाले... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान व नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) नीचे बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करनी है? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) नीचे बैठें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान)। चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई।

बुलाकी दास जी कल्ला। वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र (वर्ष 2020-21)

(1) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अंतर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबंध विवरण पत्र वर्ष 2020-21

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2019-20)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2019-20

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक पर अनुमान वर्ष 2021-22 (व्यवधान) अनुदान की मांगें। (व्यवधान) माननीय धारीवाल साहब। (व्यवधान) माननीय धारीवाल साहब। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान व नारे)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

महोदय को रुपये 77,83,47,69,000/- (सतहत्तर अरब तिरासी करोड़ सैंतालीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान व नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, नीचे बैठो, नीचे बैठो। (व्यवधान) प्लीज। माननीय सदस्य, मैं खुद खड़ा हूं, माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए एडजोर्न की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.04 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(13:34 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: सदन आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.34 बजे 14.04 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14:04 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री जी, प्रदेश के मुख्य मंत्री, इन सबका सम्मान करने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। हम सब कोशिश करें कि सदन में हम अपने प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्य मंत्री जी, उनके सम्बन्ध में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करें जिससे संसदीय परम्पराएं कमजोर हों। यदि सदन में इस तरह की कोई व्यवस्था हुई तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि

(श्री अध्यक्ष)

उनको डिलीट किया जाएगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता हम सबके लिए सम्माननीय हैं। अनफार्च्युनेटली मुझे बताया गया कि जिस तरह के डायलाग आपस में उदयलाल जी और उनके बीच में हो गए, वह अनफार्च्युनेट डायलाग था। मैंने उदयलाल जी से भी बात की, उदयलाल जी का पूरा सम्मान प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया के प्रति है और कटारिया जी स्वयं इस बारे में जानते हैं। हम सबका धर्म बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि संसदीय लोकतंत्र में हम प्रतिपक्ष के नेता का भी उतना ही सम्मान करें जितना मुख्य मंत्री जी का सम्मान करें। मैं आशा करता हूं कि कटारिया जी बड़प्पन रखेंगे और सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर जाएं और हम डिबेट ठीक ढंग से कर सकें। आप सबसे भी निवेदन है कि भविष्य में हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम सब मिल-जुलकर संसदीय परम्पराओं का निर्वहन अच्छे ढंग से करें। राजस्थान का विधान सभा का जो सदन है वह पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाता है, हम परम्पराओं का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं और संसदीय लोकतंत्र में जनता की समस्याओं का निदान सदन में डायलाग, डिस्कशन और डिबेट करके करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब इन परम्पराओं का निर्वहन करेंगे। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आय-व्ययक की मांग पर चर्चा होगी। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के अन्दर भी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े वादे कर राजस्थान की जनता को सपने दिखाए कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जनता की सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। उसी के तहत राजस्थान की जनता को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आने वाले समय के अन्दर गांवों में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे गांवों को भी, छोटी-छोटी ढाणियों को भी, जिनकी आबादी 500 से अधिक है, उनको सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर भी हम सड़कें बनाने का काम करेंगे। जो सड़कें पुरानी बनी हुई हैं उनका सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का काम करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे प्रोवोक कर रहे हैं जबरदस्ती मुझे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आपको बिलकुल नहीं करेंगे, सर।

(14.07 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजस्थान के अन्दर हम आरओबी भी बनाएंगे, आरयूबी भी बनाएंगे। रेल परियोजनाएं जो बन्द पड़ी हैं उन परियोजनाओं को भी हम वापस शुरू करने का काम करेंगे। मिसिंग लिंक भी बनाएंगे, राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी बनाएंगे, धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सड़कों का निर्माण कराने का भी काम काम करेंगे। सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान की जनता को गुमराह किया गया। उन्होंने 2019-20 का बजट पेश किया उस बजट में भी सदन के नेता ने कहा कि हम 35 हजार करोड़ रुपये खर्च कर सड़क तंत्र को मजबूत करेंगे। इन्होंने यह बात भी कही कि 2019-20 के अन्दर 6 हजार 37 करोड़ रुपये सड़कों के ऊपर खर्च करने का काम करेंगे। इन्होंने 2019-20 के बजट में घोषणा की कि हम मिसिंग लिंक सड़कें बनाएंगे, धार्मिक सड़कें भी बनाएंगे और 1 हजार 9 गांवों को जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च करके सड़कों को बनाने का काम करेंगे। एक नहीं अनेकों घोषणाएं, 2019-20 के बजट में कीं और 2020-21 के बजट फिर उन्हीं घोषणाओं को दोहराने का काम किया। सभापति महोदय, 2021 के अन्दर भी एक बड़ी घोषणा इस बात की की गई कि हम नवीन राज्य सड़क नीति, 2021 लेकर आएंगे, सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। 2019-20 के बजट के अन्दर इन्होंने घोषणा की कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से गौरव पथ बनाए, उसी तर्ज पर हम भी विकास पथ बनाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, वास्तविक धरातल पर आज भी यह है कि इन्होंने कहा था कि 5 साल के अन्दर हम एक भी ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पर विकास पथ नहीं बने। दो साल बीत चुके, तीन बजट आ चुके लेकिन इन तीनों बजटों के अन्दर, आज भी सदन के कई माननीय सदस्य अनौपचारिक चर्चा के अन्दर यह कहते हैं कि हमारी सरकार ने घोषणा जरूर की थी, लेकिन एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक विकास पथ अगर कहीं गलती से बन गया हो तो बन गया हो, बाकी नहीं बने हैं। एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतें हैं, दो साल बीत चुके हैं, तीन बजट इनके आ चुके पर एक या दो ग्राम पंचायतों के अन्दर जरूर इनके विकास पथ बने होंगे, लेकिन शेष ग्राम पंचायतें उन विकास पथ के इंतजार में खड़ी हुई हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, हमारी भी सरकार 2013 से 2018 तक रही, हमने भी उस समय, तत्कालीन समय में जो बजट था उसमें घोषणाएं कीं, लेकिन हमारी घोषणाओं के अन्दर यथार्थ था, हमारी घोषणाओं के अन्दर सत्यता थी और हमारी घोषणाओं के अन्दर एक कमिटमेंट इस बात का था कि जो घोषणाएं हमने की हैं उन घोषणाओं को पूरा करने का काम करें।

सभापति महोदय, 2014 के अन्दर जब हमारी सरकार का पहला बजट 2014-15 का पेश किया गया, उस समय हमने घोषणा की थी कि राजस्थान के अन्दर सड़क तंत्र को सुधारने के लिए 20 हजार किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम करेंगे। 20 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कों का सुदृढ़ीकरण का काम करेंगे। प्राइवेट सैक्टर के अन्दर पीपीपी मोड के अन्दर सड़कें बनाने का काम करेंगे और उस वादे को निभाते हुए हमारी सरकार ने प्रतिदिन औसतन, अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाने का काम किया, लेकिन इन दो सालों की चर्चा सभापति महोदय मैं इसलिए नहीं करूंगा कि इन दो सालों के अन्दर सड़क तंत्र के अन्दर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिस काम की चर्चा इस सदन के अन्दर की जाए, विकास पथ की घोषणा की गई, विकास पथ की हकीकत मैंने आपको बता दी।

मिसिंग सड़कों की घोषणा की गई, मिसिंग सड़कें एक भी, अभी तक भी, ये तीसरे बजट के अन्दर जरूर सरकार ने मिसिंग सड़कों की घोषणा की है, लेकिन बीते दो सालों के अन्दर एक भी मिसिंग सड़क बनाने का काम नहीं किया। यहां तक कि हमारे कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती थीं, इन दो सालों के अन्दर कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा भी कोई सड़कें नहीं बनाई गईं, जनता के साथ यह भी एक धोखा इन्होंने किया।

सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय जो घोषणा की गई कि राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें, तत्कालीन समय में थीं, उन सब मुख्यालयों पर 0.5 से 2 किलोमीटर लम्बी सड़क, आने वाले तीन वर्षों के अन्दर, हम कमप्लीट करने का काम करेंगे। हमने हमारी सरकार के समय जो वादा किया, उस वादे को निभाने का काम किया। 2015-16 के अन्दर हमने वादा किया था कि डूंगरगढ़ से सरदारशहर-राजगढ़ होते हुए श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर-बीकानेर, दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह, दर्रा-खानपुर-अकलेरा, सीकर-लाडनूं-नोखा, जन सहभागिता के आधार पर ये राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किये गये थे। इन राष्ट्रीयकृत मार्गों के ऊपर भी निजी सहभागिता से सड़कों का

(श्री रामलाल शर्मा)

निर्माण किया गया, सुदृढ़ीकरण किया गया। हमने 2016-17 के बजट के अन्दर भी जो घोषणाएं कीं, चाहे वे मिसिंग सड़क की हों, चाहे रोड रिपेयरिंग की हों, चाहे नवीन राष्ट्रीय मार्गों की हों, चाहे मेगा हाईवे की सड़कें बनाने की हों, वे सारी घोषणाएं हमने पूरी की हैं।

सभापति महोदय, अगर मैं हकीकत में बात करूं कि इस बजट के अलावा सरकार ने दो साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी सरकार 2008 से लेकर 2013 तक थी और 2008 से लेकर 2013 तक का अगर मैं तुलनात्मक विवरण दूं आपके सामने तो दिसम्बर, 2013 से जून, 2018 तक सड़कों के विकास का कार्य, समग्र विकास पर हमने 24 हजार 498 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि इनकी सरकार 2008 से 2013 तक रही, इन्होंने सिर्फ 14 हजार 944 करोड़ रुपये खर्च किए, सड़कों के विकास के तहत। हमारे शासन काल के अन्दर जो 2013 से 2018 तक रहा, 62 हजार 76 किलोमीटर सड़क हमने बनाईं, इन्होंने 5 साल के अन्दर सिर्फ 55 हजार 446 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम किया। हमारे शासन काल के अन्दर नवीन राज्य राजमार्ग 5 हजार 364 किलोमीटर घोषित किये गये। सभापति महोदय, इनके शासन काल के अन्दर सिर्फ 174 किलोमीटर के राज्य मार्ग घोषित किये गये। हमारी सरकार के शासन काल के दौरान ढाणी, गांव एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने का काम 5 हजार 827 किलोमीटर और इनके शासन काल के अन्दर सिर्फ 2 हजार 506 किलोमीटर। हमारे शासन काल के अन्दर जो मिसिंग सड़कें बनीं, वह 1 हजार 64 मिसिंग सड़कें बनाईं सिर्फ 663 सड़कें पिछले पांच सालों के अन्दर बनाई। हमने मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 4 हजार 420 किलोमीटर किया, इनके शासन काल में सिर्फ 3 हजार 300 किलोमीटर किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के हालात ये बने हुए हैं दो साल के शासन काल के अन्दर, हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाई थीं, उन सड़कों के रिनुअल का काम भी यह सरकार नहीं कर रही है। इनके कई माननीय सदस्य दु:खी मन से सदन में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, एक धेले का विकास का काम इस सरकार ने आने के बाद दो सालों के अन्दर नहीं किया।

सभापति महोदय, बजट के अन्दर देखा, इस बजट के अन्दर कोई बात तो ऐसी कही गई होगी, जो जयपुर जिले के सर्वांगीण विकास को देखते हुए करेंगे। आज भी जयपुर के अन्दर झगड़े इस बात के चलते हैं कि इस कालोनी का विकास जेडीए करेगा या इस कालोनी का विकास नगर निगम

(श्री रामलाल शर्मा)

करेगा। जेडीए कहता है कि यह मेरी पैरीफेरी के अन्दर नहीं है, नगर निगम सड़क बनाने का काम करेगी। नगर निगम कहता है कि यह मेरे पैरीफेरी के अन्दर नहीं है, इसका जेडीए सड़क बनाने का काम करेगी। दोनों के दोनों, जेडीए और नगर निगम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। आज जयपुर के अन्दर आप किसी भी रास्ते के अन्दर चले जाओ, सारी की सारी कालोनियों के रास्ते अवरुद्ध नजर आते हैं।

सभापति महोदय, वास्तविकता यही है कि इस बजट के अन्दर, आगरा रोड से लेकर अजमेर रोड तक जो रिंग रोड का काम था। वह हमारे शासन काल के दौरान कमप्लीट हुआ, लेकिन इस सरकार से उम्मीद यह थी कि जयपुर की लाइफ लाइन अगर कही जाएगी तो यह रिंग रोड कही जाएगी, आगरा रोड से लेकर आज भी अजमेर रोड तक की रिंग रोड, आधी-अधूरी पड़ी हुई है। हम सोच रहे थे कि इस सरकार के आने के बाद कुछ तो नैतिकता के आधार पर ये विकास को प्राथमिकता देंगे, लेकिन इस बजट के अन्दर सिर्फ घोषणा किस बात की गई, रिंग रोड बनाने की घोषणा नहीं की। सभापति महोदय, घोषणा सिर्फ की गई कि आगरा रोड से लेकर के दिल्ली रोड तक की जो रिंग रोड है, उसकी हम डीपीआर बनाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि जयपुर की जो लाइफ लाइन बन रही है, आबादी को देखते हुए कैपिटल को देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि आगरा रोड से लेकर अजमेर रोड तक की जो रिंग रोड अधूरी पड़ी है, सरकार उसकी बजट में माकूल व्यवस्था करे। डीपीआर से काम चलने वाला नहीं और उस काम को गति देने का काम करे।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा। आज जिस तरीके से राजस्थान के अनेकों विभाग चाहे वह एक्सईएन का आफिस हो, चाहे चीफ इंजीनियर का आफिस हो, चाहे आपके पीडब्ल्यूडी का हैडक्वार्टर हो, सारे के सारे आफिसों के अन्दर, ठेकेदारों की एक लम्बी कतार इस बात के लिए खड़ी है कि दो साल के अन्दर जो काम हमने किये थे, उनके भुगतान भी समय पर नहीं हो रहे। सभापति महोदय, वास्तविकता तो यह है कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने की वजह से, आज कई ऐसी सड़कें हैं, जो आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं, आज जिनके ऊपर ग्रेवल डालकर, डब्ल्यूबीएम की गई, उस डब्ल्यूबीएम के बाद में बीटी भी उन सड़कों को नहीं किया गया। राजस्थान के अन्दर एक नहीं अनेकों सड़कें ऐसी हैं, जिन सड़कों के ऊपर आज भी बीटी की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा सरकार ठेकेदारों का भुगतान समय पर करके, जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उन कार्यों को पूरा कराने का काम करे। सभापति महोदय, हमारे तंत्र को भी इस तरीके से सुदृढ़ करने

(श्री रामलाल शर्मा)

की आवश्यकता है। कई ठेकेदार ऐसे हैं, जो बिलो रेट से, जो बीएसआर की रेट है या उससे बिलो जाकर ठेका तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन गुणवत्ता की सड़कें बनाने में नाकाम हैं। समय-परिस्थितियों को देखते हुए, गारंटी पीरियड के अन्दर सड़कें टूटती हुई नजर आती हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार कोई ऐसा पैमाना तय करें, सड़कें जो बनें मजबूत बनें। जो उनकी अवधि है, उस अवधि से पहले क्षतिग्रस्त नहीं हो और इसके अन्दर जो भी कोताही बरतने वाले, चाहे ठेकेदार हों, चाहे इंजीनियर हों, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने का एक पैमाना तय करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सरकार कई बार बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती हैं। 2012 के अन्दर चौमूं से लेकर दूदू तक मेगा हाईवे सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, आठ साल बीत जाने के बाद भी उस मेगा हाईवे का काम अधूरा पड़ा हुआ है और उस सड़क का काम अधूरा पड़ा होने की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, हाड़ोता से लेकर रेनवाल सड़क का यह मेगा हाईवे, मैं चाहूंगा कि आठ साल बीत चुके, उसके बावजूद भी अधूरे हैं, वह भी समय रहते पूरा हो। आज भी जयपुर के अन्दर कई कस्बे ऐसे हैं, जिन कस्बों के अन्दर बाईपास बनना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अन्दर राजस्थान की सरकार, इन शहरों का सर्वे करवाकर जहां यातायात की सुगमता का रास्ता हो सकता है, उन रास्तों के ऊपर यह सरकार माकूल व्यवस्था स्थापित करने का काम करे।

सभापति महोदय, जयपुर से लेकर सीकर तक रोड की चौड़ाई बढ़ाने का काम हुआ, टू लेन से फोर लेन का काम समाप्त भी हुआ। सभापति महोदय, आज भी उस रोड के अन्दर इतनी कमी-खामी हैं, जहां डिवाइडर बनना चाहिए, वहां डिवाइडर नहीं है, जहां कट होना चाहिए, वहां कट नहीं है, जहां पर सर्विस रोड बननी चाहिए, वहां पर सर्विस रोड नहीं है, जहां पर यात्री विश्राम स्थल बनने चाहिए, वहां पर यात्री विश्राम स्थल नहीं है, जहां लाइटें लगनी चाहिए, वहां लाइटें नहीं हैं। जो लाइटें लगी हुई हैं, वे रात्रिकालीन अंधेरे के अन्दर लाइट का, बिजली का खर्चा ज्यादा आने की वजह से ठेकेदार उनको बंद करके रखता है। मैं चाहूंगा जयपुर से लेकर सीकर तक जो फोर लेन बनी है, उसके अन्दर जो कमी-खामी है, चाहे गोविन्दगढ़ के अन्दर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे भोजलाव कट पर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे राधास्वामी

(श्री रामलाल शर्मा)

बाग़ कट के ऊपर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे ढोढसर के ऊपर सर्विस रोड बनना हो, ये तमाम कार्य ऐसे हैं, जिन पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहूंगा कि जिन भी इंजीनियरों की गलती है या लापरवाही है, उस लापरवाही को दुरुस्त करते हुए, जो इस फोर लेन के अन्दर कमी-खामी है, उस कमी-खामी को दूर करने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सड़क तंत्र, जिस तरीके से आदमी के शरीर के अन्दर रक्त का प्रवाह धमनियों से होता है और उसी से शरीर स्वस्थ रहता है, राजस्थान का सड़क तंत्र आज पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, मृत प्राय हो चुका है, मिसिंग सड़कें बनना बंद हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सड़कों का जो सुचारु काम शुरू हुआ था, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के अन्दर, उस सरकार के अन्दर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दौरान जो सड़कें बनना शुरू हुई थीं, उसी से ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरों से जुड़ना शुरू हुए थे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर पूरा का पूरा तंत्र ठप हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अन्दर, राजस्थान के अन्दर जो तंत्र टूटा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप जल्दी से प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार से उम्मीद नहीं है सभापति महोदय, सरकार से उम्मीद नहीं है फिर भी मेरे क्षेत्र की मांग मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं वैसे मुझे उम्मीद नहीं है। सभापति महोदय मैं चाहूंगा कि गीधावास से दादिया तक, आसी बस स्टैंड से लेकर लालासर तक, आलीसर से लेकर हीरा का बास तक, समरपुरा से लेकर के बिलोची तक, विमलपुरा से लेकर जालिम सिंह का वास तक, आलीसर से लेकर विमलपुरा तक, सबलपुरा से लेकर रायथल तक, घिनोय से लेकर बाई का वास तक, सीतारामपुरा से नांगलकलां तक, धोबलाई से लेकर सिंगोद खुर्द तक और सिरसा से लेकर कोटडी तक।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं चाहूंगा कि सरकार में जरा सी भी नैतिकता है, सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो इन तमाम विकास के कार्यों को गति देने का काम करे। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में नीतिगत निर्णय के तहत राजस्थान में सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की है उसी भांति जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं सड़क से वंचित हैं, उन गांव को भी सड़क से जोड़ने की आप घोषणा करें। हो सकता है गांव बहुत ज्यादा वंचित हैं सड़क से जुड़ने, वह सारे गांव आप इस एक साल के बजट में नहीं जोड़ सकते लेकिन जितने गांव आप इस एक साल के बजट में जोड़ सकते हैं, कम से कम कुछ तो आप घोषणा करें।

वर्ष 2019-20 के बजट में 700 से ज्यादा आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा गया। काफी सारे गांव सड़क से जुड़े। मेरे वहां भी कई सारे गांव जुड़े और 2020-21 में एक भी गांव सड़क से नहीं जोड़ा गया और यह 2021-22 का बजट है इसलिए 2021-22 के बजट में भी सन् 2011 की जनगणना को आधार मान करके आप 700 से नीचे की, 600 की आबादी, 500 की आबादी, 400 की या जो भी आप कर सकते हैं, कुछ तो आप गांव जोड़िए। पिछले 2020-21 में भी एक भी गांव नहीं जोड़ा। इस साल भी आपने एक गांव भी जोड़ने की बात बजट में नहीं की तो क्या इसका मतलब जो गांव सड़क से वंचित हैं, 600 से ज्यादा आबादी के गांव भी सड़क से वंचित हैं, वह सड़क से वंचित ही रहेंगे या आपकी जोड़ने की कभी आगे कोई योजना भी है? आगामी 3 वर्ष की योजना का भी कहीं इस बजट में जिक्र किया गया है लेकिन इन गांवों के बारे में अगले 3 साल में भी कहीं कोई बजट का जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उसके बारे में आप जब बजट की डिमांड की चर्चा का उत्तर दें उस समय बताएं कि कितनी, मैं नहीं कह रहा कि सारे गांवों को आप जोड़ो। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2011 की जनगणना के अनुसार 62 गांव अभी भी सड़क से जुड़ने बाकी हैं। आप दो-चार ही जोड़ें। आप 600 से ऊपर की आबादी कर दीजिए उससे ऊपर आएंगे 2-4 ही

(श्री हेमाराम चौधरी)

गांव हैं, दो-तीन आएंगे मुश्किल से। इतने तो जुड़ें, फिर कुछ अगले साल में जुड़ेंगे, कुछ उससे आगे जुड़ेंगे। कभी तो जुड़ेंगे और अगर आप जोड़ोगे ही नहीं तो ये गांव तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे बिना सड़क के इसलिए आप मेहरबानी करके इस पर भी गौर करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

गौरव पथ, यह गौरव पथ क्या है? यह पिछली सरकार ने शुरू किया गौरव पथ के नाम से। हमारी सरकार ने आकर गौरव पथ, साहब, गौरव पथ कुछ नहीं है, गांव में बनी बनाई सड़कें हैं उनको उखाड़ करके उसकी जगह दूसरी सड़के बना रहे हैं। सरकार का पैसा वह पानी में बहा रहे हैं। इस बार भी गौरव पथ के लिए मेरे वहां भी आये नाम के लिए कि किसको गौरव पथ में, मैंने कहा कि मेरे को गौरव पथ चाहिए ही नहीं पैसे सरकार के बर्बाद करने नहीं हैं। मैंने गौरव पथ के लिए गांव का नाम नहीं, दिया, फिर मेरे से पूछा गया कि आप इसके बदले जितना अमाउंट हम गौरव पथ में दे रहे हैं, कोई दूसरी सड़कों के नाम दे दो। मैंने वह नाम भी दे दिए लेकिन उनकी भी कोई स्वीकृति नहीं दी तो मेरे कहने का मतलब गौरव पथ में जो पैसा दे रहे हो, वह पैसा जहां जरूरत है सड़क के लिए उनके लिए दे दो। उसमें कहां दिक्कत है लेकिन नहीं दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है गौरव पथ के बदले दूसरी सड़क जो लेना चाहे, कोई गौरव पथ नहीं लेना चाहे, उनको दूसरी सड़कें आप दो। पूर्व में भी ऐसा किया गया है। पिछली सरकार के समय में भी कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्रों में गौरव पथ नहीं बनाए, उसके बदले उनको दूसरी सड़कें दी गईं।

पिछली सरकार जब हमारी थी तो 2013 में कुछ मिसिंग सड़कें स्वीकृत की थीं हमारी सरकार ने, उस समय जब अशोक जी मुख्य मंत्री थे उस समय वह सड़कें, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और इनके आने के बाद में उन्होंने वह सड़कें निरस्त कर दीं तो अब तो हमारी सरकार बने भी ढाई साल हो गए। कम से कम मेहरबानी करके आप उन सड़कों को तो स्वीकृत कर दो। 2013-14 में आपने ही तो की थी और इन्होंने निरस्त कर दी तो अब तो वापस ठीक कर दो। अभी आप ठीक नहीं करोगे तो फिर उन सड़कों का क्या होगा, कब होगा? अब तो आप सुधार करो लेकिन आपने अभी तक उन निरस्त की हुई सड़कों की स्वीकृति नहीं दी है। आप कहो तो मैं उन सड़कों का नाम बता सकता हूं। ऐसी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 सड़कें हैं जो आप चाहो तो मैं नाम भी बता सकता हूं। नोखड़ा से कगाऊ सड़क से हुक्मोनी खोतों की ढाणी 1 किलोमीटर, बनाणियों के बैरे से मोडानी

(श्री हेमाराम चौधरी)

मेघवालों की ढाणी 2 किलोमीटर, कोठाला से पाबूबेरा साढ़े 3 किलोमीटर, भालीखाल से कोशले की ढाणी 3 किलोमीटर 700 मीटर।

इसी प्रकार सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सड़कों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और मुआवजा स्वीकृत किया, उसमें से मुआवजा काश्तकारों को भेजा। बहुत सारे काश्तकारों ने मुआवजा ले लिया, उसमें से कुछ गिने-चुने काश्तकारों ने उस समय मुआवजा लिया नहीं और वह पैसा वापस आ गया, वहां से नीचे लेवल से, जिला लेवल से वापस यहां जयपुर आ गया और उस बात को कई साल हो गए और जो काश्तकार बचे हुए रह गए, उनको मुआवजा देने की बात पिछले सत्र में भी मैंने यह बात उठाई थी और आज भी उठा रहा हूं। मेरे गांव की 3 सड़कें हैं जिनका मुआवजा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक कांकड़ों की ढाणी सड़क है जिसका मुआवजा स्वीकृत हुआ 9 लाख 71 हजार और उसमें पेमेंट हो गया, बाकी कितना रहा, सिर्फ 1 लाख 38 हजार रुपये। धरासर का तला, मुआवजा स्वीकृत हुआ 10 लाख 60 हजार और अब बाकी कितना है, 1 लाख 85 हजार मात्र। नाइयों की ढाणी, मुआवजा स्वीकृत हुआ 13 लाख 67 हजार और अब बाकी कितना है, 9 लाख 52 हजार। इतना सा पैसा सरकार में काश्तकारों के मुआवजे का बाकी है। सरकार ने अधिग्रहीत की, काश्तकार ने तो नहीं कहा कि हमारी जमीन लो और अब आपने बाकी सब को मुआवजा दे दिया, इतने से काश्तकार कुछ रह गये, उनको मुआवजा देने के लिए मैं ढाई साल से चिल्ला रहा हूं, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। कब सुनवाई होगी? बताने की कृपा करें जवाब के समय। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा।

मिसिंग लिंक की सड़कें तो इन्होंने निरस्त कर दीं और हमने वापस स्वीकृत नहीं कीं, कोई बात नहीं। उन्होंने पिछले शासनकाल में गुढ़ामालानी में एक अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन के लिए सवा दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए, वह इस बार हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने भी निरस्त कर दिए, जैसा उन्होंने कुकृत्य किया, वैसा ही हमने कर दिया तो फिर इनमें और हमारे में क्या फर्क रहा और वह भी अनुसूचित जाति का छात्रावास और उसकी बिल्डिंग निरस्त कर दी। मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे बड़ा दुख है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन को तुरन्त स्वीकृत करें। खाली अनुसूचित जाति की बात करने से उनका भला नहीं होगा। छात्रावास का भवन बनेगा, उसमें बच्चे पढ़ेंगे तब जाकर के अनुसूचित जाति का भला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं आपके

(श्री हेमाराम चौधरी)

माध्यम से कि आप उस छात्रावास की स्वीकृति तत्काल दें और वह भवन बनाएं, निरस्त करने से कोई फायदा नहीं। उनके लिए आप स्वीकृत करके, उसको बनाओ तब तो आप की भलमनसाहत है और निरस्त कर दोगे तो मर्जी आपकी। किसके कहने से किया, क्यों किया, मेरे समझ में नहीं आता है निरस्त करने का कारण।

दूसरा सभापति महोदय, सड़कों की जहां तक बात है, यह बजट है, इस बजट को मैंने भी खूब टटोला, समय नहीं है, पूरी सारी चीजें मैं नोट करके भी लाया हूं, मेरे पास है पूरी कितनी-कितनी सड़कें स्वीकृत की हैं। इस बजट में सड़कों के लिए पैसा दिया गया है नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका को अलग से 30 किलोमीटर, 20 किलोमिटर, 10 किलोमीटर। मेरे यहां तो न नगर निगम है, न नगर परिषद् है, न नगरपालिका है तो वह सड़कें भी मुझे नहीं मिलनी हैं। दूसरी कोई किसी प्रकार की सड़क भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपये एक विधान सभा क्षेत्र वाली बात है, उसका कोई लाभ मेरे को मिल जाए तो वह एक अलग बात है, उसके अलावा कोई सड़क नहीं दी गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सड़कों का ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरे से कोई दुश्मनी है तो आप मुझे जो सजा दें, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। गुढ़ामालानी की जनता ने तो कोई दुश्मनी नहीं कि उनकी क्या गलती जो उनको आप सड़कों से वंचित रख रहे हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जवाब दे उस समय गुढ़ामालानी का भी नाम आए।

आपने एक सड़क इसमें दी है बड़ी होशियारी से इसमें पढ़ा गया है सायला-बागोड़ा-गुढ़ामालानी, अब गुढ़ामालानी में नाम डाल दिया, गुढ़ामालानी का उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। गुढ़ामालानी का लेना-देना ही नहीं है 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई गुढ़ामालानी में, फिर भी लिख दिया साथ में गुढ़ामालानी ताकि यह कहने को हो जाए कि गुढ़ामालानी का नाम है न इसमें। नाम से राजी होंगे कि सड़क बनने से राजी होंगे? नाम से राजी करना चाहते हो तो नाम से गुढ़ामालानी की जनता राजी होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, बजट वर्ष 2020-21 में 12.10.2020 को 31 सड़कें 704 करोड़ 13 लाख की राजस्थान सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। टेंडर हो गये, टेंडर खोल दिये गये और वर्क आर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर के यहां से एक आदेश चला गया कि अग्रिम कार्यवाही रोक दी गई है। अब उनको वर्क आर्डर नहीं दे रहे हैं। 2020-21 की सड़क स्वीकृत 12.10.2020 को हो गई और वर्क आर्डर नहीं दे रहे हैं तो फिर यह सड़कें कब

(श्री हेमाराम चौधरी)

बनेंगी? 2020-21 की सड़कों की यह हालत है तो फिर यह 2021-22 वाली सड़कें कब बनेंगी? आप इसका भी जवाब दें कि इनके टेंडर क्यों रोके। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी एक सड़क है, उसका टेंडर रोक दिया गया, इसमें स्वीकृत है, इसको तो रोक दिया और बजट में गुढ़ामालानी का नाम घुसेड़ दिया, उससे क्या फायदा हुआ।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहकर यही कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सनावड़ा-मेलू-गोलियाजात माल-गुढ़ामालानी एक सड़क स्वीकृत हुई। उस सड़क में जो अभी टेंडर हुए उस टेंडर में 10 करोड़ की स्वीकृति थी। उसमें मिलीभगत करके -4.70 पर एक जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह ठेका दिया गया और उसी समान प्रकृति के काम, उस समय कुल 8 पैकेज जारी किये गये थे और यह काम राशि के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज था। यह तो गया -4.70 और दूसरे सब पैकेज 30 परसेंट से अधिक गये हैं। एक काम गया -31.86, -33.92, -35.62, -31.01, इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको एक-एक बताऊं, जैसे एक यह काम गया -32.5, दूसरा गया -36.99 परसेंट, फिर गया -31.99 परसेंट, -30.55 परसेंट। मतलब कितनी सड़कों के नाम गिनाऊं, सब इतने परसेंट बिलो में गये, सिर्फ यह एक काम -4.70 में गया। मैंने अधिकारियों को कहा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन यह पहले से मेनिपुलेटेड था। उन्होंने पहले से सब इंतजाम कर रखा था। -4.70 परसेंट ले लिया और इसमें कुल 7 संवेदक आये। 7 लोगों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया, इन्होंने निविदा भरी और बाद में डीडी ऑफलाइन जमा कराना होता है आफिस में। यह डीडी ऑफलाइन क्यों रखा, क्योंकि यह काम इस कंपनी को देना था इसलिए उसको ऑफलाइन रखा, नहीं तो यह भी ऑनलाइन हो सकता है। अर्नेस्ट मनी, धरोहर राशि ऑनलाइन क्यों नहीं जमा हो सकती। अगर ऑनलाइन का प्रावधान होता तो कहीं से भी वह जमा करा देता, परन्तु वह डीडी है, डीडी भी उन्होंने बनवा दी। मजे की बात यह कि उन कांट्रेक्टरों ने बैंक से डीडी बनवा दी। 21,27,800/- की डीडी बनवा दी। अब कोई ऐसा बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी राशि बैंक में जमा करवाकर डीडी बनाए और फिर वहां आफिस में जमा नहीं कराए, ऐसा कोई है क्या? लेकिन यह सब मेनिपुलेट हुआ है। इस तरह से मेनिपुलेट करके इस रोड पर दो से ढाई करोड़ का घपला हुआ। मैंने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यह बहुत बड़ा घपला है। वहां पर एक्सईएन था, उसको सिंगल आर्डर से हटाया गया। क्यों हटाया गया, इसलिए

(श्री हेमाराम चौधरी)

हटाया गया कि वहां पर गौरव पथ का एक काम था, वह काम इसी जैन कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने समय पर पूरा नहीं किया, तब उसको वहां से हटना पड़ा। समय पर पूरा नहीं किया इसलिए पैनल्टी इम्पोज कर दी। पैनल्टी इम्पोज का दबाव पड़ा उस पर कि मुझे पैनल्टी रिवोक करो। उसने रिवोक नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता तो उसको सिंगल आर्डर से हटना पड़ा और फिर दूसरे एक्सईएन को सिंगल आर्डर से वहां लगाया गया। जैन कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अपने चहेते को वहां लगाया गया। उसके बाद उसने पैनल्टी काटकर फाइनल बिल बनाकर ट्रैजरी में भेजा। कांट्रेक्टर को मालूम पड़ा, कांट्रेक्टर ने उस एक्सईएन को दबाया कि तुम्हारी कैसी औकात, तुमने यह पैनल्टी कैसे काटी, पूरा बिल बनाओ, पैनल्टी तुम काट नहीं सकते। तब वह बिल वापस ट्रैजरी से लेकर आया और पूरा बिल बनाकर दिया और आज भी वह पैनल्टी माफ नहीं हुई है और वह पेमेंट उसको हो गया है। इस तरह का मामला चल रहा है। ठेकेदारों के कहने से एक्सईएन की पोस्टिंग हो गई और ठेकेदारों द्वारा एक्सईएन को धमकाया जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि तेरी क्या औकात है, बिस्तर बांध ले, आज ही बांध ले, आज ही रवाना हो जा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक्सईएन को एक दिन में, एक घंटे में बिस्तर बांधना पड़े और बंधाये गये। सभापति महोदय, तो फिर मैं यहां क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किससे कहूं? यह विधान सभा है, इस विधान सभा में तो आज मैं कम से कम अपनी बात रखूं। मुझे पता है, होना इसका कुछ नहीं है। वह ढाई करोड़ कमा लिये, और कमायेंगे। आगे काम कुछ नहीं करायेगा। बाड़मेर जिले में घटिया से घटिया सड़कें बनी हैं। अगर उनकी जांच करवाई जाये तो सारी परत खुल जाये लेकिन कौन ...(व्यवधान) किसी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, आप विराजिए। कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इसलिए सभापति महोदय, यह जो इस प्रकार हुआ है, मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री जी जब जवाब दें, इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाये। राजस्थान में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसकी निष्पक्ष जांच कर सके। राजस्थान में अगर सुनवाई होती, अधिकारी सुनवाई करते तो अधिकारियों के ध्यान में तो मैं पहले ही ले आया था। जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने यहां उच्च अधिकारी चीफ इंजीनियर

(श्री हेमाराम चौधरी)

को लिखा कि इसके रीटेंडर कराये जायें, रेट बहुत कम है, 30 परसेंट का अंतर है, इसलिए रीटेंडर बहुत जरूरी है। लेकिन उस एडिशनल चीफ को यहां बुलाकर धमकाकर, आफिस में बिठाकर उसके साइन करवाये गये हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है, यह कोई साधारण मसला नहीं है। यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खाने को किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है, न किसी और को है। इस प्रकार अगर कोई करेगा तो सरकार दंडित नहीं करेगी तो फिर क्या होगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, मैं करता हूं। मैं तो आज पहली बार ही बोला हूं। आप नहीं बोलने दोगे तो कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कौन अपना समय कटवा रहा है, खड़ा होकर बता दें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मुझे पता है मुझे नहीं बोलने दिया जायेगा। मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन आप नहीं बोलने देंगे..

श्री सभापति: आपको 20 मिनट है, आपको बोलने देंगे। इधर भी 20 मिनट है, आपका भी 20 है। पूरे सदन में दो ही व्यक्तियों को 20-20 मिनट टाइम है, बाकी सबको 5-5 मिनट टाइम है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): लोग रोज बोलते हैं, मैं तो पूरे सत्र में आज एक बार ही तो बोला हूं। सभापति महोदय, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन बोलना बहुत है, लेकिन बोलने नहीं दोगे, कोई बात नहीं। मेरी आवाज को दबा सकते हो, यहां नहीं बोलने दोगे लेकिन जब कभी भी जहां भी मौका मिलेगा, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वह भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिये तैयार हूं लेकिन गुढ़ामालानी की जनता का पैसा है, कितनी मुश्किल से वह सड़क स्वीकृत करवाई है, मेरा जी जानता है और उस पैसे को खा जाये और मैं देखता रहूं, इसका मतलब तो यह हुआ मुझ पर भी यह आरोप लगेंगे। यह जो पैसे दो-ढाई करोड़ रुपये इस रेट में कमाये, दो-ढाई करोड़ बाद में कमायेंगे, इसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है और कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा है। इसलिए मुझे मजबूर होकर यह बात यहां कहनी पड़ रही है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच कराएं। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी कराना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिये और अगर आप इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है तो आपकी मर्जी आये जैसे, पैसे तो वह खा गये, निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो। किसने, किस प्रकार से, कैसे यह षड्यंत्र रचा, किस प्रकार से इतने करोड़ रुपये एक सड़क में खाये हैं। कितनी सड़कें बनी होंगी...

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इस जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कितने काम किये होंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान) मैंने कोई अपराध किया तो आप मुझे सज़ा दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): लेकिन गुढ़ामालानी की जनता को आप क्यों सज़ा देते। गुढ़ामालानी के लिये आप सड़क इस बजट में नहीं दोगे।

श्री सभापति: आपकी बात को दर्ज कर लिया गया है, एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि गुढ़ामालानी क्षेत्र को भी इस बजट में थोड़ा बहुत कुछ दिया जाये। दे दें तो ठीक है, नहीं तो..

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें, विराजें। श्री अभिनेश महर्षि। आपका भी पांच मिनट का समय काट दिया गया है, आपकी तरफ से ही। दस मिनट का ही समय है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पंद्रह मिनट का था।

श्री सभापति: नहीं, काट दिया गया है। मैं पहले ही बता रहा हूं। इसके बाद दोनों तरफ से पांच-पांच मिनट का ही टाइम है। घड़ी में देखकर स्टार्ट करें, पहले अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करें, फिर आगे बढ़ें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 - सड़कें और पुल के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत

(श्री अभिनेश महर्षि)

बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। मुझे विधान सभा की डायरी मिली है, जिसके अन्दर टेलिफोन नम्बर लिखे हुए हैं। इसमें मंत्रिमंडल में किन-किन लोगों को कौन-कौनसे विभाग दिये गये हैं, यह मैं देख रहा था। इसके अन्दर सड़क और पुल वाला विभाग गायब है और उसका कोई मंत्री नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका मंत्री कौन है, मुझे तो अभी तक यही पता नहीं चला। हेमाराम जी अभी बता रहे थे, वे कौनसे मंत्री की बात कर रहे थे, मुझे मालूम नहीं है।

इसके बाद वार्षिक योजना 2020-21 की बात कर लें। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी बात करेंगे। सड़कों एवं पुलों के लिए वार्षिक योजना 2020-21 के लिए 6277.18 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से 2324.84 करोड़ रुपये ही राजस्थान की सरकार खर्च कर पायी है, क्योंकि राजस्थान की सरकार फाइव एवं सेवन स्टार होटलों में सो गयी थी। यह गूंगी बहरी सरकार है, इसका जनता के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं है और सड़कें बदहाल हैं, टूटी हुई हैं। ये पिछले शासनकाल की बात कर रहे थे। पिछले शासनकाल में जो हमने सड़कें बना दीं, उन सड़कों के ऊपर आप री-कारपेट तक नहीं करा सकते हैं तो फिर कौनसी बात कर रहे हैं।

मुझे मुख्य मंत्री जी के बजट की रिप्लाई का भाषण याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक गांव के अन्दर जो सबसे बड़ा गांव होगा या हैडक्वार्टर पर यदि सड़क नहीं होगी तो हम विकास पथ बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहा था, ऐसे करके कहा था कि हम फेरो कवर बनाएंगे। न फेरो कवर बने, न विकास पथ बने और वहां पर अभी भी धूल उड़ रही है। बहुत धोखे के साथ इन्होंने बातें कहीं। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायतें हैं, 40 सड़कें बननी चाहिए थीं, विकास पथ बनने चाहिए थे। अभी तक एक बन पाया है, उसको भी डेढ़ किलोमीटर से एक किलोमीटर कर दिया और एक किलोमीटर के अन्दर भी राइडर लगा दिया कि 80 लाख रुपये से ऊपर नहीं बन सकता है। जितना बने, उतना बने और उसके बाद नहीं बने तो नहीं बने। उसके बाद अब की बार जब मेरे पास प्रस्ताव आया कि इसके अन्दर आप कौनसी जगह पर बनवाना चाहते हो तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी बना दी, जिसके अन्दर विधायक से सिर्फ पूछ लिया गया, अंतिम निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे, मिसिंग लिंक का कोई नाम उसमें नहीं दिया गया है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दीं। 500 से ज्यादा की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की +++, असत्य बातें। मैं +++ शब्द वापस लेता हूं, मैं माफी चाहता हूं। असत्य बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। मिसिंग लिंक के अन्दर वसुन्धरा राजे की सरकार के अन्दर 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की सड़कें प्रत्येक विधायक को मिसिंग लिंक के नाम पर दी गयी थीं। आपकी सरकार ने अभी तक एक इंच भी नहीं दी। कब दे देंगे, आपने तीसरा बजट पेश कर दिया।

धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बातें। धार्मिक स्थलों की तो आपको चिंता ही नहीं है। आप धार्मिक स्थलों पर तो सिर्फ कमेंट करना जानते हो, क्योंकि आप धार्मिक नहीं हैं। इसलिए धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात नहीं करते हो। ग्राम पंचायत, किसानों को मुआवजा। मेरे रतनगढ़ में, रतनगढ़ से सालासर तक की सड़क का मुआवजा पहले भी नहीं मिला और अब उस सड़क को वाइडनिंग करके चौड़ा किया जाने का काम चल रहा है, जिसके ऊपर किसान रो रहे हैं, वहां धरना देकर बैठे हुए हैं। सरकार सुध नहीं ले रही है और उनको मुआवजा नहीं दे रही है।

चूंकि यह डिमांड का मामला है, समय कम है। इसलिए मैं सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्दर जो मिसिंग लिंक की नयी सड़कें बनानी हैं, उनके बारे में संक्षेप में बता देता हूं। हरदेसर से नायकों की ढाणी होते हुए कादिया 6 किमी, बच्छरारा से बीरमसर 6 किमी, सांगासर से खोतड़ी 4.5 किमी, भींचरी से खोतड़ी 5 किमी, फांसा से चारणवासी 02 किमी, भूखरेड़ी से किशनपुरा 2.5 किमी, सुलखनिया से बिराणिया प्याऊ तक 3 किमी, भूखरेड़ी से दीपसर, दीपसर से स्वामी की ढाणी, कनवारी से चारणवासी, तोलियासर से खुड़ी, मालासी से राजियासर मीठा, सीतसर से खींचीवाला, मालासी से साण्डन, श्यानण से जेठवा का बास, श्यानण से बाटड़ानाऊ, न्यामा से धानणी, श्यानण डूंगरीमात से खारिया कनिराम, खुड़ी से न्यामा वाया भामुओं की ढाणी, रिणवां की ढाणी वाया इकताई तलाई होते हुए डूंगरास अगूणा, ढाणी रिणवां से करवारी, बोथियावास से जैतासर, पड़िहारा से धातरी, चुहास से मेगा हाईवे बीड़ छापर, बड़ाबर से लालपुरा, जिनरासर से खालिया, बिलासी से लोणा, भोजलाई से बोबासर, गोपालपुरा से चाड़वास, पायली से भावनेदसर, आबड़सर से भरपालसर, परसनेउ से जेगणिया बीकान, आलसर से राजलदेसर, गोरीसर से मालपुर, लधासर से गौरीसर और खारिया से बड़ा खुडेरा। ये यहां पर नयी सड़कें बनाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। राज्य सरकार

(श्री अभिनेश महर्षि)

इन पर ध्यान दे और अपनी घोषणा के अनुसार इन पर काम करे। टूटी-फूटी सड़कें हैं, हालात बहुत खराब हैं और लोगों का जीना दूभर हो रहा है। आना-जाना बहुत मुश्किल है। बड़ी से बड़ी गाड़ी भी नहीं जा पाती है।

कादिया से ठठावता, सांगासर से भूखरेड़ी वाया छाबड़ी मीठी-खारी, सुलखनिया से रिड़मल की ढाणी, दीपसर से सीतसर, मैणासर से रूखासर, श्यानण से न्यामा, आबसर से भानीसरिया, भावनदेसर से राजलदेसर, सिमसिया से राजलदेसर, जेगणिया से राजलदेसर, जोगलिया से जैतासर, आबड़सर से राजलदेसर, आलसर से प्रेमनगर, एनएच 11 से परसनेउ, मोमासर रोड से जोरावरपुरा, सेहला से दाउदसर, हरिपुरा से मालपुर, मालपुर से रतनगढ़ दयालु हनुमान, जान्दवा से बच्छरारा 6 किमी और बच्छरारा से रामसीसर। इनके ऊपर री-कारपेटिंग कराने की आवश्यकता है।

भरपालसर से पोल संख्या 337/6-7 बीकानेर खण्ड के राजलदेसर स्टेशन से पूर्व की तरफ 340/7-8, मोलीसर छोटा के पोल संख्या 300/1-2, प्रेमनगर से एन 11 के पोल संख्या 359/5-6, भोजासर के पोल संख्या 335/9 व 335/6-7, गुलेरिया भोजलाई के पोल संख्या 363/4-5 व भोजलाई से देवाणी 364/डी-1 के मध्य लोगों का आवागमन और सदामद के रास्ते हैं, जिनसे यहां के लोग सैकड़ों वर्षों से ऊंट-गाड़ों से खेतों में जाते हैं, यहां पर अंडरब्रिज बनाने की बहुत महती आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो नाम मैंने बोले हैं, इनमें अंडरब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पास यहां से स्कीम बनाकर भेजे, जिससे इन अंडरब्रिज की स्वीकृति मिल सके। रतनगढ़ शहर में चूरू फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की बहुत लम्बे समय से मांग चली आ रही है। सैकड़ों गांव और करीब-करीब आधा शहर उस फाटक के कारण एक तरफ खड़ा रह जाता है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इन ओवरब्रिज को बनाने की मांग मैं आपसे करता हूं।

सड़कों के बारे में मैंने अभी कहा, लोगों का आना-जाना बहुत दूभर है। ऐसे हालात में, अभी सुजानगढ़ के अन्दर उप चुनाव हैं। सुजानगढ़ की तरफ आपका पूरा ध्यान है, लेकिन सुजानगढ़ तहसील का ही मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो छापर है, उस छापर के अन्दर विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। देवाणी से छापर की रोड को बंद कर दिया है, जिससे लोगों के अन्दर बहुत बड़ा आक्रोश है। वन मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी, आप सब कमेटी बनाकर उस सड़क को पुन: चालू करें, यह मेरी मांग है। आपके लोगों ने लोगों को बहुत आश्वासन दिये और यह कहा कि सड़क को चालू कर देंगे। उसके

(श्री अभिनेश महर्षि)

अन्दर ऐसी क्या परेशानी आ गयी कि उस सड़क को आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। सुजानगढ़ के अन्दर चुनाव हैं, इसलिए वहां पर ओवरब्रिज की भी घोषणा कर दी, सड़कें बनाने की भी कर दीं। उसके पड़ौस में रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नहीं करने के लिए क्या आप अपने आपको कभी माफ कर सकेंगे? ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने के लिए सड़कें बनाने का प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं, वह भी आप लोगों को दिखावे और छलावा करने की बात कर रहे हैं। असल में आपके मन में लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की मंशा रहती है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि आप सब जगह पर एक समान हो।

अभी आपके माननीय सदस्य हेमाराम जी किस तरह से खून के आंसू बहा रहे थे। आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ कोई बोल गया तो आप उसका गला दबोच देंगे। आपके विपक्ष का कोई व्यक्ति है तो आप उसका भी गला दबोच देंगे। आप चुनाव को मद्देनजर रखकर काम मत करिये। आपने तीन बजट दे दिये हैं। आप लोगों ने तीन बजटों के अन्दर जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं को अमलीजामा अभी तक नहीं पहनाया जा सका है। आपके हालात बहुत खराब हैं, सुधारिये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप दूसरे वक्ता को पुकारें, इससे पहले आप ट्रैजरी बेंचेज को देखिये। आज सड़क और पुल की मांग हो रही है। मंत्री महोदय बैठे हैं। टहल रहे हैं, जैसे पार्क में टहलते हैं। एक माननीय सदस्य ने अपने इलाके की इतनी मांगें उठायीं, आप पैन से लिखते नहीं। यह तो आभास दिलाते कि हम कुछ लिख रहे हैं। सदन के प्रति इतनी लापरवाह सरकार मैंने बिलकुल नहीं देखी है। देखिये किस अदा में खड़े हैं? ये जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यहां पर पांच-सात मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जब आप पैन उठाकर हमारी बात को लिखना ही नहीं चाहते हो, फिर हम क्या करें उनका? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप क्या पूछना चाहते हो? किसने क्या कहा, आप क्या पूछना चाहते हो? कभी वहां बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। इससे ज्यादा अपमान सदन का नहीं हो सकता।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, इनके तो कालीचरण जी सराफ नाराज होकर चले गये, उनको भी बुलवाओ... (व्यवधान) वह ढूंढ रहे हैं आपको।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय मंत्री जी विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अभी नाराज होकर गये हैं ...(व्यवधान) कालीचरण जी, बहुत नाराज हो गये हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, इनका ज्यादा वक्त इधर की सीटों पर लगता है। ...(व्यवधान) मन उधर लगता ही नहीं है आपका। कभी यहां बैठेंगे, कभी वहां बैठेंगे।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। श्री मेवाराम जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरा मन भी नहीं डोलता, मेरा तन भी नहीं डोलता।

श्री सभापति: आप विराजिए। श्री मेवाराम जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये वसुन्धरा जी को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जिसमें राज्य के विकास की बात है कि सड़क के माध्यम से राज्य का विकास होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर, जिस तरह का यह बजट दिया है, दो-ढाई साल के अन्दर जिस तरह से सड़कों की हालत थी, उन सड़कों को देखते हुए जिस तरह की घोषणाएं हुईं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों की घोषणा, सड़कों के बारे में जो बताया है, विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, अब इनके पास बोलने को तो कुछ रहा नहीं है। अब यह सिर्फ, आप देख रहे थे कि कल ही वातावरण किसलिए कह रहे थे, अब सुनें क्या? स्थितियां इस ढंग से इनके सामने हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने नवीन सड़क नीति, 2021 बनाई है और इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबके लिए 5 करोड़ की सड़क सैंक्शन करना, कोई उसमें बीजेपी, कांग्रेस नहीं, सबके लिए 5 करोड़ किया। यह आपके जैसे छोटा दिल नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल रखकर राजस्थान के लिए किया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विधान सभा में पेचेबल सड़कों के लिए राज्य में सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लम्बाई की अन्य सड़कें, ओडीआर और राजमार्ग, जिनको एमडीआर में क्रमोन्नत करने का कार्य इस बजट के अन्दर लिया। प्रत्येक जिले में तीन बड़ी सड़कें, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट घोषणा में ली जिसके लिए 1 हजार 900 करोड़ रुपये 33 जिलों में सैंक्शन करने की घोषणा की। पहली बार शहरों की स्थिति खराब होने की वजह से वहां की सड़कें कैसे ठीक हों, उसके लिए इस बजट के अन्दर शानदार, पूरे में, ये भी नहीं कि ये नगर परिषद् बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सभी नगर परिषद्, नगरपालिका, नगर निगमों के अन्दर 10, 20 और 30 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ना और गांवों को जहां 500 की आबादी वाले राजस्व ग्राम हैं, उनको जोड़ने की बात है। जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी के समय, ये जाते-जाते आर्डर करके गये, टेंडर करवाकर गये और काम तो शुरू करा दिया, बजट का प्रावधान ही नहीं रखा। 6 हजार करोड़ से ज्यादा वह देनदारी कांग्रेस सरकार, हमारे पर पड़ी, जो आज तक ठेकेदार और हम भुगत रहे हैं, इनके लिए। ये जो बातें कर रहे हैं, झूठ नहीं है, सही बात है, जिस तरह से इन सड़कों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, अब इनके पास बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यहां बातें चली सैंक्शन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई भेदभाव भी नहीं रखा और सभी के लिए समान सड़कों की घोषणा की कि राजस्थान का कैसे विकास हो। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी भी बात आई कि सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने वीसी लेकर यह कहा कि सड़क की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो। उसके लिए जो भी है, गारंटी पीरियड के अन्दर भी सड़कें हैं, उनको ठीक किया जाए। जो बीएसआर है, बीएसआर से जो नीचे जा रहे हैं, घटिया काम हो रहा है, उनको कैसे रोका जाए? ये माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है।

(श्री मेवाराम जैन)

पहले बात भी चली कि इतने बिलो में, चार या पांच प्रतिशत बिलो में सड़क का आर्डर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसी टेंडरों में, वही चौहटन डिवीजन में भी 9 प्रतिशत बिलो में दिया। वह जो बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे हैं? मुझे समझ में आ नहीं रही है। हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे सम्माननीय नेता हैं, इनकी भावना को, क्यों नाराज हो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आई। माननीय मुख्य मंत्री जी जो सबके लिए समान है और मैं चाहता हूं कि जो भी यहां घोषणा हो, जो भी इनकी इच्छा हो, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। पांच मिनट का मतलब पांच मिनट। दोनों तरफ बराबर है, पांच-मिनट, पांच मिनट। अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करें। आपने लिखकर दिया है। मेरा काम तो खाली यहां पर बोलने का है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर की बात ही कर रहा हूं। मैं चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर...

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है। यहां दूर-दूर में ढाणियां बसी हैं। पूरा लम्बा क्षेत्र है, इसमें आप जो कम से कम सड़कें टूटी हुई हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दो किलोमीटर रिन्युअल सड़क दी जाए, तीन कम से कम इसके अन्दर और 31 सड़कों का मैंने प्रस्ताव भी दिया है नोन पेचेबल और...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री प्रताप सिंह जी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं मिसिंग लिंक के लिए कहूंगा, 30 किलोमीटर मिसिंग लिंक कम से कम दें जिससे हमारा काम हो सके।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, जब से सरकार आई है, लगता है कि...

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय,...

श्री सभापति: आप विराजिए। नहीं, नहीं, आप विराजिए। बिलकुल, आपका मुझे पत्र मिल गया है। आप विराजिए अभी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पिछले दो वर्षों में पूरे राजस्थान में आप कहीं भी देखें, पीडब्ल्यूडी का काम कहीं भी नजर नहीं आता है। चूंकि समय कम है, पांच मिनट का ही समय है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कह सकता हूं कि 2008 से 2013 और 2013 से 2018 का कोई कम्पेरिजन नहीं है। 2013 से 2018 में जो काम हुए हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जो आपकी सरकार थी उससे। मेरा यही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में वसुन्धरा सरकार के समय छबड़ा और कुंभराज सड़क पर 40 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। उसका काम भी प्रारम्भ हो गया था। पूरी सड़क कमप्लीट हो चुकी है। बीच में एक डैम आता है, हिंगलोट डैम, हिंगलोट डैम के डाउन स्ट्रीम में सड़क बननी है, 1300 मीटर का पेच है, एडिशनल चीफ इजीनियर, कोटा, उस रोड का जब मुआयना करने आए तो उन्होंने कहा कि यहां पर डामर सड़क ठीक नहीं रहेगी। इसका दोबारा से प्रपोजल बनाकर भेजो ताकि ये 1300 मीटर सीसी रोड बन सके जिससे भविष्य में खराब नहीं हो। मुझे बताते हुए दुख है कि फंड का एलोकेशन है, उस सड़क में 40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर हुई थी, उसमें 5 करोड़ रुपया अभी बाकी है। 1300 मीटर सड़क बननी है, उसमें करीब तीन-सवा तीन करोड़ रुपये का खर्च है। पैसा भी है, परन्तु पिछले दो साल से लगातार पत्र लिखने के बाद भी आज तक वह सड़क पूरी नहीं हो पाई है। वह सड़क महत्वपूर्ण सड़क है। वह न केवल कोटा और बारां को, सीधा मध्यप्रदेश से हमारे इलाके को लिंक होती है और आगे जाकर आगरा-बोम्बे रोड से मिलती है।

यही नहीं, सरकार बनने के बाद गुगोर पुलिया, पार्वती नदी पर बन रही थी। उसका काम प्रारम्भ हो गया था। ठेकेदार वहां पर अपना जो सामान था काम करने का, वह लेकर आ गया था। उसके बाद में पता नहीं किन कारणों से, फोरेस्ट का अड़ंगा लगाकर उस काम को बंद कर दिया गया। अब फोरेस्ट का क्लीयरेंस भी आ चुका है। करीब 15 करोड़ रुपये का पुल है। पैसा भी भारत सरकार ने दे दिया है। मेरा निवेदन है कि उस काम को भी शुरू कराएं। सीएसआर से एक जैपला सम्पर्क सड़क की पुलिया बन रही थी। करीब एक-डेढ़ करोड़ रुपये की पुलिया है। पूरी की पूरी पुलिया कमप्लीट हो चुकी है। मात्र एक स्लैब बचने की वजह से वह पुलिया दो साल से वैसी की वैसी पड़ी है, काम नहीं आ रही है।

(श्री प्रताप सिंह)

(15.00 बजे)

अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही मैंने कभी नहीं देखी, जो आज देखने को मिल रही है। यही नहीं, जो काम वसुन्धरा सरकार में मंजूर हो गए, उनको यह सरकार न तो निरस्त कर रही है, न उनको चालू कर रही है। निरस्त करो तो पब्लिक आपका गला पकड़ती है, चालू करो तो आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर यह असत्य घोषणाएं क्यों करते हो? मेरा निवेदन है कि वसुन्धरा सरकार के समय जितनी भी घोषणाएं हुईं वे भी राजस्थान की ही घोषणा हैं, राजस्थान के लोगों के ही काम आएंगी। आप राजनीति से ऊपर उठकर उन कामों को अवश्य कराएंगे।

मेरे क्षेत्र में बालाजी घटा की पुलिया है, यह भी मध्य प्रदेश को जोड़ती है। नेशनल हाईवे से टूमडा सम्पर्क सड़क है, 90 से। छबड़ा, छीपाबड़ौद में डाक बंगला है। डाक बंगला की हालत इस प्रकार की है कि वहां अफसर तो क्या, मेरे ख्याल से मजदूर भी नहीं रूक सकता, वहां पर इस प्रकार की स्थिति है। छबड़ा सब डिविजन हैड क्वार्टर है, 1907 की नगरपालिका है, बहुत पुराना सब डिविजन है, बहुत पुराना एरिया है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। कम से कम छबड़ा, छीपाबड़ौद में तो डाक बंगला ठीक होना चाहिए।

छबड़ा और छीपाबड़ौद, दोनों बड़े क़स्बे हैं। दोनों के बीच 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आवागमन बहुत अधिक है। कोर्ट मंडी आदि के लिए ज्यादातर हमें छबड़ा जाना पड़ता है। छबडा और छीपबड़ौद सड़क को टू लेन किया जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि छबड़ा कुंभराज के साथ-साथ आप मेरे क्षेत्र की निम्न सड़कें, ग्राम मुण्डला से शेखापुर, रारोन फाटक से हनवतखेरा पार्क, पवनी से गणेशपुरा, पचकुई से सीजनया, मोखमपुरा से माधोपुर, थैलनी से सेमलखेड़ी, पाली नीमखेडा रोड से नवाबपुरा, काबरखो से बाल्याबरड़ी, खजूरी से खलकपुरा, रूपारेल से मोहम्मदपुर, करनाल से खेडला, भरसत से पातला पानी, लक्ष्मीपुरा से जयनगर, कोलूखेड़ा से रामनगर, सेजनपुर रोड से प्रहलादपुरा, कालाटोल से पथरी, शहपुर से झामरिया मजरा, भरसत से भीलखेडा, मोखमपुरा से टूंडपुरा वाया गुर्जर खेडी, हरनावदा शाजी से चालरखो, ढोलनपुर से डोकरीखो, ढोलम रोड से केलखेडी, छबड़ा धरनावदा एन एच से खेडला।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, सुनने में आपको यह काफी लम्बी सड़क लग रही होगी कि इन्होंने पूरे क्षेत्र की सड़कों का जिक्र कर दिया, पर इन सड़कों की लम्बाई कोई ज्यादा अधिक नहीं है।

(श्री प्रताप सिंह)

(15.03 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

कोई 500 मीटर है, कोई 700 मीटर है, कोई एक किलोमीटर है, ऐसी ही छोटी-छोटी सड़कें हैं। अगर स्टेट हाईवे से मिल जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र के लोगों को भी फायदा है। जिस प्रकार हमारी सबकी सोच है कि हम ग्रामीण जनता को शहरों के मुकाबले लाकर खड़ा करना चाहते हैं, हमारी सबकी सोच है कि गांवों में भी वही सुविधा हो, जो शहरों में होती है। निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की सड़कें जो कम लागत में ज्यादा गांवों को जोड़ती हैं, निश्चित रूप से आपको बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने यहां पर जो भी बात कही है, आशा करता हूं सरकार उसको संज्ञान में लेगी। एक महत्वपूर्ण बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। कोटा से कैथून, कवाई छबड़ा होते हुए आगरा बोम्बे रूट रूठयाई तक नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवाया है। सड़क सात मीटर चौड़ी है, जो नेशनल हाईवे के नोर्म्स में आती है। पेव्ड शोल्डर, सब कमप्लीट हैं। आप मात्र थोड़ा-सा उसको धक्का लगाओगे, भारत सरकार को पत्र लिखोगे, हम भी कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से नेशनल हाईवे बनने के बाद, न केवल कोटा को बल्कि कोटा से छबड़ा तक जितने भी क़स्बे आते हैं, उसमें कैथून बड़ा कस्बा है, बपापर, सांगोद, कवाई, छबड़ा, धरनावदा, रूठयाई है, इन सबको फायदा मिलेगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां छीपाबड़ौद में लहसुन की स्पेशल मंडी है। लहसुन के सैकडों ट्रक रोज साउथ इंडिया, नोर्थ इंडिया में, वैस्टर्न इंडिया में, सब जगह वहां से जाते हैं। सड़कों के अभाव की वजह से, टूटी सड़कों की वजह से, काम नहीं हो पा रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गौरव रोड की इस प्रकार की स्थिति है कि कहीं डीपीसी हो गई, कहां ग्रेवल सड़क हो गई है, वह मात्र पैसों के अभाव में, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होने की वजह से, वह पूरी नहीं हो रही है। अभी महीने भर पहले का तो मुझे पता है। आज की स्थिति क्या है, यह मुझे पता नहीं है, पर करीब 40 करोड़ रुपये वसुन्धरा सरकार के टाइम बारां ज़िले के ठेकेदारों का सड़कों का और करीब 7 करोड़ रुपये कांट्रेक्टर्स का, बिल्डिंग का बाकी है। कांट्रेक्टर का दो-दो साल से पैसा बाकी है। सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह किस प्रकार से काम कर पाएगा।

श्री सभापति: माननीय।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हम राजस्थान को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं। अभी हेमाराम जी ने जिस प्रकार का +++

श्री सभापति: माननीय, प्लीज समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सत्ता पक्ष के होते हुए भी इनकी पीड़ा, हमको भी सुनने में बुरी लगी।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, विपक्ष के सदस्य हैं, किस प्रकार की स्थिति होती है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके, पुराने कांट्रेक्टर का पेमेंट बाकी है, उनका पेमेंट कर काम करवाएं। वसुन्धरा सरकार के समय जितने भी काम थे...

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र ओला। माननीय, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): उनको प्राथमिकता के आधार पर कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय,...

श्री सभापति: No. I'll not allow you, Sir. Please.

सूचना

लालपुर ग्राम पंचायत में पट्टाशुदा परिवारों को विस्थापन के नोटिस

श्री अविनाश (जैतारण): ग्राम पंचायत लालपुर...(व्यवधान) गरीब समाज के लोग रहते हैं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): लेकिन वहां शिकायती आधार पर पोलिटिकली ...(व्यवधान) उनको पट्टे दिये गये हैं। वह आशियाना उजाड़ देंगे, कल प्रशासन ने आर्डर कर दिया है। कल उनको हटा देंगे। दलित वर्ग के लोग हैं ...(व्यवधान) कम से कम 814 परिवारों को नोटिस मिल गए।

श्री सभापति: आपने बात कह दी। विराजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनको रूकवाएं। आज उनके लाइट के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दलित वर्ग के लोग हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): रूकवाने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बृजेन्द्र ओला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मांग संख्या 21-सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमांड पर आज बहस है, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं सचेतक महोदय का बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, 04 मार्च, 2014 को रेवाड़ी से फतेहपुर तक, झुंझुनूं जिला मुख्यालय को जोड़ते हुए एक नेशनल हाईवे की मंजूरी भारत सरकार ने जारी की। उस सड़क पर हरियाणा में राजस्थान की बोर्डर तक लगभग फोर लेन का काम पूरा हो गया है। राजस्थान का बोर्डर पचेरी शुरू होता है, वहां से झुंझुनूं जिला मुख्यालय तक, उस सड़क पर एक चम्मच भी डामर नहीं लगाई गई है। मैंने भारत के सड़क परिवहन मंत्री व राजमार्ग मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने इस सड़क को झुंझुनूं से लेकर पचेरी तक नेशनल हाईवे अथोरिटी को हस्तान्तरित नहीं किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस सड़क को मंजूरी दिए आठ साल हो गए, उसको अभी तक राज्य सरकार ने हस्तांतरित क्यों नहीं किया। मैंने मेरे स्तर पर जानकारी की, राज्य सरकार का पिछला कार्यकाल था, उसमें चिड़ावा से पचेरी तक की सड़क को, टोल के आधार पर बनवाया गया। उसको भी लगभग 11-12 साल हो गए हैं। कंसेसनर का पैसा वैसे तो बकाया नहीं है, क्योंकि ओवर वसूली उस पर हो गई है तो राज्य सरकार अपने बजट से देकर उस सड़क को जल्दी से जल्दी हस्तांतरित करे।

एक तरफ हम रोज बात करते हैं कि जल जीवन मिशन में भारत सरकार 45 परसेंट ही दे रही है, 90 परसेंट क्यों नहीं दे रही है। इसमें तो शत-प्रतिशत पैसा भारत सरकार खर्च करती है, नेशनल हाईवे पर। हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। झुंझुनूं ज़िले को नेशनल हाईवे से जो लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित कर रहे हैं। अगर यह सड़क नेशनल हाईवे के रूप में बन जाती है, तो झुंझुनूं जिला मुख्यालय सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। न केवल जिला मुख्यालय दिल्ली से जुड़ेगा बल्कि डिफेंस के लिए भी, अल्टरनेटिव रूप से सेना को सीमा पर भेजने के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने तीसरा बजट रख दिया, एक शब्द भी इस बजट में इसके बारे में चर्चा नहीं की। यह बहुत पीड़ादायक स्थिति है। यह सड़क यूपी.ए. सरकार की ही मंजूर की हुई है। लास्ट फेज था जब मार्च में, आस्कर फर्नांडीस भारत के भूतल परिवहन मंत्री थे, उस समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो जो उनके पास विभाग था, श्रम विभाग, वह भी उनको मिला। उन्होंने कर्टसी के नाते मुझे भी बुलाया कि ओला साहब मुझे एक सड़क के लिये बहुत कहते थे, वह कौनसी थी, तो मैंने कहा कि यह रेवाड़ी से लेकर फतेहपुर वाली सड़क थी। उन्होंने कृपापर्वूक उसको मंजूरी दी। हमारी सरकार अब आ गई तो उसके बाद भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है तो बहुत दयनीय स्थिति है। भारत सरकार पैसे दे रही है, आप पैसे नहीं ले रहे हैं। हरियाणा में 4 लेन बन गई। वहां जो हमारे लोग हैं, उनमें हीन भावना आ रही है कि एक तरफ तो हरियाणा है जिसमें 4 लेन बन गई और हमारे यहां टोल रोड है, वह भी गड्डों से भरी हुई है, उस पर हम चल रहे हैं।

सभापति महोदय, इस बजट में जिला झुंझुनूं की तीन सड़कों की घोषणा की गई है। अच्छी बात है, बननी चाहिए। पर एक सड़क जो बहुत महत्वपूर्ण है, चिड़ावा-अरड़ावता-सुल्ताना, जिससे जो एक सड़क घोषित की गई है, चनाना और बबाई, अगर चिड़ावा से सुल्ताना तक वह सड़क नहीं बनेगी तो उसका लाभ बिलकुल भी नहीं मिलेगा। जो चिड़ावा बहुत इम्पोर्टेन्ट टाउन है, और जिले का जो दक्षिणी भाग, चिड़ावा शहर से जो दक्षिण की तरफ से सड़कें आती हैं, चाहे गुढा से आएं, चाहे खण्डेला से आएं, चाहे नीमकाथाना से आएं, चाहे उदयपुरवाटी से आएं, चाहे बडूंदा से आएं, चाहे आपकी भाटीवाड़ से आएं, वह सारा ट्रैफिक सुल्ताना से आगे आकर इस एक रोड पर हो जाता है। उन तीन सड़कों पर जितना ट्रैफिक है, उससे ज्यादा ट्रैफिक इस पर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग इसकी जांच करा लें। सब सड़कों से ज्यादा इस पर ट्रैफिक है, फिर भी मैं नहीं समझता कि इसकी घोषणा क्यों नहीं की। दुर्भाग्य से मेरा गांव भी उसी सड़क पर पड़ता है। जैसा पिछले सत्र में हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा बताई थी। कोई बात नहीं, मेरा गांव पड़ता है तो उसको छोड़ दो, चिड़ावा से सुल्ताना के लिये और कहीं से बना दो। सुल्ताना तो झुंझुनूं जिले का सबसे बड़ा गांव है। उसकी सड़क, जो तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ती है और जो महत्वपूर्ण सड़क है, उसकी इस बजट में घोषणा नहीं की गई। वहां के अखबारों ने छापा, भास्कर ने, किसने, पता नहीं

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कि बृजेन्द्र ओला को खाली रखा गया। बृजेन्द्र ओला को खाली रख दो, पर उस विधान सभा की जनता को तो खाली मत रखो। यह स्थिति जब बन जाती है तो अब क्या आशा कर सकते हैं, जनता क्या आशा कर सकती है।

इस तरह की, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभी मेरे सामने से बोलने वाले सदस्य, छबड़ा से आने वाले तो कह रहे थे, घोषित करवाओ। वह तो घोषित किया हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। सभापतिजी, आपका भी विधान सभा क्षेत्र उसके पास ही लगता है, शिमला, उससे पचेरी थोड़ी दूर ही है। जब हरियाणा सरकार ने उसको 4 लेन बना दिया तो या तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के हमारे अधिकारियों की अकर्मण्यता है या हमारी सरकार की सोच ही यह नहीं है कि हम केन्द्र सरकार से पैसा लें, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ें। राजस्थान में सिर्फ एक जिला ऐसा रह गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से वंचित है और वह झुंझुनूं जिला मुख्यालय है।

आप कहां की बातें करते हैं, क्या, वह सड़कों की बातें करते हैं, छोटी-छोटी मिसिंग है, कोई आपका विकास पथ है, यह कोई सोच को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। विकास पथ बिलकुल वैस्टेज आफ मनी है। पंचायतों ने सीमेन्ट सड़क बना दी, उनको फोड़ कर आप उस पर दुबारा वह बना दो। जब गांव के, किसी के लिये आपको बनानी है, मान लो, बड़े से बड़े गांव के लिये तो उसके लिये तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर 4 लेन बना दो, पर इस तरह से आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नैग्लेक्ट कर रहे हो, यह न राज्य के लिये अच्छा है, न झुंझुनूं जिले के लिये अच्छा है, न आपके और हमारे लिये अच्छा है। इसलिये मेरी यह पुरजोर मांग है कि उस सड़क को जो चिड़ावा से पचेरी तक है, इमीडिएटली आप उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द करें, जिससे उस सड़क के 4 लेन का काम चालू हो सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापतिजी, मैं तो बहुत अनुशासनप्रिय आदमी हूं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): बैठ जाता हूं, चलो।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप दो मिनट बोल लीजिये। 5-5 मिनट का समय दिया था। I am allowing you more than 2 minutes. आप बोलिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): पिछले दो बजट आ गये। एक इंच

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

मिसिंग रोड अपन ने बनाई नहीं। पब्लिक से बहुत सारे वादे करके आये थे, बहुत सारे भाषण हमने दिये थे, आपके यहां यह करेंगे, आपके यहां यह करेंगे। आज तक उसका कोई परिणाम निकला नहीं। दुर्भाग्य से मैं जिस गांव से आता हूं और जिस सड़क की मैंने चर्चा की है और उस पर 12 साल में ही, 2008 में उस पर डामर पड़ी थी और साढे पांच मीटर उसकी चौड़ाई है। आप भी कई बार वहां से गुजरे हैं, सदन के नेता भी कई बार वहां से गुजरे हैं और वहां गये हैं। उस सड़क को महज इसलिये चौड़ा नहीं किया जाए कि वह अरड़ावता की सड़क है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 37 नम्बर स्टेट हाई-वे है, उस पर 269 लेवल क्रासिंग है। बोलचाल की भाषा में उसको गुढ़ा फाटक बोलते हैं। उस पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है, वह बिलकुल शहर के अन्दर आ गया। यहां बहुत बड़े पुलों की घोषणा की गई। वह स्टेट हाई-वे है, शहर के अन्दर है, जाम लगा रहता है, शहर दो तरफ बंटा हुआ है। अगर उसके ऊपर भी आर.ओ.बी. की, कम से कम डी.पी.आर. बनाने की तो घोषणा आप करवा दें, जब रिप्लाई हो।

मैं जो यह नेशनल हाई-वे की चर्चा कर रहा था, मुझे उसी चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि इसकी डी.पी.आर. भी इसीलिये नहीं बन रही है कि राज्य सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द नहीं किया गया है। मेहरबानी करके उसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द कराएं। चिड़ावा-अरड़ावता-सुल्ताना रोड को, जो साढ़े पांच मीटर है, जो बहुत साल से, 1962 से वह सड़क बनी हुई है, सभापति महोदय, साढ़े पांच मीटर ही उसकी चौड़ाई है, उसको हो सके तो अरड़ावता तक तो 4 लेन कराएं और आगे उसको 7 मीटर चौड़ी कराकर, जो आपने बजट में घोषणा की है कि हम कुछ विलेज रोड्स को एम.डी.आर. में घोषित करेंगे, एम.डी.आर. को स्टेट हाई-वे में घोषित करेंगे, तो इस सड़क को भी स्टेट हाई-वे में घोषित करें।

मैंने विशेष रूप से जिस हाई-वे की बात की है, मंत्रीजी जब जवाब दें तो उस पर अपना प्रकाश डालें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: मैं सभी वक्ताओं से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि करीब 60 वक्ता हैं, अत: सबको इक्विली 5-5 मिनट दिये गये हैं, उसमें स्पेशली अपने विधान सभा क्षेत्र की जो प्राब्लम्स हैं, उनको उठाएं। माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जो राजस्थान को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देता है परन्तु इस बजट में वहां एक भी सड़क नहीं दी गई है। पता नहीं, मुझे क्यों हेमारामजी और अब जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, ओलाजी, उनकी श्रेणी में रखा गया है। उनको भी एक सड़क नहीं दी गई और मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी एक भी सड़क नहीं दी गई। कौनसी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। सड़क नहीं दी, जो तो नहीं दी, जो सड़कें खराब हैं, अत्यन्त खराब हैं, जैसे चेचट-अलोद सड़क, चेचट से खेड़ारुदा, अमजाड़ से चेचट, राजमंडी से सुकेत, ढाबादेह से मोडक, मोडक से चेचट, देवली कलां से घाटोली, जुड़मी रोड से देवली खुर्द और कोटा-झालावाड़ रोड से रावटा भवरिया। ये सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन ऐसी जर्जर अवस्था में हैं कि इन पर व्यक्ति नहीं चल सकता है, वाहन नहीं चल सकते हैं। नई सड़क देना तो बहुत दूर की बात है, इन सड़कों के पुनर्निर्माण या सुदृढ़ीकरण करने की बात भी इस सरकार ने नहीं की है। इनमें से कुछ सड़कों की स्वीकृति पहले से जारी कर दी थी, चेचट से खेड़ारुदा, अमजाड़ से चेचट, ढाबादेह से मोडक, कोटा-झालावाड़ रोड से रावटा भवरिया।

माननीय सभापति महोदय, स्वीकृति जारी की, काम चालू हुआ, काम को रोक दिया गया। पता नहीं, क्यों रोका गया? ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया, उनको भुगतान नहीं किया गया। कई ठेकेदार आत्महत्या करने की स्थिति में हैं। कई ठेकेदारों के बच्चे भूखे मरने की स्थिति में हैं। आज भी कोटा जिले के 200 करोड़ रुपये से ज्यादा बाकी हैं, वह उनको नहीं दिया जा रहा है और इस कारण से इन सड़कों को रोक दिया गया है और अभी काम चालू नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आखिर में इन सड़कों को यह सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती है? क्योंकि मैंने यह पहले ही कहा है कि मैंने किसी प्रकार की नई सड़कों की मांग नहीं की है और इनसे करूं भी क्या क्योंकि यह कहते हैं कि **+++** हैं, पैसा नहीं है तो इनसे मांग भी क्या करना?

श्री सभापति: यह **+++** शब्द को डिलीट कर दीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): परन्तु इतना जरूर मुझे निवेदन करना था कि यह जो पुरानी सड़कें हैं, जो सड़कें स्वीकृत हो गयी हैं, उन सड़कों को तो जल्दी ही चालू करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट करवा दिया मैंने। डिलीट करवा दिया है। अनपार्लियामेंट्री, माननीय सदस्य, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह जो अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जहां पर लोगों का आना जाना पैदल ही मुश्किल हो रहा है, गाड़ी घोड़े निकलते हैं तो उनके एक्सल टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई सारे लोग एक्सीडेंट के कारण से मर गये हैं लेकिन इन लोगों को लोगों के मरने की चिंता नहीं है। यह लोगों को मरने की चिंता नहीं है, ये लोग लोगों को मारना ही चाहते हैं और इसीलिए सड़कों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्लीज, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आखिर में मेरे क्षेत्र के लोगों ने बिगाड़ा क्या है? चेचट से भवानीमंडी रोड और सम्पर्क सड़क पीपल्दा, सम्पर्क सड़क पीपल्दा से ईश्वरपुरा, चेचट से कंवरपुरा और देवलीकलां से घाटोली, न्यामत खेड़ी से धरनावद, मोडक से गणेशपुरा, देवलीखुर्द से जगपुरा, जुल्मी रोड से गादिया, गादिया सड़क से उदपुरिया और बुधखान से सालेड़ा कलां, आखिर में यह सड़कें बनी हुई हैं, यह जर्जर हो गयी हैं, इन पर चल नहीं सकते हैं लेकिन आखिर इनको भी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि यह बहुत रेवेन्यू देते हैं। एशिया की सबसे बड़ी धनिया की मंडी वहां पर है। विश्व के कोने-कोने में कोटा स्टोन वहां से सप्लाई होता है और उसके कारण से बहुत सारी रेवेन्यू वहां से मिलती है। आखिर में फिर मैं यह कहूंगा तो इनको अभी किसी न किसी को गुस्सा आएगा, **+++** कि मैं वहां से चुनकर आता हूं और गरीब परिवार से आता हूं।

श्री सभापति: हटाइये यह **+++** हटाइये इसको। डिलीट कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कैसी भाषा को यूज कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप इतनी बार विधान सभा में आ गये, कैसे-कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें। यह आप डिलीट कर दें। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अगर आप यह ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं मेरे **+++** शब्द को वापस लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे **+++** शब्द को वापस लेता हूं +++

श्री सभापति: मैंने इसको डिलीट करवा दिया और अब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कतई नहीं सुनी जाएगी हाउस में। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं मेरे **+++** शब्द को वापस लेता हूं, +++ माननीय सभापति महोदय, आखिर में मेरे खड़े होते ही ये क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री सभापति: लास्ट-लास्ट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात को कह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण की बात कह रहा हूं। मैं वहां का विकास चाहता हूं। मैंने पहले यह कहा कि इतनी सड़कें जर्जर हैं तो फिर क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं आप? पुलियाओं को क्यों नहीं बनाना चाह रहे हो आप? वहां पर रामगंज मण्डी से सुकेत की ओर जो लगभग सात मीटर चौड़ा रोड बनना है, उसमें डिवाइडर बनना है, उसका प्रस्ताव डिपार्टमेंट ने मंगवा लिया है, उसको क्यों नहीं स्वीकृत करना चाहते हैं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): टाइम हो गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आखिर में..., who are you? आप बताएंगे कि मुझे टाइम हो गया कि नहीं हुआ?

श्री सभापति: पांच मिनट का टाइम है, प्लीज। लास्ट वन मिनट। लास्ट वन मिनट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सम्पर्क सड़क मण्डा से मण्डली, यह बनी हुई सड़क है, मैं इसके सुदृढ़ीकरण की बात कर रहा हूं, देवलीखुर्द से हरिपुरा, सनखेड़ा से मुण्डिया ऐसी अनेक प्रकार की सड़कें हैं, सबका नाम लेना यहां पर सम्भव भी नहीं है तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो सड़कें स्वीकृत थीं, जिनका काम रोक दिया गया है, ठेकदारों को समय पर भुगतान करें ताकि वह काम चालू हो सके। परन्तु पता नहीं इनके मन में बेईमानी क्यों है?

श्री सभापति: Please conclude.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भारत सरकार से जो पैसा आता है, उसको लेकर बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में इनका जाता क्या है। इनको जो कुछ शेयर देना है वह शेयर भी यह नहीं देते हैं और इसके कारण से प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें भी हमारी स्वीकृत नहीं हो पाती हैं।

श्री सभापति: Time is over, Sir.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जो केन्द्रीय सड़क निधि का पैसा आता है, उसको भी हमको नहीं देते हैं।

श्री सभापति: माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमसे यह दुश्मनी क्यों निकालते हैं?

श्री सभापति: सर, टाइम इज ओवर। प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही यह कहा कि मैं इस सदन का सबसे अनुशासित सदस्य हूं, हमको आपको सुनना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: Of course you are. Thanks to you. धन्यवाद। श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस बजट में राज्य सड़क नीति बनाने की बात की है और बिना किसी पक्षपात के, राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र है और हर विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक, निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि बिना किसी भेदभाव के चाहे वह पक्ष का हो या चाहे विपक्ष का हो, सबको मुख्य मंत्रीजी ने देने की बात की है। एक जिले की तीन महत्वपूर्ण सड़कें जो पूरे राज्य के हर जिले को दी है, मेरे यहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी- फागी से मोहनपुरा-राजावतान वाया किशोरपुरा-सेमलिया, यह 21 किलोमीटर की सड़क है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इस 21 किलोमीटर सड़क को इन्होंने इन तीन सड़कों में शामिल करने की कोशिश कर घोषणा की है। इन्होंने नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम आदि में इतनी दयनीय स्थिति हो रही थी, बिना किसी पक्षपात के पूरे राजस्थान में, उन्होंने उन शहरी

(श्री बाबूलाल नागर)

क्षेत्र में सबका सुदृढ़ीकरण करने की बात की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और जो राज्य मार्ग है, उन राज्य मार्ग में भी 3800 करोड़ रुपये, मैं धन्यवाद दूंगा, एक महत्वपूर्ण सड़क थी हमारी उसमें- दूदू-सांभर-भाटीपुरा, इसमें 90 करोड़ 90 लाख रुपये की मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो तीन जिलों को जोड़ती है, वह ग्रामीण सड़क है, पचेवर से नगर, ईटाखोई, धांधोली, रहलाना, गागरड़ू, हरसोली, पडासोली, साखून, साली, गहलोता, बुहारू, यह 73 किलोमीटर की सड़क है। मैं यह आग्रह करूंगा कि इसको जिले की मुख्य जिला सड़क में घोषित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक सड़क गुजरती है, दौसा से चाकसू फागी, यह राज्य मार्ग संख्या-2 है। फागी, दूदू, नरैना, सांभर, नावां, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, इसमें 90 किलोमीटर तो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी है। मैं यह आग्रह करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.एच. की घोषणा की जाए, नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सांगानेर, फागी, मालपुरा, यह राज्य मार्ग है, यह दो लेन की सड़क है। कई जिलों में जाना पड़ता है, कई कस्बें इनमें मिलते हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर, आप तो जानते हैं और आप खुद भी दूदू के रहने वाले हैं, छापरवाड़ा बांध है, सिंचाई का बड़ा बांध है और पचास किलोमीटर तक इसमें सिंचाई होती है, इसके जो आवक रास्ते हैं, जिसमें जहां-जहां पर भी चाहे दूदू से उदयपुरिया हो, ममाना से जड़ावता हो, नीमली से बोखड़ाबास हो, दूदू से नरैना हो, जयखमपुरा से दूदू हो, यह सड़कें या जो कॉज-वे बनाते हैं और यह कॉज-वे एक साल में ही टूट जाता है। हमेशा जब कभी भी बरसात आती है तो यह रास्ता बंद हो जाता है तो मैं यह आग्रह करूंगा कि कॉज-वे के स्थान पर यहां पर छोटा पुल बना दिया जाए जो कम से कम यहां की सड़क बार-बार, हर साल यह कॉज-वे नहीं टूटे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह आग्रह करूंगा कि कुछ मिसिंग

(श्री बाबूलाल नागर)

सड़कों को अलग से स्वीकृति देने की बात की है, मेरे क्षेत्र में है- बल्लूखां की ढाणी से चंद्रमूल, खुडिया खा से सुर्रा भैरू, उटसेवा से लाकोडिया, दांतरी से केरिया, साखून से लदेरा, सिरोहीकलां से देवपुरा, दांतड़ा से जड़ावता, साली से जड़ावता, पिंगुन से सुर्री, सिर से गहलोता, सिर से लोहड़ी और लोहड़ी से रसेली, तुम्मीपुरा से खुडियाला, तुम्मीपुरा से ककराला, गुढ़ा सायपुरा से ककराला, बासड़ा से मौजमाबाद, दूदू महापुरा से मूंगीथला, छापरबाड़ा से छपिया सुनारिया और मोहनपुरा से खेड़ा हनुमानजी और फागी में लसाड़िया फागी से बोरड़ी का बालाजी, किशनपुरा में खटवाड़ से बालाजी, कंगातीकलां से कंगातीखुर्द और रामपुरा भूट्या से नन। इसी तरह से फागी ब्लाक में हमारे भीमपुरा से हरबंशपुरा, कंवरपुरा से मदनपुरा, फागी से बोरड्या का बालाजी, चकवाड़ा से रसाड़िया, सुल्तानिया से लदाना, चौरू से भरतपुर, पचाला से शंकरपुरा, हथोली से नतऊनपुरा, चकवाड़ा से आवंडिया, पालडी से नारीखेडा यह मिसिंग लिंक की आवश्यकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो परेशानी आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि मेरी इन सड़कों को जोड़ने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे गाड़ोता से मौजमाबाद, आप तो जानते हो तहसील मुख्यालय है, इसमें खनिज का काम भी होता है और आजकल यह सड़क बजरी के चक्कर में पूरी तरह टूट गयी है। मैं चाहूंगा इसकी मरम्मत के लिये राशि सैंक्शन की जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक नेशनल हाई-वे है 100 नंबर, यह सावरदा से रूपनगढ़ जाता है और इसको बनाया है नरेना से रूपनगढ़ तक तो टोल लागू है और यह केवल सावरदा हाईवे से है, अजमेर-जयपुर हाई-वे से है, तो सावरदा से नरेना छोड़ दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह 13 किलोमीटर बच रहा है, इसको भी कम से कम 7 मीटर रोड बनाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हैं दूदू और फागी, कहीं बनास नदी से, कहीं बांडी नदी से, इसी तरह मासी नदी से, चारों तरफ यहां आवागमन रहता है और यहां बहुत ज्यादा सड़कें टूट गयी हैं - लोटवाड़ा से चकवाड़ा, दांताखेड़ा से मंडोर, गागरडू से कस्यारा, देलाना से बड़ासली, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन सड़कों को भी बनाया जाए।

(श्री बाबूलाल नागर)

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि दूदू में फागी ब्लाक भी आता है और फागी ब्लाक को चाकसू में डाल रखा है। दूदू में एक्स.ईएन. आफिस है और दूदू विधान सभा क्षेत्र का यह फागी ब्लाक है, अनावश्यक रूप से न तो कोई प्रशासनिक ढंग से मेल होता है। मैं चाहूंगा यह जो हमारा फागी खण्ड है, फागी का जो ए.ईएन. कार्यालय है, इसको दूदू एक्स.ईएन. आफिस में जोड़ दिया जाए तो कम से कम मोनिटरिंग ढंग से हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कें ऐसी हैं, जैसे सावरदा से मरवां, यह राजमार्ग संख्या 100 है, बिंगोलाव से दादड़ा, बड़ासूली, साकून, साली, दातरी, रेलवे अंडरपास निर्माण है। यहां रेलवे का अंडरपास है। अब रेलवे ने बिना कोई तकनीकी के, पता नहीं किस तरह से बना दिया कि जब भी बरसात आती है तो वहां उधर से क्रोस नहीं कर पाते हैं और वहां पर जाम लग जाता है। वहां पर स्कूटर, मोटर साइकिल पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम बास्बार शिकायत भी करते हैं। अब वह सांभर वाले एम.एल.ए. साहब भी कई बार इस बात को उठाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कोई तरीका बनाया जाए। अंडरपास के जो पानी निकाल रहे हैं, जब आपका बरसात का पानी ही नहीं निकलता है तो फिर इसका बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब यह रेलवे का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ छोटे से सुझाव देना चाहता हूं। मैं तो मेरे क्षेत्र के बारे में बोल रहा हूं। जैसे ये सड़कें आप बना रहे हैं, ये सड़कें राजस्व भूमि से होकर गुजर रही हैं। मैं चाहूंगा कि चाहे नरेगा से लगायें या दूसरे तरीके से लगायें, ये जितनी भी सड़कें बन रही हैं, कम से कम 50-50, 100-100 पेड़ लगा दें साइड में तो ये सड़कें कटेंगी भी नहीं और वातावरण भी अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, यह जो सड़कें बनाते हैं, आप गांवों में सी.सी. सड़क तो बना देते हैं, लेकिन नाली नहीं बनवा पा रहे हैं। जब नाली ही नहीं बनेगी तो सी.सी. सड़क का कोई औचित्य ही नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें नाली भी ली जाए और गांवों में जो दुर्घटनास्थल हैं, जैसे ब्लैक स्पाट्स होते हैं, इनका चयन करना चाहिए जिससे इनको दुरुस्त कराया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक

(श्री बाबूलाल नागर)

निर्माण विभाग के बड़े-बड़े पैकेज बनाकर कार्य किये जाते हैं और ठेकेदार इन कार्यों पर खुद तो काम करता नहीं है और कमीशन लेकर वह छोटे-छोटे ठेकेदारों को दे देता है। इससे इनकी गुणवत्ता का मामला खराब हो जाता है, क्योंकि मूल ठेकेदार को भी पैसा देना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि छोटे-छोटे ठेके को कामवाइज कराया जाए। आपके गांव की बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मोखमपुरा से बिचून, पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने इसकी घोषणा की थी और उसको सैंक्शन कर दिया। आप तो खुद जानते हो, बिचून में आपका घर है, आपका खेत है, आपकी जमीन है। आप भी गांवों में जाते हो। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने मुख्य मंत्रीजी के बजट घोषणा की क्रियान्विति तो कर दी है। इन्होंने सवा करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिये। यह सवा करोड़ रुपये अभी 26.02.2021 को किये हैं, लेकिन, यह चार-पांच किलोमीटर की रोड है, इसके लिये पांच करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सवा किलोमीटर बनाने के बाद हमारे सभापति महोदय ही नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी गाड़ी गड्ढे में घुस जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सवा करोड़ की राशि को पांच करोड़ किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मेरी कुछ सड़कें कृषि मंडी में दी हुई हैं। कृषि मंडी ने बनाकर वित्त विभाग को भेज दी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केटिंग बोर्ड में वह कहां अटकी हुई हैं। बाकायदा रास्ता दर्ज कराया है। किसानों ने अपनी जमीन को स्टाम्प पर लिख-लिखकर दिया है कि हम इसको सरकार को दे रहे हैं, हमारी यह सड़क बना दी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह का इस बार राजस्थान में बजट दिया है, वह ऐतिहासिक बजट है। मैं उनको बहुत- बहुत धन्यवाद देता हूं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रामस्वरूप लाम्बा।

सूचना

सुमेरपुर के मनोहर नेतरा अपहरण की सीबी.आई. जांच की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन

श्री छगनसिंह (आहोर): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय सभापति महोदय, मनोहर नेतरा अपहरण को लेकर सुमेरपुर उप खण्ड पर राजपुरोहित समाज के दस हजार लोगों ने वहां पर धरना और ज्ञापन दे रहे हैं। मैं सरकार

(श्री छगनसिंह)

से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो उनकी मांग है कि सी.बी.आई. जांच हो मनोहर नेतरा को लेकर, तो सरकार उसकी सी.बी.आई. जांच करवा दे। नहीं तो आज तो ये दस हजार लोग ही हैं, कल पचास हजार होंगे, फिर लाखों में होंगे और बाद में कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सरकार उसका संज्ञान लेकर मनोहर नेतरा अपहरण को लेकर सी.बी.आई. की जांच कराए। यही मैं आपको पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के द्वारा जानकारी देना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री रामस्वरूप लाम्बा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर आज सदन के माध्यम से आप सबके बीच में मैं यही बात रखना चाह रहा हूं कि आज चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, देश के विकास में सबसे अहम भूमिका वहां के प्रदेश की सड़कों की होती है। वहां के आधारभूत ढांचे की जो विकास की बात करते हैं, तो उसमें सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हम सबको पता है कि सड़कें हमारे तीन भागों में बंटी हुई हैं। चाहे नेशनल हाईवे हों, चाहे स्टेट हाईवे या चाहे ग्रामीण सड़कें हों और सबमें हमें आज प्रधान मंत्री महोदय जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नेशनल हाई-वे से लेकर ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये बहुत बड़ा फण्ड दिया है और हमारे प्रदेश में चाहे ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे नवीनीकरण कार्य हो, उसमें जो केन्द्रीय सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनसे हमें बहुत बजट आबंटित हो रहा है और उससे कामकाज हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम सबको पता है कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले यह योजना लागू की और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से योजना लेकर आये। हम सबको पता है कि आज प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और सबसे पहले यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में शुरू हुई। आज हम सबको पता है पिछले दो

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

वर्षों में प्रदेश के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं और आज हम सबको पता है, आपने 2020-21 में 250 से अधिक आबादी के केवल 6 गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा है। 500 से अधिक आबादी के केवल 57 गांवों को सड़कों से जोड़ा है और केवल 517 किलोमीटर लम्बाई के स्टेट हाई-वे और एम डी आर सड़कों की मरम्मत करायी गयी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस स्टेट हाई-वे के टोल को माफ कर दिया गया और उस पर आम यात्री को भी टोल की छूट दी गयी, उसको सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने आम जनता को परेशान करने के लिये चालू करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, आज अजमेर जिला मुख्यालय पर हर उप खण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें, चाहे स्टेट हाई-वे हो, चाहे एम.डी.आर. हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, पिछले दो वर्षों में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय श्रीनगर से अजमेर को जोड़ने वाले स्टेट हाई-वे 101 को भी स्टेट हाई-वे के जैसा बनाया जाये जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसमें फोरेस्ट का कुछ एरिया भी आता है तो इस वजह से अभी विभाग वाले मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, नसीराबाद शहर में रेलवे लाइन पर एक स्वीकृत आर ओ बी का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए जिससे आम जनता को पूरा फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में जो जेठाना बाईपास स्वीकृत हुआ और उसका काम भी लगभग पूर्ण हो गया तो उसके ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था चालू की जाए जिससे गांव वालों को उस जाम से निजात मिले और जेठाना ग्रामवासियों को भारी वाहनों की आवाजाही की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है, उससे उनको निजात मिले।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नसीराबाद की महत्वपूर्ण सड़कें, जो उपखण्ड कार्यालय एवं पीसांगन उपखण्ड कार्यालय नसीराबाद दोनों को जोड़ती हैं, उन सड़कों की भी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए एवं उनका निर्माण करवाया जाए। हमारे नसीराबाद विधान सभा उप खण्ड कार्यालय एवं पीसांगन उप खण्ड कार्यालय पर कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के काफी समय से पद रिक्त चल रहे हैं, उनको भी भरने की व्यवस्था की जाए जिससे कि जो अपने पी.डब्ल्यू.डी. से संबंधित कार्य हैं, वह भी गति पकड़ें और जो

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

सड़कों के कार्य हैं, चाहे मरम्मत के कार्य हों, चाहे गारंटी पीरियड में जो सड़कें बनी हुई हों, उनके मरम्मत के कार्यों पर भी ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे भी आमजन को जो परेशानी हो रही है, वह दूर की जा सके और जो हमारी महत्वपूर्ण सड़कें हैं। जैसे समरथपुरा से सेठन सड़क निर्माण है 3 किलोमीटर, यह भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तिलाना से चांदसेन सड़क ग्राम पिचौलिया से बुधवाड़ा सड़क, एक हमारे पुष्कर बाईपास पर पीसांगन से पुष्कर होते हुए अजमेर की जो मेन सड़क है उसकी भी मरम्मत की जाए जिससे आम जनता को पूरा लाभ मिले। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें और पुल पर बोलने का आपने मुझे सुअवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र पिलानी हरियाणा के बोर्डर पर है। उधर हरियाणा की तरफ जाते हैं तो वहां की सड़कें बड़ी शानदार हैं और ज्यों ही राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एन्टर करते हैं तो थोड़ा अजीब-सा लगता है। पिछले शासनकाल में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चूंकि दस साल से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इस पिलानी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसी दुर्गति है ग्रामीण सड़कों की और शहर की सड़कों की भी कि इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, विकास का तात्पर्य खाली कंक्रीट के जाल से नहीं है, जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में रोड नेटवर्क बहुत अच्छी तरह नहीं हो, तब तक न तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा, न लोगों का आवागमन होगा और न ही विकास की परिभाषा, अगर हम देखे तो उसमें विकसित स्थिति को अपन नहीं कह सकते।

ज्यों ही मुझे जनता ने चुना, मैंने दिनांक 04 जनवरी, 2019 को पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से चिड़ावा में बैठ करके बात की और पूरे विधान सभा क्षेत्र की समीक्षा की कि सड़कों की क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

स्थिति है और शहर में क्या स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समीक्षा के उपरांत पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से बात करके और जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे क्षेत्र के जो साथी थे, उन सबसे चर्चा करने के उपरांत मैंने 40 रोड्स की एक सूची बनाई थी। 40 रोड्स की पूरे विधान सभा क्षेत्र की एक अच्छी सूची बनायी, उसमें सारे सरपंचों से कंसल्ट किया, सारे गांव के लोगों से कंसल्ट किया, सारे शहर के लोगों से कंसल्ट किया और वह सूची पी.डब्ल्यू.डी. के एक्स.ईएन. के मार्फत झुंझुनूं एसई. को गयी और एस.ई. साहब ने एडिशनल चीफ इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर और राज्य सरकार को वह सूची फारवर्ड हुई, रिकमंड हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी, 2019 के बाद जो सूची, हर एम.एल.ए. ने, मैं समझता हूं सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में काम किया होगा लेकिन मैं चाहता था कि एक सिस्टम से रोड नेटवर्क को डवलप किया जाए, इसलिए मैंने मुख्य-मुख्य सड़कें जिनकी कनेक्टिविटी जरूरी थी, जिनको बनाया जाना जरूरी था, यह सूची मैंने पी.डब्ल्यू.डी. को भेजी। पी.डब्ल्यू.डी. मींस जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी उस समय पी.डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर थे, और ब्यूरोक्रेसी में जो भी पी.डब्ल्यू.डी. को देख रहे थे उनकी टेबल्स तक यह मेरी सूची जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस सूची पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. से, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरी सूची 04 जनवरी, 2019 की थी और जिसे 31 जनवरी, 2019 को झुंझुनूं जिले से राज्य स्तर पर भेजा गया, उसको मैं यहां रैफर कर रहा हूं और उस सूची के अनुसार, कम से कम वह सूची तो पूरी की जाए ताकि पिलानी विधान सभा क्षेत्र जो कि एक अन्तरराष्ट्रीय जाना-माना नाम है, उसमें रोड नेटवर्क का अच्छा विकास हो सके। क्योंकि समय की कमी है, मैं उस पूरी लिस्ट को यहां नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वह लिस्ट आपकी अनुमति से मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को भी और ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी सचिवालय में हैं, उनको भी दे दूंगा।

निवेदन यह करना चाहता हूं कि पांच करोड रुपये का माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सड़क का जो प्रोविजन किया है प्रत्येक एम.एल.ए. के क्षेत्र में, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि बहुत शानदार बजट दिया और रोड नेटवर्क के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रोविजंस किये हैं लेकिन फिर भी क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच करोड़

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

रुपये की राशि कम से कम पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए तो कम पड़ेगी इसलिए वह राशि बढ़ायी जानी चाहिए।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी झुंझुनूं से विधायक माननीय बृजेन्द्र जी ओला साहब बोल रहे थे, उन्होंने नेशनल हाई-वे की बात की, जो पचेरी से चिड़ावा तक की रोड की बात वह कर रहे थे, आप भी उसी रास्ते से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो हम भी उसी रास्ते से जाते हैं। दिल्ली में हरियाणा में विशेष करके वह रोड फोरलेन बन चुकी है और आपके क्षेत्र को भी टच करते हुए वह रोड आती है, चिड़ावा तक भी वह रोड बन चुकी है, लेकिन उसको चौड़ी करने की भी जरूरत है, स्ट्रेन्थन करने की भी जरूरत है और नेशनल हाई-वे अथोरिटी से बात करना भी जरूरी है, पैसा लेने की जरूरत है ताकि वह रोड आगे तक बढ़ जाए और फिर दूसरे नेशनल हाई-वे में जुड़ जाए। डिफेंस के दृष्टिकोण से भी वह रोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

एक रेफरेंस हुआ था चिड़ावा से अरड़ावता और सुल्ताना की रोड का। चिड़ावा मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है और मैं उसी कस्बे का रहने वाला हूं। यह सड़क भी अच्छी बनायी जानी बहुत जरूरी है और इसको कम से कम 7 मीटर बना करके इसको स्ट्रेंथन किया जाए और आगे जाकर यह सड़क जयपुर की दूरी को कम करती है। चिड़ावा से आप जयपुर आते हो तो अगर वाया सीकर आते हो तो उस डिस्टेंस को और इस रोड से आते हो तो उस डिस्टेंस में बहुत फर्क है, समय की बचत होती है और फ्यूल की भी बचत होती है, तो वही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब तक नेशनल हाईवे अथोरिटी से बात करके इस सड़क को डवलप नहीं करवाया जाएगा, वह हरियाणा होते हुए हमारे झुंझुनूं जिले को टच करके, जिसमें कई कांस्टीट्यूएंसी टच होती हैं, इस सड़क को बनाया जाना जरूरी है।

इसी प्रकार से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चिड़ावा से अरड़ावता और सुल्ताना वाली सड़क को जो अल्टीमेटली आगे आकर के मेन स्टेट हाई-वे में मिल जाती है, छोटा-सा टुकड़ा है, इसको बनाया जाना चाहिए। अभी पी.डब्ल्यू.डी. का काम जो ब्यूरोक्रेसी स्तर पर देख रहे हैं, वह भी आफिसर्स गैलरी में बैठे हैं, वे यहां नहीं थे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने 40 रोड्स की सूची आप तक पहुंचाई है, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर तक

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

पहुंचाई है, उस सूची को मैं रैफर कर रहा हूं और वह जनवरी, 2019 से पैंडिंग पड़ी है। कृपया उस पर कार्यवाही की जाए ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके।

पिलानी विधान सभा क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अन्तरराज्जीय सीमा पर बसा हुआ है, हरियाणा जाते हैं तो रोड देख करके और हमारी रोड देख करके हमको शर्म आती है। कृपया उस सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्र को डवलप करें, कुछ पैसे का प्रोविजन भी करें और प्रोविजन करके उसको और अधिक डवलप करें।

पुलों का कोई विशेष हमारे यहां काम है नहीं, मात्र सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, समय की कमी है फिर भी बोलूंगा। पूर्व के सी.ई.ओ. थे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर ज़िला परिषद्, हम चाहते यह थे कि यह जो रोड नेटवर्क है, पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो पहले इसको नरेगा में करवा दें। जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको नरेगा में करा दें और नरेगा में कराने के बाद उसका डामरीकरण हम अपने हिसाब से स्टेट से पैसा लेकर कर दें, लेकिन तत्कालीन सी.ई.ओ. ने कोई ऐसा प्रावधान कन्वे कर दिया कि वह सड़क का काम बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और जो ग्रामीण विकास का काम देख रहे हैं, पंचायती राज का जो काम मंत्री महोदय देख रहे हैं उनको कन्वे कराना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से जितनी सड़क आप बना सकते हो, वह सड़क बनायें और फिर पी.डब्ल्यू.डी. उसको डामरीकरण कर दे तो क्षेत्र का विकास होगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।

श्री सभापति: माननीय श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, सरकार को ढाई साल होने जा रहे हैं और इन ढाई सालों में सड़कों के नाम पर मेरी विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरडा में इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। चूंकि पांच मिनट का ही समय है, ज्यादा इधर-उधर की बात नहीं करते हुए मैं केवल मेरी विधान सभा की ही बात करूंगा। मेरी विधान सभा में एन.एच. 148 पर कटार चौराहे से कटार गांव 4 किलोमीटर की सड़क पिछले 20 सालों से टूटी हुई है माननीय सभापति

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

महोदय, तीन साल पहले उसका टेंडर भी हुआ है लेकिन आज तक उस सड़क का काम चालू नहीं हो पाया है और मैंने बहुतसी बार जिला परिषद् की मीटिंग में भी बात रखी है, माननीय मंत्री महोदय जी को भी मैंने लिखकर दिया है। साथ ही मेरी विधान सभा क्षेत्र में ही हुरड़ा पंचायत समिति में खेजड़ी से भीमलत की सड़क है, उसकी भी यही हालत है। पिछले 15 सालों से वह सड़क टूटी हुई है और उसका भी तीन साल पहले टेंडर हुआ है और आज तक उसका काम चालू नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें और हैं, दौलतगढ़ से लाछूड़ा, बालापुरा से आकड़जादा, एनएच-148 डी आसीन्द से बरनागर, बाजून्दा से चैनपुरा वाया घड़वई, जिंदरास चौराहे से जिंदरास, बास्सी से सोहनपुरा, सापोला से रामपुरा, बागाखेड़ा से रायला, गांगलास से छोटी रूपायली, आनंदीपुरा से खातीखेड़ा, आसीन्द से सुरवड़ा वाया दूधिया, अम्बा का रोला से दूधिया, नेगड़िया से दौलतगढ़ तथा इसी तरह चोटियास से बाजून्दा, आसीन्द से चैनपुरा वाया अर्जुनपुरा, भोनास से मरेवड़ा वाया पान्डरु, कालियास से पड़ोवास, उदलपुरा से रायला, डोटा से करियाला, झालरा से जोगी भाटा, तिलोली से पान्डरु, लाछूड़ा से तिलोली, झाली चौराहे से झाली, पीता का खेड़ा, रतनपुरा से पीता का खेड़ा, ब्राह्मणों की सरीरी से केरिया वाया हनुमान जी के मंदिर होते हुए परतापुरा से धड़ावट, पड़ासौली से रायरा, सांपोला से जवानपुरा, एनएच 79 से खारी का लांबा से वाया रामदेव मंदिर होते हुए आगूचा से सुलतानपुरा, कोटड़ी से आगूचा, एनएच 158 से जीवलिया, काछिया का बाड़िया से घारियाखेड़ा, परा से भैरुंखेड़ा ऐसी कई सड़के हैं, जो टूटी हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो सड़कें नई बननी हैं, उनके बारे में मैंने बहुत बार लिखकर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये मैंने आपको पहले भी लिखकर दिया है। मैं और भी आपको लिखकर दे दूंगा। आप इन सड़कों को लें और जब रिप्लाई दें तो जो सड़कें 20-20 सालों से टूटी हुई हैं, जो ग्राम पंचायतों को जोड़ती हैं, उन सड़कों को तो आप कम से कम इसमें लें और उनकी घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां विराजित हैं। मैं आपके माध्यम से इनके संज्ञान में भी एक चीज लाना चाहूंगा कि मेरे यहां आसीन्द में एक एक्सईएन लगे हुए हैं, अब्दुल सलाम उनका नाम है, मैं नाम लेना चाहूंगा। पिछले 4 महीनों से उनकी वहां ड्यूटी है। जब भी किसी काम के

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

लिए उनको फोन करते हैं तो वह बदतमीजी से बात करते हैं। वह सुनना ही नहीं चाहते हैं। हालत यह हो गई कि हम उनको किसी काम के लिए कह ही नहीं सकते हैं। उनका सीधा जवाब होता है कि मैं बेलदार नहीं हूं, मैं एक्सईएन हूं। आपको जो करना है वह करें। सीधी धमकी देते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उनको भी थोड़ा समझाएं। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम यह चाहते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं, उस काम के लिए हम अधिकारियों से ही कहेंगे। जो हमारे वहां अधिकारी हैं, उनको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। अधिकारी और जन प्रतिनिधि विकास की एक कड़ी हैं। आपसी मेलजोल से ही हम विकास करा पाएंगे। आप अधिकारियों को भी थोड़ा पाबंद करें कि वह बोलने का थोड़ा ध्यान रखें। जो महत्वपूर्ण काम हैं उनको प्रायोरिटी से ले। करें, न करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन संतोषप्रद जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, 3-3 लाख वोटों की विधान सभा है। वहां से हम लोग चुनकर आते हैं। लोग हमें काम बताते हैं, उन कामों के लिए हम अधिकारियों को कहते हैं तो हमको उलटा-सीधा जवाब देते हैं। मैं आपके माध्यम से यहां जो अधिकारी विराजे हैं, मैं एक बार पुन: उनका नाम लूंगा एक्सईएन अब्दुल सलाम हैं, आप उनके खिलाफ संज्ञान लें। उनको समझाएं या उनको हटाएं। किसी दूसरे अधिकारी को लगाएं। कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस बजट में मगरा विकास बोर्ड के नाम से एक भी पैसा नहीं दिया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र की 20 पंचायतें जो बदनौर पंचायत समिति में आती हैं, वह पूरा का पूरा मगरा बैल्ट है। वह पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर इस बोर्ड का पैसा भी आता तो बहुत सारी सड़कों का काम इससे हो जाता। आपने इसमें भी एक रुपया नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मेरी विधान सभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या और भी है, एनएच 79 पर जो 6 लेन का काम चल रहा है, इसमें सरेरी गांव है, वहां एक अंडर पास बना है। शाहपुरा से आसीन्द का एक महत्वपूर्ण रोड है जो सवाई भोज का अन्तरराष्ट्रीय मंदिर है, वह रोड उसको जोड़ता है। उस पर एक सिंगल अंडरपास बना है। उसके लिए आंदोलन भी हुआ है। वह काम रुका हुआ है। मैं सरकार के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप उस अंडरपास को डबल बनाएं। इसके साथ ही, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा क्योंकि हमारे जिले में आपका ननिहाल है। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

आप सरकार से मेरी थोड़ी पैरवी करें कि वह सारे काम कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में मुख्य मंत्री जी नवीन सड़क नीति 2021 लाए हैं। उस नीति में कई पाइंट्स हैं, जिसके तहत सभी 200 विधान सभाओं का विकास होना तय है। प्रत्येक विधान सभा में जिस तरह से 5 करोड़ रुपये के नोन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य कराने की बात कहीं है, इससे निश्चित रूप से अच्छा फायदा मिलेगा। पुरानी सरकार जो कुछ पैसा छोड़कर चली गई थी और आज तक उन ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हुए हैं। इस वजह से भी इस विभाग में काम थोड़े कम हुए हैं लेकिन अब कार्य को गति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह मुहारी से काली तीर माजरा तक, खिदरपुर से रामसागर तक, बोरोली से नंगलाराय जी, गुलावली से नंगला बिदौरा, खिन्तर से सड़क मार्ग तक, खोरपुरा से सरीरी तक।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राज्य के सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लम्बाई की जिला एवं ग्रामीण सड़कों को राज्य मार्ग एवं मुख्य सड़कों में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित किया है। इसमें से मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में भी मदनपुर से गुलावली तक, धोरे से कोटरा तक, सांगोरी से मुण्डिक तक, अतरसुमा से एक्टा तक, यूपी बार्डर तक, ग्यारसापुरा से मंडासिल तक, नंगला सिंगला से जारगा तक की सड़कें महत्वपूर्ण हैं, जो प्रस्तावित हैं और इससे मेरे क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिले की 3 मेजर सड़कों को रिपेयर करने के लिए बजट में बात की गई है। इसमें 1900 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें मेरी जो मेजर सड़कें हैं जिनका कार्य होना है, उसमें सरमथुरा से नादरपुर होते हुए बसेड़ी तक की सड़क बहुत खराब है। उसको लिया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर मासलपुर से नादरपुर वाली सड़क को भी इसमें लिया जाना चाहिए।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

मान‍नीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बसेड़ी से जगनेरी बोर्डर तक की सड़क को बजट में लिया है। भरतपुर वाया बसेड़ी, बंध बारेठा लिया है। धौलपुर, बाड़ी रोड से धौलपुर लिया है। करौली से केसुपुर, बसेड़ी को सिरियापुरा लिया है। इससे काफी हद तक हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का काम ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि नगरपालिका में 10 किलोमीटर की मुख्य सड़कों को मेजर रिपेयरिंग के लिए प्रस्तावित किया है। इसमें मेरी 2 नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी और सरमथुरा हैं जो कि नवगठित हैं। इससे निश्चित रूप से इन 2 नगरपालिकाओं को फायदा मिलेगा। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में, मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा की है, इससे सबको फायदा मिलेगा। आने वाले टाइम में निश्चित रूप से सड़कों का जाल बिछेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सड़क आवागमन का साधन तो है ही, साथ ही यह विकास में सहायक होती है। 2018 में कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा-पत्र में घोषणा की गई थी कि प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। दूरदराज गांव, ढाणी में बैठे आदमी के मन में आशा की एक किरण जगी कि मेरा गांव, ढाणी भी सड़क से जुड़ेंगे। आज मुझे विधान सभा में यह कहने में संकोच नहीं है कि प्रदेश की जनता को जन घोषणा-पत्र की लुभावनी घोषणाओं से छला गया है। गांव में पिछले 2 वर्षों से नई सड़क बनाना तो दूर, पुराने स्वीकृत कार्य भी बंद कर दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पूरे क्षेत्र में सड़कें टूट चुकी हैं। सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इस सरकार को 27-28 महीने हो चुके हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सड़क का कार्य नहीं हुआ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजौलिया सबसे बड़ा कस्बा है। मेरे क्षेत्र की

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

सबसे बड़ी पंचायत है। कस्बे के पास से ही नेशनल हाई-वे निकलता है। हाई-वे के पास केसरगंज चौराहे से रीको एरिया तक सिंगल रोड बनी हुई है। इस रोड पर विश्व प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर व मंदागिरी मंदिर स्थित है जिसमें श्रद्धालुओं का भारी तादाद में आना-जाना लगा रहता है। यह सिंगल रोड बिजौलिया कस्बे की लाइफ लाइन है। आये दिन इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे बहुत से आदमियों की मृत्यु हो जाती है। इससे परेशान होकर बिजौलियावासी धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देते रहते हैं लेकिन इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। इस रोड को डिवाइडर सहित दो लेन करने का आदेश करें जिससे वहां के निवासियों को राहत मिल सके।

(16.00 बजे)

माण्डलगढ़ एक बड़ा शहर है, जो ओराबाई बाईपास है वहां से माण्डलगढ़ तक चार किलोमीटर रोड है, इसको मय डिवाइडर बनाने का श्रम करें। माण्डलगढ़ में ऐतिहासिक किला है, उस पर जाने का रोड बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसका नवीनीकरण भी कराने की कृपा कराएं। माण्डलगढ़ किले से माण्डलगढ़ कस्बे की पुरानी आबादी तक सड़क बिलकुल खराब हो गई है, उस पर कोई आदमी आता-जाता नहीं है। भूतेश्वर महादेव से किले तक यदि रोड बन जाता है तो पूरा माण्डलगढ़ कस्बा उससे अच्छी तरह कनेक्ट हो जाएगा। यह रोड बनाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने बनेड़ा से बीगोद तक स्टेट हाईवे की घोषणा की थी, टेंडर भी हो गये थे, परन्तु अभी तक वहां कोई काम नहीं चला है तो आप वहां पर काम चलाने का आदेश तुरन्त करायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां के खनन क्षेत्र की सड़कें बहुत अधिक खराब हो चुकी हैं, वहां पर डीएमएफटी फंड बहुत आता है, परन्तु वहां पर अभी तक कोई सड़क निर्माण कार्य का काम नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मानपुरा से जलेन्द्री सड़क, भीलवाड़ा से गेल्या सड़क, सवाईपुर चौराहे से आकोला भड़ला सड़क, त्रिवेणी से सिंगोली सड़क, काचोला बाईपास से सरथोला ठिठोड़ा सड़क, स्टेट हाई-वे बिजौलिया एवं बूंदी से छोटा बांका तक सड़क, जलेन्द्री से दूधिया खेड़ा सड़क, सिंगोली से कालीखोळ सड़क, काछोड़ा रोड से नाहरगढ़ तूखला सड़क, दामन्या से मोवा सड़क, बादोआ से बड़खली सड़क, मालाखेड़ा से शकरगढ़ सड़क, नेशनल हाई-वे से गुढ़ा तक सड़क।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

मानननीय सभापति महोदय, बहुत से नाम अभी और भी हैं जो समय की कमी के कारण नहीं ले सकता। ये मात्र उदाहरण हैं। ऐसी कितनी ही सड़कें हैं जो बजरी के अवैध दोहन से पूर्णतया टूट चुकी हैं। सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, वहां पर रोजाना लोगों का आना-जाना दुश्वार हो रहा है। आये दिन एक्सीडेंट और मृत्यु होती रहती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्रिवेणी-सिंगोली रोड है जो 2019 में अतिवृष्टि से पुलिया बह गयी थी। मैंने पिछले समय बजट सत्र में प्रश्न लगाया था उसका उत्तर आया था कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पुलिया बनाई जायेगी लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ है। बजट घोषणा में भी जो गये साल वाली थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे यहां बारिश कम हुई इन्द्रदेव की कृपा कम रही, बाकी आधा विधान सभा क्षेत्र पुलिया के उधर है लेकिन वहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे धनराय से बीगोद सड़क के बीच में पुलिया बिलकुल नीचे है, कोठारी बांध वाली सड़क पर भी हाई लेवल ब्रिज बनाने का आदेश कराएं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुन: निवेदन करता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान विकास आपको करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़क और पुल की चर्चा के समय में पूर्व मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत और वसुन्धरा राजे जी के नामों का जरूर उल्लेख करूंगा। इन दोनों के कार्यकाल में पंचायत के केन्द्र तक और उसके पांच सौ की जनसंख्या की गांव तक सड़क पहुंचाने का प्रयास हुआ। उनके कार्यकाल में सड़क बनाते समय वोट की पेटी का मत प्रतिशत नहीं देखा गया, जनता की सुविधा देखी गई। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार बिना राजनीतिक भेदभाव के विकास कार्य करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक दोहा बोलकर अपनी बात खतम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा,

मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान में एक,
सकल अंग पालन करे तुलसी सहित विवेक।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं इसलिए आप प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस मांग पर बोलने का मौका दिया, एक बार पुन: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलालजी जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश या गांव के चहुंमुखी विकास करने के लिए सड़क महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। पिछली महामारी के दौरान बंद पड़े सार्वजनिक निर्माण विभाग के हालात अन्य विभागों की तरह हैं, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। प्रत्येक राज्य, चाहे देश हो, कोई भी राज्य इस महामारी से अछूता नहीं था, फिर भी प्रबंधन के धनी माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत राज्य की नवीन सड़क नीति लेकर आये हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आधारभूत संरचना प्रदेश में सही ढंग से सड़कों की हो इसलिए एक नीति के आधार पर ताकि आने वाले समय में किसी को टूटी हुई सड़क पर नहीं चलना पड़े वे तमाम चीजें उस सड़क नीति में ध्यान रखकर की गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन इसमें उन सड़कों को भी जोड़ा जाये जो पांच साल बाद टूट जाती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो इस नीति में उन चीजों को भी जोड़ा जाये कि स्वत: ही पांच साल के बाद में उस पर रिपेयरिंग का पैसा आता रहे ताकि एरिया में लोगों को क्योंकि एक समय था जब गांवों से लोगों का पलायन हो रहा था और वे लोग शहरों की ओर बढ़ रहे थे। आज पानी की, बिजली की व्यवस्था सुचारु होने लगी, लेकिन सड़क से पिछले समय से टूटने की जो परम्परा रही, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य अभी बता रहे थे कि पिछले समय में खूब बनी, खूब बनी तो वे सड़कें गईं कहां? इसके पीछे माननीय सभापति महोदय, जो गुणवत्ता है वह सबसे बड़ा कारण है। मैं चाहे भीलवाड़ा की ही बात करूं, वहां डीएमएफटी फंड से हो, चाहे पीएमजीएसवाई थर्ड फेज से हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना की हो, इन्होंने पिछले समय में उन सड़कों की क्वालिटी पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। आज भी आप जांच करके देख सकते हैं, इसी वजह से वे सड़कें टूटी हैं। इसी वजह से यह समस्या आ रही है। आप रेलवे स्टेशन के बाहर देखो, रोटी के ढाबे को, घी के अन्दर कटोरी के पेंदे को डुबोकर एक आदमी बीस रोटी को चुपड़ देता है उस तरह से इन्होंने डामरीकरण किया है, इस वजह से ये सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मैंने ही नहीं कहा है, मैंने जिला कलेक्टर को भी इस तरह की चिट्ठी लिखी विधायक बनते ही इस बार कि सड़कों की क्वालिटी को देखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, हर गांव की सड़क टूटी हुई है चाहे मेरे गांव का एरिया हो चाहे दूसरा एरिया हो। इतना पैसा सड़कों पर खर्च किया गया, लेकिन आज वहां सड़कें बिलकुल खुर्द बुर्द हैं। माननीय सभापति महोदय,

(श्री रामलाल जाट)

इस नीति में अधिकारी यह चीज भी डालें कि जहां माइनिंग एरिया है, वहां पर सड़क की क्वालिटी और थिकनैस को बढ़ाते नहीं हैं, गांवों में चार टन, पांच टन की विलेज रोड के हिसाब से सड़क की पुलिया का निर्माण कर देते हैं, सड़क का निर्माण कर देते हैं जबकि वहां पर कोई बीस टन, तीन टन, यहां तक कि सत्तर-सत्तर टन तक माइनिंग एरिया में लोड निकलता है और एक ही बार में गाड़ी से वह पुलिया टूट जाती है, सड़कों का डामरीकरण टायरों के साथ चला जाता है, यह सबसे बड़ा कारण है। चाहे जिस फंड से सड़क दी जाये, कम से कम उसके शिड्यूल में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाये, हालांकि पिछले समय में एक सड़क की गारंटी पांच साल की हुआ करती थी। पिछली सरकार के कार्यकाल में उसकी गारंटी को तीन साल कर दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने कुछ काम हाथ में लिया, इस नवीन नीति में मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी कहा, उसकी गारंटी तीन साल से वापस पांच साल की है। पांच साल तक वह ठेकेदार उस सड़क की गारंटी रखेगा तो वह सड़क टूटेगी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने पांच करोड़ रुपये की सड़कें दी हैं, यह एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से लेकिन पांच करोड़ रुपये में इसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। नगरपालिका में दस किलोमीटर, नगर परिषद् में बीस किलोमीटर, नगर निगम में तीस किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां नगरपालिका है ही नहीं तो वे उन सड़कों से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मंत्रीजी इसमें थोड़ा बदलाव करें ताकि उन विधान सभा क्षेत्र में भी सड़कें दी जायें, जहां नगरपालिका नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सुरक्षा की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कई बार स्पीड ब्रेकर बनाने की बात आती है। गांव वाले एजिटेशन करते हैं, वे अधिकारी क्यों नहीं सुनिश्चित कर लें कि जहां पर आबादी है, जहां बस स्टैंड है, वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाये जायें, कोई नेशनल हाईवे वहां पर नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, वह विलेज की सड़कें हैं, तहसील की सड़कें हैं, एमडीआर की सड़कें हैं, उन सड़कों पर निश्चित रूप से आज गांव के एजिटेशन को देखते हुए नेशनल हाईवे पर भी डिमार्केशन किया हुआ है। क्यों नहीं इस तरह से इन सड़कों पर ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक गांव से सड़क दूसरे गांव जा रही है, किसी का कुआ सड़क के एक तरफ है और खेती

(श्री रामलाल जाट)

दूसरी तरफ है तो वह ठेकेदार और अधिकारी किसान से कंसल्ट नहीं करते हैं और बनाने के छह महीने बाद में ही पाइप लाइन डालने के लिए उस सड़क को खोद देते हैं और धीरे-धीरे वह टूट जाती है तो क्यों नहीं इसे नीति में डालें ताकि उस किसान से बात की जाए जिसके खेती इधर या उधर है, उस पटवारी से बात की जाये जिसका कुआ इधर है और खेत उधर है तो उसमें प्रावधान किया जाए, पाइप लाइन डाल दी जाये और किसान खुद डाल देगा ताकि उसको सड़क तोड़ने की परमिशन नहीं लेनी पड़े और सड़क लम्बे समय तक चले।

माननीय सभापति महोदय, कई ऐसे छोटे गांव है जहां पर बाईपास की दिक्कत है राज्य सरकार वहां जमीन एक्विजिशन नहीं कर पाती है, बीओटी रोड के माध्यम से होती है तो वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से बैठकर, उसको पट्टा देकर, थोड़ी सी जमीन आ रही है तो बाईपास का निर्माण भी अगर समझाइश से करे तो कई जगहों पर बाईपास हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, धर्म स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें पिछली बार जब आप भी विराज रहे थे, मिनिस्टर थे उस समय, गहलोत साहब ने पांच-पांच किलोमीटर इस तरह की सड़कें दीं। हर धर्म के स्थान को सड़कों से जोड़ा गया। मैं निवेदन करूंगा, इस बार भी इन पांच करोड़ में कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, या तो पैसा बढ़ाया जाए या उसी में लोकेट किया जाए, एक किलोमीटर या दो किलोमीटर, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनमें देना अनिवार्य किया जाए ताकि वहां लोगों का आना-जाना सही ढंग से हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, कुछ मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विकास पथ, गौरव पथ की बात की। पहले गौरव पथ नाम था, अब विकास पथ है। पिछली बार मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से कहलवाया भी गया था, लेकिन इस बार उसमें कुछ पंचायतों में प्रावधान भी बनाये गये थे। गौरव पथ और विकास पथ में काफी डिफरेंस है। पहले वाले गौरव पथ की सीमा बहुत कम 500 मीटर ही थी। अभी मुख्य मंत्री जी ने विकास पथ में डेढ़ किलोमीटर तक दिया है, इसीलिए उसका नाम विकास पथ रखा। पहले बीच में थोड़े-से एरिया में वह सड़क बनायी जाती थी, अभी वाल टू वाल उसमें पिछली बार रखा था तो यह बहुत सराहनीय काम है, इसे दोबारा टेक-अप करें। चाहे सड़कें कितनी ही कम बनें, लेकिन इन्हें इस दीवार से उस दीवार तक बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

(श्री रामलाल जाट)

स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। टैक्निकल लोगों के तो बहुत प्रमोशन हो रहे हैं, ऊपर अच्छे अधिकारी भी बैठ रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं, वे जेईएन हैं, वे टैक्निकल आदमी हैं, उनकी यदि भर्ती करें तो उन सड़कों का रख-रखाव सही ढंग से हो पाएगा।

इसके साथ ही डीएमएफटी फण्ड से जो सड़कें दी जाती हैं, वे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनती हैं। लम्बी सड़कें बनाने के हिसाब से, मैं आपको उदाहरण दूं, भीलवाड़ा में माण्डलगढ़ उप-चुनाव था, उस समय आनन-फानन में साढ़े चार सौ करोड़ की सड़कें और दूसरे काम निकाल दिये। हमने हाई कोर्ट जाकर उस पर रोक लगवायी थी एक सरपंच को भेजकर ताकि सभी जगह समान रूप से पैसा मिले। उन सड़कों की ऐसी क्वालिटी थी, अभी माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, इनके यहां कई पुलिया बह गयीं। ऐसी सड़कें जहां निर्माण की घटिया क्वालिटी थी, क्यों नहीं अधिकारी वहां डीएमएफटी फण्ड में कलेक्टर महोदय को यह राय दें कि उसकी थिकनैस बढ़ायी जाए ताकि वह पैसा भी अनर्थ न जाए।

कई सड़कें ऐसी स्वीकृत हैं जिन्हें आज भी हमने इसलिए रोक रखा है कि उनकी जो डब्ल्यूबीएम है, गिट्टी है या क्रेशर गट्टी है या जो-जो चीजें उनकी थिकनैस में लगती हैं, उनमें कमी कर दी केवल लैंथ बढ़ाने के हिसाब से। सारी चीजें पोलिटिकल होती हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई पोलिटिकल काम नहीं है। यह तो टैक्निकल आदमी की जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित किया जाए नीति में। चाहे सड़क कम किलोमीटर की बने, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ताकि गांव वाले यह आरोप न लगाएं कि उस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ। इससे सही सड़क भी बनेगी, लोगों के आने-जाने का संसाधन भी होगा और गांवों से पलायन भी रुकेगा। इससे बहुत अच्छा विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की भी बात करूंगा। माण्डल विधान सभा क्षेत्र में हालांकि कई सड़कें हमारे भीलवाड़ा में नेशनल हाई-वे पर निकलती हैं, अभी भी निर्माण हो रहा है, लेकिन खास तौर से कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है और वे सड़कें वंचित हैं। जैसे करेड़ा से भीम है जो इतने बड़े दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है, दो जिलों को जोड़ती है, थोड़ी उसकी चौड़ाई बढ़े। माइनिंग का पैसा भी आता है और थिकनैस भी बढ़ायी जाकर उस सड़क का निर्माण हो तो बहुत ही अच्छा होगा।

(श्री रामलाल जाट)

इसके अलावा छोटे-छोटे काम तो कई हैं जो हम अपने लेवल पर विभाग के माध्यम से करते हैं, लेकिन जो मेजर काम हैं वह है हमारे करेड़ा से भीम की रोड। इसके साथ ही हलेड़-दांतल जो बिजौलिया-माण्डलगढ़ जाने वाली रोड है, दोनों रोड विधान सभा क्षेत्र में बड़ी मेजर रोड हैं। ये दोनों ही बड़ी खुर्द-बुर्द हैं, कई बरसों से टूटी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन पर ध्यान दे। इससे लोगों के आने-जाने का साधन बनेगा। इसके साथ ही, हमारा डेयरी मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। दूध को पहुंचाने के लिए भी अच्छा काम होगा।

पीएमजीएसवाई का थर्ड फेज चल रहा है, उसमें भी कुछ सड़कें आयी हैं, लेकिन मेरा खास तौर से जोर इनकी क्वालिटी पर रहेगा। क्वालिटी सही होगी तो आज जो स्थिति हमारे सामने बनी हुई है, ये सड़कें टूटेंगी नहीं, वरना हम बनाएंगे, थोड़े दिनों में टूट जाएंगी, फिर वही लोग आरोप लगाएंगे। इससे निजात पाने के लिए आप क्वालिटी पर विशेष तौर से ध्यान दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री ललित ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, इस प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जब भी इस विषय पर चर्चा होगी, परम सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। मैं बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ परम आदरणीय वाजपेयी साहब का स्मरण करते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की। इससे कई गांव, हजार की आबादी के, पांच सौ की आबादी के, सड़कों से जुड़े। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने लागू की और पूरे देश में फोर-लेन, सिक्स-लेन सड़कों का निर्माण अभी भी हो रहा है। इससे आम नागरिक का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं माण्डकला, रणा, पाल, रीछड़ी, बलालिया, जो सीता माता अभयारण्य वन्य क्षेत्र में आते हैं। इन गांवों में अभी सड़क बिलकुल टूटी-फूटी है। पूरा क्षेत्र टीएसपी है, ट्राइबल एरिया है और वहां पर जाने का रास्ता बिलकुल ठीक नहीं है। घंटों लग जाते

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

हैं उन गांवों में जाने के लिए, जबकि उन गांवों में वर्षों से लोग बसे हुए हैं, खातेदार हैं, वन अधिकार के पट्टे उन्हें मिले हुए हैं।

सरकार ने 5वीं, 8वीं, 12वीं तक के स्कूल, पंचायत मुख्यालय पर 12वीं के और दूसरे गांवों में 5वीं और 8वीं के स्कूल वहां पर खोल रखे हैं। वहां लोगों को पहले मुख्य मंत्री आवास मिल रहे थे और अभी प्रधान मंत्री आवास मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी वहां जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है। इन हालातों में वहां की बच्चियां 12वीं के आगे पढ़ नहीं पा रही हैं। वे किसी भी रास्ते पर जाएं तो दो घंटे पहले डामर सड़क नहीं आती है, ऐसे गांव हैं वे। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन गांवों को अविलम्ब डामर सड़क से जोड़ा जाए। कोई भी व्यक्ति उन गांवों में बीमार हो जाए या किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो तो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर या जीप में बैठकर जाना पड़ता है। डामर सड़क बहुत दूर है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन गांवों को अविलम्ब डामर सड़क से जोड़ें।

ग्रामीण विकास पथ पर कई वक्ताओं ने बात की है। मुझसे भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने प्रस्ताव मांगा था कि आप ग्रामीण विकास पथ का एक प्रस्ताव दें। लगभग 20 महीने पहले मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि वहां पर अभी तक रोड की स्वीकृति जारी नहीं हुई। उसके कुछ समय बाद कहा गया कि दो विकास पथ के प्रस्ताव और दें तो मैंने और प्रस्ताव भेजे, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ।

मैं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहूंगा कि अभी जिन चार विधान सभा क्षेत्रों में उप-चुनाव हैं, वहां पर ग्रामीण विकास पथ का बजट जारी कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें जो 2018 की स्वीकृत हैं, वे अभी तक आधी-अधूरी पड़ी हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें अविलम्ब पूरा किया जाए- मंगलवाड़ गांव से अरनेड़, मंगलवाड़ गांव से खेताखेड़ा, नयाखेड़ा से नालेश्वर महादेव, बानसी-लसाड़िया मार्ग से सोलंकियों का खेड़ा, ऊंठेल से जवानसिंह जी का खेड़ा, अमीराम से बड़वल, कचुमरा से भाटोली ब्राहमणान, ये सड़कें अधूरी हैं और इन्हें अविलम्ब पूरा किया जाए।

कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार ने निरस्त कर दी हैं- आसावरा माता जी से नंगाजी का खेड़ा, जैतपुरा से जाड़सादड़ी, गुमानपुरा से

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

बिलोट, बोहेड़ा से जणवो का खेड़ा, सम्पर्क सड़क करेड़िया, सम्पर्क सड़क तरजेला, आसावरा से मांजी का गुढ़ा, केवलपुरा से मरावदिया, एसएच-15 से रतिचंदजी का खेड़ा गुंदलपुर, एसएच-15 से लिकोड़ा, सालेड़ा से उम्मेदपुरा और दो गौरव पथ- कचुमरा और उत्तरवाड़ा, राजस्थान सरकार ने इन स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया है।

मेरा कुछ नयी सड़कों के बारे में भी निवेदन है- कोतवाल से देवाक माता जी, टीला से नेशनल हाई-वे, सहकारी समिति नन्नाण से लसड़ावत ढोरिया रोड तक, आलाखेड़ी से कचुमरा, पालखेड़ी से नंगपुरा-रामाखेड़ा, गुमानपुरा चौराहे से बिलोट वाया दुर्गाखेड़ा, ईडरा गांव से लक्ष्मीपुरा, परबती गांव से अमीरामा, लक्ष्मीपुरा से पण्डेड़ा, किरतपुरा से रूपाबा मोगीया के मकान तक, पंचायत भवन किरतपुरा से बागेलों का खेड़ा, किरतपुरा से कापड़ीया जी का खेड़ा, सोमावास से करोली, फलासिया से करसाना, मंगलवाड़ा से निम्बाहेड़ा रोड, लोठियाना से सांगरिया, बिहारीपुरा से नालिया का खेड़ा...

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): हरियाखेड़ी से सातलियावास, करेड़िया से नंगाजी का खेड़ा, चरलिया से फलासिया, चरलिया से भैंरूखेड़ा, हरियाखेड़ा से समेलिया, आक्या से रतनपुर, देलवास से पराणा, सातलियावास से ताणा, सातलियावास से करजेली...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): इन गांवों को अविलम्ब सड़क से जोड़ा जाए। एक चिकाड़ा, निकुम और बोहेड़ा, तीन गांव ऐसे हैं जहां पर हर दिन कम से कम 3-3, 4-4 बार जाम लगते हैं तो इन तीनों गांवों में बाईपास का निर्माण किया जाए।

एक बात इस विषय से हटकर निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक मद जो अभी हमें सवा दो करोड़ रुपये मिलता है इसको बढ़ाकर पांच करोड़ किया जाए और वाहन भत्ता जो 45 हजार रुपये हर महीने मिलता है उसको भी बढ़ाया जाए। उस समय डीजल 60 से 70 रुपये लीटर था उस समय का है इसलिए इसको भी बढ़ाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 21-सड़क पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि उन्होंने इस कोरोना महामारी में भी राजस्थान की जनता को सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक बजट की सौगात दी है। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में तहसील स्तर पर सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय सेना में हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा पिछले बजट सत्र में देश के खातिर शहीद होने वाले भाइयों के घर तक डामर सड़क की मांग की गई थी और मेरा मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि देश के खातिर शहीद सैनिकों के घर आने-जाने वाले मार्गों को डामर की सड़क से जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट 754 के तहत पैकेज नम्बर 5-6 के तहत सड़क का निर्माण मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया जा रहा है जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव खुडियाला, बिराई, झिनझिनियावाल, निम्बोंका गांव, कोंदरी, उदयसर, बावरली, गोपालसर होते हुए करीब 40 किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र से बन रही है। इस सड़क के निर्माण कार्य में लगी कम्पनियों द्वारा परिवहन हेतु उपयोग में लिए जा रहे भारी माल वाहक ट्रकों द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 24 राजस्व गांवों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कम्पनी को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद उनके द्वारा ओवरलोड वाहनों को उन सड़कों पर लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सड़कों को तोड़ने वाली कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र के 24 राजस्व ग्रामों की सम्पर्क सड़क पर पुन: डामरीकरण करवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पिछले साल प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक विकास पथ की सौगात दी गई थी, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में टेंडर हुए करीब एक वर्ष हो गया पर आज दिनांक तक बालेसर कस्बे के मुख्य मार्केट से गुजरने वाली सड़क पर विकास पथ का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि

(श्रीमती मीना कंवर)

विकास पथ को जल्दी से शुरू करवाते हुए चार हजार की आबादी से ज्यादा के कस्बों में आप जल्द और नये विकास पथ स्वीकृत करवाए जाएं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि मेरे द्वारा पिछले बजट सत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र की बेलवा राणा जी, सिद्धों का थान फलौदी रोड फाटा से शेरगढ़ व बम्भोर से चामू, बालेसर से खिलजां तिमना सड़क निर्माण की मांग की गई थी जिनको आपने स्वीकृत भी किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आशा करती हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई मांगों पर समय से कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सूचना

कक्षा 12वीं की पास बुक में धर्म विशेष का गलत प्रकाशन

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर पर मैं बोलना चाह रहा हूं। शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं। एक इश्यू चल रहा है, बाजार में एक पासबुक अभी फ्लोट हो रही है, वह 12वीं की राजनीति विज्ञान की पासबुक है जिसमें इस्लाम धर्म को आतंकवाद से जोड़ा हुआ दिखाकर कुछ आंसर सर्कुलेट किये जा रहे हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई काम किसी भी जगह आतंकवाद फैलाने से नहीं है। बेवजह बदनाम किया जा रहा है। मेरी सदन के माध्यम से गुजारिश है कि ऐसी किताबों पर कार्यवाही हो, तमाम उसकी कापियां वापस ली जाएं, उसका डिटेल एनेलेसिस किया जाए। जिस तरीके से उस किताब को प्रजेंट किया गया है उसको बाजार से वापस लिया जाए और सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही की जाए। गलत प्रकाशन है और यहां जयपुर, राजस्थान में हम गंगा-जमुनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, गलतबयानी से किसी भी धर्म को बदनाम किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। एक पैगाम जो इस्लाम धर्म का पैगाम है, दो लाइन के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं - 'इस्लाम का पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।'

श्री सभापति: प्लीज, जस्ट लैट दैम फिनिश, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेरी गुजारिश है कि इस किताब पर कार्यवाही करके उचित निर्णय किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री गुरदीप शाहपीनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी गुजारिश सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है आपकी गुजारिश? हवा में जा रही है गुजारिश। क्या हालत है। मुझे दया आ रही है, ट्रेजरी बेंचेज के एमएलए की क्या हालत है। पिछलग्गू बनना बन्द करो और आ जाओ इधर।

श्री सभापति: माननीय श्री गुरदीप शाहपीनी। प्लीज। (व्यवधान)

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): मरते मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं आएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सभापति महोदय, राठौड़ साहब बोल रहे हैं, इनको चाहिए कि देवनानी जी के खिलाफ बोलें तो खुलकर बोलें, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों बोल रहे हैं? उनके समय की किताब है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप सचिन साहब को ढूंढकर ले आओ पहले, फिर दूसरी बात करो।

श्री सभापति: माननीय श्री गुरदीप शाहपीनी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जो मुख्य सड़कें हनुमानगढ़ टाउन से ऐलनाबाद रोड वाया टिब्बी तलवाड़ा है, इसकी बहुत खस्ता हालत है। संगरिया से अबोहर रोड वाया भगतपुरा, मलारामपुरा की भी बहुत खस्ता हालत है। इसके पांच किलोमीटर के टेंडर भी 2018 में हो चुके हैं, इसके वर्क आर्डर भी हो चुके हैं, पर इसका काम चालू नहीं हुआ। मेरे हनुमानगढ़ से सुरेवाला रोड वाया फतेहपुर पीरकामड़िया, तंदूरवाली कैंचीयां तक, हरिपुरा से हरियाणा के जूतेवाली गांव के हरियाणा बोर्डर तक 15-20 साल पहले रोड बनी थी और उसका बाद में कोई काम नहीं हुआ। दीनगढ़ से पंजाब बोर्डर तक वाया हरिपुरा, संगरिया से ढाबा, रासुवाला से मलूमोड़ मालारामपुरा, सादुलशहर से संगरिया रोड से रासुवाला इन्द्रगढ़, सन्तपुरा से भाखरावाली, हनुमानगढ़ से नोहर रोड वाया मसीता वाली हैड, थलड़का रोड मसीतावाली से थलड़का तक बहुत ही खराब है। ऐलनाबाद नोहर रोड वाया शोदानपुरा, लालखा वाली ढाणी, देईदास, नाथवाना से 2 एमएमके, अमरपुरा जालू से 12एमजेडी, मानकसर से फतेहपुर

(श्री गुरदीप सिंह)

रोड खराब है। इसके अलावा 2020-21 के बजट में हमारे विकास पथ की घोषणा की थी, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ एक काम चालू हुआ है और उसमें डेढ़ साल हो गया पर काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो मुख्य नहरें निकलती हैं। एक राजस्थान कैनाल जिसको इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं और दूसरी भाखड़ा सिस्टम। भाखड़ा सिस्टम के अन्दर भी हमारे दो ब्रांचें हैं, एक सादुलसिंह ब्रांच और एक करणीसिंह ब्रांच। उनके ऊपर जो पुल बने हुए हैं वे पुल 60 साल पुराने बने हुए हैं जिनकी स्थिति बड़ी खराब है। एक चाईया वाया सादुलशहर रोड 93 किलोमीटर पीपीपी मोड पर बन रही है, पर उसमें आरडी 22 पर पुल नहीं लिया गया। न तो वहां सिंचाई विभाग बना रहा है और न ही पीपीपी मोड वाले ने लिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पुल को पीपीपी मोड वाले को दिलाकर पीडब्ल्यूडी से काम कराया जाए। मेरे जो पुल खस्ता हालत में हो रहे हैं वे आरडी 570, आरडी 599, आरडी 616, आरडी 634, आरडी 654 और आरडी 671 जिसके ऊपर मसीतावाली हैड और बहुत बड़ी नहरें निकलती हैं उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। आरडी 22 और आरडी 37 के 60 साल पुराने पुल हैं। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भाखड़ा नहर है उसमें करणीसिंह ब्रांच के जो पुल हैं वे आरडी 7, आरडी 17, आरडी 26, आरडी 36, आरडी 48, आरडी 54, सादुलसिंह ब्रांच की आरडी 36 और 48 पर ये पुल बहुत खस्ता हालत में हैं इसलिए दुबारा पुल बनाए जाएं।

हमारे कृषि उपज मंडी से हमारे सिंचित क्षेत्र को पानी मिलता है, हमारे पक्के खाले बने हुए हैं, उसके अन्दर जो रास्ते आते हैं, हमें दो-तीन साल से पुलिया नहीं मिल रही, हमारे खाले खराब हो रहे हैं, हमें जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है और वह पुलिया भी कृषि उपज मंडी से बनाई जाए।

एक मेरी मुख्य मांग जो संगरिया शहर की है, संगरिया दो भागों में बंटा हुआ है, बीच में रेलवे लाइन है, उसके अन्दर सी-50 आरयूबी मंजूर हुआ था 2018 के अन्दर, 3 करोड़ 29 लाख से, उसके बाद बार-बार वहां पर अधिकारी चेंज होते रहे, हमारे वहां पर ईओ नहीं थे और टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। मैंने मंत्री महोदय से मिलकर 6 मार्च, 2020 को एजेंसी चेंज करने को लिखा था, पर मंत्री महोदय ने एजेंसी चेंज नहीं की, नगरपालिका को एजेंसी रखी। उसके बाद जो टेण्डर प्रक्रिया हुई तो उसका जो बजट रिवाइज हुआ, बजट रिवाइज होकर 8 करोड़ रुपया हो गया, उसके बाद भी सचिव

(श्री गुरदीप सिंह)

महोदय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है पर 21.10.2020 को समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मीटिंग थी, उसके मिनिट्स जारी नहीं हुए और उसके आगे की कार्यवाही ठप पड़ी है। मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरे आरयूबी को बनवाया जाए।

मेरी कुछ नई सड़कों की मांग है। मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अन्दर, हनुमानगढ़ रोड से 73 आर.डी. हैड तक, चक 4 आरटीपी व चक 12 एसबीएन, 73 हैड से 3 एमजेडी रोड तक, 1 एमएमके, 4 एमजेडी, 3 एमजेडी, संगरिया श्रीकृष्ण गोशाला से 2 एमजेडी स्कूल तक चक 2 एमजेडी, श्योपत सिंह की ढाणी से नाथवाना तक 3 एमजेडी व 8 एनटीडब्ल्यू, 3 एमजेडी गुरजंट सिंह की ढाणी से नाथवाना तक चक 3 एमजेडी, 8 एनटीडब्ल्यू, नाथवाना से एमजेडी नहर तक बावरियों की ढाणियों का रास्ता चक 1 एमजेडी, नाथवाना रोड से 5 एनटीडब्ल्यू स्कूल तक 5 एनटीडब्ल्यू (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट, सर। संगरिया से सादुलशहर रोड से 8-9 एनकेआर से शाहपीनी तक, किशनपुरा उतरादा से सिंहपुरा शाहपीनी तक, हरिपुरा से ढाबा तक, 2 आरटीपी ढाबा से संगरिया तक, नुकेरा से संतपुरा तक, चक हीरासिंह वाला से लम्बी ढाब तक, नुकेरा से लम्बी ढाब तक, 12 एमजेडी से किकरवाली तक, खिनानियां से हरियाणा बार्डर तक, पिरकामडिया से बाबा भोला गिरी की कुठिया से 12 एफटीपी (बी) तक, परिकामडिया से सलेमगढ़ तक, पन्नीवाला से कमरानी तक, चक 11-12 एसएलडब्ल्यू से 3-4 केएसपी सड़क तक, सुरेवाला से कुलचन्द्र चन्दूरवाली रोड तक, साबूआना खारा खेड़ा रोड से एसबीएम नहर के ऊपर से लेकर संगरिया टिब्बी मार्ग तक, चक 4-5 आरडब्ल्यू (बी) से मोटाचकताक, कमरानी से तारासिंह की ढाणी तक। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका तहेदिल से धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़कें व पुल पर अपने विचार रखने के लिए मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले इस बजट में जो मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी, झुंझुनूं से राजगढ़ 151 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से बनने वाला रोड व राजगढ़ से भादरा 126 करोड़ रुपये 72 लाख रुपये, जो स्वीकृति बजट में दी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। बहुत लम्बे समय से यह जो मेजर रोड है भादरा से सीधे झुंझुनूं को जोड़ता है, हम इससे वंचित थे, काफी गड्ढ़े थे और

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

काफी लम्बे समय से प्रयास थे कि ये चीजें जल्द दुरुस्त हों और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं और सदन में काफी बार चर्चा पर्यावरण पर भी रही। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि जयपुर से जब राजगढ़ की तरफ रवाना होती हूं तो मैंने दोनों तरफ कई बार ध्यान देने की कोशिश की और मैंने महसूस किया, अगर फर्क देखती हूं हरियाणा के नेशनल हाईवे और अपने नेशनल हाईवे के अन्दर कि दोनों तरफ हरियाणा में पेड़ लगे हुए हैं, जैसे ही कोई भी हाईवे डवलप हुआ तो उसके साथ-साथ पेड़ लगा दिये गये। क्या राजस्थान में यह प्रावधान नहीं है? जो नेशनल हाईवे अथोरिटी है, उसकी हर स्टेट के साथ अलग पालिसी हो जाती है क्या? हम पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दें और जो पेड़ों की कटाई होती है, मेरे ख्याल से तो जो ठेकेदार बनाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने पेड़ वह काटता है वैसे पेड़ वो वहां पर उगाये भी और उसकी जिम्मेदारी है कि वे अच्छे से पनपे भी। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

दूसरा, कई बार बहुत शार्प मोड़ होते हैं, वे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। मैं एनएच-52 की जरूर बात करना चाहूंगी। एनएच-52 जब हरियाणा बार्डर झुंपा से हम एन्ट्री करते हैं तो वहां पर दो-लेन से यह स्टार्ट है और एनएच-52 जो सुजानगढ़, फतेहपुर, राजगढ़, चूरू की तरफ जाता है और सालासर धाम को भी जोड़ता है, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु पैदल यात्रा पर भी निकलते हैं। सभापति महोदय, ऐसा कोई दिन नहीं है, वहां पर एक्सीडेंट न होता हो। फतेहपुर-राजगढ़, झुंपा बार्डर तक तो इतने बुरे हालात हैं कि उस सड़क के ऊपर आप ओवर-टेक नहीं कर सकते हो। ओवर-टेक करने का मतलब मौत को बुलावा देने वाली सी बात है। यहां पर मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि नेशनल हाईवे है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि केन्द्र सरकार को हम अवगत कराएं कि इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, जनहानि होती है, तो इसकी तरफ ध्यान देते हुए जल्द से जल्द फोर-लेन इसे बनाया जाए।

साथ में, क्योंकि आज समय काफी कम है, लगभग हर सदस्य को आपने 5 मिनट देने की बात रखी तो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

रखूंगी। शकुंतला जी कह रही हैं कि आपको दस मिनट दे देंगे। सभापति महोदय की कृपा हो जाएगी तो वह हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आरयूबी के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। सादुलपुर से हनुमानगढ़ रेलवे ट्रैक पर, जो कि विद्युतीकृत हो चुका है और ऐसे में सिद्धमुख धांगड़ा के रास्ते के ऊपर खेतों के लिए क्योंकि कटोनी रास्ता है, काफी पुराना रास्ता है, ऐसे में काफी बड़ा रकबा किसानों का दोनों साइड में है, ऐसे में इन किसानों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है दूसरी तरफ खेतों से जाने के लिए और ऐसे में विवाद का कारण भी बनता है, क्योंकि कटोनी जो रास्ता था, वहां रेलवे ट्रैक बनने की वजह से, अब उसकी क्रासिंग नहीं है। ऐसे में किसानों के साथ ज्यादातर लड़ाई-झगड़े जैसी व्यवस्था बनी रहती है और दूरी भी काफी तय करनी पड़ती है। एक तो मेरी मांग है कि सिद्धमुख नरवासी जो रेलवे स्टेशन है, इसके 145/0 से 145/1 के बीच में आरयूबी का निर्माण करवाया जाए।

दूसरा, एक बहुत ही मेजर ट्रैक है, सादुलपुर-दिल्ली, ये ट्रैक काफी बिजी भी है रेलवे का ट्रैक और इसका भी विद्युतीकरण हो चुका है। इसी बीच दो मुख्य तौर पर मैं मांग करना चाह रही हूं। बोझाड़ से हमीरवास के गांव के जो वासी हैं इनका भी रकबा दोनों साइड है, जो रामपुरा बैरी, हरपालू, जो रेलवे स्टेशन है, इसके 205/2 और 205/3 के बीच में और साथ में रामपुरा बैरी, हरपालू इसी स्टेशन के बीच में कीरतान से रेवड़ लगभग 20 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, 199/3, 199/4, इन तीन ऐसे मेजर आरयूबी की जरूरत हैं, क्योंकि विद्युतीकरण के कारण हमारे काफी किसान इसमें प्रभावित हैं। लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है तो मैं जरूर इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब मंत्री जी का रिप्लाई हो तो इसका उत्तर आप जरूर दें।

सभापति महोदय, सादुलपुर शहर जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग तीन वार्ड ऐसे हैं, जिसमें सादुलपुर स्टेशन से एक तो हनुमानगढ़ और हिसार के लिए रेलवे लाइन निकलती है और एक सादुलपुर से दिल्ली की तरफ निकलती है और दिल्ली से आने वाली जो हमारी गुड्स ट्रेन हैं, वहां बाईपास निकाला गया, शहर में घुसने से पहले दिल्ली की तरफ आते हुए हिसार की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ, ऐसे में ये तीन-चार वार्ड ऐसे हैं, जो तीनों तरफ से बिलकुल रेलवे लाइन के बीच में आ चुके हैं और ये माइनोरिटी का मौहल्ला

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

है। मैंने पिछले बजट में भी यह बात रखी थी कि यहां पर आरयूबी की जरूरत है, ऐसे में पूरा मौहल्ला तीनों तरफ से रेलवे लाइन से गुजरने के बाद काफी प्रभावित है तो उनके आवगमन में काफी कठिनाई है और खासकर के उन्हें कब्रिस्तान तक जाने के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक वैसे ही, मैं यह बात इसलिए भी आपको बताना चाह रही थी कि शहर में लगभग ऐसे पांच क्रासिंग हैं, जिससे पूरा शहर, छोटा सा शहर है और वह प्रभावित है, तो एनएच-52 और एनएच-709 इसके लिए शहर को दुविधाओं से निजात दिलाने के लिए हमें रिंग रोड की आवश्यकता है तो इस पर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान अवगत कराना चाहूंगी।

सभापति महोदय, 709 नेशनल हाईवे जो एनएच-52 को जोड़ता है और यह शहर के अन्दर से गुजरता है और बहुत ही मेजर रेलवे लाइन होने के कारण और मैंने बताया काफी व्यस्त होने के कारण यह रेलवे फाटक जो है, लगभग बंद रहता है और नेशनल हाईवे से आने वाले हैवी व्हीकल्स भी वहीं से गुजरते हैं तो काफी लम्बे जाम से भी हमें गुजरना पड़ता है और काफी लम्बे समय से मांग रही है आरओबी की। हर बार यह सोचा जाता है कि अब बनेगा, अब बनेगा लेकिन कोई भी उसका जिम्मेदारीपूर्वक जवाब हमें कभी नहीं मिलता है तो इसके लिए भी मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के इस छोटे से शहर राजगढ़ में जल्द से जल्द आरओबी बनाया जाए क्योंकि एक साइड इसमें अपने हास्पिटल भी हैं, शहर दूसरी साइड है और काफी गम्भीर जो हमारे रोगी होते हैं उन्हें हास्पिटल पहुंचने में भी दिक्कत आती है और मैं धन्यवाद देती हूं हमारे चिकित्सा मंत्री को कि हमारी सरकार आने के बाद हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं काफी अच्छी हुईं। इससे हमारे जो शहरवासी हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र के जो वासी हैं, उनका चिकित्सा पर भरोसा हुआ और वे यह सुविधाएं ले रहे हैं तो ऐसे में हमारी जरूरत भी है।

साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जिनके ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगी जिनमें से साखंड ताल से नोरंगपुरा जो कि मंड्रेला रोड से पिलानी की तरफ जुड़ेगा काफी पुराना यह रास्ता है, इसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। हमीरवास से दंदेऊ मोहन सिंह वास, लाल सिंह से नवा यह ऐसी रोड हैं माननीय सभापति महोदय, जिनको हम एनएच-709 से जोड़ सकते हैं और जिससे आवागमन काफी दुरुस्त हो सकता है। साथ में भरिंडा से बेसली बहुत बड़ी पंचायत है और ऐसे गांव अपनी पंचायत से नहीं जुड़े हुए हैं। गालड़ से रामसरा ताल अगर मैं बात करूं तो राजगढ़ से गालड़ की दूरी लगभग 60

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

किलोमीटर है और ऐसे में लोगों को राजगढ़ में अपने कार्य करने के लिए काफी दूरी का निर्वहन करना पड़ता है और अगर रामसरा ताल से जोड़ दिया जाता है तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। कांदरान कालरी एक पंचायत हैड क्वार्टर से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। बिंजास अछाबुर पंचायत हैड क्वार्टर से अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। ग्वालीसर से बटोड़ लम्बे समय से मांग रही है। ठीक इसी तरीके से सुलकणिया छोटा पंचायत से उसका गांव डिंगली भी अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है। ठिमाऊ से डिंगली गांव तक जोड़ने के लिए भी ग्रामवासियों की लम्बे समय से मांग रही है और ठीक इसी तरीके से चूकियागढ़ से रामसरा टीबा भी बहुत लम्बे समय से मांग रही है तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यह जो मेरी मांगें हैं उन पर जरूर मंत्री जी ध्यान देंगे क्योंकि काफी लम्बे समय से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र को वंचित रखा गया है विकास के मामले में। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जिस तरीके से आश्वासन दिया और जिस तरीके से हमारे विधान सभा क्षेत्र के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं और उम्मीद करती हूं कि इसी तरीके से उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति जी, आभार। जब भी सड़कों पर चलते हैं तो यह ख्याल जरूर आता है समस्त देशवासियों के कि अगर वाजपेयी जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते तो इस देश की सड़कों का क्या हाल होता। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आप यह देखिए भारतमाला योजना, ग्रीन एक्सप्रेस-वे कोरिडोर योजना, ऐसी योजनाएं, जो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और जिसका उदाहरण आज आया कि इस वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन भारत ने नया कीर्तिमान बनाया, 29.81 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण प्रतिदिन केन्द्र सरकार ने करके दिखाया है। यह अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है और साथ में जो टोल में बदमाशियां होती थीं, वह केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 104-105 करोड़ का डेली फास्टैग कलेक्शन आ रहा है, जो लूपहोल्स थे उन लूपहोल्स को भी कवर किया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण में वह पैसा काम आएगा। मैं मांग करना चाहूंगा माननीय सभापति जी, आपके द्वारा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं कि यह ऊंट के मुंह

(श्री सुमित गोदारा)

में जीरा जैसी बात है, 5 करोड़ आपने सड़कों का दिया है प्रत्येक विधायक को और बड़े गर्व से मेजें थपथपा रहे हो। ढाई साल हो गए हैं, अभी तक एक इंच भी सड़क नहीं बनी नहीं है तो किस बात की खुशी कर रहे हो। मैं मांग रख रहा हूं समस्त विधायकों की ओर से कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं कि सड़क का 10 करोड़ कम से कम बजट किया जाए मिसिंग लिंक के नाम पर और सड़क रिपेयर के नाम पर, तब यह कुछ न कुछ होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 8 किलोमीटर मिसिंग लिंक और मुझे ध्यान है पिछली बार मैं चुनाव हारा था पर इतनी सड़कें बनाईं कि ठेकेदार भी बोलता था कि क्या सड़कें बनाई हैं और सब का पेमेंट भी हुआ, पर इस सरकार में न तो आप पेमेंट कर पाये हो क्योंकि सड़कें बना नहीं रहे हैं, बुरा हाल आपका है।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरे उधर बीकानेर में कालू से श्रीडूंगरगढ़ बीदासर पीपीपी मोड पर 82 किलोमीटर सड़क का टेंडर सितम्बर, 2018 में हमारी सरकार के समय में हुआ, ढाई साल हो गए अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया आपके द्वारा। वहां के समस्त लोग और जन प्रतिनिधि हर समय मांग करते आये हैं, पर अभी तक सड़क का कार्य आपसे शुरू नहीं कराया गया है। मैं आपके द्वारा मांग रखूंगा कि जो चौथे सत्र में प्रश्न नंबर 6009 और अनेक बार मैंने विधान सभा में मांग उठाई, हमारे बीकानेर बाईपास से नापासर से सिंथल मूंडसर सड़क निर्माण का पीपीपी मोड पर उसको मंजूर किया है पर उस पर काम जरूर कराएं क्योंकि आपकी सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम होते नहीं हैं। ढाई साल आपके हो गए, अब एक डेढ़ साल बचा है फिर लास्ट में तो ठेकेदार ही, आपकी छवि ऐसी है, उसको देखकर काम ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि यह कांग्रेस का स्वीकृत है इनका तो काम होता ही नहीं है। इसलिए आपके पास यह एक साल का समय है, ज्यादा से ज्यादा बजट जारी कर जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों में तीव्र गति से काम कराया और विकास पथ की जो आपने घोषणा की वह सिर्फ नाम की है। मेरे एक विकास पथ आधा बना हुआ है, ढाई साल हो गए हैं और आप तुलना करते हो ग्रामीण गौरव पथ से तो मैं लूणकरणसर में कहता हूं कि वहां हमारे उस समय तत्कालीन 56 पंचायतों में से 45 में ऐसे गौरव पथ बने कि जिस पर ग्रामीण चलता है न तो उसे गौरव की अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गौरव पथ बनाये, ऐसे मजबूत गौरव पथ बनाये और आपसे अभी तक एक विकास पथ नहीं बना। हमसे दो विकास पथ के प्रस्ताव और लिए पर वह कहां गए पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि 5 किलोमीटर आप हमें

(श्री सुमित गोदारा)

मिसिंग लिंक और उस पर दो तो ये झुनझुने पकड़ाते रहो और जनता झुनझुना, आपको 2023 में उसका जवाब देगी जो सड़कों के नाम पर आप जनता के साथ मजाक कर रहे हो।

माननीय सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र की सड़कों की प्रमुख मांग रखता हूं जिनमें नवीनीकरण की आवश्यकता है। मेहराणा से जेसां सड़क है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ डामर का काम रह गया था, बाकी कांट्रेक्टर ने पूरा काम कर दिया और जैसे ही सरकार आई, यह काम रोक दिया और डामर अभी तक नहीं बिछाया गया। ढाई साल हो गए, विधान सभा में प्रश्न उठा लिया, हर जगह बात रख ली, पर इस सरकार का तो क्या, 5 किलोमीटर भी डामर इनसे नहीं बिछाया जा सकता। मांग रखता हूं सिरलपुरा से ढाणी खोडा 6 किलोमीटर, लालेरा से रतनीसर से बालादेसर 5 किलोमीटर, गुसाईसर से सेरेरा 3 किलोमीटर, नापासर से रामसर 2 किलोमीटर, सेरेरा रानीसर 7 किलोमीटर, जामसर दाऊसर 5 किलोमीटर, महाजन गेसूरा रामबाग 7 किलोमीटर, कतरियासर रानीसर 6 किलोमीटर, राजेरा खारड़ा 6 किलोमीटर, मालासर मलानिया 7 किलोमीटर, हिमतासर से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किलोमीटर, अर्जुनसर मिठड़िया 5 किलोमीटर, ढाणी सिबलाई से अर्जुनसर पटा 2 किलोमीटर व 5 किलोमीटर, बिंचुरवालीमुसल के 3 किलोमीटर, खिंयरा खोखराणा बीरमाणा 9 किलोमीटर, चक 247 से नाथवाना 14 किलोमीटर, धीरेरा से सादेरा 5 किलोमीटर, धीरा स्टेशन से खारी 6 किलोमीटर और साथ में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे अंडर ब्रिज का एक भी काम नहीं हुआ। सरकार कई बार प्रस्ताव मांग चुकी है, पर प्रस्ताव मांगते रहते हैं। जब यह प्रस्ताव मांगते हैं तो हमें लगता है कुछ ना कुछ होगा, पर यह लगता है कि यह सिर्फ प्रस्ताव ही मांगते रहेंगे और इस तरह यह समय निकालते रहेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि नाथवाना से चक 247 राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे रेलवे अंडरब्रिज है वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेज चुके हैं उस पर आरओबी बनाने वास्ते। 13 एलकेडी से चक 273 आरडी पर और बेलासर से भादरू, लूणकरणसर रेलवे फाटक नापासर, महाजन, शेरपुरा जैसे प्रमुख कस्बे हैं जिन पर महाजन, शेरपुरा जिसके बीच में यह रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण करने का आपसे आग्रह है।

माननीय सभापति जी, मैं एक आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत नापासर में हमारी सरकार के समय गौरव पथ बना था ढाई करोड़ की

(श्री सुमित गोदारा)

लागत से 3 किलोमीटर और जब से कांग्रेस की सरकार आई है, विधान सभा में 295 के तहत प्रस्ताव दे दिया, अनेक बार मांग जिला कलेक्टर के आगे रख ली, हर जगह रख ली पर उस पर रोड की लाइट इनसे आन नहीं होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है इनसे सड़क कहां से निर्माण होगा, इनसे रोड की लाइट ही रिपेयर नहीं होती है। 2 साल इनको हो गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंडर में वह कार्य है। साइन बोर्ड के बारे में, दिशा सूचक पट्ट के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एनएच में जहां भी काम करें वहां पर दिशा सूचक पट्ट हर जगह मिलते हैं और गांव में भी आजकल समय बदल चुका है। आप से निवेदन है कि दिशा सूचक पट्ट यानी साइन बोर्ड गांव में जहां भी है वहां पर बनाये जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले ज्यादा से ज्यादा। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा और मैं सम्पर्क सड़कों का सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख सम्पर्क सड़कें हैं और लूणकरणसर क्षेत्र, आप 5 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं 10 करोड़ की रख रहा हूं पर लूणकरणसर क्षेत्र के लिए मैं विशेष रखूंगा कि हमारा बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है तो कम से कम 15 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कें लूणकरणसर क्षेत्र के लिए दी जाएं। हर जगह मांग रखते हैं कि हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं पर सबसे पहले आप राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए तो करके दिखाओ, तब हम आपको मानें कि आप केन्द्र से मांग रखो। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ा दिया गया।

माननीय श्री गणेश घोघरा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको दो बड़े पुल दिये। आजादी से पहले से आज तक वहां कोई जा नहीं सकता था। कालापाणा तक रोड दिया इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर धाम को 132 करोड़ रुपये दिये, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज गांवों में जो भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है वह कांग्रेस की देन है। हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की देन है जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़क बनी हैं उससे लोगों को आवागमन में फायदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी वाले खाली असत्य बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। गौरव पथ की जो एक किलोमीटर की रोड बनाई, जो रोड पहले से बनी हुई थी, उसको खोदकर वापस लेपने का काम किया है, इसके अलावा इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ काम नहीं किया है। ये खाली खोखली बातें करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। टीएसपी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र काफी पहाड़ी एरिया है, नदी नाले हैं। ऐसी स्थिति में कई गांव, कई पंचायत सड़क से जुड़ी नहीं हैं। मेवाड़ा बांध पर जो कोडियागौण तालाब है, यह पूरा गांव तालाब के उधर बसा हुआ है। जब पंचायत आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल आना पड़ता है तो उस नाले को पार करके आना पड़ता है। जब दो-तीन दिन बारिश ज्यादा होती है तो उस नाले को पार करके नहीं आ सकते हैं। ऐसी एक दो बार घटना भी हो चुकी है। दो व्यक्ति उसी नाले में बहकर मर गये, लेकिन प्रशासन ने आज तक वहां पर पुल नहीं बनाया है। ऐसी कई जगह हैं जहां मोटर साइकिल भी नहीं जा सकती, पगडंडी से जाना पड़ता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो कपड़े की झोली बनाते हैं, उस झोली में उसको ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है टीएसपी एरिये में, जनजाति बहुल क्षेत्र में। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा ऐसी स्थिति में वहां पर सड़क बनाई जाए तो हमारे बच्चों को वहां आने जाने में सुविधा मिलेगी, शिक्षा भी ले सकते हैं और कोई बीमार हो जाये तो उसको भी समय पर हास्पिटल ले जा सकते हैं।

(श्री गणेश घोघरा)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, नया बस स्टैण्ड डूंगरपुर से देव सोमनाथ तक सड़क सुदृढीकरण और चौड़ाई करने बाबत। सतीरामपुर से पादरडी मझोला तक। धामोद ग्राम पंचायत भवन से हुकी महुडी तक पहुंच सड़क। माण्डवीया तक पहुंच सड़क, गुगा फुला तक, बुनीमाता से नानका नाला तक, मणीपुर से बरण्डा फला तक डामरीकरण, कोडिया गौण से मालमाथा धामोद पहुंच सड़क, नीचला से बलीचा सीमा तक, सुलई स्कूल से मेन रोड पगार तक, कोटावाली बेरी से गुंदीकुआ वन चौकी तक, कोटाणा से रोहनवाड़ा घोडी सीमा तक पैच वर्क, चौड़ाई बढ़ाने बाबत। कालकी माता से हिंगोडी तक, पांचीया फला से चार रास्ता तक पहुंच सड़क सोनिया घाटी तक, कांकरी महुडी पुलिया से मनात फला श्मशान घाट तक। मेन रोड पावर हाउस रामपुर लक्ष्मण मनात के घर से सोमा कचरा मनात के घर तक। मेन रोड से काकतेला तक, मेन रोड से लक्ष्मण राम जी के घर तक। माननीय सभापति महोदय, ऐसे कई गांवों में अभी तक रोड नहीं हुई हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र होने के नाते आज तक भी वहां पर पगडंडी से जाना पड़ता है। किसी की मोटरसाइकिल ली है तो वह भी एक किलोमीटर दूर किसी और के घर रखनी पड़ती है और वहां से पैदल जाना पड़ता है। उस मोटरसाइकिल की भी सुरक्षा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ उस मोटर साइकिल में किसी असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। ऐसी स्थिति में आज भी हमारे वहां पर रोड और पुलिया की सुविधा नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं जो मैंने यह रोड और पुलिया बताई हैं, वह हमारी मांग पूरी की जाये। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क व पुल पर बोलने का मौका दिया। प्रदेश में सड़कों की स्थिति दो साल से बदतर होती जा रही है। नई सड़कों की बदहाल स्थिति से यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह रास्ता है या जानलेवा सफर। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर देते हैं। यह विभाग की दुर्दशा पर आंसू बयां कर रही है। बदहाली का आलम यह है कि कीचड़ से भरा सड़कों का पट है। महोदय, जो सड़कें राजमार्ग गांवों से होकर निकलती हैं वहां कीचड़ का जमाव है। नालियों से पानी मुख्य सड़क पर आकर राहगीरों के लिये परेशानी उत्पन्न कर रहा है।

(श्रीमती शोभा चौहान)

महोदय, सोजत विधान सभा क्षेत्र से अरपडा-बिलाड़ा, जोधपुर राजमार्ग पर दोनों ओर झाड़ियां हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों के द्वारा बार-बार इनको हटाने व राजमार्ग की मरम्मत के लिए कई बार विभाग को बताया गया है, लेकिन विभाग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सोजत में सड़कों की स्थिति यह है कि सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं। जर्जर सड़कें लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही हैं। बड़े-बड़े गड्ढों में बदल चुकी सड़कें वाहनों की दुर्दशा कर रही हैं। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही हैं। मोटरसाइकिल वालों के कमर दर्द की बीमारी जन्म लेने लगी है। सड़क पर उड़ने वाली धूल लोगों को बीमारी का शिकार बनाती जा रही है। सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो रही है। साथ ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें तो दूर, कच्ची व ग्रेवल सड़क भी नहीं है। सोजत में मगरा क्षेत्र में कई राजस्व गांव सांडमगरा, गजनई, सालरमाला, रोडावास, भंवरभाड़ा, सरूपा इत्यादि राजस्व गांव हैं। यहां आज दिनांक तक पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। महोदय, यहां कोई प्रसूता, बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाता है तो विडम्बना की बात है कि इनको चारपाई पर 20 किलोमीटर दूर-दूर तक अस्पताल लेकर जाते हैं। अधिकांश लोग, प्रसूताएं तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। महोदय, शर्म की बात है कि इस आधुनिक युग में भी इनके आवागमन की व्यवस्था नहीं है। मुख्य समस्या तो तब खड़ी होती है जब बारिश के मौसम में नदी नाले बहने लगते हैं और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। यहां पुलिया/रपटों का निर्माण भी नहीं है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ में न्याय तब ही होगा जब इन राजस्व गांवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ा जायेगा क्योंकि यह गांव बारिश के मौसम में टापू में तब्दील हो जाते हैं और आने-जाने का रास्ता तक बंद हो जाता है जिसके कारण वहां निवास कर रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की राशि अंकित की गई है, लेकिन अधिकारी पूछने पर भी यह बताने को तैयार नहीं है कि यह पैसा कहां जाता है। महोदय, अधिकारी कह रहे हैं कि राज्य सरकार से सड़कों के निर्माण हेतु एक पैसा भी नहीं आया है। यह सरकार या तो वित्त नहीं भेज रही है या अधिकारियों की कार्य मंशा नहीं है। महोदय, माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सोजत व रायपुर खण्ड में 85 से ज्यादा ऐसी

(श्रीमती शोभा चौहान)

ग्रामीण सड़कें हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। रूपावास, बुटेलाव, गोदेलाव, मेव, मोडावास, शिवनगर, पांचवां, देवासियों की ढाणी, बोयल, देवलीकलां रामासनीबाला, रेपडावास, जाडन से सुरायता, छितरिया, खोखरा, हरिपुर, अरपडा खरिया नींव पिपलिया इत्यादि गांवों में सड़कों की स्थिति बदतर है। इसलिए इस बार सोजत उपखण्ड को अधिक बजट उपलब्ध करवाया जाये।

महोदय, पश्चिमी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां सड़कों की व्यवस्था नहीं है। सड़कें परिवहन का मुख्य मार्ग हैं। सड़कों के माध्यम से आवागमन करके जनता रोजगार की तलाश में जाती है, परन्तु जिन गांवों में सड़कें नहीं हैं वे लोग 10-20 किलोमीटर रोज पैदल चलकर रोजगार के लिये पलायन करते हैं। महोदय, मैं सोजत से चुनकर आयी हूं वहां की जनता जवाब मांगती है। मैं वहां एक-एक गांव, ढाणियों, बेरों पर जाती हूं तो महिलाएं लाचारी पर आंसू बहाती है। मैं सरकार से ज्यादा आशा भी नहीं करती हूं लेकिन राजस्व गांवों को मुख्य सड़कों को जोड़ा जाये ताकि घायल, बीमार व्यक्तियों को उचित समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके। शर्मसार करने वाली घटनाएं तब होती हैं जब एक प्रसूता चारपाई पर सिर्फ सड़क मार्ग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण दम तोड़ देती है।

(17.00 बजे)

महोदय, मुझे सोजत के रहवासियों की पीड़ा मालूम है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि समय रहते हुए इन सड़कों व पुलों का निर्माण करवाया जाये और गरीब जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह नहीं हो।

महोदय, बस यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के अधिकारियों को कर्तव्य वहन करने के लिए निर्देशित करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल। सड़क के मायने राह, रास्ते अति महत्वपूर्ण हैं। सड़कों से पता लगता है कि ये गांव, यह कस्बा, यह शहर, यह प्रदेश कैसा है। सभापति महोदय, सड़क की व्यथा पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं:-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मैं बोलती नहीं हूं, रोकती नहीं हूं, टोकती नहीं हूं,
लेकिन मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हूं
मुझसे और मेरे यहां से गुजर गयी सारी दुनिया,
मुझसे मेरा हाल किसी ने नहीं पूछा,
मेरे ऊपर तुमने थूका, आपस में गिर-गिर पड़े,
दौड़-दौड़कर आपस में भिड़-भिड़ मरे,
तुम्हें याद नहीं, मैं सड़क हूं, राह हूं, उड़ने के लिए हवा नहीं हूं,
जिस दिन तुमने जन्म लिया, मां के आंचल का दूध पीया,
वह लम्हा भी कितना खुशनसीब और हसीन था,
मैं राह हूं, सड़क हूं, मैं हवा नहीं,
आपको जीवित देखना चाहती हूं,
तेरी मां के दूध के आंचल,
वो गोद की बाहें तेरी राह देख रही हैं, घर आने की
मैं सड़क हूं, मैं राह हूं, मैं बोलती नहीं हूं,
बोलती नहीं हूं, इंसान जब तेरे लहू से मैं नहाती हूं
तो मैं रोती हूं, मैं सड़क हूं, मैं राह हूं, मैं हवा नहीं हूं।
अरे बुद्धिमान इंसान क्यों भाग रहा है, मौत के मुंह में,
तेरा जिक्र, तेरा फिक्र, तेरा नाम रह जाएगा,
मैं सड़क हूं, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाती हूं
मेरी धरती के पंछी तुम ही भले,
चहकते हुए लाखों की संख्या में उड़ते चले जाते हो,
ऊपर टकराये नहीं कभी आपस में, भिड़े नहीं, उनसे ही सीख लो,
कम से कम पंछी सीख लें, धीरे चलें, अपनी मंजिल पहुंचे,
मैं सड़क हूं, मैं तेरी राह हूं, मैं हवा नहीं हूं।

ये आप सब पर भी जाहिर होती है, क्योंकि आप दौड़ते चले जाते हो।

सभापति महोदय, अभी विपक्ष के साथी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं पूरे पांच साल विपक्ष में रही, हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने पक्ष-विपक्ष नहीं देखा। सभी विधायकों को पांच-पांच करोड़ रुपये दिये, कम से कम उसी के लिए धन्यवाद दे देते। पिछली सरकार ने विपक्ष के विधायकों को पांच रुपये तक नहीं दिये। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
ऐतिहासिक फैसला किया, इतना बड़ा दिल रखा। ऐसा काम कांग्रेस की सोच और विचारधारा ही कर सकती है, बीजेपी नहीं कर सकती।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में एक भी 500 की आबादी के राजस्व गांव को सड़कों से जोड़ने का काम नहीं किया। पूरे पांच वर्ष में, यह मेरा चैलेंज है और कह रहे हैं कि क्या किया? सरकार बनते ही, कोई पक्ष-विपक्ष नहीं, 500 की आबादी वाले गांव जोड़े हैं, लेकिन इनको सदन के बीच में कहने में शर्म आ रही है। सड़कों का नवीनीकरण हो, जोड़ने की बात हो, एक चांदपुरी की पुलिया थी, एक मांछी की मांग पिछले सदन में मांग उठायी थी कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, उसे बनाने की आवश्यकता है, लेकिन पांच साल तक बोलने के बाद भी एक रुपये की कोई रोड मंजूर नहीं की, यह कितनी बड़ी शर्म की बात है। अब सरकार बनते ही वे दोनों नये पुल बन गये। बिल्कुल देख सकते हैं, चांदपुरी देख आओ और मांछी भी देखकर आ सकते हैं।

सभापति महोदय, उससे भी बड़ा उदाहरण है। भारत के मंत्री गडकरी जी आये थे और कोटपूतली की पुलिया जब धंस रही थी तो वहां घोषणा कर गये कि इसको इतने दिन में नया बना दिया जाएगा। जयपुर से दिल्ली तक रोड को नया बनाकर नवीनीकरण किया जाएगा, पुल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बड़े-बड़े भाषण अख़बार में और टीवी में थे। सभापति महोदय, आज तक एक कंकर गडकरी महोदय ने यहां नहीं भेजा, एक कंकर ही भेज देते, लेकिन नहीं। सभापति महोदय, कह रहे हैं कि भारत सरकार ने ये किया, वह किया। कहकर भेजो न, भारत सरकार को, आप लिखित में तो कम से कम भेजो, जो बड़े रोड हैं, हाईवे रोड हैं, पीएमजेएसवाई में उनको स्वीकृत करके देखें। कोई भी राजस्व हो, चाहे जीएसटी हो, कोई भी, राज्य सरकार को जो फंडिंग देनी चाहिए, वे सारी फंडिंग तो बंद कर दी और फिर कह रहे हैं कि राज्य सरकार करे।

सभापति महोदय, जो कुछ फंडिंग चाहिए, सारी भारत सरकार को ही चाहिए। सारा पैसा वहां ले जाते हैं और हमारे राजस्थान का हक हमें नहीं देते हैं। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ और रिकार्ड उठाकर देखें कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने पक्ष-विपक्ष नहीं देखते हुए अब की बार और पिछले बजट में भी जो घोषणाएं कीं। रिकार्ड उठाकर देख लें कि पिछली बीजेपी सरकार के बजट में विपक्ष के लिए एक घोषणा नाममात्र की दिखा दें, कोई घोषणा नहीं की। इनका दिल बड़ा नहीं है। इन्होंने क्या सीखा है? जिस तरह से राजस्थान की बंधेज की चुनरी होती है, उसमें चमक होती

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

है। इस तरह आरएसएस के जो कैंप लगते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ना सीखा है, विपक्ष में लड़ना सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा।

सभापति महोदय, मेरी कई मांगें हैं। मेरे कई रोड मंजूर हो गये, जो 500 की आबादी वाले थे, चाहे चौढ़ानिया है, ढाकला है, बहुत सारे हैं। (व्यवधान) कांग्रेस की सरकार प्रतिभा की पहचान करती है, तुम्हारी तरह नहीं। सभापति महोदय, बताऊं ये बार-बार क्यों कहते हैं, मुझे दो मिनट एक्स्ट्रा देना, कि फलांने को मंत्री नहीं बनाया, फलांने को संतरी नहीं बनाया। ये सोचते हैं कि हम किसी तरह का लोभ और लालच देकर उधर से इधर लाएं, लेकिन यह सरकार इनके प्रयासों से हिलने वाली नहीं है। यह घौंसला पक्का है, यह बया का है। इसको तोड़ नहीं सकते, कोई कौए का नहीं है, +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप भी इस कुर्सी से हिलने वाली नहीं हो। आप भी इसी कुर्सी पर विराजी रहेंगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ईश्वर से दुआ और कामना करती हूं कि मैं जीऊं तब तक इस कुर्सी पर आती रहूं यही मेरी कामना है। मुझे और लालच और इच्छा नहीं है।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी दुआ कबूल हो, हम ऐसे ही बैठे रहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राठौड़ साहब, यह कुर्सी तो भाग्यशाली को मिलती है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नारायणपुर और बानसूर दो तहसीलें लगती हैं। दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों के एक्स.ईएन. बहरोड़ और थानागाजी बैठते हैं तो एक एक्स.ईएन. आफिस खोलने का कष्ट करें, जिससे कि विकास के कार्य जल्दी हो सकें। नारायणपुर और बानसूर में कहीं पर भी एक गैस्ट हाउस नहीं है। अगर विधायक कोष से लें तो उसमें भी हम देने को तैयार हैं। पिछली सरकार ने नाम के लिए वापस उसको कैंसिल कर दिया कि हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, विधायक का नाम नहीं लिखें, इसलिए इस कारण से द्वेषता से कैंसिल कर दिया था तो उसे अब बनाने का कष्ट करें। तहसील भवन हो या एसडीएम आफिस या बिजली के जो नये आफिस खोले जाएंगे, एक मिनी सचिवालय बनाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जिस रोड का पिछली सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया था, ज्ञानपुरा से एक अधूरा रोड है जो खरखड़ी कलां, खरखड़ी खुर्द होता हुआ जाता है वह अधूरा है। उसे दिखवाया जाए। बानसूर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

की कई रोड स्वीकृति हो चुकी हैं, लेकिन बाहर के ठेकेदार, पता नहीं क्या कारण है, उसके कारण बीच-बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए वहां के स्थानीय या जिले के ठेकेदारों के लिए अगर प्रक्रिया बने तो ज्यादा अच्छा होगा। वे सारे काम छोड़कर, सारे काम साल-साल भर तक पड़े रहते हैं। जयसिंहपुरा छींड की घाटी है, ओड़ा की घाटी। सभापति महोदय, आपकी देखी हुई है। उसमें एक साथ 17-15 ऐसी मौतें हुई हैं। सम्माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी भी गये थे, जब वहां मूंडली की 17-18 महिलाओं की एक साथ मृत्यु हुई थी, उस घाटी को सही कराने के लिए अभी 40 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं। लेकिन एक ठेकेदार आया, वह छोड़कर चला गया। अब दूसरा ठेकेदार आया है, क्या करेगा? उसमें और भी ज्यादा खोद-खोदकर चले जाते हैं तो दुर्घटना की संभावना बन जाती है। उसे तुरन्त करने की आवश्यकता है। जैसे कुशालगढ़ से मुंडावरा स्टैण्ड तक जो सड़क मंजूर हुई है वह भी मंजूर है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। नीमावाली ढाणी की भी अधूरी है। ये छोड़कर चले गये हैं। ज्ञानपुरा वाली भी अभी अधूरी है खरखडी खुर्द तक। इस तरीके के जो अधूरे काम हैं, उन्हें किया जाए।

नवीनीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण एक रोड है जो नारायणपुर से धाबाई की ढाणी की ओर जाता है, बीच नारायणपुर कस्बे के अन्दर से (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो उसे भी बनाने की आवश्यकता है। ज्ञानपुरा अवाना की ढाणी होता हुआ गूता से बहरोड़ तक है। नवीनीकरण के लिए एक मुंडावरा से कानपुरा होकर अजबपुरा तक जा रहा है, नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है। रायली से खागाली होता हुआ बाबरिया रोड तक, भगुका बास से बाडाली होता हुआ छाबडीवास तक, एक ताल वृक्ष से बोधशाला स्कूल होता हुआ शीतलनाथ जी तक, जो धार्मिक रोड में हम दे सकते हैं। एक माजरा डाकोडा से जिन्दडा की ढाणी, नाथा का नांगल होता हुआ बधीण की सीमा तक, एक मुंडावरा से बुमला की ढाणी होता हुआ अजबपुरा रोड तक, कानपुरा से लोज डोई वाली, गढ़ी से लादूवास तक, खरखड़ी से बुर्जा और मालेरा तक, खटीकान होता हुआ मेहर की ढाणी जो आडीगेली से जाएगा ये रोड।

सभापति महोदय, चतरपुरा रोड से बागड़ी की ढाणी तक, हरसोरा से जगु का बास, बिस्ना की ढाणी-चतरपुरा से लाखोड़ा होता हुआ, ये मंजूर भी है, क्यों अधूरा है, समझ में नहीं आ रहा है। नरबद का बास होता हुआ जीएसएस नारायणपुर तक निकल रहा है। साहिबा की ढाणी से आलनपुर होता हुआ स्कूल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

के आगे से बहरोड रोड तक, नारायणपुर से मालोड़ी, एक गौरव पथ स्वीकृत हुआ था, उसका भी ठेकेदार छोड़कर चला गया। एक मुंडावरा स्टैण्ड से हाईवे 13 नारायणपुर बाईपास से लीलामडा होता हुआ, बानसूर के मिसिंग लिंक के जो रोड हैं, बबेरा से डीजेंडा, बास दयाल से हाशियाबास, नृसिंह की ढाणी से कोटपूतली सीमा तक, तुराना से कोटपूतली तक, भेडीवास से सलामपुरा, भुटेरी से टापरी तक, ये जो एक दूसरी तहसीलों को जोड़ने वाले रोड हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट किया जाए।

सभापति महोदय, एक और है, ये जो पुल बनाने की आवश्यकता है, जो कोटपूतली जयपुर रोड है, इस पर एक बानसूर रोड और जैनपुर बास रोड है, वहां पर पुल बनाने की आवश्यकता है। जैसा कृष्णा जी ने कहा कई रोड बन गये हमारे नये, लेकिन उनके किनारे जो बहुत सारे पेड़पौधे थे, लाखों के हुए होंगे शायद पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिया, जिसने भी लिया, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पर वापस लगाये जाने की आवश्यकता है। यह मांग कृष्णा जी ने भी उठाई थी। स्कूलों के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है। उन पर ब्रेकर बनाने के बाद जो व्हाइट कलर करते हैं, वह तुरन्त होना चाहिए। ब्रेकर बनाने के बाद जब कलर नहीं होता है तो वहां दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क और पुल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एक बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सड़क और पुल। इससे सफर भी सुगम रहता है और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। इससे अपने क्षेत्र का विकास भी होता है जिससे राज्य का भी विकास होता है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की समस्याओं और मांगें आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं। इस बार मैं शुरू करूंगी दमदमा से। इसकी बात करूंगी मैं पचपहाड़ की सड़क से। यह गांव कोलाना पंचायत का एक मात्र राजस्व गांव है। अभी तक यहां के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। यहां की आबादी लगभग 700 की है और यहां से रानपुर जाने के लिए इनको उलटा जाना पड़ता है। बालिकाएं पढ़ने के लिए रानपुर जाती हैं और इस सड़क की परेशानी की वजह से कई बालिकाओं की पढ़ाई भी छूट रही है। सरकार ने गांव को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की बात की,

(श्रीमती कल्पना देवी)

इसलिए भी मैं आपको बोलूं कि दमदमा से कोलाना पंचायत जाने के लिए कितनी समस्या आती है, यह भी देखने का विषय है।

सभापति महोदय, दूसरा, रामतलाई से लोग जब पंचायत मुख्यालय जाने की कोशिश करते हैं तो उनको उलटा मांदलिया होकर पूरा एक लम्बा चक्कर लगाकर अपनी पंचायत में जाना पड़ता है, जिसके लिए उनको हर छोटे-छोटे काम के लिए दस्तखत के लिए जाना पड़ रहा है। यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती है जब किसी को हास्पिटल ले जाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आप डाक्टर हैं, आप समझते हैं कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हर मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर देखेंगे तो 15 साल पहले यह WBM सड़क बनी थी। अब 15 साल में यह सड़क बिलकुल जर्जर हो गयी है और खराब हो गयी है। इसके लिए हम जब स्वीकृति मांग रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है कि इसका थोड़ा-सा हिस्सा वन विभाग में आ रहा है। वन विभाग इसके लिए एनओसी नहीं दे रहा है, यह कहकर कि सड़क निर्माण की स्वीकृति होगी तब हम एनओसी देंगे। सड़क निर्माण स्वीकृति इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वन विभाग इसकी एनओसी नहीं दे रही है। इसका समाधान क्या है? कौन इसकी पहल करेगा? कौन पहले स्वीकृति देगा? एनओसी आएगी या पहले स्वीकृति आएगी? आपके माध्यम से मैं यह मांग करती हूं कि सड़क बनाने के लिए मंत्री जी रास्ता निकालें और आदेश जारी करें ताकि यहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

सभापति महोदय, पिछले साल बारिश में कई सड़क और पुल टूट गये थे और क्षतिग्रस्त हो गये थे। हाड़ौती में 100 से अधिक गांवों और खेतों में जाने के रास्ते एक सप्ताह तक बंद रहे। ज्यादा प्रभावित जो नदी के आसपास के गांव थे, उनको दिक्कत आई थी। जिले में ऐसे भी गांव हैं जो 15 दिन तक कटे रहे। इस कारण पिछले साल फसल बीमा योजना में सर्वे करने में भी परेशानी आई थी। इसी पंचायत कोलाना पंचायत में श्यामपुरा का पुल आता है, जो भी बारिश के समय टूट गया था। अब यह पुल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 28 गांवों को जोड़ता है। इसको आप स्वीकृत कराएं और दोबारा बनाने के जल्दी आदेश दें ताकि अभी इस बारिश में इनको परेशानी नहीं आए। दूसरा, एक गांव है नोटाना, जिसका पुल भी काफी नीचे है। वह डूब में आ जाता है और पूरा गांव एक टापू बन जाता है जिस कारण कभी किसी महिला को डिलीवरी के लिए भी ले जाना पड़ता है तो नहीं ले जा सकते। दो साल पहले एक महिला के साथ हादसा भी हो गया था और उसने अपना बच्चा खो दिया था।

(श्रीमती कल्पना देवी)

दूसरा, मानस गांव की पुलिया की बात करना चाहती हूं। मानस गांव की बात करें तो वहां की पुलिया भी पूरी तरह से डूब गयी थी। इसको भी थोड़ा ऊंचा करके दोबारा बनाने की जरूरत है। मानस गांव की बात ही करें तो ताथेड से मानस गांव की सड़क के बारे में बताऊं कि इसकी हालत इतनी खराब है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, यह कहते हैं कि उनका गर्भपात होने का खतरा है। बहुत ही खराब सड़क है। इसको तुरन्त दिखवाया जाए। जब हमने अधिकारियों से इसके बारे में पूछा तो मुझे यह बोला गया कि बरसात के पहले ये सड़क बनायी जाएगी, अब बरसात तो निकल गयी है। मुझे समझ नहीं आया कि कौन से साल की बरसात की बात कर रहे हैं, इस साल की, पिछले साल की या पांच साल बाद की, जो भी है वह मुझे बताएं, किस साल की बरसात में यह सड़क बनाई जाएगी।

सभापति महोदय, अब मैं कैथून बाईपास की बात करना चाहती हूं जो कि आवागमन की दृष्टि से अति आवश्यक है। यहां भारी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें आए दिन ट्रैफिक जाम होते हैं और भारी वाहनों की आवाजाही होने से आम जन के जीवन को भी खतरा है। चुनाव से पहले कई स्वीकृत मुख्य सड़कों का काम शुरू करने के उद्देश्य से उनको खोद तो दिया था, परन्तु आज भी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मेरे यहां स्वीकृत लगभग 60 सड़कें हैं जो कि ऐसे की ऐसी ही पड़ी हैं। अभी कुछ हो नहीं रहा है। इनमें से दो तीन के नाम मैं लेना चाहती हूं। एक है जाखोडा से किशनपुरा, केवल ढाई तीन किलोमीटर की सड़क है। भीमपुरा पंचायत में कैथून से भीमपुरा प्रहलादपुरा सड़क, इसके ऊपर ग्रेवल तो हो चुकी है परन्तु डामर का काम अभी तक नहीं हो पाया है। मवासा मेन रोड से रूपारेल सड़क पर भी ग्रेवल हो चुका है, पर डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। कलम का कुआ से श्यामपुरा तक, ऐसी और कई सड़कें हैं, पर समय का ध्यान रखते हुए, मैं सबके नाम नहीं ले रही।

इसके अलावा ऐसी सड़कें और पुल के बारे में, मैं पूछना चाहती हूं कि इनके कार्य कब प्रारम्भ होंगे। ये हैं बनयानी से कीथलहेडा, झालावाड़ रोड से कलम का कुआ, ताथेड से मानसगांव, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था। अरलिया से परलिया की झोंपड़िया, कैथून से चैनपुरा, गंदीफली से भगवानपुरा, मान्दलिया से हानोतिया, बडोदिया से पीपलहेडी वाया चिपनहेडी, नोटाणा से देवली मछिया।

(श्रीमती कल्पना देवी)

ऐसे ही दो-चार पुल हैं, जिसकी वजह से पूरा सम्पर्क टूट जाता है। न केवल एक गांव का, उनके आगे कई गांव हैं, उनका भी सम्पर्क टूट जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है। इनको बनाने की बहुत आवश्यकता है। मवासा में पीले खाल की पुलिया या मारू भाट खाल की पुलिया, मवासा में चरण चौकी की पुलिया, नोटणा में चन्द्रेसल लिंक रोड पर चन्द्रलोई नदी पर नोटाणा खाल की पुलिया, चन्द्राई नदी पर मानस गांव व चन्द्रेसल के मध्य की पुलिया, सारंगपुर की पुलिया, बाकी मैं आपको इसकी लिस्ट बनाकर आगे भेज सकती हूं।

सभापति महोदय, सरकार की घोषणा के तहत हर पंचायत में एक विकास पथ स्वीकृत था। मेरे यहां पर 19 पंचायतें हैं, पर अभी तक ढाई साल में केवल एक विकास पथ बना है, जो भी पूर्ण नहीं बना है क्योंकि सड़क के किनारे जो नालियां बनती हैं, वे अभी तक नहीं बन पाई हैं। अब इसकी वजह से जो बारिश का पानी है वह सड़क पर तो बहता ही है जो सड़क को तो खराब करेगा, बालिकाओं का स्कूल है उसमें भी बहकर भर जाता है, क्योंकि उसका निकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन बाकी पंचायतों का निर्माण कब होगा, मुझे बताने की कृपा करें। इस चर्चा पर व्यापक मंथन होना चाहिए। सरकार के समक्ष मैं मेरे क्षेत्र की मांगों को रख रही हूं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के अधिकारियों को कर्तव्य वहन करने के लिए निर्देशित करें और मेरे क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी के बावजूद राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों व पुलों का बजट दिया है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है। विश्व में इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी बजट को शानदार रूप में पेश किया। मैं समझता हूं कि पिछले दो साल में सड़कों के काम हुए हैं, राजस्थान की दशा और दिशा बदल दी है। इस बजट को देखते हुए, आने वाले समय में भी लग रहा है कि राजस्थान में जो भी कोई दूसरे राज्यों से प्रवेश करेगा, तो राजस्थान की

(श्री गोपाल लाल मीना)

सड़कों की चमक से उसे महसूस हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने इस क्षेत्र का जो विकास किया है, बहुत शानदार विकास किया है।

राज्य में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 2021 राज्य सड़क नीति बनाई, निश्चित रूप से राजस्थान की सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा, सड़कों की समय-समय पर रिपेयरिंग होगी, यह जो नीति है कारगर सिद्ध होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं क्योंकि इन्होंने इस बजट में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सौगात दी है। इस बजट में मेरे क्षेत्र में मेडी से दूधली मोड एन एच 21 वाया बावनी, बावनी खुर्द साईपुर, आंधी-श्रीरामनगर, बरासना, गांवली, नेवर, मकसुंदनपुरा, चावंड्या की सड़क के लिए 60 करोड़ रुपये की घोषणा की है। पहले भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिए पिछली सरकार 2008 से 2013 थी, 2013-14 में उन्होंने 90 करोड़ रुपये हमारे नकची घाटी से अलवर बोर्डर रोड दी थी। उस रोड को टेंडर होने के बावजूद भी, पिछली सरकार ने उसको कैंसिल किया, वह सड़क आज तक नहीं बन पाई। आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर बार, जब भी आए हैं, उन्होंने जमवारामगढ़ को सड़क दी है। इस बार 60 करोड़ की सड़क दी है, जयपुर, दौसा, अलवर तीनों ज़िलों को जोड़ने का काम किया है। जमवारामगढ़ का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें नदी-नाले, पहाड़ के क्षेत्र हैं, यह रोड बन जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का अलग से विकास दिखेगा और चार चांद लग जाएंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोरेस्ट है, पहाड़ी क्षेत्र है, वन विभाग है, अभयारण्य है, इनकी वजह से हमारे यहां रोड्स का विकास रूक जाता है। वन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करें।

पिछली सरकार 2008 से 2013 तक थी, तब हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर जी हमारे क्षेत्र में गए थे, वहां का अवलोकन किया था। अवलोकन के बाद वहां रोड का काम चला। वहां की एनओसी मिली। हमारे यहां करीबन आठ रोड ऐसी हैं, रोड पास होने के बावजूद वन विभाग की वजह से, वे रोड कैंसिल हो गईं पिछली सरकार में। हमारे समय तो वह रोड पास हो गई थी। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, उसके बावजूद वहां रोड नहीं पहुंच रही। यही महत्वपूर्ण कारण है, उन रोड्स को वन विभाग

(श्री गोपाल लाल मीना)

और पीडब्ल्यूडी, दोनों मिलकर रोड की एनओसी प्रदान करने में सहयोग करे। एनओसी का काम है, उसका सरलीकरण किया जाए, क्योंकि रोड पास कराने के बावजूद उसके लिए एनओसी लगाई जाती है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी रोड बनाए, उससे पहले एनओसी के लिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जहां हम रोड बनाने की बात करते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग उसके लिए पहले एनओसी...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यह क्या है, माननीय सदस्य, इधर आ गए ...(व्यवधान)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): पहले यह काम करना चाहिए, ताकि वन विभाग से उन रोड्स को, निजात पा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं 2013-14 में 90 करोड़ का बजट हुआ था, उसके लिए हमने केवल अभी, हमारी सरकार आने के बाद, उसमें से 6 किलोमीटर रोड तो हमने बनवा दी, लेकिन 2013-14 में जो बजट 90 करोड़ का था, उसकी भरपाई नहीं हुई है।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से उस रोड को पुन: देखकर बनवाने का निवेदन करूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के तमाम विधान सभा क्षेत्रों को 5-5 करोड़ रुपये आपने दिये, यह एक समानता का व्यवहार दर्शाता है। निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जब 5 करोड़ की घोषणा की, उसके बावजूद भी विपक्ष ने मेज़ नहीं थपथपाई। इनके दिल में जगह थी, यह 5 करोड़ रुपये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। अगर यह 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ होंगे तो क्षेत्र में विकास के अच्छे काम हो पाएंगे।

मैं मेरे क्षेत्र की सड़कों के बारे में बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं, जो वन विभाग की वजह से भी रोड नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये रोड बन जाएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों की परेशानी का समाधान होगा। ये रोड हैं रायसर से धारोलाई वाया त्रिलोकपुरा, नवीनीकरण; नीमला-डगोता से बस्सी, नवीनीकरण एवं चौड़ाई; एन.एच. 148 से बामणवाटी, नवीनीकरण वाया नांगल; रायपुर से घोरेट से इन्द्रपुरी से खरड़, नवीनीकरण व चौड़ाई; ताला पुलिया से छोटी बिलौत, नवीनीकरण रोड; रामगढ़ बांध से नकचीघाटी, नवीनीकरण और चौड़ाईकरण; रामपुरा चावंडिया से दौलतपुरा गुसार, धामस्या, नवीनीकरण; टोडा महादेवजी से सामरेड कलां, सुदृढ़ीकरण एवं पुलिया; नीम्बी रोड से केलणवास से सुरेटी, नवीनीकरण; देखला

(श्री गोपाल लाल मीना)

से चिलपिली मोड़ एन.एच. 148, नवीनीकरण वाया धीरावास; नीम्बी से गोपालगढ़, नवीनीकरण; नेवर रोड से गुढा खिंवास रोड तक नवीनीकरण; माणोता रोड से चावंडिया तक नवीनीकरण; नीम्बी रोड से बादियावाला रोड, वाया बिसोरी, कोलेणा, पाली, बादियावाला नवीनीकरण; बामणवाटी से खरड़ तक नवीनीकरण। ये तमाम रोड ऐसे हैं, अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो लोगों को आने-जाने की जो सुविधा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में, यह मैं पुन: कह रहा हूं कि हमारे जो क्षेत्र हैं, वहां वन विभाग और अभयारण्य की वजह से हमारी रोड्स नहीं बन पा रही हैं। इसके लिये रोड पास होने से पहले एन.ओ.सी. लेने का सार्वजनिक निर्माण विभाग काम करे। रोड पास होने के बाद में उस पर एन.ओ.सी. लगाते हैं, तब तक दो साल निकल जाते हैं। यह फाइल चींटी की तरह चलती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी समयसीमा होनी चाहिए, वन विभाग की भी और सार्वजनिक विभाग की भी। अगर आपका रोड पास हो गया तो एक महीने में उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसकी एन.ओ.सी. मिलनी चाहिए तब जाकर वे रोड बन पाएंगे। इन रोड्स के लिये मैंने आप लोगों को जो बताया है, वन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर इस काम को करें। इसी के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें और पुल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

वैसे पूरे बजट सत्र में मेरे हिसाब से एक दिन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्न नहीं आया, जिससे सदन ने चर्चा ही नहीं की क्योंकि उसके सवाल-जवाब हुए नहीं, इसलिये समस्या बहुत लम्बी-चौड़ी है।

पहले तो, माननीय सदस्य, जिन्होंने पूर्व में कहा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये 5 करोड़ की घोषणा हुई, उसके लिये विपक्ष के किसी भी सदस्य ने मेज नहीं थपथपाई। मेज नहीं थपथपाने का कारण यह था कि विकास पथ की पंचवर्षीय योजना लागू की थी, उसकी पहले वर्ष घोषणा की थी, तीन साल गुजर गये, काम ठप। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बागरा से नानावा धवला लेटा के लिये एक मात्र सड़क की बजट सत्र में घोषणा हुई थी, वह सड़क भी आज दिन तक, कहीं टेंडर वगैरह नहीं लगा और काम नहीं हुआ,

(श्री छगनसिंह)

दूसरे बजट सत्र की बात है। अबकी बार भी तीसरे बजट में घोषणा हुई है कि पांच करोड़ रुपये देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले चौथे बजट सत्र में, जब बजट सत्र होगा, तब हम लोग यही चर्चा करेंगे कि 5 करोड़ में, कहीं भी एक ठेंगा भी नहीं दिया, एक ठेली भी नहीं दी, यह होगा। एक सड़क भी नहीं बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। पूर्व में जो स्वीकृत सड़कें थीं, दो छोटी सी पुलियाएं स्वीकृत हैं, बारिश के कारण से टूटी थीं, कवाड़ा का पुलिया, जो मात्र 30 लाख की है। मैंने कई अधिकारियों से पर्सनल वार्तालाप भी किया, अभी तक टेंडर ही लगे हुए हैं, दो साल से वह काम नहीं हो रहा है। 10 लाख का काम अहिपुरा का, उसका भी दो साल से काम शुरू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से बवराणी में गौरव पथ का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन उसको भी नोट स्टार्टेड बनाकर वह काम बंद कर दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार के जो भी अधिकारी और मंत्रीजी, जो इनसे रिलेटेड हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो टेंडर लगे हुए हैं, जिनका काम स्वीकृत है, उनको तो कम से कम शुरू करवाएं, जिससे आमजन का भला होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक सड़क बनी हुई है बी.ओ.टी. रोड है, जिसका टोल लिया जाता है, 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर का रोड है, तीन टोल लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी गम्भीर बात है, तीन जगह टोल लगे हुए हैं और इतने बड़ेबड़े खड्ढे पड़े हुए हैं। अगस्त, 2020 तक उस काम को पूरा करना था और आज दिन तक, जब से रोड बना है, पेचवर्क भी नहीं किया और उस बी.ओ.टी. रोड पर तीन जगह अवैध टोल वसूली हो रही है। टोल का जो नियम है उसकी भी पालना नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, न साइनिंग बोर्ड लगे हुए हैं। आज अगर आप उस रोड पर जाकर देखेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि वास्तव में जनता के साथ अन्याय हो रहा है, यह फिरौती वसूली जैसा लग रहा है, वह टोल नहीं है, लोगों से उस टोल से फिरौती वसूल हो रही है। जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं।

(17.36 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसलिये मैं इस सदन से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस मुख्य समस्या को लेकर जो रोहट से आहोर होते हुए जालौर

(श्री छगनसिंह)

रोड जाता है, उसका 2020 में निर्माण होना था, वह आज दिन तक नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, उसकी जानकारी लेते हुए जल्दी से इस रोड को पूरा कराएं, जिससे हमें लगेगा कि आप, जो अवैध टोल वसूली हो रही है, उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और आमजन का भी ध्यान दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा में ऐसी कई सड़कें हैं जो टूटी और बिगड़ी हुई हैं उनका ध्यान रखते हुए, मुझे विश्वास है कि आप उनका नवीनीकरण करवाएंगे, जैसे आकोली-सियाणा, सिरोही सीमा तक; सवणा सुमेरगढ़ खेड़ा रामसिंह तक; सामुझा वेड़िया आईगुढ़ा वावड़ी; बाला से बवराणी; बालावास से मेड़ा नीचला; बैताला से चांदना; रायथल से बालवाला; बाला मोटी श्रीनीलकंठ का नवीनीकरण; चांदराई से पांचोटा, वल्दरा मूलेवा; किशनगढ़ से नीमला, बादली से पांडेग्रा सुरेश्वर महादेव मन्दिर; काणीवाड़ा से छीपरवाड़ा; उंट से राजनवाड़ी।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): अर्जी से सुरई सीमा; नया उंट से पुराना उंट; भैंसवाड़ा से उण माताजी; पांचाड़ा से नागड़ेसी माताजी मन्दिर; कुवाल्डा से डूमरा माताजी; भाद्राजून से मोईवाड़ा, चूंडा संघवाली; चलनी से दयालपुरा; आहोर से सनवाड़ा; देवावास से सराणा; वल्दला से बूती; आहोर से खारा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई मिसिंग लिंक हैं जो आज दिन तक..., मैंने 295 के द्वारा भी बताये हैं, उसके अलावा भी ऐसे कई रोड हैं, जो आज भी गांवों में सड़कें नहीं हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। सांगाड़ी से वेड़िया; देलदरी से वीबलसर; बवराणी से सरवड़ी; माधा बागड़ी से मड़ला; गोधेन से बीसावाड़ी; नीलकंठ से सरवड़ी; जोड़ा से पादड़ली; मडला से एन.एच. 325 के मुख्य मार्ग तक; ये मुख्य जो मिसिंग लिंक हैं, इन्हें तुरन्त प्रभाव से अगर स्वीकृत कराएंगे तो मुझे लगेगा कि आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): तीन मिनट हुए हैं, तीन मिनट हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, तीन मिनट सिर्फ।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री छगनसिंह (आहोर): मेरी मुख्य समस्या है बूती और रुल्ड़ा के ब्रिज की बात करना चाहूंगा। मैं बारम्बार सदन में बात उठा रहा हूं कि..(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये। सहयोग कीजिए।

श्री छगनसिंह (आहोर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 के पक्ष में बोलने का मौका दिया।

महोदय, सरकार के नवाचारों का मैं स्वागत करता हूं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इन नवाचारों से हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने से जनता को बहुत लाभ मिलेगा।

सर, इस विषय में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ सुझाव हैं, जो मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 2019 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी। पिछले दो वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में 36 ग्राम पंचायतों में से केवल एक में ग्रामीण विकास पथ स्वीकृत किया गया है तो 76 ग्राम पंचायतों का कब नम्बर आएगा? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम 10-10 ग्रामीण विकास पथ एक विधान सभा क्षेत्र में दें ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा पंचायतें इससे कवर हो सकें।

इसी तरह मेरे क्षेत्र में कुछ गांव हैं, जो बीसलपुर बांध के डूब में आ गये थे। जब इन गांवों का पुनर्वास किया था तो सिंचाई विभाग ने रोड बनाये थे, कालोनियां बनाई थीं। अब उसको 24 साल हो गये। अब सिंचाई विभाग ने उनका रखरखाव बंद कर दिया तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. से आग्रह करूंगा कि उन 24 गांवों की जो सड़कें हैं, जिनकी जर्जर स्थिति है और सिंचाई विभाग जिनकी मरम्मत नहीं कर रहा, उनको पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन किया जाए और अविलम्ब उनकी मरम्मत की जाए, इन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन दिया जाए।

सर, इसी तरह बीसलपुर जो बांध है, इसके नीचे से एक रोड जाती है जो देवली को केकड़ी से जोड़ती है। यहां पर एक पुल की आवश्यकता है। सिर्फ 500 मीटर का पुल है, आधा किलोमीटर का, इसके अभाव में, अभी वहां पर पुल नहीं है, लोगों को देवली से टोडारायसिंह जाने के लिए 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर यह 500 मीटर का पुल बन जाए तो दो यह प्रमुख शहर हैं, देवली और टोडारायसिंह यह सीधे जुड़ जाएंगे।

सर, इसके साथ-साथ कुछ छोटे मेरे कांस्टीट्यूएंसी के जो सुझाव हैं, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

बनेठा से रमजान गंज वाया रामरतनपुरा, किशनगंज सड़क, रानौली से खातौला, याकुबपुरा, ज्ञानपुरा, रघुनाथपुरा, तुम्बीपुरा, भीमगंज सड़क को एन.एच. 148 से जोड़ा जाए। ककोड़ नगर जो मार्ग है, वाया रानीपुरा भी उसका अलाइनमेंट बनाया जाए और जिसमें ग्राम धारोला, अलीपुरा, मंडावरा है, उनको जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से चारनेट से सायला सुखपुरा गांव जो रोड है, थावला से गोविंदपुरा ढाणी दलवासा, बालूंदा से बरोली, धुवांकला से मुगलानी, रूपवास से संग्रामपुरा सड़कों के निर्माण की अति आवश्यकता है ताकि इन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क का लाभ मिल सके।

सर, इसी तरह विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की बघेरा से हिसामपुर, नासरदा, रामथला, देवली, पनवाड़, चांदली, राजकोट, सीतापुरा, टोडा का घोसला से एन.एच. 148 तक की सड़क जो अभी विलेज रोड की श्रेणी में आती है क्योंकि यह प्रमुख कस्बों को जोड़ती है तो मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि विलेज रोड से इसका अपग्रेडेशन करके इसको मुख्य सड़क एम.डी.आर. में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सड़कें हैं जिनके प्रस्ताव... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मुझे पूरा करने दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दो प्रमुख सड़कें हैं जो चीफ इंजीनियर कार्यालय, पी.डब्ल्यू.डी. के यहां पर पेंडिंग है। उसमें कोई फाइनेंशल इम्प्लीकेशन, इनको सिर्फ एप्रूव ही करना है। मैं यह आग्रह करूंगा कि जो यह सड़कें हैं, खोलिया से बूंदी एवं खातियों की बुर्ज से भैरूंनाड़ा होते हुए जो सड़क अलाइनमेंट के लिए इनके कार्यालय में पेंडिंग है, उसकी स्वीकृति अविलम्ब दें ताकि जनता को इसका लाभ मिले।

सर, अंत में सरकार से मैं यह आग्रह करूंगा कि जो ग्रामीण सड़कें हैं और जिनकी मरम्मत के लिए आपने पांच करोड़ रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए दिया है। विधान सभा क्षेत्र लम्बे हैं और हर गांव सड़कों से जुड़ गया है तो मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि इस पांच करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर दस करोड़, पन्द्रह करोड़ जितनी भी सरकार करना चाहे वह करे पर इसको और व्यावहारिक बनाए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोतमलाल मीणा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के बारे में बताऊंगा। सड़क लसाड़िया से धरियावद, यह सड़क वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुई और इसका काम भी शुरू हो गया। सिर्फ इसकी चौड़ाई बढ़ानी थी पर वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी। उप खण्ड लसाड़िया और धरियावद, दो एस.डी.ओ. ने वन विभाग को जमीन भी दे दी और काम भी शुरू कर दिया। गिट्टी का काम किया लेकिन दो साल से सड़क वहां की वहां ही पड़ी हुई है और हमेशा जो लोग वहां पर आते हैं छोटे व्हीकल वाले, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और मैंने गत बजट में भी इस विषय को रखा है, आप चाहें तो उठाकर देख लें लेकिन दोनों विभाग, वन विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो मेरा यह निवेदन है कि उस सड़क को जो कि दो उप खण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाली है, उस सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है।

दूसरा, मैंने सलूम्बर से बेड़ावल सड़क, जिसको भी मैंने गत बजट में भी इसी विषय को उठाया था लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, लसाड़िया से कूण होकर पानूद फिला तक सड़क है, यह उदयपुर मुख्यालय को जोड़ने वाली है। इस सड़क की हालत भी बहुत खराब है और झल्लारा से धरियावद वाया मानपुर बुडेल इस सड़क की हालत बहुत खराब है और लसाड़िया से झुंजपुरा कानोड इस सड़क में भी टूटफूट हो गयी है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह सड़कें तो बहुत सारी हैं मैं सबका नाम गिनाऊंगा तो क्योंकि समय आपने कम दिया है तो यह जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली है लसाड़िया से फिला सड़क और दूसरा है मुंगाना से पीपलखूंट वाया नया बोटिया-गोठड़ा सड़क, यह भी सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है और मैं इस मौके पर याद करना चाहूंगा पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी को जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में ढाई सौ तक की आबादी के सैकड़ों गांवों को सड़क से जोड़ दिया लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि उनकी रिपेयरिंग करने वाला भी कोई नहीं है। जहां पर सब जगह खड्ढे पड़े हुए हैं। न तो उनका कोई पेच वर्क निकाल रहे हैं और न ही उनका कोई नवीनीकरण करता है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो सड़कें पुरानी हैं, कम से कम उन सड़कों का नवीनीकरण करने का काम करें।

(श्री गोतमलाल)

इसी के साथ दूसरा मेरा एक निवेदन है, इसी के साथ पी.डब्ल्यू.डी. का ही यह मामला है। एक लसाड़िया कालेज है। इसको भी मैंने गत बजट सत्र में उठाया था तो एक सालभर में वह सिर्फ अभी छत लेवल तक ही आया है। वहां के जो बच्चे हैं वह उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जब पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से बात करते हैं तो वह यह कहते हैं कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है तो इस पर भी सरकार ध्यान दे। पैसा कौन नहीं दे रहा है, कहां से नहीं आ रहा है? जबकि यह छह करोड़ रुपये का इसका 2018 का जो बजट था, उसमें इसको लिया था लेकिन इसका काम भी अभी तक अधूरा है।

सड़कों की जो हालत है, यह तो हमारे माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है कि जब मैं 2003 में जब पहली बार एम.एल.ए. बना तो वहां मेरे गांव से यहां तक आने में 12 घंटे लगते थे और अभी मैं पांच-छह घंटे में आ जाता हूं, यह फोर लेन, सिक्स लेन, यह सब काम जो किया है, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की देन है। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि आप ये जो नई सड़कें दें तो ठीक है, आपकी मर्जी लेकिन अगर नहीं भी दें तो जो पुरानी सड़कें हैं, कम से कम उनकी तो रिपेयरिंग करवाएं। दो-ढाई साल में एक भी सड़क ऐसी नहीं है, जिसका नवीनीकरण का काम किया है। जितनी भी वहां पर पुरानी सड़कें हैं, उनकी हालत वहां पर खराब है। आप नई सड़कें दें तो ठीक है, अच्छी बात है, पांच करोड़ रुपये की घोषणा की है तो अच्छी बात है। पूर्व सरकार में जो गौरव पथ चल रहे थे, आपने उनका नाम तो बदल दिया विकास पथ लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में अब तक उनकी कोई शुरुआत नहीं हुई है। आपने घोषणा की है तो कम से कम इनकी शुरुआत करें। गौरव पथ एक ऐसा पथ था जो गांव में निकलने के बाद में कीचड़ में जब जाते हैं न लोग तो जिन पंचायतों में करीब-करीब कई पंचायतों में यह गौरव पथ ... (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): मैं तो समाप्त ही कर रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। वैसे पांच मिनट दिये हैं तो पांच मिनट में ही पूरा कर दूंगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह गौरव पथ की जगह जो विकास पथ का आपने किया है तो इनकी शुरुआत कब करेंगे? अभी तीन बजट तो आपके यह

(श्री गोतमलाल)

हो गये हैं और अब दो बजट हैं और दो बजट में भी आप एक ही बजट मानो क्योंकि एक बजट तो वह चुनाव में चला जाएगा, आचार संहिता वगैरह में तो इस एक बजट में आप जितना कर सकते हैं, कम से कम जो बना सकते हैं वह बनाएं।

पूर्व सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे मिसिंग लिंक में 15-15 किलोमीटर, हर एम.एल.ए. को हर विधान सभा क्षेत्र में देते थे लेकिन ढाई-तीन साल में आपने पांच किलोमीटर सड़क भी नहीं दी, एक किलोमीटर सड़क भी नहीं दी है तो कम से कम यह दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर हर विधान सभा क्षेत्र में सड़क दें ताकि किसी भी गांव को जोड़ने में इसमें दिक्कत न हो। दूसरा, ढाई सौ की आबादी तक के तो हमारे सारे गांव सड़क से जुड़ गये हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकिन ढाई सौ से कम आबादी वाले जो गांव हैं, वह बाकी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री गोतमलाल (धरियावद): कम से कम आप उनको जोड़ने का काम करें। ठीक है, आपने जितना समय दिया, कोई बात नहीं, धन्यवाद।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं सबसे पहले तो राजस्थान के ओजस्वी मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि 24 तारीख को जो बजट पेश किया, उसमें राजस्थान की सड़कों के लिए, पुलों के लिए 15,478 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, यह ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। जिस तरीके से प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति थी, रेवेन्यू की कमी जिस तरीके से, यह कोविड का टाइम था, उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री ने बेहतरीन प्रबंधन करके राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाने के लिए, पुलों को दुरुस्त करने के लिए जो पैसा दिया, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो भारत सरकार का बजट है, भारत सरकार ने जो बजट पेश किया था केन्द्रीय फायनेंस मिनिस्टर साहब ने, उसमें जो सड़कों के बारे में जो रिपोर्ट है, जो बजट में अनाउंसमेंट किया गया था 1 लाख 18 हजार 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और पिछले बजट की तुलना में यह 23 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी थी केन्द्र सरकार के बजट में और मार्च के हिसाब

(श्री जगदीश चन्द्र)

से, मार्च, 2022 तक 8500 किलोमीटर हाईवेज बनेंगे नए, यह इसमें प्रावधान किया गया था और 11000 किलोमीटर का फ्रेट कोरिडोर जो बनना है, उसका भी प्रावधान किया गया है लेकिन बड़े अफसोस के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाह रहा हूं, कटारियाजी और राठौड़ साहब बैठे हैं कि जिस तरीके से यह पांच स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं हिन्दुस्तान के अन्दर। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु आदि के इन चुनावों को देखते हुए सारा का सारा जो पैसा है 11000 हजार किलोमीटर का जो एक फ्रेट कोरिडोर बनना है, वह सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया गया। यह केन्द्र सरकार का बजट, केन्द्र सरकार के बजट का मतलब सारी स्टेट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। राजस्थान ने 25 एम.पी. दिये हुए हैं और यह पहला बजट है ऐसा केन्द्र सरकार का, जहां राजस्थान का बिलकुल ख्याल नहीं रखा गया, यह बड़े अफसोस की बात है। एक ग्लोबल वर्ल्ड सेफ्टी रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में करीब 4 लाख 49 हजार रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें एक 1 लाख 50 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी, 4 लाख के करीब घायल हुए थे, 199 कंट्री, इसके आर्गनाइजेशन के जो मैम्बर हैं, उसमें भारत लास्ट में है और सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में हुए थे। यह बात पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में आयी थी। इस बात की चर्चा भी हुई थी कि हिन्दुस्तान के रोड का जो स्ट्रक्चर है, उसको ठीक किया जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद भी राजस्थान के ग्रामीण परिवेश को जोड़ने का जो प्रयास किया गया, 5-5 करोड़ रुपये का प्रति विधान सभा क्षेत्र में जो प्रबन्ध किया है रोड से जोड़ने का, इसके साथ-साथ तीन रोड, जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को, स्टेट हाईवेज को रिपेयर करने का, नई रोड बनाने का जो प्रावधान किया है, यह ऐतिहासिक प्रावधान है। निश्चित तौर पर राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की एक आप्टिमिस्टिक सोच, भविष्य को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने नवीन राज्य की सड़क नीति की घोषणा की है। मैं आपसे यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि 2018 में जब बीजेपी की सरकार का आखिरी बजट था, उस समय वसुन्धरा जी चीफ मिनिस्टर थीं, जिसमें विजन 2020 की जो बात कही थी, उसमें 15 किलोमीटर सभी विधान सभा क्षेत्रों में नवीन सड़क निर्माण करने की घोषणा की गयी थी। श्रीगंगानगर के हैडक्वार्टर से लेकर सादुलशहर हैडक्वार्टर तक का एक रोड था, जिसका अनाउंसमेंट बजट में किया गया था।

(श्री जगदीश चन्द्र)

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सड़क का निर्माण अब कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि पैसा तो हमने दे दिया। पैसा तो हमारे पास था भी नहीं, उसके बावजूद भी आप क्वालिटी देख लीजिएगा। जो ठेकेदार था, वह बीजेपी के जमाने का ठेकेदार है, जरा इस बात का भी ध्यान रखना। जरा गौर कर लीजिए उस सड़क पर जिस तरह का निर्माण हो रहा है, वह देख लीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने, 2018 की जो सरकार थी, वसुन्धरा जी ने यह भी घोषणा की थी कि राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा, एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। मुझे लगता है दो साल हो गये हैं, पिछली सरकार की घोषणा थी, पिछली सरकार तो चली गयी थी, क्योंकि दिसम्बर में चुनाव था। वह इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया। घोषणा करके सरकार चली गयी थी, वोट को देखते हुए घोषणा की गयी थी। इसलिए मुझे लगता है उस नीति का कोई फायदा नहीं था। जिस तरीके के सपने दिखाये गये थे, जिस तरीके का शासन लोगों को दिया गया था। इस आशा और विश्वास के साथ हमें वोट पड़ेंगे, वोट तो हमें मिले नहीं, सरकार बनी नहीं, वह सारी की सारी जो घोषणाएं थीं, वह ठंडे बस्ते में चली गयीं लेकिन, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बजट के अन्दर जो-जो घोषणा हमने पिछले दो साल में की सड़क के संबंध में, पुल के संबंध में, वह निश्चित तौर पर या तो कहीं डी.पी.आर. बन गयी है या कहीं काम स्टार्ट हो गया, किसी के टेंडर हो रहे हैं। सारे के सारे काम प्रोसेस में हैं। यह मिसाल है। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013 से 2018 के बीच में जब BJP सरकार थी, जब राजस्थान में बाहर से कोई व्यक्ति आता था, तो इस बात की चर्चा करता था कि हम कौनसे प्रदेश में आ गये। सारी सड़कें टूटी हुई थीं, बड़े-बड़े गड्ढ़े पड़े हुए थे। कहीं पुल ठीक नहीं थे, लेकिन जब अशोक गहलोत जी की सरकार बनी, उससे पहले भी हमारी सरकार थी, तब भी हमारी सड़कों की हालत देखो और आज तुलना करके देखो, पिछले पांच साल का जो समय था, उसमें कितनी सड़कें बनीं और आज हमारे राज में कितनी सड़कों का काम शुरू हो गया, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, जिनके बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं, क्योंकि पांच मिनट का ही आपने

(श्री जगदीश चन्द्र)

टाइम दिया है। बहरामपुरा बोदला (कालवासिया) ये गांव नवाज शरीफ साहब का गांव है। बहरामपुरा नवाज शरीफ साहब का गांव हैं। इसी गांव के अन्दर उनकी पैदाइश हुई थी। बहरामपुरा बोदला से नहर एमजेडी के साथ होते हुए मन्नीवाली 4 किलोमीटर तक। दूसरा, चक धोला से मन्नीवाली तक 3.5 किलोमीटर। चक 16 पीटीपी खरूवाला वाया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से किशनपुरा उतरादा तक 5 किलोमीटर के लगभग है। चक चेतराम वाला (15 एसपीएम) से डूंगरसिंहपुरा तक 4 किलोमीटर सड़क, 4 एच छोटी से 6 एच छोटी तक 5 किलोमीटर की सड़क, छापावाली से मानकसर तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क, चक 15 एस पी एच से मम्मड़ तक 5 किलोमीटर, चूनावंढ से सागरवाला तक लगभग 7 किलोमीटर, सादुलशहर से केएसडी नहर के ऊपर वर्तमान पुल जो बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। विराजें। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 -सड़कें व पुल पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, धन्यवाद। सड़कों के समग्र विकास को तत्परता एवं योजनाबद्ध तरीके से ग्राम चकों को ग्राम पंचायत मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनीकरण व नवीनीकरण के लिये कोई भी नवीन स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं। सरकार ने पिछले वर्ष गौरव पथ के स्थान पर विकास पथ की अवधारणा की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में चार बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिये, लेकिन, केवल एक ही विकास पथ ग्राम पंचायत 24 ए एस-सी नई मंडी घड़साना की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, उसका भी निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। क्या यह विकास पथ कभी पूरे हो पाएंगे? पूर्व के गौरव पथ, उनकी हालत का भी यदि आकलन किया जाए तो सर्वे कहीं हुआ और सरकार बदलते ही बनाये कहीं गये। इसका उदाहरण पंचायत समिति अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 59 जीबी रामसिंहपुर का है, जिसमें सर्वे तो कहीं हुआ और पथ दूसरी जगह बना दिया गया। इसके साथ नालियां नहीं बनायी गयीं जिसके कारण बरसात के समय में पानी भर जाता है जिससे आम नागरिकों को समस्याएं होती हैं।

ऐसा ही अनूपगढ़ शहर में एक सिटी गौरव पथ है। यह अनूपगढ़ शहर

(श्रीमती संतोष)

के 27 ए चौराहे से गणेश मंदिर की ओर बनाया गया था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और कोई भी निकासी की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बोर्डर एरिया पर स्थित है और यहां सम्पर्क सड़कों की हालत खराब होने के कारण आम जनता के साथ ही हमारे देश के रक्षक जवानों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में काफी गांव और ढाणियां रेतीले इलाके में हैं, वहां डामर रोड तो दूर ग्रेवल सड़क भी नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की कई सड़कों की हालत बहुत खराब है। बड़ेबड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना होने का डर बना रहता है। जैसे अनूपगढ़ से नाहरांवाली सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनायी जानी थी, जिसका निर्माण कार्य अभी अधूरा है। बार-बार अवगत कराने पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अनूपगढ़ शहर के 27 ए चौराहे से ग्राम पंचायत मुख्यालय 27 ए तक टू लाइन सड़क बनायी जाए, क्योंकि यहां पर आवागमन बहुत ज्यादा है। घड़साना नई मंडी के रोटरी चौक से सखी रोड भी टू लाइन बनायी जाए, यह सड़क बहुत बुरी हालत में है। पुरानी मंडी घड़साना से रावला मंडी तक सड़क जर्जर अवस्था में है। रावला के रोजड़ी चौक से रोजड़ी तक और रावला से खानुवाली तक सड़क जर्जर अवस्था में है। 2 एल एल बी से 3 एन डी पतरोड़ा से 1 एन डब्ल्यू एम, नाइयांवाली, 2 के एक से 3 एन डी लिंक रोड, रामसिंहपुर से कूंपली गोमावाली माइलेटी रोड, 8 के बी से 6 के बी, 8 के एन डी लिंक रोड से खोबर तक, 3 एन एम ढाबा से 465 हैड, 8 के एन डी से 22 आर जे डी, 12 केडी से 10 केडी, 7 केडी से 13 केडी बी, 10 एल एम से 15 एल एम, रावला गांव से 9 के डी सहारणपुर मुख्य सड़क से 4 के बी डी रोड, 5 पी जी एम से 3 एन डी, 8 ए से 11 ए, 2 के पी डी डण्डी रोड से 1 के एल एम, सेखड़ा माइनर से 9 डी ओ एल, 15 एल एम से 3 जे एम, ऐसी कई सड़कें हैं जैसे 6 जे डब्ल्यू एम बेहवाला घड़साना मुख्य सड़क तक। इन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन सड़कों का निर्माण कार्य तुरन्त होना चाहिए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ में पी

(श्रीमती संतोष)

डब्ल्यू डी का एक डाक बंगला जर्जर अवस्था में है। डाक बंगले अनूपगढ़ में राजकीय अतिथि एवं कर्मचारियों के ठहरने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। पिछले सत्र में मुझे आश्वस्त किया गया था कि सरकार द्वारा जल्द ही इस डाक बंगले की स्थिति में सुधार किया जाएगा लेकिन आज तक रंगाई-पुताई के अलावा वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि डाक बंगले अनूपगढ़ के लिये बजट देकर इसका पुनर्निर्माण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अनूपगढ़ शाखा की 321 आर डी पर रावला मंडी में और 150 आर डी 2 एल एम ए व 4 एल एम से 8 ए के लिये पुल निर्माण कराया जाए। यहां पर काफी लोगों को समस्या का सामना पड़ रहा है। मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेक पुल और छोटी पुलिया हैं, जिनका निर्माण कार्य अति आवश्यक है। उनका निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो और आवागमन सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण मांग संख्या 21-सड़कें और पुल पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी ने इस साल बजट के अन्दर हर विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, उसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की जो सड़कें हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले

(18.00 बजे)

दो साल के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर न तो किसी तरह की नयी सड़क बनी है और न मिसिंग लिंक का कोई काम हुआ है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें टूटी-फूटी हैं उनकी मरम्मत करायें, उनका सुदृढ़ीकरण का कार्य करवायें।

साथ ही एक मेरे भोपालगढ़ की महत्वपूर्ण सड़क है खेड़ापा कड़वासरों की ढाणी खिंदाकौर सड़क, इस सड़क पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल आये हुए हैं, साथ ही जो पैदल यात्री अजमेर जिले से रामदेवरा जाते हैं उनका भी यह सीधा मुख्य मार्ग है, मैं आपके माध्यम से

(श्री पुखराज)

मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कड़वासरों की ढाणी खिंदाकौर सड़क को एमडीआर में लेकर इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए, इसकी डबल सड़क बनायी जाए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामड़ावास खुर्द से रामनगर, खवासपुरा से पुन्दलू नागौर सीमा तक सड़क का डामरीकरण, आसोप से दियावड़ी नागौर सीमा तक सड़क का डामरीकरण, लवेरा कला से खदावों की ढाणी तक सड़क का डामरीकरण, राजस्व गांव भंवरियों की ढाणी से ग्राम पंचायत मुख्यालय सुरपरा तक सड़क डामरीकरण, देवातड़ा गांव से भोमजी की ढाणी तक सड़क का डामरीकरण, बुड़किया से पीपाड़ रोड तक सड़क का डामरीकरण, मिसिंग लिंक रोड, मैलाणा से खोजो की ढाणी तक सड़क डामरीकरण, मिसिंग लिंक रोड, कूड से खोखरिया, सोपड़ा से हीरादेसर रोड, सुरपुरा कला से सालवा कला नवीन सड़क, गंगाणी से बहड़वी तक चार किलोमीटर नवीन सड़क, कुड़ी गांव से सोपड़ा तक सड़क का डामरीकरण, मिसिंग लिंक रोड, गोदावास से झालामलिया तक नवीन सड़क, कुकड़दा से माणकपुर नागौर सीमा तक सड़क डामरीकरण, मिसिंग लिंक रोड और अरटिया कला से बंदड़ा तक सड़क का डामरीकरण, मिसिंग लिंक।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और मिसिंग लिंक रोड में लेकर इनका कार्य करायें।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुल के बारे में बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 170 गांवों का जोधपुर से आने का रास्ता है उसमें बनाड़ रेलवे क्रासिंग पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का भार भी है और जितना भी जोधपुर का रेलवे का आवागमन है वह उसी क्रासिंग के जरिए है, तो ज्यादातर समय तक वह रेलवे क्रासिंग बंद रहता है उसका पुल स्वीकृत है लेकिन जमीन भी उसमें मिलिट्री की जो जमीन है साइड में है, उसका कोई डिस्पुट है...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया। समाप्त करें, विराजिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन का डिस्पुट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): उस पुल को जल्दी से जल्दी चालू करायें। धन्यवाद।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का विशेष करके ध्यान रखा और मुझे स्टेट हाईवे कलिंजरा-अंदेश्वर और तामेसरा और मध्य प्रदेश की सीमा तक जोड़ने वाले स्टेट हाईवे की घोषणा की।

इसी तरह से मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन पुल पोटलिया, पाडला, सणावला, यह काफी समय से मेरे विधान सभा की मांग रही है और जो सणावला पुलिया है, उस समय हमारे एक आर.ए.एस. अधिकारी ए.डी.एम. साहब दे गये थे तो पिछली सरकार के समय और उस साल हमारी सरकार के भी हो चुके थे तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उनके मंत्रिमंडल को भी कि विशेष करके मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र का ध्यान रखा।

सभापति महोदय, मैं विशेष करके सड़क के ऊपर बोलना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ मे जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, नयी पंचायतों में, जो नयी पंचायतें बनीं उनसे ग्राम सड़क से जोड़ना बाकी है। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में भगतपुरा से कालाखेत और गराडखुरा जोड़ने वाली जो पांच किलोमीटर रोड है, गोपालपुरा, बावड़ीपाड़ा, बावलिया पाड़ा, छोटी सरवा, दरां, नलवाई, सज्जनगढ़, पाली, हिरण नदी, अंदेश्वर, तामेसरा, जीवाखूंटा**,** हिम्मतगढ़ी, गानवन, सादड़ियां यह जो ऐसी छोटी-छोटी सड़के हैं काफी समय से हमारे ग्रामीण काश्तकारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और अभी तक प्रधानमंत्री सड़क में नहीं जोड़ा गया, तो मैं मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह जो छोटी-छोटी सड़कें हैं उनको जोड़ा जाए।

इसी तरह से मैं आपके माध्यम से एक मांग रखती हूं कि आज पुलिया और सड़क के ऊपर चर्चा चल रही थी तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यू.डी. के 10 पद स्वीकृत हैं, उसमें से एक पद एक्स.ईएन. का ही भरा हुआ है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्रीमती रमीला खड़िया)

कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ में एक ही अधिकारी बैठा हुआ है। इस वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): पी.डब्ल्यू.डी. से राजा-महाराजाओं के टाइम का हमारा भवन है जो जर्जर अवस्था में है, उस भवन को ठीक किया जाए। जब भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब कुशलगढ़ आते हैं और पिछले समय हमारे वसुन्धरा जी भी आयी थी, उस समय वह भी उसी भवन में ठहरी थीं, तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस भवन का नवीनीकरण किया जाए और हमारे जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए।

हमारे रोड बहुत जर्जर अवस्था में हैं। मैं मांग करती हूं कि यह छोटी छोटी रोड हैं, इन छोटी-छोटी रोड को जोड़ा जाए तो हमारे काश्तकारों को लाभ मिलेगा, आने-जाने की काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): साहब, बोलने तो दो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सब साथी सड़क मांग रहे हैं, कोई जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन. नहीं मांग रहा, है ही नहीं, मेरे तो जे.ईएन. उधारा है, ए.ईएन. रिटायर हो गया, एक्स.ईएन. कोई है लेकिन एक जे.ईएन. दो तहसील, फिर हम उम्मीद करें कि सड़क की गुणवत्ता ठीक हो। बताएगा कौन, सड़क कहां से कहां है? इसलिए मैं सारे शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में पी.डब्ल्यू.डी. की यही स्थिति है इसलिए जो डाक बंगले की बात आयी है, सर्किट हाउस की बात आयी, उनकी स्थिति भी इसीलिए है, कोई गौर करने वाला ही नहीं है।

लोसल से रतनगढ़ वाया सालासर राज्य राजमार्ग संख्या 92 व जिसकी लम्बाई 79 किलोमीटर है, जो पीपीपी मोड पर बन रहा है। स्टेट हाई-वे पर बाईपास, री-अलाइनमेंट, टोल प्लाजा निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है लेकिन बाकी जगह बिना अधिग्रहण के किसानों की

(श्री बलवान पूनियां)

बेशकीमती खातेदारी जमीन छीनकर हाई-वे निर्माण हो रहा है। किसानों का लम्बे समय तक धरना भी चला है। मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करें। उनका जो भी मुआवजा बनता है उसका तुरन्त भुगतान कराकर सड़क निर्माण कार्य पूरा करें। भविष्य में भी पीपीपी मोड पर जो सड़कें बनें उसमें ऐसा कोई इश्यु नहीं आए उससे पहले उनका समाधान करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए यह मांग फिर दोहराना चाहूंगा कि भादरा में एक ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग चल रही है। पीडब्ल्यूडी तक उसकी बात भी पहुंचा दी गई है। रेलवे सी-65 पर मंजूर कर रहा है। फौरन वह ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने का काम करें ताकि जनता को भादरा से साहवा रोड पर आसानी हो सके।

सभापति महोदय, मैं एक ध्यानाकर्षित यह भी करना चाहता हूं कि कई बार जब 5-10 अंगुल बरसात होती है तो अंडरब्रिज जो रेलवे के बने हुए हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी ने भी साथ लगकर के बनाए हुए हैं, वह उसी में डूब जाते हैं। आधे, एक, डेढ़, दो दिन तक लोग उसमें से निकल नहीं सकते हैं। लोगों के रास्ते बंद हो जाते है। इस ओर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि जहां भी हम अंडरब्रिज बनाएं तो उसको कवर्ड करके बनाएं ताकि बरसात का पानी उसके अन्दर नहीं जाए।

सभापति महोदय, मेरे इलाके की कुछ ऐसी सड़कें हैं जो काफी दिनों से टूटी हुई और जर्जर हैं। मैं उनकी तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

एक छोटा-सा निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि सदन में पिछले 4-5 घंटे से चर्चा चल रही है, 2018 में विधान सभा के चुनाव से पहले जब स्वीकृतियां हुई सड़कों के पत्थर लगे, उन सड़कों पर बिना वित्तीय स्वीकृति के पत्थर लगा दिए गए या वित्तीय स्वीकृति होने के बाद वित्तीय प्रावधान नहीं था? यह बात आज सदन में खुलासा होनी चाहिए। 8-8, 9-9 सड़कें विधान सभा क्षेत्रों में मंजूर हुई। वह सड़कें अभी तक लटकी पड़ी हैं वह पूरी नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति किस हिसाब से की गई? इलेक्शन में जाते वक्त लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की गई? आज मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को क्लियर करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग कर रहा हूं कि बीड़ भादरा से खचवाना, अमरपुरा से अजीतपुरा, शिवदानपुरा गडरा रोड, कुजी से कनाऊ, भादरा से गंगासिंहपुरा, पचारवाली से मामनवास, मलखेड़ा से जोगीवाला, मलखेड़ा से नांगल, बिरान से छानी बड़ी, मरानी से चूली वाया हरियाणा,

(श्री बलवान पूनियां)

उत्तरादा बास से मोठसरा, पचारवाली बस स्टैंड से मुख्य सड़क तक सड़कें जो टूटी हुई हैं इनको ठीक करने का काम प्रशासन करे। रामगढ़ से उजनवास सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं। डोबी से भांगवा सड़क के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे वहां गोगामेड़ी का मेला भरता है। उससे ददरेवा भी मेला है। ददरेवा तक की सड़क के लिए एक बार सर्वे भी हुई थी।

श्री सभापति: आवाज आ रही है आप लोगों की। थोड़ा धीरे बोलो।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लेकिन अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि गोगामेड़ी से ददरेवा तक सड़क बने। गोगामेड़ी से उजलवास दीपलाना, गोगामेड़ी से भीम तक की सड़क का निर्माण कराने का काम करेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि भादरा से साहवा और भादरा से झांसल और भादरा से लोदेसर रोड, यह सड़कें जो काफी पहले बनी हुई हैं, इनके चौड़ाईकरण का और पुनर्निर्माण का काम करें। भादरा के डाक बंगले की मरम्मत करवाने का काम करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जो भी विधान सभा में माननीय सदस्य या माननीय मंत्रीगण चुनकर आते हैं, चाहे किसी भी दल के हों, पानी, बिजली और सड़क ये महत्वपूर्ण मुद्दे हमेशा छाए रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब भारत आजाद हुआ तो देश के प्रथम गृह मंत्री माननीय वल्लभ भाई पटेल की मांग थी और उन्होंने नेहरू जी को यह कहा था कि देश की प्रमुख नदियां और देश के जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता इनको सड़कों से जोड़ दो ताकि इस देश की स्थिति सुधर जाए, लेकिन सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मेरा तो उस वक्त जन्म नहीं हुआ था। उसके 15 साल बाद जन्म हुआ। वह नहीं जोड़ने की वजह तो मैं अभी समय नहीं है इसलिए नहीं कहूंगा। हो सकता है कि कोई वोटों की राजनीति भी हो।

(श्री पूराराम चौधरी)

एक बार नेहरू जी ने कहा था कि यह जो कोने में एक बालक बैठा है, वह बालक और कोई नहीं था, वह बालक अटल बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने इस देश में किसान, आम जन और जनता के लिए जो मुख्य नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे शुरू किए, चाहे कोई मेगा हाई-वे हो, वह उसी के बाद अभी तक चलते आ रहे हैं।

गांवों की ग्रामीण सड़क माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज जब हम गांवों में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं तो देखते हैं। कोई जमाना था जब एक गांव से दूसरे गांव में, क्योंकि बहन-बेटियां तो सबकी ससुराल जाती हैं। बेटी रोती-रोती जाती थी। बैलगाड़ी के ऊपर जाते थे तो बेटी कह तो नहीं सकती थी। बेटियां मां-बाप जहां देते हैं, वहीं जाती हैं 'डिकरी ने गाय दोरताय जाय'।

माननीय सभापति महोदय, इस देश की 72 वर्ष की आजादी के बाद आज जो हमारी सड़कों की स्थिति है, वास्तव में ढाई साल से सड़कों का काम पूरा ठप पड़ा है। यह आप भी जानते हैं और पूरा सदन जानता है। माननीय वसुन्धरा जी ने जाते-जाते किया। उनको पता नहीं था कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हर विधायक को 100-100 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर मिसिंग लिंक दी थी। ढाई साल से एक भी सड़क नहीं दी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की लीपापोती करूंगा। उन्होंने 2 सड़कें दीं, एक हमारे भाई साहब जोगेश्वर जी गर्ग, मेरी और हेमाराम जी की गुढ़ामालानी।

एक माननीय सदस्य: हेमाराम जी का नाम मत लो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): हेमाराम जी का नाम तो कोई बात नहीं, गुढ़ामालानी तो है। हेमाराम जी का विधान सभा क्षेत्र है। उसमें एक सड़क दी इसलिए उनको धन्यवाद। एक सड़क उन्होंने रानीवाड़ा, भीनमाल से दी। लेकिन उसमें एक आरओबी है क्योंकि जालौर जिले में जो मुख्य नगर है और जोधपुर सम्भाग में अगर कोई बीच का मेन पाइंट है तो वह भीनमाल है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे विश्व में भीनमाल पहले से ही प्रसिद्ध है। आज से नहीं है। वहां बड़े पंडित ब्रहमगुप्त और महाकवि माघ जिन्होंने 'शिशुपाल वध' लिखा था, वह पहला ग्रंथ था जो उन्होंने लिखा था, वह भीनमाल के ही रहने वाले थे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, जो हमारी मुख्य सड़कें हैं, भीनमाल, बाघोड़ा जो एक डिफेंस रोड भी है। सीआरएसएफ में वह पहले सैंक्शन हुई थी। वह 15 वर्ष से पूरी टूटी हुई है। एक यह सड़क बनाने की कृपा करें। दूसरी स्टेट हाई-वे नरसाना, जाभ और मीठीबेरी जो सांचौर और भीनमाल विधान सभा क्षेत्र से पूरे बाड़मेर बार्डर को जोड़ती है। तीसरी सड़क भीनमाल, पूनासा वह भी सांचौर से सेवाड़ा जोड़ती है। यह मेन-मेन हैं, स्टेट हाई-वे हैं। यह स्टेट हाई-वे अगर नहीं जोड़ें तो लोगों को चलने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। परिस्थितियां बड़ी खराब हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आखिरी एक बात निवेदन करनी है।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत। विराजें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिये हैं, उसकी जगह कम से कम 10-10 करोड़ दें ताकि नोन पेचेबल और मिसिंग लिंक बन सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21-सड़क और पुल के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए अपनी बात कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास पुरुष लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने शानदार बजट देकर यह साबित कर दिया जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। बड़े सदमे में हैं कि यह तो चुनावी बजट है। यह तो घोषणाजीवी बजट है।

माननीय सभापति महोदय, इतनी शानदार घोषणाएं करने और सौगात देने की हिम्मत यदि किसी में है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत में है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर-जैसलमेर का सुझाव रखना चाहता हूं। वह रेगिस्तानी, मरुस्थलीय इलाका है। इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा भूभाग है। इस क्षेत्रफल में जनसंख्या की बजाय, मैंने 295 के माध्यम से भी मुद्दा उठाया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में सड़क के सम्बन्ध में जनसंख्या की बजाय क्षेत्रफल को देखते हुए अगर कोई शानदार योजना बनती है तो आम अवाम को लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, जब चुनाव थे और होड़

(श्री मदन प्रजापत)

लगी हुई थी, शिलान्यास हो रहे थे, पत्थर लग रहे थे, कई झूठे उद्‌घाटन हो रहे थे। मैंने पूछा सड़क तो नहीं है, बाद में मालूम पड़ा कि घर में अनाज नहीं और लोगों को न्योता दे रहे हैं। बजट नहीं और सड़कें स्वीकृत कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार हुआ है कि वोट बटोरने के लिए जनता के साथ में जो धोखा किया गया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जिनका नाम अशोक गहलोत है, जो कहते हैं, वह करते हैं, जो करते हैं, वहीं कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज बालोतरा में ओवरब्रिज लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सैंक्शन किया 2008-13 में। मैं हकीकत कह रहा हूं कि पहला कोई विधायक होगा जिसने लिखित में दिया कि ओवरब्रिज की जरूरत नहीं है अंडरब्रिज बनाया जाए। यह धरातल की जनता से भले ही जांच करवाई जाए और आज मैं कहते हुए खुशी है कि मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के राज में एक नहीं बालोतरा में दो ओवरब्रिज बन रहे हैं, जल्दी से उद्‌घाटन की तैयारी होगी, इसको विकास कहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, खेड़ टू पचपदरा, गुप्तकालीन पुराना तीर्थ स्थल है। मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है कि सैंक्शन हुई, ठेकेदार ने काम शुरू किया और हमारे पूर्व माननीय सदस्य ने लिखकर दिया कि खेड़-पचपदरा रोड की जरूरत नहीं है। आज मैं मांग करता हूं कि वह मुख्य रोड है, सबसे पुराना हजारों साल पुराना खेड़ तीर्थ है, बाड़मेर और पचपदरा को भी सीधा जोड़ती है, उस खेड़ रोड को जनहित में तुरन्त स्वीकृत करके जनता को लाभ दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा रिफाइनरी भी है और बालोतरा भावी जिला बनने वाला भी है। वहां पर डाक बंगले का विस्तार करके सर्किट हाउस की योजना बनाई जाए क्योंकि रिफाइनरी के कारण बड़े-बड़ों को, सभी को आना होगा, ठहरना होगा और यह जनहित में है और सरकारी हित में भी है, इसलिए यह जरूरी है कि बालोतरा डाक बंगले को सर्किट हाउस के रूप में बदला जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे यह भी दु:ख होता है कि रिडकोर को पूरी सम्पत्ति दे दी वसुन्धराजी की सरकार ने, मोरसंग होटल जो सर्किल पर थी, वहां रिडकोर को किराये के नाम पर दे दी। आज वे प्राइवेट लोग वहां यूज ले रहे हैं। इसकी तुरन्त जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। अरबों करोड़ों की मोरसंग जो मिडवे है वह रिडकोर से खाली करवाकर सरकारी सम्पत्ति वापस अपने कब्जे में ली जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि इतना विकास हुआ है कि चाहे एडीएम आफिस हो, चाहे ट्रोमा सेंटर हो, चाहे ओवरब्रिज हो, विकास के तमाम कार्य हुए हैं, मैं सारी बात गिना सकता हूं।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): तीन बातें कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इनको सहयोग करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: ऐसा नहीं चलेगा। विराजिये। (व्यवधान) श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों में किसान निवास करते हैं। वहां पर लिंक सड़कों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि क्षेत्र में निम्न नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जाये-

1. चक 14 बीपीएम से कनवानी तक, 3 किलोमीटर।
2. गोशाला, वार्ड नम्बर 19 रावतसर से 36 डीडब्ल्यूडी तक, 3 किलोमीटर।
3. जाखड़ावाली पंडितावाली रोड से आरडी 5400 तक, 3 किलोमीटर।
4. जाखड़ावाली पंडितावाली रोड से 4 एसटीबी तक, 2 किलोमीटर।
5. जाखड़ावाली चोहिलावाली से चक 2 एसटीबी तक, 3 किलोमीटर।
6. जाखड़ावाली सूरतगढ़ रोड से आरडी 75000 तक, 3 किलोमीटर।
7. जाखड़ावाली सूरतगढ़ से 19 एसपीडी टेलवाला तक, 1.5 किलोमीटर।
8. खेदासरी से ढेढर तक, 3 किलोमीटर।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

9. गंधेली से बिरकाली तक, 5 किलोमीटर।
10. हरदासवाली से चक 3 सीएलडी तक, 4 किलोमीटर।
11. चक 24 पीबीएन से सूरतगढ़ रोड तक, 5 किलोमीटर।
12. सरामसर से अमरपुरा राठान तक, 5 किलोमीटर।
13. लखासर से 23 एमओडी तक 2.5 किलोमीटर।
14. चक 5 एसजीआर से 16 एलएलडब्ल्यू तक, 1.5 किलोमीटर।
15. हरदयालपुरा से खिलाधियों की ढाणी तक, 2 किलोमीटर।
16. चक 4 एलकेएस से चक 9 एलकेएस 14 जीडब्ल्यू से खरलिया तक, 5 किलोमीटर।
17. भाम्भूवाली ढाणी से 14 जेआरके ढाणी से मलकोका तक, 3 किलोमीटर।
18. चक 16 पीबीएम से सराबला, 3.5 किलोमीटर।
19. 3 आरडब्ल्यूडी मुख्य रोड से चक लुहारावाली चक, 4 किलोमीटर।
20. 5 केडब्ल्यूडी मुख्य सड़क से भाखरावाली तक, 4 किलोमीटर।
21. 15-16 केडब्ल्यूडी से 31 जीडब्ल्यूडी 29 केडब्ल्यूडी स्कूल तक, 4 किलोमीटर।
22. चक 16 पीबीएन से सरावावाला तक, 3.5 किलोमीटर।

माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा और भी वंचित ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण करवाया जाना बहुत जरूरी है। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में गत दो वर्षों में बजट में प्रावधान नहीं किया गया। काश्तकारों को अपनी फसलें बेचने के लिए कच्चे मार्गों से गुजरना पड़ता है जिससे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि यदि आप इनकी स्वीकृति देते हैं तो मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किसानों, मजदूरों, व्यापारियों व आमजन के हित में रहेगा।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की मुख्य सड़कें ज्यादातर जर्जर अवस्था में हैं। मेरे द्वारा गत वर्ष भी मांग की गई थी कि इन जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाई जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रावतसर से सूरतगढ़ वाया जाखड़ावाली -18 एसपीडी, मानक थेड़ी से बड़ोपल तक सड़क जर्जर है और यहां नेशनल

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हाईवे की पहले घोषणा हुई थी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर यह नेशनल हाईवे बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलीबंगा से खरलिया, लिखमीसर से केचिया तक जर्जर हालत में सड़क है। पीलीबंगा से वाया हासलिया-गोलुवाला सड़क भी जर्जर हालत में है। चाइया से कनवानी और गंधेली भी जर्जर हालत में सड़क है। नूरपुरा से भाम्भुवाली ढाणी एलएलडब्ल्यू से चक 9-10 एमओडी तक जर्जर हालत में सड़क है। जाखड़ावाली, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ रोड भी जर्जर हालत में है। रावतसर से न्योलकी रोड जर्जर हालत में है।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सड़कों की स्थिति दयनीय है। इन सड़कों की स्थिति सही होनी चाहिए। मेरी मांग है कि पूरा ध्यान देकर सड़कों का कार्य करवाया जाये क्योंकि इनकी आने वाले समय में बहुत बुरी दशा होने वाली है। पिछले दो वर्षों से पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों को ठीक कराने पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अत: मेरा आपसे निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 60 वर्ष पूर्व नहरों पर पुलों का निर्माण हुआ था। काफी समय बीत जाने के कारण इन पुलों की हालत जर्जर है। ऐसी अवस्था में दुर्घटना घटित हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं गत दो वर्षों से पुलों की मरम्मत, निर्माण व ठीक करवाने के लिए विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से व अन्य नियमों के माध्यम से बार-बार सरकार से मांग कर चुका हूं। मैं सरकार को और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पुलों की हालत बहुत जर्जर है। क्या सरकार तब चेतेगी जब कोई हादसा होगा? पहले चेत जाए और क्षतिग्रस्त पुल ठीक करवा दे। आरडी 64 लखुवाली, आरडी 84 मोधुनगर, आरडी 99 खेतावाली ढाणी, आरडी 108 खोडा, आरडी 22 डबली, क्षतिग्रस्त पुल हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही रावतसर से सूरतगढ़ वाया जाखड़ावाली 18 एसपीडी, बड़ोपल मध्य घग्घर नदी पर स्थित पुलिया पूर्णत: क्षतिग्रस्त अवस्था में है। एक तरफ मार्ग अवरुद्ध है, सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे और इन पुलों को ठीक करवाये ताकि आमजन को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र के मार्ग बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र के किसान, आमजन व्यापारी, मजदूर, अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से तहसील मुख्यालय पर आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूरी बीस से तीस किलोमीटर अधिक

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

हो जाती है, समय पर साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अत: मेरी मांग है कि इस रास्ते पर घग्घर काजवे का निर्माण कराया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मैं पिछले दो वर्षों से विधान सभा में अनेक माध्यमों से मांग करता रहा हूं कि आमजन, मजदूर, किसान, व्यापारी, विद्यार्थियों को इससे कठिनाई होती है, इस स्थिति में निम्न काजवे का निर्माण करवाने की मांग करता हूं :-

चक 29 से एसटीजे से लखुवाली, अमरपुरा से लुढाणा, चक 3 एसपीडी (खेदासरी से पूनिया वाया भैरूसरी के मध्य) या यहां पर काजवे बनाया जाये या पुल बनाया जाये, जो भी बनाया जाये शीघ्र बनाया जाये ताकि इससे हो रही परेशानी का लोगों को लाभ मिल सके।

हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ नेशनल हाईवे है लेकिन यह शहर के बीच में से गुजरती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पीलीबंगा में से जो रोड गुजरती है, पीलीबंगा बड़ा शहर है और वहां पर बाईपास बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार से हनुमानगढ़ से किशनगढ़ मेगा हाईवे जाती है वह रावतसर शहर के बीच से जाती है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रावतसर में भी बाईपास बने। रावतसर और पीलीबंगा दोनों शहरों में बाईपास बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, विकास पथों को स्वीकृत हुए दो साल हो गये, पर अभी तक नहीं बने हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। सहयोग करें, विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय पदमाराम जी, एक मिनट रुकें। सभी माननीय सदस्य जिन्हें मांग संख्या 21 पर अपनी बात रखनी है, मैं आप सबकी परेशानी समझ रहा हूं। 5 मिनट में आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। मेरा

(श्री सभापति)

आप सभी से विशेष अनुरोध है कि जो वक्ता अपनी बात रखना चाह रहे हैं और समय की कमी के कारण नहीं रख पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप लिख लें और लिखित में आप टेबल कर दें तो आपकी सारी बात आ जाएगी। आपको भी परेशानी होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको बार-बार टोकना। बचे हुए माननीय सदस्य, अच्छा रहेगा कि आप लिखित में अपना वक्तव्य टेबल कर दें ताकि आपकी सारी बातें उसमें आ जाएं। कोई पालिसी डिस्कस नहीं कर रहे हैं आप लोग। सभी अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हमें ये सड़कें चाहिए। बोलने की बजाय अपना वक्तव्य टेबल करेंगे तो आपकी सारी बातें रिकार्ड पर आ जाएंगी। यदि आपको यह जमता है तब तो ठीक है, वरना आपको सहयोग करना होगा और मैं पांच मिनट में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विराज जाएं। श्री पदमाराम।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: अलाउ नहीं किया है मैंने आपको। बैठिए आप। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन की कोई गम्भीरता नहीं समझते आप।

श्री पदमाराम (चौहटन): मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विषम परिस्थितियों में जब पूरे विश्व में कोविड19 का भय था, संसाधन कम थे, वित्तीय प्रबंधन कम था, उसके उपरांत भी राजस्थान को आगे बढ़ाने, मजबूती देने के लिए, राजस्थान की आम जनता को कोई तकलीफ न हो, उसके लिए सड़कों के लिए शानदार बजट पेश किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान नवीन सड़क नीति लागू की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने बिना वित्तीय प्रबंधन, आनन-फानन में वापस कुर्सी हासिल करने के लिए सड़कों की घोषणा की। अभी हमारे सामने बैठे हुए हमारे साथी कह रहे हैं, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक, दो साल में आपको 15-15, 20-20 किलोमीटर मिसिंग लिंक दे दी थी, उनकी तो हम पूर्ति कर रहे हैं तो आप तो मत चिल्लाएं। हमारे लोग चिल्लाएं तो समझ में आता है, आप तो मत चिल्लाएं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सड़कें टूट गयीं? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सड़कों में रास्ता नहीं है? मेरा निवेदन है कि इनकी

(श्री पदमाराम)

कथनी और करनी में अंतर है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने राजस्थान के सभी विधान सभा क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की है, मिसिंग लिंक की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, परन्तु यह भी निवेदन है कि हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले मरुस्थलीय हैं। यहां का भू-भाग, यहां के गांवों की दूरियां और यहां की जनसंख्या के आधार पर उनकी सड़कों की लम्बाई को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर और जैसलमेर का विशेष ध्यान रखते हुए इनके लिए कोई नया प्रावधान करें। दूसरे विधान सभा क्षेत्र और हमारी एक पंचायत समिति का क्षेत्र बराबर है। क्षेत्रफल के आधार पर बाड़मेर और जैसलमेर को प्राथमिकता देते हुए उनका विशेष ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 7200 से अधिक किलोमीटर की रोड को मैटल रोड में परिवर्तित करने की घोषणा की है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन का 50 किलोमीटर का नाम लिया, परन्तु वह रोड पहले बन गयी, इसलिए उसके स्थान पर सियाणिया से पनोरिया, सावाफाटा से बुरान का तला और चौहटन से सरूपे का तला, तीन नयी सड़कें देने का मैं निवेदन कर रहा हूं। इसमें जो भी हो सके, जितना भी बन सके, बजट और संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उसका निर्माण करें।

मेरा दूसरा निवेदन है कि जो सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, उसका मेन कारण, अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्वालिटी और क्वान्टिटी का ध्यान रखें। जिस समय जो टेण्डर होते हैं, उस वक्त, आज-कल ठेकेदार लोग यह जो बिलो रेट डालकर जो बीएसआर रेट से नीचे ले लेते हैं और उसके उपरांत उसके अन्दर लीपापोती करते हैं और अपने संसाधनों को बचाने के लिए और अपना धन कमाने के लिए वे काम करते हैं। इस कारण से सड़कों का बैलेंस ज्यादा नहीं रहता है और पांच साल में तो सड़क बिखर जाती है। भारतीय जनता पार्टी के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कई सड़कें हुई हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): जो 8 फुट की सड़क है, तीन-चार साल में वे सड़कें बिखर गयीं। वहां सड़क का नामोनिशान नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि क्वान्टिटी और क्वालिटी का ध्यान रखें। क्वान्टिटी और क्वालिटी का ध्यान

(श्री पदमाराम)
नहीं रखेंगे तो राजस्थान की जनता की जो गाढ़ी कमाई का धन है, वह व्यर्थ में बह जाएगा। मेरा दूसरा निवेदन है, जो पैचवर्क का काम किया जा रहा है, वह राजस्थान के धन को बर्बाद करने जैसा काम है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो नोन पैचेबल सड़कें हैं, उनका नवीनीकरण कराएं और पैचेबल सड़कों को प्योर मैटेरियल से पैच कराएं। दूसरी जगहों पर जो हम धन खर्च करते हैं, उस आधार पर प्योर मैटेरियल के द्वारा पैचवर्क कराया जाएगा तो 20 किलोमीटर सड़क है, 5 किलोमीटर टूटी हुई है 15 किलोमीटर सही है तो उससे पूरा मामला सही हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों तक वह सुरक्षित रहेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरे यहां 30 सड़कें ऐसी हैं, जिनके नवीनीकरण के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस प्रकार से सबको पता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में सड़कों की घोषणा की और जो सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि उनमें बहुत ही हिम्मत थी, हिम्मत तो थी, लेकिन कलेजा नहीं था, क्योंकि धरातल पर काम नहीं है। गौरव पथ हर पंचायत मुख्यालय पर दिया और हर नगरपालिका में दिया ढाई-ढाई करोड़ का। आपने घोषणा की कि विकास पथ देंगे। क्या एक भी विकास पथ दिया? एक विकास पथ जरूर दिया अजारी के अन्दर, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 54 ग्राम पंचायतें और 2 नगरपालिकाएं हैं। एक विकास पथ जरूर दिया है।

मिसिंग लिंक में रोड, मिसिंग लिंक की रोड कहां गयी? 15-15 किलोमीटर हमारी सरकार में उस समय की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 80-90 करोड़ रुपये का काम हुआ था। कहां गया, धरातल पर आज काम बिलकुल नहीं है। सत्ता पक्ष वाले भी मन से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम करवाने हैं, कहेंगे कि हमने अच्छा बोला था, इसलिए एकाध रोड दे दें, पुल दे दें। इनकी वाहवाही लूटने के लिए कह रहे हैं।

(श्री समाराम गरासिया)

सत्ता पक्ष के हेमाराम जी ने कितने दु:खी मन से कहा कि कम से कम जनता ने तो वोट दिये हैं न, जनता के साथ तो अन्याय मत करें। जनता आपकी है, सबको एक साथ रखें। कभी भी हमारी सरकार ने भेद-भाव नहीं किया, लेकिन आपने सरासर भेद-भाव किया है और हमारे यहां जनजातीय विकास के लिए 2 करोड 93 लाख का एक पुल पास हुआ था, वह पुल आधा-अधूरा पड़ा है। उसकी रेलिंग नहीं की है। उसमें अभी पैसा बकाया है। उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, 57 लाख रुपये अभी भी बाकी हैं। वहां आये दिन दुर्घटनाएं हम देखते हैं। कभी मोटरसाइकिलें गिरती हैं, पशु गिरते हैं, इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारी सरकार में जो जनजाति से बजट था, वह पूरा किया जाए।

जिस प्रकार से रोडों का प्रस्ताव दिया हुआ है, 6 किलोमीटर की दोहितरा-पाबाल सड़क है जो 4 करोड़ 80 लाख की है, निचली बोर से उपली बोर तक 3 किलोमीटर है, इसमें पूरा प्रस्ताव दिया जाए। भीमाणा वाया पावटीफली 8 किलोमीटर है, रामपुरा कोदला सड़क 4 किलोमीटर है और दो पंचायतों को जोड़ती है। 4 किलोमीटर की ग्राम पंचायत काला महादेव खेड़ा है जो 3 करोड़ 48 लाख की है। पानिया आदि जनजाति क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से सारे बाकी हैं। अरनिया फली, बालोरिया के अन्दर भूरी फली, इतनी सारी जो रोडें बाकी हैं, कम से कम एकाध कमप्लीट हो जाए। आबू पर्वत हिन्दुस्तान की नाक है, उसमें जो भारतमाला मिशन का रोड था वह भी हो जाए तो आबूरोड आने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए।

मैंने पुलियाओं के बारे में कई बार निवेदन किया था तो कम से कम कासोली, पंचदेवल, गंभीरा नाला, पेसुवा और हमारे वरली-पिण्डवाड़ा के बीच में भी लोग गिरते रहते हैं और पिण्डवाड़ा से जाते हैं तो वहां ओवरफ्लो बांध का नाला बहता है और वहां मजदूरों का आवागमन काफी रहता है, इसलिए मैं मांग करता हूं। आपने सिर्फ एक पुल कोजरा नदी पर दिया है इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं पर एक पुल से क्या होगा? मैं हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देता हूं कि 2003 में भी 8 पुलिया दिए थे और 2013 से 2018 तक सरकार थी उसमें भी 8 बहुत बड़ेबड़े पुल दिए थे तो कम से कम जनता के साथ में न्याय हो।

जो डीएमएफटी का जो पैसा है, हमारे विधान सभा के अन्दर बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वहां के लोगों की गोचर जमीन गई है....

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): बाकी की थोड़ी गई है, पर एक ही विधान सभा क्षेत्र के सदस्य के कहे अनुसार शिवगंज-सिरोही के अन्दर पूरा बजट लगता है तो मैं मांग करता हूं कि हमारी जनता के साथ में न्याय हो। डीएमएफटी के पैसों से जहां गोचर गई है, जहां के लोगों के वहां प्रदूषण होता है तो कम से कम उन लोगों को न्याय मिले। वहां पर आदिवासी और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं तो सब जगह सड़कों पर पुलिया बने और डीएमएफटी के पैसों का हमारे साथ में न्याय हो। डीएमएफटी का एक ही इसमें दिया है तो मैं मांग करता हूं कि ये सारे जो मैंने पुलिया दिए हैं ये सारे हो जाएं। मैं आपसे ही उद्घाटन करवा दूंगा। पूरा बजट आता है और जो कालेज दिए वह बाकी है दो साल से तो वह भी डीएमएफटी के पैसों से होना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): डीएमएफटी के सारे पैसे शिवगंज-सिरोही में ही लगे हैं तो मैं मांग करता हूं कि पिण्डवाड़ाआबू में भी लगें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़क व पुल पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने राजस्थान की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2021-22 के बजट में सड़कों पर 15 हजार करोड़ से ऊपर खर्च करने का लक्ष्य रखा वह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की सोच है। जिस देश और जिस प्रदेश की सड़क मजबूत होती है वह देश और प्रदेश मजबूत होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए, विधायकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बिना पार्टी-पोलिटिक्स को बीच में लाते हुए ... (व्यवधान) शब्दों को सुनो शर्मा जी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन से बात करें, उधर से उनको इनवाइट मत करिये आप।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): चाहे वे किसी भी विचाराधारा के विधायक हों, नगर परिषद् में 20 किलोमीटर, नगर निगम में 30 किलोमीटर, नगरपालिका में 10 किलोमीटर, हर विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये और हर जिले में तीन सड़कें जो महत्वपूर्ण हैं उनको अधिकारियों और वहां के जन-प्रतिनिधियों से पूछकर इस बजट में लिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उसी विधान सभा क्षेत्र से मेरे साथी सम्माननीय मदन जी दिलावर 18 साल विधायक रहे हैं। राजेन्द्र जी राठौड़ पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं और दिलावर जी दो बार मंत्री रहे। जिस सड़क से ये निकलते थे, जिस सड़क से प्रताप सिंह जी निकलते थे, जिस सड़क से वसुन्धरा जी निकलते थे और जिस सड़क से वसुन्धरा जी के सुपुत्र सांसद दुष्यंत सिंह जी निकलते थे, उस सड़क में एक-एक फीट के गड्ढों से इन लोगों को गुजरना पड़ता था, लेकिन इन्होंने उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। जब राजस्थान के 2008 में चुनाव हुए और वहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत बने तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मुझे मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं चाहिए लेकिन यह जो सड़क बारां से अकलेरा जाती है इस पर इतने गड्ढे हैं, पूर्व मुख्य मंत्री का इलाका है, दो-दो मंत्री रहे हैं, पर इन्होंने इसके पैचवर्क नहीं कराए, इसलिए आप इसको स्वीकृत कीजिए और उन्होंने पहले ही बजट में 122 करोड़ उस सड़क पर देकर उसको इतना अच्छा किया है कि इनको उसे देखते हुए शर्म आती होगी कि वास्तव में 18 साल तक राज करने के बाद में हमने क्या किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 3-4 इम्पोर्टेंट काम हैं। कोटा से हमारा इलाका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और जो कोटा से सड़क चलती है कोटा, बपाउ और कवाई-छबड़ा और धरनावदा, वह अभी रिडकोर की सड़क है। अगर उसको रिडकोर से एचएच में घोषित कर दिया जाए क्योंकि वहां पर दो बड़े-बड़े प्लांट हैं चाहे थर्मल की बात करो या अडानी की बात करो, उनके जो बड़े-बड़े टैंकर हैं, वे उससे निकलते हैं और सड़क खराब हो जाती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी हाड़ौती की जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है और वहां पर जो सड़कों का निर्माण किया जाता है वे सड़कें दो या तीन साल में टूट जाती हैं इसलिए वहां की मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एस्टिमेट बनाए जाएं कि वे सड़कें कम से कम गारंटी पीरियड में तो चलें। साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जब क्वालिटी को हम कंट्रोल करना चाहेंगे, क्वालिटी मेंटेन करना चाहेंगे तो उसके लिए स्टाफ की अति आवश्यकता है। आज हर जगह एसई की पोस्ट भरी हुई है, एक्सईएन की पोस्ट भरी हुई है, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले एईएन और जेईएन की पोस्टें भरी हुई नहीं हैं इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इन पोस्टों को भरा जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): साथ ही मेरा एक और निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा सभा क्षेत्र के पास में मेरी छोटी बहिन निर्मला जी का विधान सभा क्षेत्र है और दोनों के अटैचमेंट में एक दो किलोमीटर की सड़क है। वहां के लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग वहां से जाते हैं लेकिन बरसात के समय में पार्वती नदी और एक जो किशनपुरा का बांध है वहां पर एक रपट की आवश्यकता है ताकि बरसात निकलने के बाद आवागमन का रास्ता हो सके। वहां का माल मेरे यहां बेचने आते हैं, मेरे वहां का माल वहां बेचने जाते हैं। वहां का दूध मेरे यहां आता है, मेरे यहां का दूध वहां जाता है और लोगों को आवागमन में परेशानी आती है इसलिए उस पुलिया का निर्माण कराया जाए। आपने आज की इस मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने बजट घोषणा की है, वे समय पर पूरी हों। इसी भावना के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें और पुल पर माननीय मंत्री महोदय के जवाब एवं पारण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय मांग पारण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारण होने तक समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर चर्चा हो रही है, आपने समय दिया, उसके लिए आभार। किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि को जांचने के लिए अच्छी सड़कें भी एक आधार हो सकती हैं और जिस राज्य में अच्छी सड़कें होंगी, आवागमन और व्यापार की समृद्धि भी अधिक होगी, यह हम सबको पता

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सारी चर्चा सड़कों पर हो रही है और इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सब भाग ले रहे हैं। पक्ष वाले भी कई लोग दुःखी हैं क्योंकि सड़कों के काम जिस प्रकार से होने चाहिए वे नहीं हुए। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ढाई वर्ष हो गए हैं पर सड़कों का काम इन ढाई वर्षों में कहीं पर भी धरातल पर नजर नहीं आया। आज मुझे यह कहते हुए दुख है और अभी आज एक डायरी देखी उसमें मैं देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ही नहीं है, खाद्य मंत्री नहीं है, टूरिज्म मिनिस्टर नहीं है, गृह मंत्री नहीं है तो जब ये इतने सारे मंत्री नहीं हैं तो सारा का सारा बोझ हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब के पास है। अब गहलोत साहब के पास पहले ही इतना काम है तो इन कामों को कौन देखेगा? सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि इन विभागों का जल्दी से जल्दी बंटवारा करें ताकि विकास की गति में राजस्थान को आगे ले जा सकें।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और सीधे-सीधे मेरे क्षेत्र की मांग पर आना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में जितनी भी वीआर और ओडीआर सड़कें हैं उन सबको एमडीआर में परिवर्तित कर दें ताकि सीआरएफ मद से केन्द्र से पैसा आ सके और हम उन सड़कों का सुधार कर सकते हैं।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि 2017-18 में हमारी सरकार में हमारी वसुन्धरा जी ने से ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़कें, इन सबके लिए स्वीकृति और पैसा दिया। ग्रामीण गौरव पथ बने, लेकिन 20-20 ग्रामीण गौरव पथ जो 2017-18 में सैंक्शन हुए थे उन सब कामों को आपने रोक रखा है और जिन कामों में आधा-अधूरा काम हो गया, गिट्टी बिछ गई है, उन सड़कों का काम भी रोक दिया, इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार उन पर जल्दी से जल्दी काम करवाए ताकि सारा काम ठीक हो सके। मेरे क्षेत्र में आज भी पचासों गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क मार्ग नहीं है और वहां पर मिसिंग लिंक के माध्यम से इन सड़कों के लिए बजट देना जरूरी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी मुख्य मंत्री जी को सब धन्यवाद दे रहे हैं, मैं भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, पांच करोड़ रुपये विधायकों को दिया गया सड़कों के लिए, मिसिंग लिंक बनाओ, चाहे नोन-पेचेबल को पेचेबल करो, अब पांच करोड़ रुपये में क्या आता है इस मंहगाई के जमाने में, कम से कम 15-15 करोड़ रुपये एक-एक विधायक को, आप भी चाह रहे हो, ये कोई कह नहीं रहा है, लेकिन मेरे से कहलवा रहे हैं, इसलिए सबकी भावनाएं सभापति

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

महोदय, आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा कि कम से कम 15-15 करोड़ रुपये एक-एक विधान सभा क्षेत्र को दिया जाए, ताकि सड़क मार्ग ठीक हो सके।

सभापति जी का तो विशाल हृदय है ही और मुख्य मंत्री जी का भी हो जाए। जिस प्रकार से आपने विकास पथ बनाने की घोषणा की थी, अच्छी बात है विकास पथ बनने चाहिए। हमने गौरव पथ नाम दिया, आपने विकास पथ दिया। हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनाए, आपने एक भी पंचायत पर विकास पथ नहीं बनाये। उनके टेंडर नहीं लगे। विधान सभा क्षेत्र में एक-एक बड़ी सड़क दें जिस पर आवागमन ज्यादा हो। कारोई, पहुंना, राशमी, कपासन, भादसौडा सड़क, इसको एमडीआर में परिवर्तित कर दें, ताकि केन्द्र से फोर लेन बनाने के लिए पैसा हम ला सकें और यह प्रस्ताव राज्य सरकार अभी तक नहीं भेज रही है। यदि कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की हैसियत से लिख रहा हो, तो इसको लिखें, ताकि इस सड़क को एमडीआर बनाकर केन्द्र से फोर लेन का पैसा लाए जाए। हमीरगढ़ नेवरिया, मरमी भीमगढ़, चटावटी, लांगच, सिंहपुर, छापरी, रेवलिया खुर्द, सूरपुर, लेसवा, भादसौड़ा सड़क को भी चौड़ा करें, उसके नवीनीकरण की आवश्यकता है। जाश्मा शनि महाराज से कपासन यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, इसको नोन-पेचेबल करने के लिए भी पैसा दें।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में कई गांव अभी मिसिंग लिंक से जोड़ना बाकी है, उन सबको जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें।

कुछ हमारे क्षेत्र के अन्दर पुलिया हैं, इन पुलियाओं के ऊपर जैसे बनास नदी में सांखली पुलिया, जब नदी आ जाती है तो आवागमन बंद हो जाता है। दोतडी पुलिया, दांतोली पुलिया, रामाखेड़ा पुलिया, हीराखेड़ी पुलिया, पहुंना बनास नदी पर पुलिया, सोमी पुलिया और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ बनाये और एक-एक साल में, एक-एक साल में इतना काम किया जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपको याद दिलाता हूं।

श्री सभापति: कृपया आपस में वार्ता नहीं करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जिस प्रकार से अटल जी आए सरकार में, प्रधान मंत्री बने, तब गांव के अन्दर काली सड़कें दिखाई देने लगीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ नहीं देख सकते।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ग्रामीण सड़क जिस प्रकार से बनने लगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें बनने के बाद ही गांवों के अन्दर काली-काली सड़कें दिखाई दे रही हैं, उसके पहले इतने वर्षों तक 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा, लेकिन गांवों के अन्दर कोई सड़क नहीं बनी। हमारी सरकार ने सबसे पहले एक हजार की आबादी तक के गांव को सड़कों से जोड़ा डामर से, फिर 500 की आबादी, 250 की आबादी से जोड़कर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इस समय प्रधान मंत्री जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाकर पूरे देश के चारों महानगरों को जोड़ने का काम किया, ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर बनाकर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सड़कें बनाकर के इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। मेरा आग्रह है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने के द्वारा सड़कों को अभी हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी भी, पूरे देश के अन्दर फोर-लेन को सिक्स लेन कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है, आप भी सड़क का पैसा दें, बजट के अन्दर बढ़ाओ और पुलिया बनाओ, सड़कें बनाओ। सिर्फ शहरों का विकास करने से कुछ नहीं होगा, गांवों का जब तक आप विकास नहीं करोगे, गांवों को सड़क तंत्र से नहीं जोड़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ढाई वर्षों के अन्दर आप मुझे बता दें, कपासन विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे विपक्ष के जितने भी बैठे हैं, पक्ष के भी जितने बैठे हैं, गुढ़ामालानी से आने वाले और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य, इनके अलावा भी कई ऐसे वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, जो 1993 से इस सदन में आ रहे हैं, उससे पहले से आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं को इस सदन के अन्दर नकारा जाता है। नये-नये मंत्री बने, लेकिन पुराने लोगों को आप भूल जाओगे, जब पुराने लोगों को भूल जाओगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन इस समय जो पीड़ा आज गुढ़ामालानी जी की देखी थी, वह मुझसे देखी नहीं जाती है, क्योंकि वे हम सबसे वरिष्ठ हैं। मेरा निवेदन है आपसे, जो सड़कों के अन्दर, हमारी सरकार ने 20 हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान के अन्दर, नोन-पेचेबल सड़कों को, पेचेबल सड़कों में करने का काम किया और 10-10 किलोमीटर और 15-15 किलोमीटर हम सबको मिसिंग लिंक सड़कें दीं, हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी, मेरे यहां पर नरेला, भीमगढ़, राशमी, मातृकुण्डिया, जाश्मा, भोपालसागर 55 किलोमीटर 77 करोड़ रुपये की सड़क बनाकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान किया था और हमारे केन्द्र के द्वारा भी...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कई सड़कें बनाई गई हैं। हमारी सहभागिता योजना में भी सांवरिया जी से लगाकर के भादसौड़ा और शनि महाराज का कपासन, ये सड़कें हमने दी हैं। हमारी सरकार ने देवस्थान के माध्यम से सड़कें बनाने का काम किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अभी सभापति जी ने टोक ही दिया है तो मेरा यही आग्रह है कि जो भी अभी वर्तमान में सड़कों का बजट है, उस बजट को बढ़ाएं और कम से कम 15-15 करोड़ रुपया एक-एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मिसिंग लिंक सड़कों के लिए देकर एक कीर्तिमान स्थापित करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर अवाना। एक मिनट, अवाना जी। मैं सत्ता पक्ष के जो माननीय वक्ता हैं, जिनको बोलना है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, वे टेबल करेंगे। अपना नाम सुन लें और टेबल करने की तैयारी कर लें। श्री लक्ष्मण मीणा, श्री सुरेश टाक, श्री गोविन्द राम, श्री ओम प्रकाश हुड़ला, श्री सुरेश मोदी, श्री बलजीत यादव, श्री अमर सिंह जी, आप सब लोग अपना वक्तव्य लिखित में तैयार कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि सही 8.00 बजे रिप्लाई होगा और आप लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी समय है, आप अपना वक्तव्य लिखित में तैयार कर लें, ताकि आप अपना वक्तव्य टेबल कर सकें और..

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): साहब, ये हमेशा हमारा ही नम्बर आता है क्या नहीं बोलने में?

श्री सभापति: प्लीज।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): फिर साहब इसको बंद कर दें, हम चले जाते हैं, साहब, कोई बात नहीं। अगर हमें नहीं बोलना है तो हम चले जाते हैं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो अपना वक्तव्य तैयार करेंगे, किसी का अंकित नहीं होगा। श्री जोराराम कुमावत, श्री संजय शर्मा, श्री शंकर सिंह रावत, श्री नारायण सिंह देवल, श्री फूल सिंह मीणा, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री जगसी राम कोली, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री अविनाश गहलोत, श्री बाबुलाल, श्री प्रताप भील, अभी आपके पास भी समय है, अपना वक्तव्य आप लिखित में तैयार कर लें, ताकि आप टेबल कर सकें। श्री जोगिन्दर अवाना। अपने नेताओं से बात करिए आप, मेरा डायरेक्शन नहीं है।

लिखित वक्तव्य

(माननीय सदस्यों के लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-21...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा किसी का।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): 000

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): 000

श्री जगसी राम (रेवदर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। विराजिए-विराजिए। आपको कोई असुविधा है तो आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लें। प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस प्रदेश के जननायक मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने कोरोना जैसी बीमारी के चलते जिससे पूरे देश में, विश्व में आर्थिक संकट आया हुआ है, उसके बावजूद इतना बेहतरीन बजट पेश किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, राजस्थान प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10 हजार के आसपास व्यक्तियों की जान जाती है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत जीवन रक्षक योजना, जिसकी अभी बजट में घोषणा की गई, जीवन रक्षक योजना के तहत गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया, वह भी एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति जी, नवीन राज्य सड़क नीति, 2021 लाई गई, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बार-बार धन्यवाद करना चाहता हूं। आगामी तीन वर्ष में 3 हजार 880 करोड़ की लागत से 1 हजार 590

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

किलोमीटर लम्बाई के 17 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य किये जाएंगे, जो एक बड़ा सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में पिछले ढाई वर्ष से आरओबी का कार्य चल रहा है, जिसका गत सरकार में उसका टेण्डर हुआ लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार है और रेलवे के जो मुख्य

(19.00 बजे)

अभियंता हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बैठते हैं, उनके यहां से एक ड्राइंग सैंक्शन होकर आनी है जो अभी तक ढाई वर्ष से नहीं आई है। इससे बड़ी दु:ख की बात कोई हो नहीं सकती कि उसके चलते हुए आज भी आरओबी का कार्य रुका हुआ है। मैं मांग करना चाहता हूं यहां सदन में आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी वह ड्राइंग मंगाई जाए। उसके साथ में फिर बाईपास का भी हमारा कार्य है जो एक बड़ा कार्य है, जिससे आए दिन मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में ट्रैफिक की समस्या रहती है, वह कार्य भी पूरा हो सकेगा।

माननीय सभापति जी, अभी पिछले दिनों कई चीजें, इस तरह की अनियमितताएं, वहां के जो हमारे ठेकेदार हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह मेरे सामने आई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के स्टेट हाईवे-45 के वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जो स्वीकृत था, जिसका कार्य मैसर्स लटारा कंस्ट्रक्शन कंपनी, संवेदक, जयपुर को 583.22 करोड़ रुपये में आबंटित किया गया और जिसका समय केवल 6 माह का था लेकिन बड़े दु:ख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि आज ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। लगातार मांग चली आ रही है। संबंधित जो हमारे यहां अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके भी संज्ञान में मैंने ला दिया है। कई बार उनको ब्लैक लिस्ट करने के भी नोटिस जारी हुए हैं लेकिन बड़े दु:ख का विषय है और मैं पूछना चाहता हूं सदन में आपके माध्यम से कि ऐसे क्या रिश्ते हैं उस लटारा कंपनी के अधिकारियों के साथ में, जो स्थानीय अधिकारी भरतपुर में है, उनके ऐसे कौन से वो रिश्ते हैं, जो ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही आज तक उस कंपनी के खिलाफ नहीं की गई?

माननीय सभापति जी, पूरी तरह से वहां ठेकेदारों को संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर। मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरह से एसीडी की कार्यवाही होती है, उसी स्तर की एक

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

कमेटी बनाई जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसकी जांच कराई जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि उच्चैन से चिकसाना होते हुए जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, पीपला वाया मथुरा-दिल्ली-आगरा जो करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां नया बाईपास बनाया जाए और मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली, आगरा, मथुरा से बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर तमाम जगह जाते हैं। जब यह बाईपास बन जाएगा तो मैं समझता हूं कि ट्रैफिक से वहां निजात मिलेगी।

माननीय सभापति जी, एनएच-21 आगरा-जयपुर-बीकानेर जाता है। मैं मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो चार लेन है, उसको 6 लेन किया जाए क्योंकि बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए वहां आए दिन ट्रैफिक की समस्या रहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का डेरा नदबई मुख्य मार्ग जो है, उसके लिए भी मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उसको दो लेन किया जाए, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था वहां पर ठीक हो सके।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्दर एक्स.ईएन. आफिस खोला जाए। रिक्त पदों पर जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों के जो रिक्त पद हैं, वहां पर उनकी नियुक्ति नहीं है, उनको भी तत्काल वहां नियुक्त किया जाए और मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अन्दर मेरा अकेला नदबई विधान सभा क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसके अन्दर डाक बंगला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक बंगला खोला जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): आपने मुझे मांग संख्या-21 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी, अब तक मेरे सभी पूर्व साथियों ने सड़कों के बारे में और इस देश और प्रदेश की सड़कों का जो हाल है, उसके बारे में और अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में सड़कों के हाल बताए और

(श्री सुभाष पूनिया)

करीब-करीब सदस्यों का भी यही मतलब था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक ऐसे सपूत ने दी, जिसने गांवों की सुध ली। मैं सैल्यूट करता हूं पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उसको आगे बढ़ाने का काम अब मोदी जी के नेतृत्व में और गडकरी जी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस देश में आज के दिन 29.81 किलोमीटर का जो औसत बैठ रहा है। निश्चित रूप से सड़कों का विकास हुआ है लेकिन इस प्रदेश में बहुत ही शर्म की बात है कि ढाई साल में, मैं प्रदेश की और देश की बात नहीं करूंगा, मैं मेरे सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि राज बनने के बाद एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है और सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं जिले में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें 4 विधान सभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के लगते हैं। वहां सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। यह हालात इस प्रदेश के हैं और ग्रामीण गौरव पथ जो सभी सदस्य कह रहे थे विकास पथ के नाम पर तीन-तीन प्रपोजल हमसे ले लिए। अभी तक एक विकास पथ हमें दिया गया है। दो विकास पथ, नाम जरूर बदले हैं गौरव पथ के लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया गया है और अभी बजट में जो 5 करोड़ रुपये का विधायकों को झुनझुना पकड़ाया गया है, वह मैं मांग करता हूं कि हमें कम से कम 10 करोड़ रुपये दिया जाए ताकि हम क्षेत्र में सड़कें बना सकें ...(व्यवधान) आप कुछ कह रहे हैं क्या? हम बीच में नहीं बोलते हैं। क्या मतलब हुआ?

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): हां, तो मैं अनुशासित सदस्य हूं सभापति जी, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, हमारे बीच में क्यों बोले कोई।

श्री सभापति: आप अपनी बात रखिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में नोन पैचेबल सड़कें हैं। 18 से 20 सड़कें हैं जिनका मैं आपके बीच में वर्णन करूं, पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, पचेरी, सुल्ताना से किठाना, पचेरी से सहड़, असाद से बालोठ, मुहाना से बलौदा, खांदवा से सांतोर, सिंघाना, खानपुर, सांवलोद और बिड़ से सांतोर और कलवा जारोडा, कुहाड़वास और सिंघाना से कुठानिया और ढाणी बालोठ सड़क से चूड़ीना, सांवलोद से श्यामपुरा और सिंघाना-चिड़ावा सड़क से साकोत, ये नोन पैचेबल सड़कें हैं और कुछ सड़कें जो एमडीआर घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव भिजवाए गये हैं। वह मैं आपसे

(श्री सुभाष पूनिया)

आग्रह करना चाहूंगा सभापति जी, सुल्ताना, घरढाना, बसावता, बोरावाला कुआ, पचेरी, बालोठ, असाद से बालोठ हरियाणा सीमा तक, पचेरी बालोठ और सोहली डूलोठ हरियाणा सीमा तक।

नैक्स्ट है हीरवा, गाडाखेड़ा, शाहपुर, पालोता, बुहाना और सूरजगढ़ में, सूरजगढ़ शहर में बुहाना रोड को एक बाईपास की बहुत ही महती आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए वहां दो दो, तीन-तीन घंटे जाम लगता है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सूरजगढ़ में भी एक बाईपास शीघ्र बने और मिसिंग लिंक के बारे में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कुलोठ कलां और कुलोठ खुर्द 2 गांव ऐसे हैं जो 2-2 किलोमीटर हरियाणा बोर्डर अगर जुड़ जाता है तो वास्तव में वहां की जनता को 10-10 किलोमीटर जो चक्कर काटकर जाना पड़ता है उससे निजात मिलेगी और भुड़नपुरा से कुलोठ और भावटड़ी से दायल, मेसों का बास, बिशनपुरा से अमरपुरा, बदनसर से ढिंगड़िया, घसेड़ा से उदामांडी, धूलवा से जारोडा, ढाणी लक्ष्मण सर से बेरला, मोही सरदा से मोही पुरानी, आंदवा आश्रम से बिर्र, नानवास से नानूवाला मंदिर और नरात से बुहाना, यह सड़कें अगर बन जाएंगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास होगा। जिस देश और प्रदेश में अगर सड़कें अच्छी होती हैं तो यह सर्वविदित है वह देश और वह प्रदेश और विधान सभा क्षेत्र भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा और उसका आर्थिक विकास भी होगा। धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे को समय दिया।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-21 पर बोलने का मौका दिया। मैं ज्यादा न बोलते हुए सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर आता हूं माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय, पिछले तीन-चार साल से जो हमारे यहां पर चाकसू के अन्दर जाने वाली रोड है, शीतला माता जिसके अन्दर जयपुर का प्रमुख मेला भी भरता है, उसके अन्दर एक पुलिया है, उस पुलिया के अन्दर पिछले तीन-चार साल के अन्दर 12 जानें जा चुकी हैं। 3-4 बसें वहां पलटी खाकर उस खाई के अन्दर गिर भी चुकी हैं। रोड सेफ्टी में इसका प्रस्ताव भी बनकर तैयार है माननीय सभापति महोदय, लेकिन अभी तक वहां पर जो जान लेने वाली पुलिया है उसका निर्माण नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से वह पुलिया बने जिससे लोगों के जान माल की रक्षा हो।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, पहले जब हमारा सत्र लगा था, उस समय भी कहा था कि बजरी का जो भी व्यापार है वह चाकसू होते हुए आता है। माननीय सभापति महोदय, हाईवे से तो बजरी वालों ने आना बंद कर दिया लेकिन जितनी भी छोटी सड़कें हैं, उन पर से बजरी के 40-40 टन के ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर निकलते हैं। माननीय सभापति महोदय, चाकसू में इतना ज्यादा विकास होने के बाद भी जब हमारे गांव के लोग सड़कों पर निकलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जब इतना विकास हो गया, तब लोग चलकर चाकसू कस्बे में आते हैं या तहसील हैड क्वार्टर पर जाते हैं तब रोडों की तरफ देखते हैं तो इतना दु:ख होता है, सभापति महोदय, जिसकी स्थिति कहने लायक नहीं है। अभी पिछले दो साल में एक किलोमीटर भी नई सड़क नहीं बनी। मैंने पहले भी आग्रह किया था, आपके माध्यम से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बजरी वालों ने जो रोड तोड़ी है, गांवों में लोगों का निकलना मुश्किल है। हमारे वहां डाबीच से डीडावता की रोड है, वहां पर निकलना मुश्किल है। अभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गये थे डीडावता से कुमारिया वास रोड पर, सभापति महोदय, 6 किलोमीटर पैदल चलकर गये थे। उनकी गाड़ियां उनको छोड़नी पड़ी थीं। अधिकारियों को सब मालूम है कि वहां पर रोडों की स्थिति यह है, उसके बाद भी इन रोडों का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, न सैंक्शन की गई हैं। पहाड़िया से लाडपुर सोसाइटी तक का रोड है। महादाससपुरा से चानमाकलां तक का रोड है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कई सालों से हमारी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारी पंचायत मडालिया मेदा पंचायत है, वह चाकसू तहसील में लगनी चाहिये थी परन्तु वह कोटखावदा तहसील में लग गई और उन गांवों को पहले मडालिया से चाकसू आना पड़ता है और चाकसू के बाद 15 किलोमीटर वापस कोटखावदा जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां अनदपुरा में पुलिया का अगर निर्माण करा दिया जाए तो यह 30 किलोमीटर का चक्कर जो इन गांव वालों को लगाना पड़ता है, उससे निजात मिल जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को पैचवर्क का इतना पैसा मिल जाता है कि यह सड़कों के नये निर्माण पर ध्यान नहीं देते। यह पैसे का दुरुपयोग है।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

पैचवर्क करने का जितना पैसा चाकसू में मिला है उससे वहां छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण हो सकता था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे रेनवाल माजी में बाईपास निकल चुका, सैंक्शन भी हो चुका, उसका पैसा भी आ चुका लेकिन आज तक उस बाईपास का निर्माण चालू नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाईपास को तत्काल प्रभाव से चालू कराएं जिससे जो जाम की स्थिति रेनवाल माजी में बनी रहती है, उससे जनता को छुटकारा मिले। जो हमारे बड़े कस्बे हैं, उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो सारे काम हो जाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो जो भी रोडें हैं, काजडा से तामडिया, जहां भैंरू जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उनको भी तत्काल प्रभाव से बनाने की कृपा करें। यही आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की मैं मांग रखता हूं। मेरे जहाजपुर में पीएमजीएसवाई सैकण्ड में दो सड़कें सैंक्शन हुईं, निर्माण कार्य चालू है। घाटारानी माताजी का जो हमारे धार्मिक स्थान है, वहां मेला लगता है, श्रद्धालु आते हैं, वहां के एस्टीमेट में पुलिया नहीं ली गई। मैं मांग करता हूं कि उस पुलिया की चौड़ाई बढ़ाई जाए। इसी तरह सरसिया मेडिया सड़क का कार्य चल रहा है। उसमें बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है, बांध का पानी आता है। अत: उस सड़क की ऊंचाई बढ़ाकर वहां सीसी रोड का निर्माण किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, कोटडी कस्बा उप खण्ड मुख्यालय है। वहां चारभुजा नाथ भगवान का सम्भाग का धार्मिक आस्था का केन्द्र है। वहां आये दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं मांग करता हूं कि कोटड़ी में बाईपास का निर्माण किया जाए। इसी तरह पीपलून्द में जाम लग जाता है, वहां भी बाईपास का निर्माण किया जाए या आबादी में सड़क की चौड़ाई कराने का काम किया जाए।

इसी तरह मैं मांग करता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्व बजट में, सीएम घोषणा में एमडीआर 56 एक सड़क पास हुई थी। उसका टेंडर हो गया, कार्यादेश जारी नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि उसका तुरन्त कार्यादेश जारी करके क्षेत्रवासियों को लाभ दिलाया जाए।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की प्रमुख मांगें रखना चाहता हूं। सड़क चतरगंज वाया थाना जहाजपुर, रावतखेडा, कोठाझ, कोटडी, यह दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क है, इसको स्टेट हाईवे घोषित किया जाए। घाटारानी के पास बनास नदी से आधी पंचायतें कट जाती हैं। मैं मांग करता हूं कि बनास नदी पर ओडिया खेडा के पास घाटारानी के पास पुलिया निर्माण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, रासेड बोरडा तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, इसका नवीनीकरण किया जाए। झीकली से आवुना डोला सड़क निर्माण किया जाए। मेन सड़क से 148 एनएच हाईवे लक्ष्मीपुरा वाया बडौडा सड़क का निर्माण किया जाए। ग्राम बखेरा से लाल का खेडा एनएचआई तक सड़क का निर्माण किया जाए। खेमा खेडा से देवरी माता चौराहा तक सड़क निर्माण किया जाए। देवपुरा से गुढा तक, अमरगढ से अखेराम जी का खेड़ा, अमरगढ़ से रतनगढ़ मुहड़ा ग्राम तक, मुख्य सड़क से सोराम मास्टर का झौपड़ा व छग्गा का झौपड़ा तक, इटून्दा से ग्राम मोती कुई तक, इटून्दा से ग्राम तालाब का झोंपड़ा तक, गाडोली से ग्राम हामपुर टिक्कड तक, बिशनिया से देवीखेडी ग्राम तक, छग्गा का झोंपड़ा से टिक्कड तक, ग्राम लुहारी कलां से ग्राम धाधोला तक सड़क निर्माण किया जाए। ग्राम आगरिया से ग्राम पंचायत आसोप तक, मेन सड़क (भीलवाड़ा) से कोदिया ग्राम तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कराया जाए। कोटडी से मंशा रोड पर सीसी रोड निर्माण किया जाए। कोटडी से जहाजपुर मेन सड़क पर सीसी रोड निर्माण किया जाए। खजूरी से वाया किशनगढ़ टीटोडा जागीर क्षतिग्रस्त सड़क है, वहां दुर्घटना होती रहती है, इस 10 किलोमीटर का नवीनीकरण किया जाए। बीरधौल से शक्तपुरिया खाल पर पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई जाए। वहां बारिश के दौरान दो महीने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, गांव कट जाता है, इसलिए पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई जाए। कांटी से घवरिया के बीच नये पुल का निर्माण किया जाए। जामोली से रामपुरा बनास चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क है, इसका नवीनीकरण किया जाए। बारला पोलिया गांव से देवली तक सड़क निर्माण किया जाए। ग्राम बरदपुरा से माइला पोलिया ग्राम सड़क निर्माण किया जाए। डांग का बाड़ा गांव से मुख्य सड़क तक किया जाए। इसी तरह से ग्राम जालमपुरा से रावतखेडा तक सड़क निर्माण किया जाए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): ग्राम भवानीपुरा से छाबडिया सड़क निर्माण, समेल का भाटा से ग्राम बिजेठा तक सड़क निर्माण, रुणिया बरडा गांव से छाजेला का खेडा, बडला से सवाईपुर तक सड़क निर्माण कार्य, टीकड माता

(श्री गोपी चन्द मीणा)

जी से दाता ग्राम तक, गडबोदिया से फतेहपुर चौराहे तक, भरणीकलां से सरसिया गांव तक, फलासिया से सिहाणा तक, भारतखेड़ा से जहाजपुर सड़क निर्माण किया जाए।, इटून्दा से मनोहरगढ के बीच पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है अत: इस पुलिया की मरम्मत की जाए। बिहाडा सड़क पर पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई जाए। वर्षा के दौरान आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, समय का ध्यान रखते हुए मैं सीधे मेरी विधान सभा की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से चार हाईवे निकलते हैं, जिसके कारण वाहनों का आवागमन काफी संख्या में होता है और ट्रैफिक का बहुत भार रहता है। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आमजन के जीवन को ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बुद्धगिरी मंडी से कोर्ट परिसर तक नेशनल हाईवे 11 पर एक पुलिया बनाना अतिआवश्यक है क्योंकि यहां पर एक चौराहा बनता है और वहां वाहनों का आवागमन अधिक होने के कारण रोज कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक टोल रोड है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस टोल रोड को फोर लेन किया जाए।

सभापति महोदय, दूसरा, रामगढ़ शेखावाटी में भी एक नेशनल हाईवे नंबर 65 गुजरता है, उस पर बहुत हैवी ट्रैफिक है। सादुलपुर से आने वाले सदस्य ने भी इसका जिक्र किया था कि यहां एक चौराहा बनता है और उस चौराहे पर एक सालासर रोड जाती है, एक शहर के अन्दर जाती है। रोज यहां बड़ी संख्या में एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां पर एक सर्किल बनाया जाए जिससे दुर्घटनाओं में कमी आ सके और यह सड़क भी टोल रोड है। इस पर भी बहुत हैवी ट्रैफिक है, इसको जल्दी से जल्दी फोर लेन बनाया जाए।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक गंभीर समस्या नारसरा और हरदयालपुरा, दो गांव ऐसे हैं जिन्होंने विधान सभा चुनाव, लोक

(श्री हाकम अली खां)

सभा चुनाव और अभी वर्तमान में हुए पंचायत चुनावों का भी बहिष्कार किया था क्योंकि इन गांव वालों की बहुत दिनों से एक मांग है कि हमारे गांवों को रामगढ़ शहर से जोड़ा जाए। पिछले कई दशकों से आवागमन के लिए सड़क नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों गांवों को सड़क के माध्यम से रामगढ़ शेखावाटी से जोड़ा जाए।

महोदय, और भी कई सड़कें मेरे क्षेत्र की हैं। रोलसाहबसर से जालेऊ, जालेऊ से देवास, हरसावा छोटा से गारिण्डा, गारिण्डा से जलालसर, चाचीवाद छोटा से दांतरू से एन.एच. 65 तक, लावण्डा से तिहाय तक, सहनूसर से महनसर तक, गोडिया बड़ा से ताजसर तक, ठेडी से बलोद बड़ी, रोसावा से किशनपुरा, दिनारपुरा से पेथलीया तक नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जाए। मण्डावा से रामगढ़ स्टेट हाइवे है, वह भी काफी जर्जर हालत में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस सड़क का नवीनीकरण कराया जाना चाहिए, लम्बी सड़क है, दो-तीन जिलों को जोड़ती है, इसलिए उसको भी लिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति पर आऊंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सारी नोन पैचेबल सड़कें खराब पड़ी हैं, मैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। समदड़ी मोकसर वाया रायथल 08.10 किलोमीटर, काठाड़ी से भागवा 11.13 किलोमीटर, पऊ से परिहारों की ढाणी 6 किलोमीटर, मजल डीडस सामुजा सड़क 8 किलोमीटर, खेजड़ीयाली से गिराद का ढाना 2 किलोमीटर, करमावास सेवाली खंडप सड़क करीब 8 किलोमीटर, सिवाना देवनदी रोड से दन्ताला पीर दरगाह 2.5 किलोमीटर, जेठन्तरी से जेठन्तरी हाल्ट 3 किलोमीटर, सिलोर से पाबूपुरा सड़क 4.7 किलोमीटर, मुठली से पादरड़ी खुर्द 4 किलोमीटर, देवड़ा मागला लालाना सड़क 6 किलोमीटर, खेजड़ीयाली से तेज सिंह की ढाणी 4 किलोमीटर, मवड़ी से खेतासर 1 किलोमीटर, देवड़ा दुर्गापुर मवड़ी सड़क 3.50 किलोमीटर, तरगटी बुर्ड करमावास सड़क 3 किलोमीटर, मोकलसर मोतीसरा डाबली सड़क 6 किलोमीटर, पाली

(श्री हमीर सिंह भायल)

मोकलसर सड़क से पहाड़ेसर महादेव 1 किलोमीटर, पीपली चौक से समदड़ी से बाईपास तक 1 किलोमीटर, कुंडल से रेलों की ढाणी 9 किलोमीटर, पादरू बावतरा सड़क से ईटवाया 4 किलोमीटर, काठाड़ी से बालवाड़ा 2 किलोमीटर, मजल बरवा सड़क से ठाकर खेड़ा 2 किलोमीटर, सिवाना पादरडी कल्ला हरामल्पुरा 4 किलोमीटर, समदड़ी धुदाड़ा सड़क मार्ग से गोदों को वाडा 5 किलोमीटर, कुंडल पादरू सड़क से मुम्बारी सड़क 2 किलोमीटर, सिवाना समदड़ी सड़क से नई खाखारलाई 1 किलोमीटर, पाली मोकलसर वाया खंडप 23 किलोमीटर, धनवा से खारा 11 किलोमीटर। ये नोन पैचेबल हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ये जल्दी बनें।

मिसिंग लिंक में बामणी से लोहिड़ी 6 किलोमीटर, काखी से सायला 3 किलोमीटर, पादरड़ी खुर्द से बुरीवाड़ा 5 किलोमीटर, कुसीप मामाजी थान से मेकी 5 किलोमीटर, गालानाड़ी से सिणधरी (अधूरी सड़क) घड़ूकाराम की ढाणी से आगे तक 3 किलोमीटर, धनवा से गोलिया 5 किलोमीटर, दाखा से कालूड़ी तक 4 किलोमीटर। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन रहेगा कि ये जो सड़कें हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण गौरव पथ बनाने की जो पहले घोषणा की थी, उसमें मेरी 89 पंचायतें हैं। उसमें पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक गौरव पथ सैंक्शन जरूर हुआ था, पर उसका काम भी अधूरा पड़ा है। आज दिन तक नहीं हुआ है।

सिवाना में 33 नये राजस्व गांव हैं, जो 500-600 की आबादी से ज्यादा के हैं, उनमें से एक भी नहीं जुड़ा है। पिपलिया महादेव का जो धार्मिक स्थल है, वह भी नहीं जुड़ा है। सिवाना मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए। तीन पंचायत समिति हैं। समदड़ी पंचायत समिति मुख्यालय पर सहायक अभियंता का कार्यालय खोला जाए। 215 किलोमीटर नोन पैचेबल सड़कों पर कंकरीट हो रखी है, उनको भी ठीक किया जाए। समदड़ी और सिवाना की मुख्य सड़क जो बाईपास के कारण सिटी की सड़क की हालत ठीक नहीं है, उसको भी ठीक किया जाए। सिणधरी कस्बा उप खण्ड मुख्यालय है, इसमें सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ है, वहां पर रपट को ठीक करवाया जाए।

मेरा निवेदन था कि लूनी नदी के किनारे, जो समदड़ी बैल्ट है, वहां पर बरसात के समय पर सारा रास्ता बंद रहता है तो पुलिया की आवश्यकता है। 2013 से 2018 तक 8 पुलियां तो बन चुकी थीं। अभी आज की तारीख में भानावास में कोटड़ी, रामपुरा से गोदों का वाड़ा, समदड़ी से करमावास, मजल से ढीढ़स, महेश नगर से मठ-खरडिया, वहां पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। वह

(श्री हमीर सिंह भायल)

ऐसी जगह है कि वहां बरसात के समय में तीन-चार महीने या दो महीने भी नदी चलती है तो पूरा बंद रहता है। मांगला से जेठतरी कुपावास, कुपावास से कनाना, ये पुल छोटे-छोटे हैं। अगर ये पुल बन जाएंगे तो किसानों के लिए जमीन इधर है, गांव इधर है, उनके लिए हमेशा के लिए रास्ता सही हो जाएगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि इन कामों का जो मैंने निवेदन किया है, वे जल्दी से जल्दी करवाये जाएं।

भारतमाला हमारे वहां से निकल रही है, उसमें हमारे यहां से कई किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। यहां के किसानों को भी तुरन्त मुआवजा मिल जाए, क्योंकि उनकी जमीन एक्वायर हो गयी और एक्वायर होने के बाद फसलें खड़ी थीं। फसलें खड़ी होने के बाद भी काम भी चालू हो गया, पर कई जगह पर मुआवजा नहीं मिला है तो यह मुआवजा शुरू करवाया जाए। नेशनल हाईवे 325 बालोतरा-सिवाना सांडेराव, इसमें भी मुआवजा काफी जगहों पर नहीं मिला है तो यह भी कराएं।

जो अंडरपास बन रहे हैं, वे बरसात के समय में, चाहे रेलवे का पुल हो, चाहे सड़क हों, किसानों के लिए हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद बैलगाड़ी या ट्रैक्टर कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि वह पानी तीन से चार दिन तक भरा रहता है। यह उनके लिए बड़ी प्रोब्लम रहती है। माननीय सभापति महोदय, जो भी अंडरपास बन रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था पहले हो कि या तो पानी की निकासी हो या बाहर से पानी अन्दर नहीं आये या फिर ट्यूबवैल से पानी निकाला जाए, ताकि किसानों के आने-जाने और मवेशियों के लिए सुविधा हो। मैंने कई जगह देखा है कि रेलवे अंडरपास या सड़क के नीचे अंडरपास होते हैं, उनमें मवेशी फंस जाते हैं, कई बार पशुओं की मौतें भी हुई हैं तो मेरा निवेदन है कि वे सही करवाये जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें, श्री सुरेश टाक।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 - सड़कें और पुल पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरी और मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि

(श्री सुरेश टाक)

उन्होंने मुझे इस बजट में, मेरे शहर की जो लाइफलाइन थी, बहुत बड़ी सड़क थी। हालांकि, लम्बाई 9 किलोमीटर है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी का सबब था, वह मुझे दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे दो स्टेट हाईवे दिये, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से अभिनंदन करता हूं साथ ही, जो पुराना रेलवे स्टेशन था, जो टूट गया, रास्ता बंद हो गया था, मेरा शहर दो भागों में विभक्त हो गया था, उसके लिए आर.यू.बी. दिया, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। समय कम है, इसलिए मैं सीधे-सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं। आज अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे शहर में एक पुलिया है जो संत नागरीदास पैनोरमा बनी थी, तीन-साढ़े तीन करोड़ की लागत है। उसका इनोग्रेशन नहीं हुआ, लोकार्पण नहीं हुआ। कारण यह है कि उस पर जाने का जो पुल है, वह टूटा हुआ। मैंने 295 में पहले भी प्रस्ताव लगाया था। उससे पहले वाले हाउस में लगाया था। आज सड़कें एवं पुल डिमांड है, इसमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं। आज यादव साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको भी यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस पर पहले 6 करोड़ रुपये का बजट आपने स्वीकृत किया था और टेंडर भी जारी किये थे, पर यह राशि कम होने की वजह से किसी भी संवेदक ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। कोई संवेदक नहीं आने से यह पुलिया टूटी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले इस पर दो व्यक्ति मर गये थे। रास्ता बंद होने के बाद भी वे मोटर साइकिल से निकल गये थे और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गयी। मैं चाहूंगा कि यह संवेदनशील विषय है। जो नागरीदास पैनोरमा में जाने वाली पुलिया है, उसको आप प्रायोरिटी पर लें, ताकि यह पुलिया बन जाए और मेरे शहर के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिले और ऐतिहासिक महत्व की धरोहर का उपयोग हो सके। सरकार ने जो तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपये लगाये हैं और ऐसी जगह पर बनायी है, जो विश्व में अपनी पहचान रखती है, उसका उपयोग हो सके।

इसके साथ ही, एक पुलिया ढिगारिया से देवरिया के रास्ते में है, उस पर पाइप क्लवर्ट पुलिया बन रही है, बहुत छोटी-सी पुलिया है। रास्ता बंद हो जाता है, गांव वाले आ-जा नहीं सकते हैं। अगर यह पाइप क्लवर्ट पुलिया बन जाएगी तो गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उसकी तीन किलोमीटर की एक छोटी-सी सड़क है, वह भी बन जाए।

(श्री सुरेश टाक)

साथ में, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की नोन पैचेबल सड़कें हैं। किशनगढ़ से टूकड़ा 2.5 किलोमीटर, कालीडूंगरी से रहीमपुरा 2.5 किलोमीटर, बांदरसिंदरी से मुण्डोती 4 किलोमीटर, सराना से डबरेला 2.5 किलोमीटर, फौजी ढाबा से टीकावड़ा 1.5 किलोमीटर, गोठियाना से ढिगारिया 4.5 किलोमीटर, टीकावड़ा से रघुनाथपुरा 2 किलोमीटर, किशनगढ़ से टीकावड़ा 3.5 किलोमीटर, जूल की ढाणी से कालीपाल 1 किलोमीटर, रलावता से सलेमाबाद 3 किलोमीटर, बजरंग कालोनी से बृजपुरा 2 किलोमीटर, जीरोता से ढसूक 6 किलोमीटर, आकोडिया से साम्पदा 6 किलोमीटर, हरमाड़ा से सुरसरा 2 किलोमीटर, ये सड़कें नोन पैचेबल हैं और शायद आपके पीडब्ल्यूडी के रिकार्ड में भी हैं।

इसके साथ ही, मैं नये ट्रैक की बात करूंगा, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ने की बात की थी। उसमें भी मेरी करीबन 15 सड़कें, 16 पंचायतें ऐसी हैं, जो अभी भी नहीं जुड़ी हैं। झाड़ोल से मंडावरिया, झाड़ोल से मोराझडी, कुचील से घासीबाबा की ढाणी, गोठियाना से कासीर, टिहरी से माला, टिहरी से कालानाड़ा, खण्डाच से धौलपुरिया, डींडवाडा से पाटन, सरगांव से चांदना की ढाणी, अराई से बिड़दपुरा, काढ़ा से गोदियाना, ढिगारिया से मोहम्मदगढ़, काकलवाड़ा से सील, नया गांव से लादियों की ढाणी, बंथली से लांबाहरिसिंह, गुजरवाड़ा से मनोहरपुरा और डांग मोड़ से बागोलाव तक की ये सड़कें हैं। ये सड़कें मेरी लिंक सड़कें हैं और यहां अभी तक इन गांवों में सड़क ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इनको आप प्राथमिकता दें।

साथ ही एक बहुत बड़ा विषय है, जो मैं बोलना चाहूंगा कि..

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरे किशनगढ़ में सुरसुरा गांव है। तेजा जी का स्थान है वह और पूरा भारत वहां आता जाता है। 1 किलोमीटर या 1.1 किलोमीटर की लम्बी सड़क है। मैं चाहूंगा वह टू लेन की सड़क बने, डिवाइडर रोड बनकर उस पर रोड लाइट लग जाए, ऐतिहासिक महत्व की जगह है। विश्व में पहचान है और तेजा जी हमारे लोक देवता हैं। पूरा भारत वहां आता है। मेले के समय में, बहुत लम्बे समय तक मेला चलता है, इतना जबरदस्त जाम लग जाता है कि लोगों को तीन-तीन, चार-चार घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता है। आए दिन वहां श्रद्धालु आते हैं। ये एक महत्व की जगह है और मैं इसके लिए चाहूंगा, यह बहुत छोटा-सा काम है, एक किलोमीटर का है, इसको प्राथमिकता दें ताकि सुरसुरा गांव के प्रवेश द्वार से उसके निकलने

(श्री सुरेश टाक)

के गेट तक सड़क दो लेन की बन जाए, डिवाइडर लग जाए ताकि सुन्दर रोड बनेगी और उसको क्वालिटी की रोड बना दें।

साथ में, मैं आपसे सड़कों के साथ-साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां एक डाक बंगला है, पुराना है, जर्जर हो गया है। उसकी रिपेयर, रिन्युअल हो जाए तो शायद कोई अधिकारी आए जाए तो वहां पर ठीक ढंग से रह सके।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जितनी भी सड़कें बनें, गुणवत्तापूर्ण बनें और बिलो रेट में जो आ रही है, बिलो टेंडर जो आ रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। मोनिटरिंग के अभाव में सड़कें बनने से पहले टूट जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, सड़क बनकर उनके साइन के जो बोर्डर हैं, वह नहीं बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी सड़क होने की वजह से सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 21-सड़क और पुल के बारे में यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जोड़ने वाला सोम व गोमती नदी पर 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, शिलान्यास माननीय महेन्द्र सिंह जी मालविया ने किया था, उनसे नहीं हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2013 से 2018, उसमें 24 करोड़ पुलिया का स्वीकृत किया। टेंडर हो गया, दूसरा टेंडर हो गया, तीसरा टेंडर भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी, बांसवाड़ा से हुआ और आज जयपुर के पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय पर पड़ा है। 7 महीने हो गये हैं, अभी बरसात फिर से आ जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी आप जवाब देंगे या कौन देगा, पहले ये बताएं? धारीवाल साहब तो न देने वाले, न कोई बजट देंगे, उलटा और खेल बिगाड़ देंगे, इसलिए हमारी यह अपील है, प्रार्थना है, आप में से कोई दें। इसको जल्दी पूरा करें।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मिसिंग लिंक सड़कें पिछले समय में कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए एक इधर डामर आ गया, इधर आ गया, जोड़ने के लिए, अभी तक मिसिंग लिंक सड़कें नहीं दी हैं। प्रधान मंत्री सड़कों का पैसा बहुत सी जगह जारी नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री की सड़कें हुआ करती थीं। ग्रामीण गौरव पथ कई जगह रुके हुए हैं। ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको जल्दी किया जाए।

(श्री अमृतलाल मीणा)

एक मेरा सलूम्बर से उदयपुर-आसपुर वाया बांसवाड़ा से जो रोड जाता है, 15 किलोमीटर के वन विभाग के द्वारा, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से 2013 से लेकर अभी तक कई सड़कें, सभी माननीय सदस्यों की रुकी हुई हैं।

(19.35 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

पीडब्ल्यूडी का तालमेल नहीं होना और वन विभाग के अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से अपने-अपने क्षेत्रों की फाइल डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट से फिर जयपुर आती है और जयपुर से इलाहाबाद भेजेंगे, ऐसा करके पत्थरगढ़ी हो गयी, पेड़ गिन लिए, चट्टानें गिन लिए, रास्ते की चौड़ाई कर ली, पट्टे दे दिए। इसके बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नठारा बड़ा चौराहा से गोठपानी का रोड, साढ़े दस किलोमीटर 2013 से रुका हुआ है। मंडा से कलाथ, मंडा से राताखेत, बलुआ हरकाटा से लेकर के बलुआ तक का, इस प्रकार का रोड पीडब्ल्यूडी और वन विभाग का तालमेल नहीं होने की वजह से चिकित्सा मंत्री जी, धारीवाल साहब, ये तालमेल जब तक नहीं होगा, क्षेत्र में दु:ख दर्द होगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जो राजस्व ग्राम हैं, वह सड़कों से नहीं जुड़े हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की जितने भी सड़कें हुई हैं खुर्द बुर्द हैं। दो-ढाई साल में आपने कोई पैसा नहीं दिया है। घोषणा जरूर की है। मालामाल की घोषणा की है, हमारा भी पेट भर गया और आपका भी भर गया। आप भी दु:खी और हम भी दु:खी। यह सत्य बात है। चूंकि आप तो नगरीय विकास मंत्री भी हैं, आज पीडब्ल्यूडी का विभाग भी लिया तो ये भी है, आपका तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि सड़कें नहीं बनी हैं, पुलियाओं का निर्माण नहीं हुआ है, ग्रामीण विकास पथ का निर्माण नहीं हुआ, प्रधानमंत्री सड़कें नहीं बनीं, मुख्य मंत्री सड़कें नहीं बनीं, मिसिंग लिंक की सड़कें, नोन पैचेबल, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नोन पैचेबल का बहुत बुरा हाल है। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा मुझे टाइम देना। सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गुडैल से लालवत का गुडा, जामवती नदी पर पुल निर्माण, कोटा से काट मार्ग पर पुलिया, गोमती नदी पर पुलिया निर्माण, पाडला से कोटडी, धाबडिया से कतिला, कजड़ी घाटी से

(श्री अमृतलाल मीणा)

बोवस, ये सारे पुलिया निर्माण। उदयपुर से सलूम्बर 15 किलोमीटर का रोड, जो मेगा हाईवे है, जो उदयपुर राजस्थान से आपके मध्य प्रदेश को जोड़ता है। गुजरात को जोड़ने वाला रोड और 15 किलोमीटर का रोड, चौड़ाईकरण का वन विभाग से एनओसी नहीं मिली, यह बहुत बड़ी समस्या है।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खैराड से टोल नाका, ईश्वरवास वाया बूआ भागल, वासा से सेमाल नई झर से करावली, माकसीमा से सराडी, करावली से आडावेला, चांदघाटी से अदवास, जावद से उपला भारिया, बेलबड़ी से काली घाटी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जावद सेमाल से छापर थौरी, एक मिनट साहब, मैं यह भी कहना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा धारीवाल साहब, क्योंकि अपने को अगला चुनाव लड़ना ही नहीं है, उम्र हो गयी है, मुश्किल से आना है। जितना भी परेशान करें, कर दें।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा एक निवेदन है, विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर का स्टेट हाईवे 32ए, ऋषभ देव से बलुआ सराडा, चावण्ड, केजड़, डिगरी, जयसमंद, जावद, जगत झामेश्वर 106 किलोमीटर का 2017 में भारत सरकार ने जो मेगा हाईवे करने के लिए, आपने थोड़ी हरी झंडी दी, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। इसके बाद में सलूम्बर बेडावल वाया बनोडा नोन पैचेबल सड़क 2018 में मंजूर है। वहां जनजाति लोग रहते हैं। वनवासी रहते हैं। पहाड़ी इलाका है। दो डिवीजन को जोड़ने वाला है। सल्लाडा से बस्सी, सल्लाडा से झाडोल, जावरमाइंस से ओडा, अजबरा से ओडा, पाल सराडा से पण्डेर और इन सभी नोन पैचेबल सड़कों को जोड़ने का कीजिए। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): धन्यवाद, सभापति जी। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए जो 5 करोड़ की रकम दी गयी है, वह कम है इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस रकम को बढ़ाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनका निर्माण बहुत आवश्यक है। चला की ढाणी से मंगराला, गुहाला से झांकड़ा चौकड़ी रोड तक, राजपुरा से हसामपुर वाया महता नगर, नारायणपुरा, डोकन से जीलो वाया भीतरो काला कोटा, छाजा की नांगल से बोपिया, भगेगा से हरजनपुरा। हरजनपुरा से ढाणी डेरावाली। मावण्डा खुर्द से ढाणी खरबास। भूदोली से भगेगा। बिहारीपुर से बाबा

(श्री सुरेश मोदी)

गंगाराम देवस्थान। बिहारीपुर से गांवली निजामपुर रोड वाया तुलाराम आरा मशीन। बगडावा से रामसिंह की ढाणी, माता मंदिर से ढाणी चिमनसिंह। मीना की नागल से हरियाणा बोर्डर। ठिकरिया से चौकडी। ठिकरिया से लाम्बी की ढाणी। गणेश्वर से झिराना। दलपतपुरा बाईपास। दलपतपुरा से हरियाणा बार्डर।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं स्टेट हाईवे 13 पर कोटपूतली कुचामन स्टेट हाईवे 37 बी पर चला पर एक टोल लगा हुआ है, यह बिलकुल गलत टोल है। नीमकाथाना से जयपुर शाहपुरा, रींगस आदि स्थानों पर जाने वाले वाहन केवल 6-7 किलोमीटर ही इस सड़क का उपयोग करते हैं और भारी टोल टैक्स देते हैं। यह 6-7 किलोमीटर सड़क भी पहले की बनी हुई है। आज की बनी हुई नहीं है। उस पर डामस्वामर पोत कर उसको टोल रोड में शामिल कर लिया गया है। यह टोल वसूल किया जा रहा है, यह गलत है। मैं सदन में इस टोल को यहां से हटाकर, गुहाला के बाद में लगाए जाने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, इस टोल रोड की स्थिति भी मैं आपको बता दूं। इस पर 60-60, 70-70 टन के ट्रोले चलते हैं। एक-एक फीट गड्ढे इस सड़क पर, टायर के निशान बने हुए हैं। टायर के निशान में एक बार गाड़ी आ गई, जैसे रेल की पटरी से रेल नहीं उतर सकती, वैसे उस सड़क पर किसी गाडी का टायर उसके अन्दर आ गया तो वह बाहर नहीं निकल सकता भले ही उसका एक्सीडेंट हो जाए। इस तरह की हालत की सड़क है। इतने गड्ढे हैं उसमें जो मेरे ख्याल से पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क में नहीं हो सकते। मैं कई बार उच्च अधिकारियों तक इसकी मांग कर चुका हूं। हालांकि कुछ काम उसमें शुरू हुआ है लेकिन वह सड़क इतनी बदहाल है और उस पर धड़ाधड़ टोल वसूल किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस टोल को चला से हटाकर गुहाला पर लगाया जाए।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में 76 नम्बर का फाटक है, उस पर एक आरओबी बना हुआ है। वह आरओबी दो तरफ उतरना चाहिए था, जो एक तरफ उतारा गया है जिससे आधी से ज्यादा आबादी इतनी परेशान है कि उनको एक किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस आरओबी को दूसरी तरफ भी उतारा जाए।

इसी तरह, उसी फाटक पर अंडरपास बनना था जो अभी तक नहीं बना। एक अंडरपास की अब कार्यवाही चल रही है, बहुत धीमी गति से चल

(श्री सुरेश मोदी)

रही है। चूंकि आरओबी को बने बहुत समय हो गया, वह लेट हो गया, बीजेपी का राज था, इसलिए उस कार्यवाही को दुबारा से चलाने में बहुत समय लग रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दो अंडरपास बनाए जाएं और शीघ्र से शीघ्र बनाए जाएं। महावा से माकडी की जो सड़क है, नीमकाथाना से तीन साइड रोड बन गई है। अगर महावा से माकडी तक की एक सड़क और बना दी जाए, जो एक बहुत छोटा सा टुकडा है, तो नीमकाथाना की रिंग रोड बन जाएगी। चारों तरफ एक रिंग रोड हो जाएगी। बाहर से बाहर जाने वाले वाहन, शहर में उनको प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्वनि प्रदूषण व ट्रैफिक के जाम से शहर को मुक्ति मिल पाएगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस एक सड़क को और बनाया जाए।

इसी तरह, एक पुरानी सड़क नीमकाथाना से थोई वाया भूदोली होते हुए, यह बहुत पुरानी सड़क है। नीमकाथाना से शाहपुरा जो रोड है उसके ट्रैफिक का भार कम करती है। इसकी दूरी भी कम पड़ती है। अगर इस रोड का सुदृढ़ीकरण किया जाए तो काफी सुविधा मेरे विधान सभा क्षेत्र को होगी। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसको देखते हुए हमारे पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। इसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, उन्होंने यह सराहनीय कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। भारत को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, अब भी कई गांव सड़क से वंचित हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। इसमें अधिकांश 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतें हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर हैं। पहाडी क्षेत्र पर होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जो इस प्रकार हैं:- कोहडीझर से मानपुरा। घाटोली से छापी डेम तक। घाटोली से लसुडिया गेंद। मेन रोड से देव

(श्री गोविन्द प्रसाद)

का दार। पिपलिया से बढबद पतलून तक। मेन रोड से बोरखेडी। असनावर से रातादेवी। असनावर से डाबली। टांडी सोनपुरा से गोपुरा। खाण्डीया मिल चौराहे से नया गांव गादिया मेहर। मोहनपुरा से लक्ष्मीपुरा। मेन रोड से बागवाला गांव। गजवाडी से नागन्या खेडी। पिपलिया चौराहे से कामखेडा। खुरी चौराहे से कामखेडा। नई सड़कें, कई गांव ऐसे हैं जो आजादी के समय से, अब भी सड़क से वंचित हैं।

(19.47 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

यह गांव मैं आपको बताना चाहता हूं। उदयपुर, कासखेडली, भवानीपुरा, धनवास, सेमली नबाद, गोकुलपुरा, सागोनी, उगेना, गुराडखेडा, सेमली गोकुल, कोरिया पाटन, नारायण खेडा, देवली खेडा, मानपुरा, नेश चारनान, उगरिया से सुरी, बडगांव से बसेड के बालाजी तक।

कई पुलियाएं ऐसी हैं, जिनके कारण कई गांव, बरसात के दिनों में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यह पुलियाएं हैं, घाटोली से केलकोयरा, कई बार इस पुलिया पर बरसात के दिनों में कई ट्रेजडी हो गई, कई लोग बह गए, कइयों की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि घाटोली और केरकोयरा के बीच जो पुलिया है उस पर हाई लेवल ब्रिज बनाया जाए। हरनावदा रोड से देवरी जागरी के बीच नेवज नदी पड़ती है, वहां कामखेडा आने वाले यात्री उस रास्ते से आते हैं, बरसात के दिनों में वह रास्ता ब्लाक हो जाता है। 26 किलोमीटर का राउंड लगाकर उनको कामखेड़ा पहुंचना पड़ता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सन्याघाट पुलिया का निर्माण, पूर्ववर्ती सरकार के समय चल रहा था, जो आठ करोड़ की लागत का निर्माण है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। ढाई साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, न ही रोड पूरा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पुलिया का निर्माण शीघ्र चालू करवाएं, जिससे वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके। मनोहर थाना में नये डाक बंगला का निर्माण करवाया जाए, जिससे आने-जाने वाले अधिकारियों, नेता लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

कुछ ऐसी पुलियाएं हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गई है और आज भी अधूरी हैं। यह हैं, सरड़ा से मानपुरा के मध्य। एक है चित्तौड़ से मध्य प्रदेश बोर्डर पर

(श्री गोविन्द प्रसाद)

जाने वाली, उस पर ओवरब्रिज बनना अति आवश्यक है। घाटोली से मैंने आपको बता ही दी। तीसरी राकडा की पुलिया। यह पुलियाएं ऐसी हैं जो काफी सालों से क्षतिग्रस्त हैं, करीबन दो साल हो गए। अधिक बरसात के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इनका अभी तक भी निर्माण नहीं कराया जा सका। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन पुलियाओं को तुरन्त प्रभाव से सही करें ताकि आने जाने की व्यवस्था सुविधाजनक प्राप्त हो।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): बस, मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और धारीवालजी से एक निवेदन करता हूं कि यह जो बजट है, यह कोटा तक नहीं रह जाए, झालावाड़ तक जरूर पहुंचा देना। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। समय कम है, मैं सीधा मांगों पर आ जाता हूं।

आपने दो वर्षों के कार्यकाल में प्रतापगढ़ जिले को सड़कों के मामले में बहुत कुछ दिया है, इसके लिये मैं प्रतापगढ़ जिले की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी बजट के अन्दर एक तो अरनोद-जाजती सड़क एवं पुलिया के लिये 14 करोड़ रुपये की घोषणा की, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। गलिता नदी के ऊपर 7 करोड़ रुपये की एक घोषणा की, माननीय सभापति महोदय, वहां 3 किलोमीटर की सड़क भी बाकी है, इसलिये इसको 7 करोड़ की जगह 10 करोड़ किया जाए। 4 एम.डी.आर. सड़कों की घोषणा भी की, आदिवासियों के हरिद्वार गोपेश्वर महादेव के चारों तरफ एम.डी.आर. की आपने जो घोषणा की, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रतापगढ़ जिले में दो सड़कें एम.डी.आर. बनने से वंचित रह गई हैं, जो दो तहसीलों को जोड़ती हैं। एक है, प्रतापगढ़-लुहारिया-नकोर-बारावरदा-मन्धुरा तालब, भंवर दल होते हुए छोटी सादड़ी, दूसरी अरनोद-मण्डावरा-कुलथाना-बारोठा-कूणी-कल्याणपुरा-डाबड़ा-वरमण्डल-चन्याखेड़ी होते हुए प्रतापगढ़ इन दोनों सड़कों को भी एम.डी.आर. घोषित कराया जाए।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, चार ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। वन विभाग समय पर एन.ओ.सी. देता नहीं है, इसलिये इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी सड़कों से जोड़ा जाए। एक कमेटी गठित करके वन विभाग की एन.ओ.सी. जल्दी से जल्दी प्राप्त कराकर यहां के लोगों को सड़कों की सौगात दी जाए। कई गांव ऐसे हैं जो वन विभाग में आने के कारण सड़कों से वंचित हैं तो उनको भी जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, मोटी खेड़ी-सुहागपुरा सड़क बिलकुल टूट चुकी है। दतियार सड़क बिलकुल टूट चुकी है, पण्डावा सड़क बिलकुल टूट चुकी है, गामदा सड़क बिलकुल टूट चुकी है, कालापानी-उठेल सड़क, आम्बीरामा-लुहारखाली सड़क, नोगाना-भावगढ़ सड़क जैसी कई सड़कें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं। इनके बीच में पुलियाएं भी हैं। इनका सुदृढ़ीकरण करवाया जाए और इन पर जो पुलियाएं हैं उनको बनाया जाए।

पिल्लु से मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क एवं पुलिया निर्माण, 7 करोड़ रुपये; लुहारखाली से अमरगढ़ तक पुलिया एवं सड़क निर्माण, 10 करोड़ रुपये; माण्डवी से मध्य प्रदेश सीमा तक पुलिया और सड़क, 7 करोड़ रुपये; खुटवास-बोरदीया सड़क एवं पुलिया, 3 करोड़ रुपये; बोरदीया-मध्य प्रदेश सीमा, 3 करोड़ रुपये; सुहागपुरा-डांगपुरा पुलिया, एक करोड़ रुपये; चन्दानाफला-ज्यासपुर पुलिया, 2 करोड़ रुपये।

छायण एन.एच. से पीपली पठार तक सड़क बिलकुल टूट चुकी है और बड़ा घाटा भी है। घाटे को कटिंग कराएं और सी.सी. रोड कराई जाए एवं सड़क का भी सुदृढ़ीकरण कराया जाए। खतोड़ी से लखमाखेड़ी सड़क कार्य कराया जाए। पाड़लीया से खतोड़ी सड़क कार्य कराया जाए, लख्माखेड़ी से बिलड़ी तक सड़क कराई जाए, बिलड़ी से मांयगा तक, रामपुरिया से पण्डावा तक सड़क का निर्माण कराया जाए। बड़ी लांक से देवगढ़ सड़क से खानन तक, बड़ी लांक से चौतरिया तक, बसाड़ से अमलावड सड़क, बसाड़ से चन्याखेड़ी सड़क, रिछावरा से मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क, बसेरा-बंरोठा से बागलिया सड़क का निर्माण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार में प्रतापगढ़ की भारी उपेक्षा की गई, जिससे सभी सड़कें टूटी हुई थीं, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की विशेष कृपा की वजह से आज प्रतापगढ़ में सभी तरफ सड़कों के काम चल रहे हैं। मैं इसलिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज प्रतापगढ़ जिले में सड़कों का काम

(श्री रामलाल मीणा)

चल रहा है, प्रतापगढ़-मंदसौर रोड कम्पलीट हो चुकी है, प्रतापगढ़-धरियावद का काम चल रहा है। प्रतापगढ़-धरियावद रोड पर थोड़ी और तीव्रता हो जाए, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि प्रतापगढ़-धरियावद, यह अहमदाबाद को जोड़ता है। यह रोड बहुत खराब है, इसको जल्दी पूरा करा दिया जाए और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र जो वन विभाग क्षेत्र में आ रहे हैं, उन सड़कों को विशेष करके पूरा किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता, श्री हरेन्द्र निनामा, श्री मंजीत धर्मपाल इन तीनों को मैं अपना वक्तव्य टेबल करने की अनुमति देता हूं। (व्यवधान) नहीं, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल बोलना चाहें, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहें तो आप बोलें।

(माननीय सदस्य श्री हरेन्द्र निनामा एवं श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी के लिखित वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की जो मेन मांग थी, जिनका मैंने लिखित में दिया भी था, उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी।

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गेंडोली, झालीजी का बराना, काली तलाई, बोरदामाल-कापरेन रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री महोदय का पहले भी ध्यान आकर्षित करवाया था। मैं चाहूंगी कि यह सड़क बने। साथ ही साथ कोटा से सांगोद-बापावर तक की सड़क को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के उनियारा, बिजौलिया वाया इन्द्रगढ़, लाखेरी, बूंदी रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी।

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गेंडोली, अरनेठा जयस्थल, करवाला की झोंपड़ियां, झालीजी का बराना, गेंडोली रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इन्द्रगढ़ से करवर की जो सड़क है, वह बिलकुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए, यह भी मेरी मांग है।

साथ के साथ, ग्राम कोडक्या बालाजी में मेज नदी पर एक पुल का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निर्माण भी करवाया जाए। केशोरायपाटन रोड से तालेड़ा, जो एम.डी.आर. 204 है, उसकी चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में भी आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि बलकासा से बोरदामाल रेलवे स्टेशन, घाट का बराना, संख्या 134 पर मालिकपुरा लिंक रोड, बिरज से सारसला रोड, बाझड़ली चरडाना से माइनर घाट पर निर्माण, लबान से डांगाहेड़ी वाया मालियों की बाड़ियां, मेगा हाईवे रोड, प्रतापगढ़ से नारायणपुरा सड़क, नाहरगंज से जरखोदिया, फतेहगंज सम्पर्क सड़क, बालापुरा से ग्राम समिधि कापरेन ब्रांच चेन नम्बर 605 पुलिया से पादरा माइनर गुरुद्वारा तक, झालीजी का बराना से जगन्नाथपुरा, रसाहली से देवपुरा, तलवास और तलवास से सांगोदा से नयागांव वाया फुलेता, कांकरिया से केथूदा सड़क, इन सारी सड़कों का निर्माण टोंक जिले की सीमा सहण तक करवाया जाए तो निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फायदा होगा।

साथ के साथ चाउण्डपुरा से जो पागड़ा, टोंक जिले की सीमा में है, वहां तक भी सड़क का निर्माण करवाया जाए। जगदरी से बालोद, बामनगांव से गलगल माताजी, भींया से सुखसागर चड़ी से फाण्दा, करबाला के नाले से बुढिया खेड़ा रोड से बंजारा बस्ती, करवर, अरनिया से अरडाना वाया कमलेश्वर महादेव तक नई सड़क का निर्माण करवाया जाए।

साथ के साथ मैं मांग करना चाहूंगी, सम्माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत गुढ़ा में जो बाणेश्वर महादेव का मन्दिर है, वहां पर चाकन नदी पर एक भी पुल नहीं है। हजारों दर्शनार्थी वहां आते हैं, वहां पर पुल का निर्माण किया जाए।

इसी के साथ-साथ मेरा निवेदन है कि भारतमाला प्रोजेक्ट, जो 8 लेन, मेरे विधान सभा क्षेत्र से होता हुआ गुजर रहा है, वहां पर पूरी सड़कें अवैध खनन की वजह से टूट चुकी हैं। जो हमारी बिना अनुमति के क्रेशर लगे हुए हैं, उनसे वहां का जो कम्पनी मालिक है, वह जहां चाहे वहीं से पत्थर उठाता है, और सारी सड़कों को इन हालातों में कर दिया, सड़कें हमारे पैसों से बनी हुई हैं, सरकार के पैसों से बनी हुई हैं। कम से कम, कहीं न कहीं उस पर कार्यवाही हो, जिन सड़कों को वह तोड़े उसे दुबारा बनाने के लिये राज्य सरकार उसे पाबंद करेगी तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ बाजड़ली का जो फाटक है, उसके ऊपर अभी भी 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर ओवर-ब्रिज का निर्माण हो और ठेकेदार को पाबंद करें कि किस तरह से उसके पानी को लगातार, क्योंकि जब उससे कांट्रेक्ट हुआ था, उसे इस बात के लिये पाबंद किया गया था कि आप इंजन के मार्फत उस पानी को निकालोगे पर उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

साथ ही साथ मेरी और भी बहुत सारी सड़कें हैं, जो पी.डब्ल्यू.डी. के हमारे एक्स.ईएन. साहब से भी हम लोगों ने भेजी हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जो प्रस्ताव बनाकर हमने भेजे हैं, उन सारी की सारी जो मेरी 24 सड़कें हैं, उनका एक-एक का नाम बताऊंगी तो मुझे लगता है, टाइम लग जाएगा। मैं इसको बाद में टेबल कर दूंगी।

इसी के साथ मेरा यह भी निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा की, उसमें एक आर.ओ.बी. की चर्चा उन्होंने की। उस आर.ओ.बी. को, लगातार मैं देख रही हूं कि 3 बजट में उसकी चर्चा हो चुकी है। लगातार 3 वर्ष से वह काम वैसे का वैसा पड़ा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस काम को पूर्ण किया जाए। साथ के साथ मांग करती हूं कि जो मिसिंग लिंक हम पहले की तरह दिया करते थे, वह मिसिंग लिंक भी हमें दें। जो धार्मिक स्थल की सड़कें हम लिया करते थे, वह भी देंगे तो निश्चित तौर पर गांव की जनता को फायदा होगा। इसी के साथ मेरे क्षेत्र में जो टूटी हुई पुलियाएं हैं, चाहे कोटड़ी की पुलिया हो, चाहे एक-दो पुलियाएं और भी हैं, जो मैं लिखित में आपको टेबल कर दूंगी, वे भी नई बनेंगी या उनकी रिपेयर होगी, तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ होगा।

साथ ही साथ आर.एस.आर.डी.सी., जिस पर हमारा कोई अंकुश नहीं है, जहां चाहे वहां सड़क बनाती है, जहां चाहे वहां अधूरी छोड़ देती है, पुलिया निर्माण नहीं करती, नाला निर्माण नहीं करती, रामगंज मंडी के सम्माननीय मदनजी दिलावर साहब बोल रहे थे, कहीं भी नाला निर्माण उन्होंने नहीं किया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मोडक में पुलिया का

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अधूरा काम छोड़ दिया। इसी तरह से रिडकोर, जो मेरे यहां पर, कोटा से केशोरायपाटन होते हुए हम लोग जाएं, लाखेरी तक उनका टेंडर है। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के लिए श्री महेश जोशी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा यह निवेदन है कि जो अधूरे काम हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरे भाषण को ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: टेबल करने के लिए मैंने आपको कहा था तब आपने मना कर दिया, अब आपने अपना वक्तव्य दे दिया, अब आप यहां ही समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: टेबल करने के लिए मैंने आपको कहा था पर आपने मना कर दिया कि नहीं, मुझे बोलना है तो आपने बोल लिया। प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 23)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2021 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए-

(डा. महेश जोशी)

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021, एवं
2. राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021

- पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची में उल्लेखित विधायी कार्य पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: आज की कार्य सूची में विधायी कार्य और मुखबंद करके मांगें पारित करने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय विधायी कार्य और मुखबंद करके मांगें पारित करने तक बढ़ाया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर करीब 51 से भी ज्यादा माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे और यह सारे सुझाव चाहे पुलियाएं हो, चाहे सड़कें हो, चाहे वगैरह-वगैरह, आर.ओ.बी. हो, आर.यू.बी. हो, यह हो, वह हो, वह हो, उन्हीं के बाबत थे। वाकई यह समस्या रहती है,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह समस्या हमेशा रहती है। आज आप सड़क बना दोगे तो तीन साल बाद, चार साल बाद वापस वह टूट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे बम्बई के नरीमन पाइंट में जाकर भी पूछ लें, जो कि सबसे ज्यादा विकसित जगह है, अगर वहां पर भी जाकर आप वहां के नागरिकों से यह पूछेंगे कि क्या चाहते हो तो वह भी यह कहेंगे कि साहब, यहां पर यूं करो, यूं करो, इस सड़क को यूं करो, ऐसे दस तरह के सुझाव दे देंगे क्योंकि यह सड़क की मांग जो है, वह निश्चित तौर पर जितने भी माननीय सदस्यों ने मांगा है, अब मैं उनके नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से उसमें आपकी यह इजाजत है न कि नाम नहीं लूं? आपका ले लूं अकेले का?

मेरा निवेदन यह है कि आपके जितने भी सुझाव आये हैं उनका जवाब तो मैं आपके पास भेज दूंगा, पांच-सात रोज के अन्दर-अन्दर ही आपको यह जवाब मिल जाएगा लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कंटीन्युअस प्रोसेस का काम है। सड़क बनती है, टूटती है, फिर बनती है, टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है।

माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था कि पुराने जमींदारों के घरों में और पुराने सेठ-साहूकार के घरों की बहुएं अपना समय कैसे बितायें, यह बड़ी समस्या थी। उनके लिए तो वह करती क्या थीं कि गहने बनवाती थीं और गहने तुड़वाती थीं। इसी तरीके से कई आज भी इस तरीके की यू.एल.बीज. आपको राजस्थान में मिल जाएंगी, चाहे वह यू.आई.टी. हो, चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे नगरपालिकाएं हों, जो सम्पन्न हैं, वहां पर आज भी यही होता है कि सड़क बनी हुई है लेकिन कोई दूसरा चेयरमैन आएगा तो नहीं, कुछ नहीं, एक लेयर और चलेगी, यह होता है और खास तौर पर यह उदयपुर में हुआ।

1998 से लेकर 2003 तक जब मेरे पास यह डिपार्टमेंट था और श्रीमती किरण माहेश्वरी वहां की चेयरमैन थीं तो वह अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए अगर कोई सड़क बनी हुई है तो उस पर एक इंच की ही चाहे लेयर डलवा देतीं लेकिन डलवा देतीं। मेरे पास गिरिजाजी व्यास का टेलीफोन आया कि साहब, यह तो पैसा वेस्टेज जा रहा है तो मैंने कहा कि सड़क का पैसा है, सड़क में ही जाएगा तो यह बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है और खास तौर पर सड़क के लिए पांच-सात यह लाइनें लिखी हैं, मैं उनको पढ़ देता हूं क्योंकि यह मेरा भाषण जो है, वह न तो मुझे अपील कर रहा है और न शायद दूसरों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

को अपील करेगा इसलिए थोड़ा सा विटी, अब मैं सड़क के बाबत कहता हूं कि यह सड़क ही है जिसके चाहने वाले अनगिनत हैं। हर व्यक्ति सड़क पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। यह सड़क ही है जिसके किनारे हर व्यक्ति अपना मकान और खेत बनाना चाहता है। यह सड़क ही है, जो एक गांव को दूसरे गांव से और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। यह सड़क ही है जो अपने सीने पर पद यात्री, साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और यहां तक कि एरोप्लेन तक को झेल रही है और यह सड़क ही है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह डेफिनिशन मालूम नहीं थी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या कह रहे हैं? क्या नाम था उनका, मुलायम सिंहजी के लड़के का जो चीफ मिनिस्टर थे? अखिलेश यादव ने जो हाईवे बनाया, उस पर बाकायदा प्लेन चलवाया। आप थोड़ी-सी अपनी जानकारी बढ़ाया करो। और यह सड़क ही है जिस पर बड़े-बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं और होते रहेंगे। आज भी विपक्ष यही चेतावनी हमें देता है कि हम सड़क पर उतर जाएंगे और यह सड़क ही है जो एक प्रेमी को प्रेमिका से इब्तिदा-ए-इश्क में अपने सीने पर जगह देती है। यह सड़क ही है जो अच्छे-अच्छों को सड़क पर ला देती है, वगैरह-वगैरह। यह लम्बा है मामला। लम्बा मामला है। क्या साहब, अंकित नहीं करोगे? (व्यवधान) पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो मान लिया जाए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। जिनको सड़क नहीं चाहिए, वह पढ़ा हुआ मान लेंगे और सड़क चाहिए तो मुझे सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति: सुनना भी पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और इसी सैशन में नहीं, अमृतलालजी, यह समय बताएगा अगली बार भी कि मैं आपको सुनूंगा या आप मुझे सुनोगे?

खैर, यह सड़क ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कई तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के विकास का आधार है। आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण में सड़क तंत्र को मजबूत करना, यह प्राथमिक कार्य है इस विभाग का। सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने व विस्तारित करने एवं उचित रखरखाव के लिए उत्तरदायी माना गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गत दो वर्ष और दो माह में हमने 26530 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास के कार्य पूर्ण किये हैं जिनमें से 4480 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कें, ग्रामीण सड़कें, नवीन ग्रामीण सड़कें निर्माण कर 243 गांवों और बसावटों को लाभान्वित किया है। 3286 किलोमीटर लम्बाई में राजमार्ग और जिला सड़कों व 18028 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास के कार्य करवाये गये हैं जिन पर कुल मिलाकर यह 11864 करोड़ रुपये व्यय किया गया है।

हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत कार्यों को करवाने के साथ-साथ आपके द्वारा जो सड़कें स्वीकृत की गयी थीं, उनके साथ-साथ हमने 6096 करोड़ रुपये की लागत के 4248 नवीन कार्य भी स्वीकृत करके कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इन स्वीकृतियों से 17786 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण व विकास किया जा सकेगा। इसमें 15 नवीन पुलों व आर.ओ.बी. का निर्माण भी शामिल है।

वर्तमान में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 5 हजार 900 से अधिक सड़क कार्य प्रगति पर हैं। कोविड-19 के कारण, अमृतलाल जी, आपने अभी एक बात उठायी थी कि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलता है। अब ठेकेदारों को नहीं मिला, तो इनको कहां से मिलेगा? ठेकेदारों को मिलेगा, मिलना चाहिए, बकाया है। कोविड-19 के कारण राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी आयी है। वर्तमान में संपादित कार्यों के विरुद्ध अभी 1,300 करोड़ रुपये के लम्बित बिलों का भुगतान किया जाना शेष है। उचित बजट का प्रावधान कर संवेदकों को भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रथम चरण में 500 व 500 से अधिक आबादी के 303 गांवों तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिये 1,314 किलोमीटर लम्बाई में डामर की सड़क का निर्माण व 183 ग्राम पंचायतों पर विकास पथों का कार्य प्रगति पर है।

जन प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार नोन पैचेबल सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण या मिसिंग लिंक सड़कों के लिये प्रति विधान सभा 5 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ करवाये जाएंगे।

अधिक वर्षा के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो सड़कें मरम्मत योग्य थीं, इन मरम्मत योग्य सभी सड़कों पर मरम्मत का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। आपदा राहत कोष के माध्यम से 83 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राज्य के 6 रेलवे फाटकों पर आर.ओ.बी. के निर्माण का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया, 34 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है, 8 आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ स्थानों पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार करवायी जा रही है। राज्य में 19 रेलवे क्रोसिंग स्थानों पर आर.यू.बी. का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा, 13 स्थानों पर आर.यू.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 24 नवीन आर.यू.बी. निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

पुलों के निर्माण बाबत आपने यहां पर बात उठायी। चन्द्रकान्ता जी ने तो 8-10 पुल बता दिये। वह पुल शायद इन्होंने देखे भी नहीं होंगे। किसी ने बता दिया होगा कि यह भी लिख दो, यह भी लिख दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपसे तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता, लेकिन जिन पुलियाओं के बाबत आपने बताया है न, मैं 50 साल से घूमता हूं उस एरिये में। आप विराज जाएं। अच्छा माफ करें मुझे, आप विराज जाएं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिए। प्लीज, सहयोग करें। विराजें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बेणेश्वर धाम में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले को जोड़ने वाली नदी पर, खातोली सवाई माधोपुर सड़क पर, झरेल के पास चंबल नदी पर, बांसवाड़ा जिले में गलियाकोट-बडिया सड़क पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जाएगा। राज्य के 9 स्थानों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण गोठड़ाकलां..., वही चंबल नदी, चंबल नदी पर पुल बनते हैं। पुल नहीं बनाये तो हर आदमी कहता है चंबल का पानी लाओ, चंबल का पानी लाओ। अब पूरी चंबल को ही उठाकर ले जाओ न कोटा से, बात ही खतम हो। राज्य के 9 स्थानों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण गोठडाकलां..., जहां पर अभी एक हादसा हुआ था, अभी 20-22 आदमी मर गये थे, वहां पर नाव पलट गयी थी। कोटा में चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिये डीपीआर तैयार करवाने के लिये आदेश दे दिया गया है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस योजना के फेज, निश्चित तौर पर पूर्व

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
प्रधान मंत्री अटलजी को मैं नमस्कार करता हूं कि उनके वक्त में यह जो योजना चली, इससे पूरे देश को लाभ हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं। पूर्व प्रधान मंत्री, वर्तमान नहीं। इस योजना के फेज तृतीय के अन्तर्गत 2025 तक राज्य की 8,663 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण लगभग 4,245 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है। इनमें 6 पुलों का कार्य भी सम्मिलित है। इन कार्यों को आगामी वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना में राज्य को अच्छा कार्य करने के लिये, आप भी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री रहे हैं, हो सकता है यह आपके टाइम पर अच्छे काम हुए हों। इस योजना में राज्य को अच्छा काम करने के लिये 307 करोड़ रुपये का फाइनेंशल इंसेंटिव भी मिला है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 2,314 करोड़ रुपये का व्यय 444 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। 250 किलोमीटर लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में दो एक्सप्रेस हाईवे, बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारतमाला, मैं गड़करी साहब को धन्यवाद दे दूं, गडकरी साहब को ही देवें, इसके मंत्री वो ही हैं। राज्य में दो एक्सप्रेस हाईवे भारतमाला योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तत्परता से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हेतु 4,174 हैक्टेयर एवं अमृतसर-जामनगर हेतु 5,032 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर हस्तांतरित कर दी गयी है, जिससे यह कार्य द्रुत गति से किया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्टेट हाईवे, वर्ष में 1,565 करोड़ रुपये की लागत से 619 किलोमीटर लम्बाई के 10 राज्य राजमार्गों का विकास कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। 17 राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों को विकसित करने पर 2,315 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 972 किलोमीटर सड़क का विकास किया जा सकेगा।

केन्द्रीय सड़क व आधारभूत निधि योजना, सी आर आई एफ वर्ष 2020-21 में भारत सरकार से 723 करोड़ रुपये की लागत से 32 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अब मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। नवाचार, नवीन टैक्नोलोजी का उपयोग किया जा रहा है। विभाग डामर सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर रहा है। इससे पर्यावरण का बचाव होगा और इसके उपयोग से सड़कें टिकाऊ बनेंगी। वर्तमान में PMGSY, RIDF, NH के तहत 2,091 किलोमीटर के डामरीकरण कार्य में 1,176 टन प्लास्टिक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अपशिष्ट का उपयोग किया गया है। वर्तमान में GWMS के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। सड़क नेटवर्क की जानकारी नेटवर्क सर्वे व्हीकल द्वारा एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सिस्टम जून माह 2021 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। सभापति महोदय, सैकड़ों किलोमीटर सड़कों के बाबत मैंने बता दिया। जितने भी माननीय सदस्यों ने सड़कें मांगी हैं, जिसकी किस्मत में होगी, उनको मिल जाएगी और जिसको नहीं मिले, वह मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिल लेना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें व पुल को पारित किया जाए।

मांग संख्या 21-सड़कें व पुल का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें व पुल के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,83,47,69,000/- (सतहत्तर अरब तिरासी करोड़ सैंतालीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष मांगें मुखबन्द की जाकर पारित की जाएंगी।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 - राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,61,25,000/- (छियानवे करोड़ इकसठ लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद्

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 - मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री सभापति)

राज्यपाल महोदय को रुपये 15,80,02,000/- (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 3 - सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 - सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,09,17,77,000/- (तीन अरब नौ करोड़ सत्रह लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 - जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,35,06,66,000/- (छह अरब पैंतीस करोड़ छह लाख छियासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 - प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,66,51,74,000/- (दो अरब छियासठ करोड़ इक्यावन लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,37,85,39,000/- (बारह अरब सैंतीस करोड़ पिच्यासी लाख उनतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7 - निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 - निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,59,47,000/- (एक अरब पिच्यासी करोड़ उनसठ लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8 - राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 - राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,17,93,63,000/- (नौ अरब सत्रह करोड़ तिरानवे लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9 - वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 - वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,10,97,28,000/- (बारह अरब दस करोड़ सतानवे लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 - विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,39,44,13,000/- (सात अरब उनतालीस करोड़ चवालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,52,63,000/- (साठ करोड़ बावन लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 - अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 - अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,77,07,36,000/- (नौ अरब सतहत्तर करोड़ सात लाख छत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13 - आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,43,85,000/- (एक अरब तिहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 - बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,76,89,10,000/- (नौ अरब छिहत्तर करोड़ नवासी लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,54,63,26,54,000/- (दो सौ चौवन अरब तिरेसठ करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 - जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,12,40,86,000/- (एक अरब बारह करोड़ चालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,75,24,41,000/- (पन्द्रह अरब पिचहत्तर करोड़ चौबीस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20 - आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 - आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,60,78,54,000/- (एक अरब साठ करोड़ अठहत्तर लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,37,45,93,000/- (दो अरब सैंतीस करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,35,03,10,000/- (चौदह अरब पैंतीस करोड़ तीन लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 - कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,53,60,97,000/- (आठ अरब तिरेपन करोड़ साठ लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,75,92,67,000/- (नौ अरब पिचहत्तर करोड़ बानवे लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,88,71,64,000/- (चार अरब अठासी करोड़ इकहत्तर लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,95,49,75,000/- (उनतालीस अरब पिचानवे करोड़ उनचास लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,03,21,28,000/- (छह अरब तीन करोड़ इक्कीस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,47,70,94,000/- (छब्बीस अरब सैंतालीस करोड़ सत्तर लाख चौरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,41,18,26,000/- (एक अरब इकतालीस करोड़ अठारह लाख छब्बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 - राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,64,57,000/- (एक करोड़ चौंसठ लाख सतावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,32,43,58,000/- (अठावन अरब बत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख अठावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 - उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,87,76,12,000/- (चार अरब सतासी करोड़ छिहत्तर लाख बारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 - खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,19,45,46,000/- (चार अरब उन्नीस करोड़ पैंतालीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,22,72,000/- (चौंतीस करोड़ बाइस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,18,67,92,000/- (इक्यावन अरब अठारह करोड़ सड़सठ लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,61,17,000/- (एक अरब बयालीस करोड़ इकसठ लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 48 - विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,04,73,62,24,000/- (एक सौ चार अरब तिहत्तर करोड़ बासठ लाख चौबीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,62,000/- (चार लाख बासठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,79,89,02,000/- (तीस अरब उन्नासी करोड़ नवासी लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,42,74,55,34,000/- (दो सौ बयालीस अरब चौहत्तर करोड़ पचपन लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 18 मार्च 2021 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20:36 बजे गुरुवार, दिनांक 18 मार्च 2021 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जोधपुर में डी एम एफ टी से कराये गये कार्यों पर व्यय राशि

322. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में डीएमएफटी के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 में कितनी-कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों में किस-किस मद से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डीएमएफटी के तहत ओसियां के नेवरा सड़क पर वृक्षारोपण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त भी अब तक वित्तीय स्वीकृति क्यों नहीं जारी की गई है? उक्त वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

(3) वर्तमान में उक्त जिले में डीएमएफटी के अन्तर्गत कितनी राशि जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के डी.एम.एफ.टी. कोष में वर्ष 2017-18 में रुपये 388.91 लाख, 2018-19 में रुपये 1267.97 लाख तथा 2019-20 में रुपये 1529.69 लाख जमा हुए। विधान सभा क्षेत्रवार जमा राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त वर्षों में सिलिकोसिस पीड़ितों व मृतक आश्रितों को क्रमशः रुपये 1582 लाख व रुपये 1501.50 लाख की सहायता प्रदान की गई। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त वर्षों में अन्य कार्यों हेतु रुपये 33 लाख व्यय किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्रवार कार्यवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(2) डी.एम.एफ.टी. कोष के तहत पंचायत समिति ओसियां की ग्राम पंचायत नेवरा रोड में 5 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण हेतु दिनांक 17.07.2018 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग से 15 दिवस की अवधि में तकनीकी स्वीकृति के संबंध में निर्धारित परिशिष्ट में सूचनाएं मांगी गई। कार्यकारी एजेन्सी से सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं दिनांक 06.10.2018 से राज्य में विधान सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से कार्यवाही लम्बित रही। वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 30.01.2019 से निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाएं

(खान मंत्री)

जिनमें वित्तीय स्वीकृति जारी होना शेष है, की वित्तीय स्वीकृति जारी न कर इनका पुनरावलोकन किया जाए। राज्य सरकार के उक्त निर्णय के क्रम में डी.एम.एफ.टी. जोधपुर की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिनांक 16.10.2019 में बजट की अनुपलब्धता/कमी के कारण उक्त कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष में लिये जाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में गवर्निंग काउंसिल में उक्त प्रशासनिक स्वीकृति का पुनरावलोकन लम्बित है, जिस पर आगामी बैठक में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(3) जोधपुर जिले के डी.एम.एफ.टी. कोष में दिनांक 28.02.2021 को राज्य खनिज कोष से हस्तान्तरित राशि रुपये 35.55 करोड़ को मिलाकर कुल रुपये 40.20 करोड़ जमा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के विद्यालयों का शहीदों के नाम पर नामकरण

323. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां लगाने की योजना है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष में प्रदेश में किन-किन स्थानों पर शहीदों की मूर्तियां लगायी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह भी सही है सरकार द्वारा विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाना था? यदि हां, तो ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर क्यों नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में शहीदों की मूर्तियां लगाने हेतु कितने स्थानों पर स्टेच्यू बनकर तैयार हो गये और क्या उक्त की मूर्तियां लग चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शीघ्र ही शहीदों की मूर्तियां लगवाकर विद्यालयों के नामकरण उनके नामों से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के 4 शहीदों के नाम विद्यालय

(सैनिक कल्याण मंत्री)

नामकरण कर दिया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है तथा शेष 7 शहीदों के नाम से विद्यालय नामकरण के प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। शहीदों की मूर्तियां लगाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 10.06.2016 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ग व घ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। 7 शहीदों के नाम से विद्यालय नामकरण के प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोचिंग शुल्क के नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन

324. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार निजी शिक्षा संस्थानों और कोचिंग केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक वसूल किए जाने वाले शुल्क को रोकने हेतु नियामक प्राधिकरण के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कोचिंग केन्द्रों में विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात् भी ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं करने के कारण उनके शुल्क को लौटाने अथवा आगामी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

सुवाणा (भीलवाड़ा) में प्रोसेस हाउस से निकलने वाले दूषित पानी की रोकथाम

325. श्री रामलाल जाट (माण्डल): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में सुवाणा क्षेत्र में प्रोसेस हाउस से निकलने वाले दूषित पानी से आस-पास के कई गांवों में पानी खराब हो गया है व भूमि में भी कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं? यदि हां, तो

(श्री रामलाल जाट)

क्या सरकार उक्त का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले के सुवाणा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 19 प्रोसेस हाउस एवं 09 डाई हाउस स्थापित हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिसम्बर, 2019 एवं जून, 2020 में सुवाणा क्षेत्र में प्रोसेस हाउस के आस पास स्थित गांवों के भूजल नमूनों की जांच उपरान्त पी.एच. की मात्रा पेयजल हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गई। कुछ नमूनों में टी.डी.एस, हार्डनेस, फ्लोराइड आदि की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई। घातक पदार्थ यथा सीसा, टोटल, क्रोमियम, केडमियम, निकल आदि नगण्य पायी गई। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार क्षेत्र में कृषकों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे सिंचाई जल व खेत की मिट्टी का राजकीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, भीलवाड़ा द्वारा विश्लेषण कराया गया है। विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है। अधिकतर नमूनों में मिट्टी एवं जल कृषि उपयुक्त पाया गया है। स्थानीय मिट्टी एवं जल से फसल उत्पादन हेतु कृषि विभाग द्वारा तकनीकी जानकारी किसानों को दी जा रही है।

जिले में स्थापित कुल 28 प्रोसेस हाउस/डाई हाउस से प्रसंस्करण उपरान्त जनित प्रदूषित जल के निस्तारण हेतु उपचार संयंत्र, उपचारित जल के पुन: काम में लेने हेतु आरओ संयंत्र, आरओ संयंत्र से जनित रिजेक्ट के निस्तारण हेतु बहु प्रभाव वाष्पीत्र (MULTI EFFECT EVOPRATORS) स्थापित हैं। इन सभी इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा संचालन सम्मति शून्य द्रव्य निस्राव (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) की शर्त के साथ ही प्रदान की गयी हैं तथापि वर्षा ऋतु के समय/दुर्घटनावश एवं तकनीकी खराबी जैसी परिस्थितयों में चित्तौड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा स्थित इकाइयों से उच्छिष्ट गुवारड़ी नाले से बहकर बनास नदी में एवं अजमेर रोड, भीलवाड़ा पर स्थित इकाइयों से उच्छिष्ट का प्रवाह कोठारी नदी में प्रवाहित होने की सम्भावना बनी रहती है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा समय-समय पर एवं वर्षा ऋतु के दौरान उच्छिष्ट का प्रवाह उपरोक्त नदियों में नहीं हो सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित निगरानी की जाती है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट

326. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में कितने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट विभाग द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विभाग का गठन उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप दक्ष जनशक्ति तैयार करने हेतु किया गया है एवं विभाग तद्नुरूप राज्य के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। अतिरिक्त रूप से उद्योगों की अर्थना पर संस्थानों में कैम्पस प्लेसमेंट आयोजित करवाये जाते हैं। विगत तीन वर्षों 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में राजकीय संस्थानों में आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट के 11462 प्रशिक्षणार्थियों को अवसर प्रदान किया गया। विभाग द्वारा भी 133 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को चयनोपरांत कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर नियुक्ति दी गयी।

कारागृहों में बंदियों से मोबाइल हैण्डसैटों की बरामदगी

327. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कारागृहों में मोबाइल हैण्ड सैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में प्रदेश की किस-किस जेल का किन-किन अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया एवं उक्त अवधि में जेलों में कैदियों के पास क्या-क्या वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)जी नहीं। प्रदेश के कारागृहों में मोबाइल हैण्ड सैट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष

(कारागार मंत्री)

2018 में 282 घटनाएं, 2019 में 161 घटनाएं तथा वर्ष 2020 में 159 घटनाएं घटित हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) गत दो वर्षों में प्रदेश की जेलों के निरीक्षण संबंधी विवरण तथा निरीक्षण के दौरान जेलों में कैदियों से वस्तुएं बरामद संबंधी विवरण परिशिष्ट-ब में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर के गांवों में नर्मदा का जल उपलब्ध कराने की योजना

328. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के शत प्रतिशत ग्रामों को पीने के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को नर्मदा का जल उपलब्ध करवाया जा चुका है?

(2) जालौर एवं आहोर विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव नर्मदा के जल से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों के वंचित गांवों तक नर्मदा जल पहुंचाने हेतु डीपीआर तैयार करके स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो डीपीआर कब तक तैयार हो जायेगी?

(4) उक्त वंचित गांवों को सरकार कब तक नर्मदा जल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले के वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 792 ग्रामों को सतही जल स्रोत नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इन 792 ग्रामों में से 486 ग्राम नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति में सम्मिलित हैं।

जालौर जिले के उक्त 792 ग्रामों में से 28 ग्राम सिल्लू-जैसला-भाटकी ढांचागत परियोजना से, 290 ग्राम एफ.आर. क्लस्टर वितरण प्रणाली की परियोजना से तथा 126 ग्राम डी.आर. क्लस्टर वितरण प्रणाली की परियोजना से, इस प्रकार कुल 444 ग्रामों में पी.एस.पी. के द्वारा नर्मदा नहर से स्वच्छ

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा 42 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर एवं आहोर में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित क्रमश: 102 एवं 157 ग्रामों में से 80 एवं 130 ग्रामों में नर्मदा नहर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा 1 एवं 5 ग्रामों को एफ.आर. क्लस्टर परियोजना से लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

नर्मदा नहर आधारित परियोजना से विधान सभा क्षेत्र जालौर एवं आहोर के उक्तानुसार क्रमश: 21 एवं 22 ग्राम वर्तमान में वंचित हैं। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, जालौर एवं आहोर के क्रमश: 21 एवं 22, कुल 43 ग्रामों सहित जिला जालौर के शेष वंचित रहे 306 ग्राम एवं इनकी ढाणियों में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 द्वारा राशि रुपये 233.64 लाख की जारी की गई है।

उक्त कार्य हेतु सलाहकार फर्म नियुक्त की जाकर परियोजना की डी.पी.आर. बनाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

बजट घोषणा की अनुपालना में जालौर जिले के उक्तानुसार वंचित रहे 306 ग्राम एवं इनकी 1028 ढाणियों को ई.आर. क्लस्टर परियोजना अंतर्गत राशि रुपये 1091.20 करोड़ के प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाये जाकर, भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय को अनुमोदन हेतु हाल ही में प्रस्तुत किये गये हैं। अनुमोदन उपरान्त परियोजना की डी.पी. आर. तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म से कराया जाकर, तकनीकी स्वीकृति उपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सकेगा।

(4) उपरोक्तानुसार, ई.आर. क्लस्टर परियोजना के अनुमोदन उपरान्त परियोजना की डी. पी. आर. तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म से कराया जाकर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त नर्मदा नहर आधारित परियोजनाओं में जिला

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जालौर के उक्तानुसार सम्मिलित एवं स्वीकृत 486 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के अंतर्गत 458 ग्रामों हेतु डी. आर. एवं एफ. आर. 2 परियोजनाओं की क्रमशः राशि रुपये 150.73 करोड़ एवं रुपये 332.05 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11.02.2021 को जारी हुई है तथा इनकी डी.पी. आर. तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म से कराया जाकर, इनकी तकनीकी स्वीकृति उपरान्त इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सकेगा। शेष 28 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशि रुपये 96.76 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बेदला व रामगिरी (उदयपुर) के मध्य पुलिया का निर्माण

329. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार को जिला उदयपुर के बेदला व रामगिरी के मध्य नदी पर पुलिया निर्माण के लिये आम जनता व स्थानीय जन प्रतिनिधियों से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब व सरकार द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) सरकार उक्त नदी पर कब तक पुलिया निर्माण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के राजस्व ग्राम बेदला एवं रामगिरी के मध्य नदी पर पुलिया निर्माण के लिये कार्यालय ग्राम पंचायत बेदला खुर्द के पत्रांक 02 दिनांक 06.02.2020 प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्ति के पश्चात् न्यास द्वारा प्रस्तावित पुलिया का मौका निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति पर होने वाले आवागमन का दो दिवस तक अवलोकन किया गया। अवलोकन अनुसार आवागमन कम पाया गया एवं प्रस्तावित पुलिया एवं एप्रोच सड़क के आस पास निजी खातेदारी की कृषि भूमि स्थित होने तथा उक्त भूमि न्यास के आधिपत्य की नहीं होने से प्रश्नगत सड़क मार्गाधिकार निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं होना पाया गया है।

(2) वांछित पुलिया एवं एप्रोच सड़क के आसपास निजी खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत खातेदार यदि समझौते के तहत अपनी भूमि न्यास को

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सौंपने के लिए तैयार हो तो ही प्रश्नगत सड़क एवं पुलिया निर्माण का कार्य सम्भव है।

भिवाड़ी में बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय की स्थापना

330. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र तिजारा के नगर परिषद् क्षेत्र भिवाड़ी में पशु चिकित्सा केन्द्र के नाम पर मात्र एक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय संचालित है? यदि हां तो क्या सरकार भिवाड़ी में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा के नगर परिषद् क्षेत्र भिवाड़ी में मिलकपुर गुर्जर में एक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय संचालित है।

जी नहीं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सुविधा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होती है।

अलवर मुख्यालय पर पूर्व से ही बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित है। वर्तमान में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत/खोलने का प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

सीकर में नंदीशाला की स्थापना

331. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में आवारा पशुओं की व्यवस्था हेतु नंदीशालाओं के निर्माण की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला सीकर में अब तक कहां-कहां नंदीशालाएं खोली गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खोली गई नंदीशालाओं में आवारा पशुओं को प्रवेश के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु जन घोषणा पत्र वर्ष 2018 के बिन्दु संख्या 2.14 में "निराश्रित गौवंश की समस्याओं का निदान किया जायेगा" उल्लेखित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा में यह

(गोपालन मंत्री)

उल्लेखित किया गया है कि राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं स्थापित की जायेंगी।

सीकर जिले में वर्तमान तक नंदीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है।

(2) जिला स्तरीय नंदीशाला हेतु गोपालन विभाग के परिपत्र क्रमांक 4739 दिनांक 07.06.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह उल्लेखित है कि नंदी गौशाला में सार्वजनिक स्थल/सड़कों/गांवों/शहरों से निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया जाएगा। जिले की अन्य गौशालाओं में आवासित नंदी गौवंश को नव स्थापित नंदी गौशाला में किसी भी हाल में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अनूपगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय की स्थापना

332. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 3 वर्षों में जिला श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ व घड़साना, रावला मंडी, विजयनगर तहसील क्षेत्रों के कितने वाहनों का पंजीयन किया गया? वर्षवार, तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक से अधिक उप परिवहन कार्यालय स्थापित हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनूपगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 3 वर्षों में गंगानगर जिले के अनूपगढ़, घड़साना, रावला मंडी एवं विजयनगर तहसील क्षेत्रों में वाहनों का पंजीयन निम्नानुसार है:-

तहसील	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (दि. 11.02.2021) तक**
अनूपगढ़	1247	1369	1038
घड़साना	957	852	718
रावलामंडी	910	863	928
विजयनगर	1012	1192	1139

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक से अधिक उप परिवहन कार्यालय स्थापित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग में संचालित कार्यालयों में स्टाफ की कमी है। नवीन कार्यालय को खोलने के स्थान पर विभाग में संचालित कार्यालयों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

भीलवाड़ा के विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

333. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में किस-किस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों एवं किस-किस रा.मा.वि. में प्रधानाध्यापक के पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में कुछ अधिकारी, कर्मचारी अपने मूल पदस्थापित स्थान के स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थान पर पदस्थापित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद कब से हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में उक्त रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाए जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। उक्त जिले में जो अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल पदस्थापित स्थान से प्रतिनियुक्ति/शिक्षण व्यवस्थार्थ/कार्य व्यवस्थार्थ अन्य स्थान पर पदस्थापित हैं, का नामवार विवरण परिशिष्ट-"ख-1" एवं परिशिष्ट-"ख-2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सादुलपुर में नेचर पार्क की स्थापना

334. श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चिकित्सालय

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

के समीप वन भूमि है? यदि हां, तो उक्त का क्षेत्रफल कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वन भूमि में नेचर पार्क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चिकित्सालय के समीप रक्षित वन खण्ड राजगढ़ पार्ट 'ब' अन्तर्गत 28.808 हैक्टेयर वन भूमि है।

(2) जी नहीं। भाग 1 में वर्णित वन भूमि पर नेचर पार्क बनाये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प लगाने की कार्ययोजना

335. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गांव में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में जिला श्रीगंगानगर में कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया?

(2) क्या सरकार गांव में प्रतिभाओं को खोजने के लिए तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट का आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा जिला श्रीगंगानगर में खेलों हेतु कितने बजट का आबंटन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में श्रीगंगानगर जिले में खेल अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत जिला खेल संघों द्वारा गांवों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रत्येक जिले में वर्ष में किसी एक तहसील स्तर पर एक कैम्प लगाया जाता है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिये अलग से बजट आबंटन नहीं किया जाता है, न ही जिलावार बजट आबंटन किया जाता है।

जिला खेलकूद अधिकारी द्वारा मांग के अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

श्रीगंगानगर जिले के लिये बजट आबंटन नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरण

323. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को नौकरी दी जाती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? क्या सरकार उक्त को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

मेड़ता सिटी के मीरा स्मारक को कृष्ण जोन में सम्मिलित करने की कार्ययोजना

324. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े क्षेत्र को कृष्ण जोन में शामिल किया गया है? यदि हां, तो कौन से क्षेत्र को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भगवान श्री कृष्ण की परमभक्त व भक्त शिरोमणि मीराबाई का ऐतिहासिक मंदिर व मीरा स्मारक जिला नागौर की मेड़ता सिटी में स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सिटी को कृष्ण जोन में सम्मिलित कर उक्त को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर व स्मारक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उक्त के विकास हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना में कृष्णा सर्किट नाम से प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसमें जयपुर के

(पर्यटन मंत्री)

गोविन्द देव जी एवं आस पास के क्षेत्र, सीकर के खाटूश्याम जी तथा राजसमंद के नाथद्वारा में पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। भगवान श्री कृष्ण की परमभक्त व भक्त शिरोमणि मीराबाई का ऐतिहासिक मंदिर व मीरा स्मारक नागौर जिले के मेड़ता सिटी में स्थित है। मीरा स्मारक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक घोषित है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.09.2016 को स्वदेश दर्शन योजना में कृष्णा सर्किट स्वीकृत किया जा चुका है।

वर्तमान में मेड़ता सिटी को कृष्णा सर्किट में शामिल करने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग में विचाराधीन नही हैं।

(3) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.06.2017 को स्वदेश दर्शन योजना में हैरिटेज सर्किट स्वीकृत किया गया है, जिसमें मीराबाई स्मारक, मेड़ता में लाइट एण्ड साउण्ड शो तथा मुख्य द्वार एवं आस पास में फ्लड इलुमिनेशन कार्यों हेतु राशि रुपये 208.94 लाख के पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जो कि प्रगति पर हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतहनगर से रूण्डेडा वाया ईन्टाली सड़क का निर्माण

325. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में फतहनगर से रूण्डेडा वाया ईन्टाली की सड़क का निर्माण कार्य कब एवं किस फर्म, एजेन्सी द्वारा किया गया? उक्त सड़क की मरम्मत पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य के दौरान ग्राम ईन्टाली की पुरानी पेयजल टंकी के नजदीक मुख्य सड़क के पास ही नाली का निर्माण कर दिया गया जिसमें वर्तमान में ग्राम ईन्टाली से रंटेड की ओर आने-जाने वाले ग्रामीणों को उक्त नाली के गलत निर्माण से आये दिन दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार आम जनता को गलत नाली के निर्माण से हो रही भारी परेशानी से राहत प्रदान

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम रूण्डेडा (बगरू) से मेनार राष्ट्रीय राजमार्ग पुलिया तक सड़क चौड़ाईकरण का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार फतहनगर से मेनार वाया ईन्टाली के सड़क के दोनों ओर के विलायती बबूल को कटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फतेहनगर से ईण्टाली होकर रूण्डेडा तक सड़क की कुल लम्बाई 20.00 किमी है। वर्ष 2007-08 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस सड़क पर 19.00 किमी लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य मैसर्स रामचन्द्र कुमावत एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स माधव लाल जाट द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् उक्त सड़क की मरम्मत पर आर.आई.डी.एफ. 22 योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में किमी 0/0 से 4/0, 9/500 से 10/500 एवं 17/0 से 20/0 कुल 8.00 किमी में कुल रु. 92.71 लाख राशि व्यय हुई व आर.आई.डी.एफ. 23 योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में किमी 12/0 से 15/0 कुल 3.00 किमी में रु. 65.92 लाख राशि व्यय हुई।

(2) जी हां। उक्त सड़क के निर्माण के दौरान ईण्टाली ग्राम में सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया था क्योंकि उक्त सड़क ईण्टाली ग्राम में घनी आबादी से होकर गुजरती है व सड़क के दोनों ओर पक्के मकान होने के कारण उपलब्ध सड़क की चौड़ाई में सी.सी. सड़क व नाली निर्माण का कार्य किया गया। ईण्टाली से रण्टेड जाने के लिए नाली को क्रास कर जाना पड़ता है जिसमें भारी वाहन से नाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त नाली की मरम्मत कर दी गई है एवं वर्तमान में वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

(3) वर्तमान में ग्राम रूण्डेडा से मेनार की सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर है एवं उक्त सड़क ग्रामीण सड़क की श्रेणी में आती है। उक्त सड़क के चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार उक्त सड़क

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पर झाड़ी सफाई का कार्य किया जाता है एवं वर्तमान में सुचारु रूप से यातायात का आवगमन हो रहा है।

फागी से चाकसू के मध्य सड़क का चौड़ाईकरण

326. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फागी से चाकसू के मध्य हाईवे की चौड़ाई कितनी निर्धारित है तथा इसके मध्य 4 किमी क्षेत्र में हाईवे की चौड़ाई निर्धारित से आधी से भी कम है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त हाईवे को एक समान चौड़ाई में निर्मित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फागी से चाकसू के मध्य स्टेट हाईवे-02 की कोई चौड़ाई निर्धारित नहीं है परन्तु कुल लम्बाई 40.00 किमी में से किमी 54/0 (चाकसू) से 67/0 तक हाईवे की चौड़ाई (डामर सड़क) 7 मीटर है। किमी 67/0 से 71/0 तक 4 किमी की लम्बाई में डामर सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर है। किमी 71/0 से 94/0 (फागी) तक 23 किमी लम्बाई में डामरीकृत सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है।

(2) जी हां। फागी से चाकसू के मध्य चौड़ाई एक समान करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सामंत कमेटी की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

327. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन विसंगति संबंधित मांगों पर डी.सी. सामंत कमेटी का गठन कब किया गया है? उक्त कमेटी की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट का परीक्षण पश्चात् वेतन विसंगति संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को लागू किये जाने के पश्चात् वेतनमान विसंगतियों के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण करने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प. 6(5)प्रसु/अनु-3/2017 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामंत, सेवानिवृत आईएएस की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उक्त समिति की रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षणाधीन है।

डग में पण्डित दीनदयाल योजना से लाभान्वित गांव

328. श्री कालूराम (डग): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में पण्डित दीनदयाल योजना के तहत कितने गांवों व ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र से वंचित ढाणियों में कब तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के समस्त 1600 गांव व 1119 ढाणियां दीनदयाल योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व से ही विद्युतीकृत हैं। इस कारण विधान सभा क्षेत्र डग में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत किसी भी ग्राम व ढाणी का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी ढाणी अविद्युतीकृत नहीं है।

उपभोक्ताओं से वसूल विद्युत शुल्क का निर्धारण

329. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से किस-किस प्रकार का शुल्क वसूल किया जाता है? यह शुल्क कब से किस-किस दर से वसूला जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) उक्त शुल्क से विगत पांच वर्षों के दौरान अब तक कितनी राशि संकलित हुई? उपभोक्ताओं से वसूली गई उस राशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाना निर्धारित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वसूली गई उक्त राशि का अब तक किन-किन मदों से कितना-कितना व्यय कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रचलित विद्युत आपूर्ति की दर (ऊर्जा प्रभार यूनिट एवं स्थायी प्रभार) का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विद्युत बिलों में विद्युत ऊर्जा प्रभार एवं स्थायी प्रभार के अतिरिक्त निम्न चार्जेज वसूल किये जाते हैं।

1. विद्युत कर (बिलिंग माह जुलाई 2004 से)
   (अ) कृषि श्रेणी के अतिरिक्त-0.40/- रु./यूनिट
   (ब) कृषि श्रेणी 0.04/- रू./यूनिट
2. जल संरक्षण उपकर (बिलिंग माह सितम्बर, 2009 से)-
   घरेलू एवं कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणी-0.10/- रु./यूनिट
3. नगरीय उपकर (नगरीय क्षेत्र में लागू) (मई, 2010 से) 0.10 रु./ यूनिट एवं 9.03.2011 से 0.15 रु./यूनिट कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणी-0.15/-रु./यूनिट
   (नगरीय क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से 100 यूनिट/माह से अधिक उपभोग पर देय है।)
4. ईंधन अधिभार (वित्तीय वर्ष 2012-13 से)-फ्यूल सरचार्ज की राशि का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
5. विशेष ईंधन अधिभार-बिलिंग माह सितम्बर, 2019 से 5 पैसे/ यूनिट (अप्रैल, 2018 से जून, 2018 के उपभोग पर) 36 किस्तों में वसूल किया जा रहा है।

(2) विगत 5 वर्षों के दौरान संकलित राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

उपभोक्ताओं से वसूले गये शुल्क का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है-

वाटर कन्जर्वेशन सैस की राशि को राज्य सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाता है।

(ऊर्जा मंत्री)

अरबन सैस की राशि को पी.एस.एल. (रोशनी) के विद्युत बिलों के विरुद्ध समायोजन/राजकोष में जमा करवा दिया जाता है। ईंधन अधिशुल्क की राशि का उपयोग बढ़ी हुई ऊर्जा लागत के भुगतान हेतु किया जाता है।

विद्युत शुल्क की राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि में समायोजित कर वितरण निगमों को स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका उपयोग विभिन्न परिचालन एवं संधारण व्ययों के भुगतान हेतु किया जाता है।

स्थाई प्रभार की राशि का उपयोग परिचालन एवं संधारण व्ययों के भुगतान हेतु किया जाता है।

(3) उपभोक्ताओं से वसूल किये गये शुल्क का विभिन्न मदों में व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लाडपुरा में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

330. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में माह दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2020 तक कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुईं उनमें से कितनी पूर्ण हुईं? उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल सुविधा मुहैया करवाने हेतु और कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले के विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2015 से दिसम्बर, 2020 की अवधि में कुल 102 योजनाओं/पेयजल संबंधी अन्य कार्यों की जारी स्वीकृतियों के विरुद्ध 95 योजना/कार्य अब तक पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 5 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

उक्तानुसार शेष रहे 2 कार्यों में से हैण्डपम्प निर्माण के एक कार्य पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा स्थल चयन में विवाद तथा सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम के अन्य एक कार्य हेतु वन विभाग द्वारा कार्य नहीं करने देने के कारण ये कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो सके हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत योजना/कार्यों की वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त विधान सभा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है तथा ये योजनाएं स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में विचाराधीन हैं।

उक्त के अतिरिक्त नौनेरा बैराज से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के 26 ग्रामों सहित जिला कोटा, बूंदी एवं बारां के 752 ग्राम एवं 4 कस्बों हेतु तथा बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना में विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के 27 ग्राम एवं 14 ढाणियों सहित कुल 60 ग्राम एवं 21 ढाणियों हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य सलाहकार फर्म द्वारा वर्तमान में प्रगति पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कुशलगढ़ में खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत

331. श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विभिन्न योजनान्तर्गत कुल कितने हैण्डपंपों की खुदाई की गई है एवं वर्तमान में कुल कितने हैण्डपम्प चालू हैं व कितने खराब व नाकारा हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नाकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प एवं खराब को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की पंचायत समिति, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत कुल स्थापित 12076 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 10,470 हैण्डपम्प क्रियाशील (2417 हैण्डपम्प मौसमी), 970 हैण्डपम्प सूखे तथा 636 हैण्डपम्प विभिन्न कारणों से परित्यक्त/नाकारा हैं।

उक्त स्थापित हैण्डपम्पों के संबंध में पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पेयजल की आवश्यकता, भू-जल की उपलब्धता एवं इसकी गुणवत्ता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में विभाग द्वारा हैण्डपम्पों का निर्माण सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से अब तक 28 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जारी हुई है। इस स्वीकृति के विरुद्ध 15 हैण्डपम्प निर्माण उपरान्त चालू कर दिये गये हैं तथा शेष 13 हैण्डपम्पों का निर्माण माह अप्रैल, 2021 तक पूर्ण कर इन्हें चालू करना प्रस्तावित है। उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों संबंधी ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

दिनांक 01.04.2020 से प्रगतिरत 44वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 159 तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत समिति, कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में क्रमश: 912 एवं 700, कुल 1612 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को दिनांक 07.03.2021 तक सुधारा गया है। क्षेत्र में समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य उक्त अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बृज वाटिका गोनेर रोड का नियमन कैम्प

332. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सुभाष सिंधी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. जयपुर की योजना बृज वाटिका गोनेर रोड जगतपुरा में जेडीए से कैम्प लगवाकर आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कालोनी का नियमितीकरण कर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त कालोनी में अब तक जेडीए द्वारा कैम्प नहीं लगाने एवं पट्टे नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कालोनी के नक्शे व प्लाटधारियों के नाम, पिता के नाम, प्लाट नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुभाष सिन्धी को-आपरेटिव हा.सो.लि. की बृज वाटिका, जगतपुरा जोन-9 की गैर अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या 16840/15, 16841/15 एवं वाद संख्या 122/2009 राजू बनाम गंगा सहाय माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. द्वितीय के यहां विचाराधीन होने के कारण योजना का नियमन नहीं किया गया है। वाद

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निस्तारण पश्चात् योजना का नियमन शिविर आयोजित किया जाना सम्भव होगा।

(2) सुभाष सिन्धी को-आपरेटिव हा.सो.लि. की बृज वाटिका, जगतपुरा जोन-9 की गैर अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद संख्या 16841/15 एवं वाद संख्या 122/2009 राजू बनाम गंगा सहाय माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. द्वितीय के यहां विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय में 16840/15 में वर्तमान में स्थगन प्रभावी होने के कारण योजना का नियमन नहीं किया गया है। वाद निस्तारण पश्चात् योजना का नियमन शिविर आयोजित किया जाना सम्भव होगा।

(3) सुभाष सिन्धी को-आपरेटिव हा.सो.लि. की बृज वाटिका, जगतपुरा की सदस्यता सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है एवं सोसायटी द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जानकी विहार आवासीय कालोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना

333. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गिरधारीपुरा, अजमेर रोड स्थित जानकी विहार आवासीय कालोनी का नियमन जविप्रा द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो कालोनीवासियों से किस-किस पेटे विकास शुल्क वसूल किया गया? क्या लिये गये उक्त शुल्क की एवज में कालोनी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनी में मूलभूत सुविधाएं यथा सीवरेज, रोड लाइट नालियां, पानी, परिवहन व अस्पताल की सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी में नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी लगाकर नियमित रूप से सफाई और कचरा उठवाने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(4) क्या यह सही है कि जानकी विहार एवं नीलकंठ विहार के बीच सेक्टर रोड पर रोड लाइट नहीं होने से अंधेरा रहता है? क्या जविप्रा, नगर निगम उक्त रोड पर रोड लाइट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त रोड पर स्थित पार्क को विकसित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जानकी विहार योजना का नियमन कैम्प दिनांक 21, 22, 28 अक्टूबर, 2014 को नियमन किया जा चुका है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट दिनांक 30.09.2014 एवं प.6(15) नविवि/3/1987/पार्ट दिनांक 29.01.2020 के अनुसार विकास शुल्क पेटे कुल राशि 2.51 करोड़ प्राप्त हुई है।

उक्त योजना में उपलब्ध कराये गये सुविधाओं के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

सड़क कार्य:- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में डामरीकृत सड़क निर्माण कार्य करवा दिया गया है।

पेयजल कार्य:- पृथ्वीराज नगर (उत्तर) सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें जानकी विहार आवासीय योजना भी स्थित है, में पेयजल के कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा इन पेयजल कार्यों के पेटे हिस्सा राशि रु. 60.00 करोड़ दिनांक 27.03.2015 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तानान्तरित किये जा चुके हैं। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से वित्त समिति द्वारा 757वीं बैठक में दिनांक 07.06.2019 को राशि रु. 563.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशि लगभग रु. 55.00 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुख्य लाइन हेतु 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेतु लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रथम फेज के प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। पृथ्वीराज नगर (उत्तर) सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें जानकी विहार आवासीय योजना भी स्थित है, में पेयजल के कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य प्रगति पर हैं। पेयजल कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण होना लक्षित है।

सीवरेज कार्य:- सीवरेज कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त जविप्रा में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर नियमानुसार सीवरेज कार्य किये जा सकेंगे।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) उक्त कालोनी में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

पेयजल कार्य:- पृथ्वीराज नगर (उत्तर) सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें जानकी विहार आवासीय योजना भी स्थित है, में पेयजल के कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा इन पेयजल कार्यों के पेटे हिस्सा राशि रु. 60.00 करोड़ दिनांक 27.03.2015 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तानान्तरित किये जा चुके हैं। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से वित्त समिति द्वारा 757वीं बैठक में दिनांक 07.06.2019 को राशि रु. 563.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके तहत राशि लगभग रु. 55.00 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुख्य लाइन हेतु 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेतु लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रथम फेज के प्रोजेक्ट में सम्मिलित है। पृथ्वीराज नगर (उत्तर) सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें जानकी विहार आवासीय योजना भी स्थित है, में पेयजल के कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य प्रगति पर हैं। पेयजल कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण होना लक्षित है।

सीवरेज:- सीवरेज कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त जविप्रा में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर नियमानुसार सीवरेज कार्य किये जा सकेंगे।

रोड लाइट:- गिरधारीपुरा अजमेर रोड स्थित जानकी विहार आवासीय कालोनी क्षेत्र में एलईडी प्रोजेक्ट के तहत एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

आन्तरिक सड़कों पर रोड लाइट एवं नालियों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाते हैं। फिलहाल पीआरएन में मुख्य सड़कों पर रोड लाइट का कार्य करवाया जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परिवहन (बस) और अस्पताल सम्बन्धित सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(3) जी हां। गिरधारीपुरा, अजमेर रोड स्थित जानकी विहार आवासीय कालोनी में सफाई कराई जाती है एवं डोर टू डोर कचरा संग्रहण कराया जाता है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी हां। जानकी विहार एवं नीलकंठ विहार के बीच सेक्टर रोड पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 33 केवी हाइटेंशन लाइन डाली हुई है। 33 केवी वोल्टेज से स्वप्रेरण उत्पन्न होने के कारण सुरक्षा व तकनीकी कारणों से रोड लाइट लगाया जाना सम्भव नहीं है।

जविप्रा अपीलीय अधिकरण में न्यायिक विवाद/अवमानना लम्बित होने के कारण पार्क के विकास का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

चूरू नगर परिषद् में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

334. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् चूरू में नवम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितने आवेदन भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए तथा इनमें से कितनों में स्वीकृति जारी हुई? माहवार तालिका सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगर परिषद् द्वारा दिसम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितने अनधिकृत निर्माण के नोटिस जारी किये गये तथा जारी नोटिसों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् चूरू में नवम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए आवेदनों का संख्यावार, स्वीकृतिवार एवं माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर परिषद् द्वारा दिसम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक अनधिकृत निर्माण के जारी किये गये नोटिसों का संख्यावार एवं जारी किये गये नोटिसों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सिवाना में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

335. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग के भवन कहां-कहां पर बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं

(श्री हमीर सिंह भायल)

कितने पद रिक्त हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन, कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नवीन कृषि भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि विभाग के निर्मित भवनों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों, रिक्त पदों तथा वर्तमान में पदस्थापन स्थान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उद्यान विभाग में मुख्यालय सिवाना व सिणधरी में एक-एक कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत है। श्री जबराराम कृषि पर्यवेक्षक सिवाना तथा श्री मदन लाल कृषि पर्यवेक्षक सिणधरी पर कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पर्याप्त भवन उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में मुफ्त पशुधन बीमा करने की कार्ययोजना

336. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के किसानों के पशुधन का बीमा किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में मुफ्त पशुधन बीमा घोषणा के तहत कितने किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 2.3 में लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा किये जाने का उल्लेख है। प्रदेश में योजना वर्तमान में प्रारम्भ नहीं हुई है।

(2) प्रदेश में लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए मुफ्त बीमा योजना प्रारम्भ नहीं हुई है।

लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा

337. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पूर्व में लघु और सीमांत किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 2.3 पर लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन का मुफ्त बीमा किये जाने का उल्लेख है।

(2) प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन के मुफ्त बीमा हेतु कार्ययोजना तैयार कर संचालित किया जाना विचाराधीन है।

उक्त पशुधन के मुफ्त बीमा के लिए बीमा कम्पनियों के साथ न्यूनतम प्रीमियम पर निर्धारण तथा अधिकतम क्षतिपूर्ति लाभ के संबंध में विचार विमर्श जारी है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त सक्षम अनुमोदन उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।

(3) जी हां। प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के पशुधन के मुफ्त बीमा हेतु कार्ययोजना तैयार कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही

338. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मेजर एंड माइनर खानें कितनी हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में अवैध खनन एवं अन्य अनियमितता के लिए वर्ष 2019 से 2020 के मध्य कितनी पैनल्टी लगाई गई एवं अब तक उनमें कितनी राशि वसूल कर ली गई है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक लाहोटी)

(3) सरकार द्वारा अवैध खनन और अनियमितता करने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रधान (मेजर) खनिज की 176 एवं अप्रधान (माइनर) खनिज की 32569 खानें प्रभावशील हैं। इन खानों की जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में अवैध खनन एवं अन्य अनियमितता (अवैध निर्गमन/ भण्डारण) के लिए वर्ष 2019 से 2020 (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक) के मध्य कुल 24576 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें राशि रुपया 40602.14 लाख की पैनल्टी लगाई गई एवं अब तक इसमें से राशि रुपया 19338.69 लाख वसूल हो चुकी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 के जवाब में अंकित अनुसार प्रदेश में अवैध खनन एवं अन्य अनियमितता के लिए वर्ष 2019 से 2020 के मध्य कुल 24576 प्रकरण दर्ज किये जाकर शास्ति राशि रुपया 19338.69 लाख वसूल की गई, 1915 एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई तथा 41 मामलों में इस्तगासे दायर किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अगावली (भरतपुर) में आबंटित खानें

339. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अगावली, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में खान आबंटित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी खान, किस-किसको, कहां-कहां पर आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यहां किसी लीजधारक कंपनी के विरुद्ध नियम विरुद्ध खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त खानों का सीमाज्ञान हुआ है? यदि हां, तो कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लीजधारक कंपनी THE METALLIFEROUS

(श्री नरपत सिंह राजवी)

MINES REGULATIONS, 1961 का उल्लंघन कर क्षेत्र में लगातार एक्सप्लोसिव की अवैध खरीद, संग्रहण व विस्फोट कर रही है? क्या उक्त के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि लीजधारक कंपनी द्वारा खान में ड्रिलिंग व सिलिका सैड के परिवहन के समय नियमानुसार स्प्रिंकलर अथवा वाटर स्प्रे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो कंपनी के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कंपनियों के विरुद्ध कोई पैनल्टी लगाई है? यदि हां, तो किस-किसके विरुद्ध कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम अगावली तहसील बयाना जिला भरतपुर में निम्न दो खनन पट्टे स्वीकृत हैं:-

खनन पट्टाधारी का नाम	खनिज
मैसर्स शिवालिक सिलिका	सिलिका सैण्ड
श्री केशव सिंह रावत	चर्ट

(2) जी हां। लीजधारक मैसर्स शिवालिक सिलिका के विरुद्ध नियम विरुद्ध खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

3. जी हां। उक्त खनन पट्टों का सीमा ज्ञान निम्नानुसार हुआ:-

खनन पट्टाधारी का नाम	सीमा ज्ञान की दिनांक
मैसर्स शिवालिक सिलिका	19.04.1974, 13.07.2007 एवं 13.02.2018
श्री केशव सिंह रावत	23.06.1997 एवं 22.12.1997

(4) जी नहीं। लीजधारक शिवालिक सिलिका द्वारा THE METALLIFEROUS MINES REGULATIONS, 1961 का उल्लंघन कर क्षेत्र में लगातार एक्सप्लोसिव की अवैध खरीद, संग्रहण व विस्फोट नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या-1 पर अंकित अनुसार एक

(खान मंत्री)

शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर की गई कार्यवाही का विवरण उल्लेखित किया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में अवैध खनन की रोकथाम

340. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला कोटा में अवैध खनन पर रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां व क्या? विगत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले की लाडपुरा तहसील के ग्राम अभयपुरा व लाडपुरा के मध्य अवैध खनन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन, वन विभाग, खान विभाग एवं पुलिस द्वारा राजस्व भूमि, वन भूमि एवं चम्बल घड़ियाल आरक्षित क्षेत्र में कार्यवाही की गई है।

विगत दो वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 28.02.2021 तक) अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**अवैध खनन के कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**आरोपित की गई शास्ति राशि (लाखों में)**	**वसूल की गई शास्ति राशि (लाखों में)**	**दर्ज एफ. आई. आर. की संख्या**
1	2018-19	75	1005.29	27.83	57
2	2019-20	142	51.74	51.74	116

(खान मंत्री)

क्र. सं.	**वितीय वर्ष**	**अवैध खनन के कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**आरोपित की गई शास्ति राशि (लाखों में)**	**वसूल की गई शास्ति राशि (लाखों में)**	**दर्ज एफ. आई. आर. की संख्या**
3	2020-21 (दिनांक 28.02.21 तक)	94	222.81	78.46	59
	योग	**311**	**1279.84**	**158.03**	**232**

उक्त अवधि में अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का स्थानवार, वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1-अ, 1-ब एवं 1-स पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कोटा जिले की तहसील लाडपुरा के ग्राम अभयपुरा व लाडपुरा के मध्य अवैध खनन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों पर राजस्व विभाग एवं खान विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुलिस थाना कैथून के जाब्ते के साथ कार्यवाही की गई तथा ईंट मिट्टी के अवैध खनन के 05 प्रकरण बनाये गये। कार्यवाही का प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सरमथुरा रोडवेज बस स्टैण्ड हेतु जमीन का आबंटन

341. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैण्ड सरमथुरा के लिए करीब तीन लाख पचास हजार रुपये जमीन आवंटन के लिए सरकार द्वारा राशि जमा किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सरमथुरा में बस स्टैण्ड जमीन आबंटन हेतु जिला कलेक्टर धौलपुर से प्राप्त मांग अनुसार भूमि की कीमत राशि रुपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार मात्र) जमा करवाई जा चुकी है।

मनोहर थाना में संचालित निजी बसों का रूट चार्ट

342. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कितनी निजी बसें संचालित हैं? क्या उक्त संचालित बसों का रूट चार्ट बना हुआ है? यदि हां, तो कौन-कौन सी बसें कहां-कहां से कब-कब तक संचालित हैं? बस के रूट चार्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी बसें निर्धारित रूट चार्ट के विरुद्ध संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में निजी बसों की दुर्घटनाओं के वर्ष 2015 से 2021 तक कितने प्रकरण दर्ज हुए व कितने लोगों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में 22 निजी बसें संचालित हैं जिनका रूट चार्ट बना हुआ है। बसों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कोई भी बस रूट चार्ट के विरुद्ध संचालित नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्ष 2015 से 2021 तक निजी बसों से दुर्घटना के 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 03 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क सुरक्षा कोष से ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

343. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रोमा सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना की प्रगति क्या है?

(2) क्या सरकार प्रत्येक जिले मे ट्रैफिक पार्क स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की वर्तमान में क्या प्रगति है?

(3) जिला बारां में सड़क सुरक्षा कोष से सरकार द्वारा अब तक क्या-

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

क्या कार्य किये गये? उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने सड़क सुरक्षा कोष से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रोमा स्टेबिलाइजेशन यूनिट (टी.एस.यू.)/प्राइमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रोमा स्टेबिलाइजेशन यूनिट (टी.एस.यू.) के रूप में विकसित करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राशि रु. 480 लाख का आबंटन किया जा चुका है तथा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राशि रु. 1000 लाख के आबंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। उक्त के क्रम में राज्य के 33 जिलों में से 28 जिलों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। ट्रैफिक पार्क निर्माण हेतु आरएस.आर.डी.सी. से लागत अनुमान तैयार करवाया जा रहा है।

शेष रहे 5 जिलों (बारां, बीकानेर, जोधपुर, कोटा व जयपुर) में भूमि चिन्हीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(3) बारां परिवहन कार्यालय को सड़क सुरक्षा विज्ञापन, विक्रय प्रचार और प्रसार व्यय मद में 1.11 लाख राशि आबंटित की गई है। कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से सड़क सुरक्षा माह के दौरान विविध गतिविधियां यथा नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, रिफ्लेक्टर अभियान, बैनर फ्लेक्स होर्डिंग, रोड सेफ्टी मास्क इत्यादि से प्रचार प्रसार की कार्यवाही की गई है। कार्यालय परिसर में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के निर्माण कार्य हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राशि 142.53 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है। परिसर की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण कार्य वर्तमान में लम्बित है।

दौसा में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्ययोजना

344. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गजराज खटाणा)

क्या सरकार जिला दौसा में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। परिवर्तित बजट घोषणा संख्या 301.03.0 (वर्ष 2019-20) के अन्तर्गत दौसा जिले में एक नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गणेशपुरा खोला गया है, जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 95 के अन्तर्गत आर.टी.ई. एक्ट के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किये जाने की घोषणा की गई है। इस संबंध में संभावित गैप्स को भरने के लिये आवश्यकतानुसार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत दौसा जिले के भी प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डानुसार प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत नवीन विद्यालय खोले जाने/क्रमोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

टी.एस.पी. क्षेत्र से अध्यापकों का स्थानान्तरण

345. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में नोन टी.एस.पी. क्षेत्र के अध्यापक लम्बे समय से कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नोन टी.एस.पी. क्षेत्र के अध्यापकों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के राजकीय विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले गये हैं, किन्तु उक्त में अब तक भी पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

लिए स्थानान्तरण के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:13(20) कार्मिक/क-2/914/पार्ट-3 दिनांक 16.07.2018 के बिन्दु संख्या-02 के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट (टी.एस.पी.) क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देते हैं, ऐसे कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति निर्दिष्ट के क्षेत्र के बाहर नहीं किया जाएं। जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं, उनका कभी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जाएगा, का प्रावधान होने से स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से दिनांक 28.01.2021 द्वारा एकमात्र विद्यालय किसनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर में वाणिज्य संकाय खोला गया है। उक्त क्षेत्र के किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं खोला गया है। उक्त नवक्रमोन्नत विद्यालय में वर्तमान तक वाणिज्य संकाय में पद सृजित नहीं किया गया है। अत: उक्त विद्यालय में पद सृजित किये जाने पर ही पद भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

करौली में रमसा के तहत विद्यालयों को राशि का आबंटन

346. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र करौली के कौन-कौन से विद्यालयों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वित्तीय वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कौन-कौन से विद्यालयों को किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि दिया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समग्र शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व सर्व शिक्षा अभियान का समग्र शिक्षा में विलय) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र करौली के 64 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर वित्तीय सत्र 2019-20 में 26.14053 लाख रुपये तथा सत्र 2020-21 में 67.010 लाख रुपये की राशि

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

व्यय की गई। इसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वन क्षेत्र बढ़ाने की कार्ययोजना

347. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? जिलेवार वन क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में सरकार वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किस प्रकार कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में विगत 4 दशकों में वन क्षेत्र की भूमि में कितनी कमी आई है? विगत 4 दशकों के वन भूमि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में कुल कितने लोग कितने-कितने वर्षों से वन भूमि पर काबिज हैं? उक्त में से कितने आदिवासी लोग हैं? विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा उक्त की पहचान कर नियमन की क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार इनका नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2020 की स्थितिनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60 प्रतिशत वन क्षेत्र है, जिसका जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) प्रदेश की वन भूमि (Forest land) में सामान्यता वृद्धि की संभावनाएं नहीं हैं क्योंकि वन भूमि में वृद्धि सिर्फ गैर वन भूमि (यथा सिवाय चक राजस्व भूमि) के वन विभाग को आबंटित होने से ही होती है। अपितु प्रदेश में वन आच्छादन (Forest cover) में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा कैम्पा, पर्यावरण वानिकी, परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक, भाखड़ा एवं गंग नहर वृक्षारोपण, विदोहन एवं पुन: वृक्षारोपण योजनाओं में वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में वन विभाग द्वारा 20956 हैक्टेयर में वृक्षारोपण करवाया गया है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) विगत 4 दशकों में प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उक्त अवधि में जिलेवार वन भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(4) प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के दर्ज प्रकरण एवं अतिक्रमित वन भूमि का जिलास्तरीय कार्यालयवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्विति हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है, जिसके अनुसार माह जनवरी, 2021 तक वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिलेवार जारी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र संबंधित विवरण परिशिष्ट-3 अनुसार है।

उल्लेखनीय है कि वन भूमि पर काबिज व्यक्तियों का नियमन करने का नियमानुसार कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत पर नियंत्रण

348. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर, कुरंज व अन्य को जहरीला दाना डालकर मारे जाने के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो उक्त पर नियंत्रण के क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत एक वर्ष में कुल कितने पक्षियों की मौतों की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई हैं? उक्त की मौत या घायल होने के क्या कारण रहे हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पक्षियों की मौतों पर नियत्रंण हेतु स्थानीय ग्रामवासियों को समय-समय पर स्टाफ एवं EDC/VFPMC सदस्यों द्वारा समझाया जाता है कि अपनी फसलों में कीटनाशक उपचारित बीज का उपयोग न करें। यदि किसी स्थिति में उपचारित बीज का उपयोग किया जाए तो पक्षी नही चुगें, यह सावधानी बरती जाए। पक्षियों को समुचित सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान कराने के लिए जनजागृति एवं प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। समय-समय पर पम्पलेट व पोस्टर छपवाये जाकर वितरित कराये जाते हैं। स्टाफ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त की

(राज्य मंत्री, वन)

जाती है तथा ऐसे अवैध शिकार प्रकरणों में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर मुजरिमों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(2) प्रदेश में विगत एक वर्ष में पक्षियों की मौतों का जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

पक्षियों की मौत या घायल होने के निम्न कारण रहे हैं:-

1. विद्युत करन्ट लगना।
2. निमोनिया बीमारी होना।
3. बर्डफ्लू के कारण।
4. ऐवियन बुटोलिज्म बीमारी होना।
5. कुत्तों/बिल्ली द्वारा हमला।
6. प्राकृतिक आपदा के कारण।
7. शिकार के कारण।
8. वाहन से दुर्घटना के कारण।
9. कुए में गिरने के कारण।
10. प्राकृतिक मृत्यु व
11. अज्ञात कारणों से।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोलीथिन कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लागू करने की कार्ययोजना

349. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पोलीथिन कैरी बैग प्रतिबंधित है? यदि हां, तो कब से एवं किन नियमों के तहत? पोलीथिन कैरी बैग्स उत्पादन, व्यापार-व्यवसाय, उपयोग की रोकथाम की जिम्मेदारी किन-किन विभागों के किस स्तर के अधिकारियों को दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पोलीथिन कैरी बैग्स के प्रतिबन्ध के बावजूद सरकार इसके निर्माण, व्यापार एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध को कायम रखने मे नाकाम साबित हो रही है? यदि हां, तो क्यों? राजधानी जयपुर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान पोलीथिन कैरी बैग्स उत्पादकों, वितरकों, व्यापार व्यवसाय, सप्लायर्स एवं उपयोगकर्ता

(श्री जगसी राम)

व्यापारियों, दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की माहवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पोलीथिन कैरी बैग्स के प्रतिबन्ध को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे एवं कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के तहत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं उपयोग इत्यादि पर प्रतिबंध हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2010 को अधिसूचना जारी की गई है। (संलग्न परिशिष्ट-अ)

पोलिथिन कैरी बैग्स उत्पादन, व्यापार-व्यवसाय, उपयोग की रोकथाम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, नगरीय निकाय विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की है। इन विभागों द्वारा जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाए गए प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जिला कलेक्टर जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट-ब एव नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट-स पर है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर जिले में अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की इकाई मैसर्स अरावै इंडस्ट्रीज, एच-1-149 (ए), रीको औद्योगिक क्षेत्र, सरना डूंगर, जयपुर पकड़ी गई जिसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत उद्योग के विद्युत व जल सम्बन्ध विच्छेद करने व उद्योग को बंद करने के आदेश दिनांक 18.07.2019 को जारी किये गये हैं एवं इकाई के विरुद्ध 10 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। वर्तमान में उद्योग बंद है।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(3) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पोलीथिन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन इकाई राज्य मंडल की सम्मति प्राप्त कर कार्यरत नहीं है।

स्वायत्त शासन विभाग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2017 के तहत़ नोडल विभाग है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु स्वायत्त शासन विभाग नियमावली एवं नीति दिनांक 30.01.2014 को जारी किया गया है।

इस संबंध में निरन्तर मानिटरिंग के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2017 के तहत शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्टेट लेवल मानिटरिंग कमेटी (SLMC) का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा जिला स्तर पर समीक्षा हेतु पाक्षिक बैठक का आयोजन कर एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जिलों में खेल छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

350. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु जिलेवार खेलकूद हेतु विशेष बजट एवं सामग्री आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिलों की खेल प्रतिभाओं हेतु खेल छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिलेवार खेलकूद हेतु विशेष बजट एवं सामग्री आबंटन नहीं किया जाता है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल छात्रावास खोलने का निर्णय किया जाता है।

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

1. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पुल एवं RUB तथा ROB निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

2. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नई सड़क बनाने व पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं नये पुल निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद):

3. लसाड़िया से धरियावद सड़क का कार्य शीघ्र पूर्ण करने, सलूम्बर से बेड़ावल वाया बनोड़ा नोन पैचेबल कार्य को प्रारम्भ कराने, कूण से फिला वाया पाणुण्द सड़क, झल्लारा से लोहागढ़ सड़क, लसाड़िया से झुंजपुरा चौराहे तक सड़क नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में जाखम चौराहे से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय जाने वाली सड़क का कार्य शीघ्र पूरा कराने, पिपलिया से महुड़ी खेड़ा सड़क नवीनीकरण, मूंगाणा से पीपलखूंट वाया गोठड़ा, नया बोरिया सड़क चौड़ी करने, जोगात फला लोहागढ़ से हड़मतियाखुर्द आमलवा नवीन सड़क निर्माण, पूर्व में स्वीकृत गौरव पथ निर्माण कार्यों को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

5. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के अधूरी पड़ी सड़कों के निर्माण, श्रीगंगानगर से विन्दमल कोर्ट सड़क का पुन: निर्माण, बरानुपरा बोदल से मन्नीयावाली सड़क, छापावाली से मानकसर तक सड़क एवं धिकतानीया से किसनपुरा उटराआ तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

6. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन सृजित ग्राम पंचायतों को पक्की

डामर सड़कों से जोड़ने, नव सृजित राजस्व गांवों के सम्पर्क एवं 250 से अधिक आबादी के ढाणी/मजरों/वास स्थानों के लिए सड़कों की कार्य योजना एवं जर्जर सड़कों के नवीनीकरण हेतु कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल जाट (माण्डल):

7. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में टूटी हुई सड़कों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

8. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा से पड़ौसी राज्य यूपी बोर्डर तक सड़क की चौड़ाई बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

9. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं तीन नई सड़कों के निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना):

10. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में नवीन सड़कों के निर्माण एवं गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

11. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में टूटी हुई सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बिलाट मीणा की ढाणी में दो छोटे पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सड़क से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

15. विधान सभा क्षेत्र बगरू में टूटी हुई सड़कों के नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

16. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र से बाईपास की DPR बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

17. बाड़मेर जिले के गांव झेलून से देतानी सड़क की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. बाड़मेर जिले की PMGSY सड़क मक्खन का पार से खड़ीन, विरदकापार से चाडवा तखताबाद, शेरे का तला से सालांराया कालारीया, कैलनोर से समेलो का तला, शिव से नांद, शिव से जोरानाडा सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बाड़मेर जिले की पी.एम.जी. ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

20. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व ग्रामीण सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

21. जोधपुर एम्स से सालावास तक 4 लेन मय डिवाइडर सड़क की स्वीकृति करवाने एवं सूरसागर कालीबेरी से बेरू-सालोड़ी होते हुए ओसियां सीमा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

22. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पूर्व में स्वीकृत सड़क एवं पुल का कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा व कुझराण सड़क को पूर्ण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गुडेल से लालवत का गुडा झाझरी नदी पर पुल निर्माण, कोटा से काट मार्ग पर गोमती नदी पर पुलिया निर्माण, पाड़ला से कोटड़ी, धाबड़िया से कतिला, कजड़ी घाटी से बोवस टीडी नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खैराड से टोल नाका, ईश्वरवास वाया बुआ भागल, वासा से सेमाल, नई झर से करावली, माकसीमा से सराड़ी, करावली से माड़ावेला, चांदघाटी से अदवास आदि सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संगमेश्वर पुल पर निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की स्टेट हाईवे 32A, ऋषभदेव से बलुआ सराड़ा, चावण्ड, केजड़ डिगरी जयसमंद जावद जगत झामेश्वर 106 कि.मी. सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वंचित ग्राम पंचायतों में सड़कों का निर्माण एवं वंचित ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

29. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण एवं नई मिसिंग लिंक व ग्रेवल सड़कों पर डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार) :

30. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की वर्षो पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मिसिंग लिंक सड़कों एवं खण्डार बालेर सड़क को CRF मद से करणपुर सपोटरा करौली से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गांवों को जोड़ने वाली पुलियाओं के सुदृढ़ीकरण, रामपुरा से वाया उबैश्वर-झाड़ोल मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सभी टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में रामपुरा से नया खेड़ा नान्देश्वर तक सड़क चौड़ी एवं नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. उदयपुर शहर के रिंग रोड के संबंध में नया खेड़ा नान्देश्वर से

सिसारमा, रामपुरा, बड़ी होते हुए नेशनल हाईवे 76 को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में छोटी उन्दरी से बोरा फला तक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

36. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

37. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम टोपां से टोपां कालोनी, भवानीपुरा से सक्रामपुरा, अजमेरी से लावा, धौली से सोडा, कुहाडा से आंटोली, सोडा से सीतारामपुरा व लावा से सोडा डामरीकृत सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम कुम्हारिया से नगर, लाम्या जुनारदार से ढीबरू, कांकलवाड से गोविन्दपुरा, राजपुरा से गणवर एवं लक्ष्मीपुरा से एलएनटी रोड तक डामरीकृत सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की समस्त जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अधूरे पड़े धौली से टोंक वाया कलमण्डा-नानेर रोड को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

41. विधान सभा क्षेत्र संगरिया की जीर्ण-शीर्ण व जर्जर सड़कों व पुलों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

42. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

43. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में चक 29 S.T.G. से लघुबाली, अमरपुरा से लुढाणा एवं 3 S.P.D. खेंदासरी पुनियावाला चक, भैरूसरी के मध्य काजवे के निर्माण, इन्दिरा गांधी नहर पर, RD 64 लघुवाली RD 84 मोधुनगर, RD 99 खेलावाली ढाणी, RD 108 (खोडा), RD 22

डबली पर क्षतिग्रस्त जर्जर पुलों का निर्माण एवं कस्बा रावतसर में बाईपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

44. प्रदेश में प्रत्येक वर्ष विधान सभा क्षेत्रवार मिसिंग लिंक योजना से दी जाने वाली सड़कें 02 वर्ष में नहीं दी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
45. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 02 वर्षों में विकास पथ नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
46. स्टेट हाईवे सिवाना समदड़ी कल्याणपुर के रेलवे फाटक बायसीन पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में P.M.G.S.Y. योजना फेज प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में स्वीकृत नवीनीकरण सड़कें तुलनात्मक रूप से कम स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
48. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में धार्मिक स्थान, ढाणियां, नये राजस्व गांव पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने एवं नोन पेचेबल सड़कों का नवीनीकरण 02 वर्ष से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

49. विधान सभा क्षेत्र सोजत में जाडन से सुरायला ग्राम पंचायत सड़क का अब तक निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
50. विधान सभा क्षेत्र सोजत के कई राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
51. विधान सभा क्षेत्र सोजत मगरा क्षेत्र में राजस्व गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर नदियों के बहने से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
52. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर पंचायत समिति के गांव खीवरा, लक्की तालाब, राईको की ढाणी में सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

53. विधान सभा क्षेत्र निवाई में ढाणी क्लस्टर योजना में ढाणियों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र निवाई में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र निवाई में कृषि मण्डी द्वारा निर्मित सड़कें PWD को स्थानान्तरित होने के उपरान्त भी मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़क सुविधा से वंचित राजस्व गांवों में सड़कों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र निवाई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

58. विधान सभा क्षेत्र मावली में विशनपुरा से राहमी, मोटीखेड़ी से डिंगरक्या व मावली से राहमी (वाया हरणिया मगरी) सड़कों के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर-मेणर सड़क को एम.डी.आर. (मुख्य जिला सड़क) में शामिल कर सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति प्रदान करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र मावली आमली-बड़गांव मार्ग पर बेड़च नदी पर नयी पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र मावली से भीलवाड़ा (वाया साकरोदा फलीचड़ा, बनेडिया, सादडी व रेलमगरा) तक एम.डी.आर. (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

62. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में सड़क विहीन गांवों को सड़कों से जोड़े जाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

63. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नवीन सड़कों का निर्माण, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने, राज्य मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

64. ब्यावर से पिन्डवाडा फोर लेन रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड, रामगढ़ चौराहा एवं सेन्दड़ा के सबसे ऊंचे ब्रिज के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. ब्यावर से गोमती तक बनने वाले फोर लेन रोड पर हर चौराहे पर पुलिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार) :

66. सवाई माधोपुर से चौथ का बरवाड़ा होकर बरौनी (निवाई) तक जाने वाले MDR पर बनास नदी पर वृहत पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. खण्डार से तलावड़ा होकर पंचायत मुख्यालय खिदरपुर जादौन तक सड़क निर्माण एवं बनास नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

68. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के लुहावद-गण्डावद-करजोदा रोड, करवाड़-डूंगरली रोड, इटावा-नोनेरा-खखज रोड, सुमेरपुरा-गोठड़ा कलां रोड तथा सुल्तानपुर की सम्पर्क सड़क तोरण, सुल्तानपुर-बगतरी रोड की शीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के लुहावद-करजोदा सड़क पर गण्डावद के पास खाड़ी (नाला) पर क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण पुलिया के स्थान पर ऊंची पुलिया निर्माण में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अयाना-लुहावद मार्ग पर अयाना में बातौली-नीमोला सड़क पर झौंपड़िया में रामपुरिया-बालूपा सड़क पर रामपुरिया में तथा सुमेरपुर-गोठड़ा कलां सड़क पर श्रीपुरा में नाली निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के नोनेरा-नारायणपुरा मार्ग पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्मित नहीं होने से आ रही समस्याओं के कारण पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्टेट हाईवे 70 एवं 15 तथा क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों के पारस्परिक सीधे एवं कम दूरी के सम्पर्क मार्ग की उपलब्धता के लिए डोरली से अयाना-अयानी रोड तक 02 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

73. विधान सभा क्षेत्र करौली में मांढई से सिलपुरा-पालनपुर तक सड़क का निर्माण कार्य, शहर करौली में बाईपास निर्माण कार्य, ग्राम सिंघान मीना से खीपकापुरा एवं ग्राम कोटवास से खीपकापुरा ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर तक, ग्राम भंग्गो से जेवर सांकड़ा तक नवीन सड़क निर्माण कार्य, शिकारगंज से मण्डरायल रोड पर नवनिर्मित अस्पताल तक सड़क का निर्माण कार्य तथा सभी जर्जर व खराब सड़कों का नवीनीकरण अथवा सुदृढ़ीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

74. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नई सड़कों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

75. राज्य मार्ग संख्या 12 सांगानेर फागी मालपुरा भीलवाड़ा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सावरदा से मरवा राजमार्ग संख्या 100, बिगोलाव से दातडा, पड़ासोली से साखून-साली, नोकडावास से हट्टुपुरा, दातरी से साली सड़क पर रेलवे अण्डरपास में पानी भरने के कारण इसे ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र दूदू की मुख्य सड़क पचेवर से नगर, ईटावाई धान्धोली, रहलाना, गागरडू हरसोली, पड़ासोली, साखून, साली गहलोता बुहारन सड़क कुल लम्बाई 73 कि.मी. को मुख्य जिला सड़क घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाडा बांध के आवक रास्ते में बनायी गयी सड़कों दूदू से उदयपुरिया, ममाणा से जडावता, निमली से बोकडावास, दूदू-नरेना सड़क से जेकमपुरा, दूदू से नोल्या, जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे से रामनगर से हरसोली सड़क पर बने हुए कॉजवे के स्थान पर पुलियाओं का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

79. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 जयपुर-आगरा रोड पर बांसखो फाटक से

आंधी सड़क को दोहरीकरण करने एवं बांसखो रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

80. तालेड़ा से केशोरायपाटन सड़क MDR 204 के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के पंचायत समिति बून्दी के ग्राम लालपुरा एवं ग्राम बागदा के मध्य पड़ने वाली मांगली नदी पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम पीली की खान, पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति तालेड़ा में देवरिया से पीली की खान तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बून्दी ग्राम कछालिया पंचायत डोरा, पंचायत समिति तालेड़ा में सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

84. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने, डेगाना की सड़कों की मरम्मत कराये जाने, नागौर फाटक पर रेलवे ब्रिज (ROB) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

85. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा से यूपी जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

86. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पक्की सड़कों से वंचित ग्रामों में सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में जर्जर सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित बीसलपुर बांध के नीचे पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

89. विधान सभा क्षेत्र कपासन में निर्मित 03 मीटर व 3.75 मीटर चौड़ी सभी सड़कों को 5.5 मीटर व 7 मीटर चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र कपासन की पूर्व स्वीकृत गौरव पथ व मिसिंग लिंक सड़कों के अधूरे कार्यों को पुन: प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र कपासन की VR एवं ODR सड़कों को MDR सड़कों में परिवर्तित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बनास नदी पर सांखली में, सोमी उपरडा में दांतोली कूथना पुलिया निर्माण एवं पहुंना पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र कपासन की स्वीकृत नोन पेचेबल सड़कों के कार्य प्रारम्भ करने एवं टूटी हुई सड़कों के पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

94. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में विभिन्न श्रेणी की क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपोर्ट मंगवाकर उनको ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. नागौर जिले में मूण्डवा से खजवाना सड़क तथा मूण्डवा से संखवास सड़क व कुचेरा से खजवाना सड़क पर स्थित रेलवे फाटकों पर आरओबी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र खींवसर से गुजर रहे राज्य राजमार्गों का निर्माण कर रही कार्यकारी कम्पनियों से तय मानकों के अनुसार वृक्षारोपण कराने व सड़क सुरक्षा से जुड़े मापदण्डों के अनुसार कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में डामरीकरण से वंचित मिसिंग लिंक श्रेणी की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नाड़ी, तालाब, नालों इत्यादि बहाव क्षेत्र को चिह्नित कर पुल निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

99. विधान सभा क्षेत्र आहोर की अतिआवश्यक छांगाडी-वेडिया, देलदरी से बीबलसर, भवरानी से सरवड़ी सीमा (बाड़मेर) गोदन से वीछावाड़ी नीलकंठ से सरवड़ी जोड़ा से पादरली, मडला से NH-325 मुख्य मार्ग

को मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भूती-रोउला रोड के मध्य नदी पर एवं हरजी-पचानवा नदी पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आकोली-सियाणा-सिरोही सीमा, सवना-सुमेरगढ़ खेड़ा रामसीन रोड, सामुजा-वेडिया-आइपुरा-वावड़ी रोड, बाला-भवरानी रोड, बारलावास से मेडा नीचला, भेयलां से चांदना, रायथल से बालवाडा, बाला भोतसरी-नीलकण्ठ के नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

102. राज्य राजमार्ग 37 पर झुंझुनूं शहर में L.C. No. 269 पर आर.ओ.बी. निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

103. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में नयी सड़कों व पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में विकास पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

105. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति एवं टूटी हुई सड़कों पर पुनः डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के कार्य को हरियाणा की राजस्थान सीमा से जिला मुख्यालय झुंझुनूं तक के कार्य को शीघ्र शुरू करवाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के चिड़ावा से पचेरी हरियाणा सीमा तक के भाग को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुपुर्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में चिड़ावा-अरड़ावता-सुल्ताना सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

109. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में क्षतिग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में ढूंढ नदी पर ग्राम बराला, रत्नावता तथा पीपलाबाई की पुलिया निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्टेट हाईवे संख्या 02 तथा सभी एम.डी.आर. तथा ग्रामीण सड़कों पर निर्मित सड़कों के चौड़ाईकरण तथा पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण में निर्धारित मापदण्डों व गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

113. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति रायसिंहनगर की गांव 5 TK से 20 NP डामर रोड तक 2.25 कि.मी. लम्बी सड़क के डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति रायसिंहनगर की गांव 38 NP (बल्लेवाला) से गांव 52 NP तक वाया 48 NP (बगीचा) 06 कि.मी., गांव 2 MK से गांव उड़सर तक 1.5 कि.मी. लम्बी सड़क के डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति श्री विजयनगर के गांव 48 GB (B) रेलवे फाटक से गांव 3/4 DJM तक 1.5 कि.मी., गांव 47 GB डामर रोड से गांव 52 GB तक 3 कि.मी. लम्बी सड़क के डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति श्री विजयनगर की गांव 16 G.B. से डामर रोड से 15 G.B. डामर रोड तक 2.00 K.M. लम्बी सड़क के डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत समिति रायसिंहनगर के गांव 16 PS से गांव 9 MK तक 2.50 K.M., गांव 18 PS मुख्य सड़क से 18 PS गुरुद्वारा तक 2 K.M., गांव 16 PS से मुकलावा रोड तक वाया 17 PS 2.50 KM लम्बी सड़कों का डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

118. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रेलवे क्रोसिंग पर पुल के निर्माण एवं RUB बनाने तथा वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

119. जालौर से आहोर एवं रोहट B.D.T. रोड के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

120. अटरू कस्बे में मुख्य सड़क को ठीक कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के मुसेन माता के पास बनी पुलिया अतिवर्षा से टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में कवाई से ब्यावर तक सड़क ठीक नहीं होने के उपरान्त भी रिडकोर द्वारा टोल लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बारां से कवाई तक बनी सड़क खराब होने से उत्पन्न स्थिति एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बारां शहर से गुजर रही सड़कों की खराबी के कारण आमजन को आ रही परेशानी के कारण उत्पन्न स्थिति एवं इसको ठीक करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

125. विधान सभा क्षेत्र कामां के क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र कामां में DMFT का सड़क पेटे आबंटित बजट इसी क्षेत्र में खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

127. चूरू-जयपुर राजमार्ग पर बनी पुलियाओं पर भारी वाहनों के प्रवेश लम्बे समय से बन्द पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र चूरू में ग्राम सूरतपुरा, देपालसर में RUB बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. चूरू तहसील में प्रधानमंत्री सड़क योजना-I के प्रस्ताव तैयार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. निजी जन सहभागिता में चूरू-भालेरी में पूर्व में निर्मित सड़क की यूटीलिटी 2 शिफ्ट नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. चूरू तारानगर सड़क के चौड़ाईकरण हेतु कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल जाट (माण्डल):

132. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में सड़क कारोई-भीम वाया बागोर बेमाली-केरेडा-ज्ञानगढ़ MDR 33 रोड बनवाने एवं भीलवाड़ा-हलेड दांथल जिपियों बडलियान माण्डलगढ़ OPR रोड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

133. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की शेरपुरा से ढाणी खोडा (6 KM), लालेरा से बालादेसर (5 KM), नाथूसर से खापरसर (6 KM), बिंझरवाली से मूसलकी (3 KM) एवं घिरेरा स्टेशन से खारी (6 KM) सड़कों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र की गुंसाईसर से शेरेरा (3 KM), मोलानोय से मालासर (8 KM), नापासर से रामसर (2 KM) एवं राणीसर से शेरेरा (7 KM) की सड़कों का नवीनीकरण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की खोडाला से सुई, राजासर करणीसर से घीरासर, बखूसर से भातवाला, गुसांइसर से शेरेरा, रूणीया बड़ाबास से कतरियासर तक की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कालू से वाया श्रीडूंगरगढ़ से बीदासर तक स्वीकृत सड़क कार्य शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. बीकानेर जिले के प्रमुख सड़क मार्ग ब्रह्मकुमारी चौराहे से मेड्किल कालेज चौराहे तक सड़क नवीनीकरण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

138. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के रोहिणिया प्रतिपुरा के बीच नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में देवदा ओढवाडिया सड़क पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के रोजिया माकनपुरा सड़क पर नाले पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में परडोली गोरधन से बस्सीयाडा के ऊपर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

142. क्षतिग्रस्त बीओटी टोल रोड जसवन्तपुरा-जालौर की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त एमडीआर सड़क भीनमाल-करड़ा की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की मुख्य ग्रामीण सड़कें आलड़ी से रोपसी, सूरजवाड़ा से धूलिया, सूरजवाड़ा से रोड़ा, रानीवाड़ा से मालवाड़ा मुख्य सड़क आखराड़ के पास, बिलड़ से चरपटिया, कोटड़ा से भाटीप सिंगाबास से जाखड़ी पर चलने वाली बरसाती नदियों पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रतनपुर से जाखड़ी जाने वाली सड़क पर रेलवे लाइन के नीचे भूमिगत मार्ग (अण्डर पास) निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

147. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में राजा साइकल चौराहे से नौ नम्बर पैट्रोल पम्प तक के सड़क मार्ग को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण स्थित मनुहार समारोह स्थल स्थित पुलिया से नारेली में नये वैकल्पिक मार्ग के स्वीकृत (मिसिंग लिंक योजना के तहत) होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. अजमेर शहर के ब्यावर रोड को नसीराबाद रोड से जोड़ने हेतु रेलवे

क्रोसिंग आदर्श नगर पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में मिसिंग लिंक योजना के तहत पूर्व में बनाई गई सड़कें रख-रखाव अवधि में होने के बावजूद भी संवेदक से मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. अजमेर शहर के चारों ओर यातायात दबाव को देखते हुए एक रिंग रोड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

152. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के ग्राम पंचायत कटार में एनएच 148D कटार चौराहा से कटार की सड़क का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के ग्राम पंचायत भादसी में लालपुरा से भादसी सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा के ग्राम पंचायत खेजड़ी में भीमलत से खेजड़ी सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की ग्राम पंचायत कालियास से परड़ोदास की सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा की ग्राम पंचायत दड़ावर के चोटीयास गांव से बाजुन्दा तक सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

157. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया से राशमी मुख्य सड़क को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. चित्तौड़गढ़ शहर के प्रवेश मार्ग मेडीखेड़ा फाटक से कपासन चौराहा तक 10 कि.मी. सड़क मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के सावा-गिलुण्ड-घव्यावली-शम्भूपुरा

सड़क मार्ग के रूके कार्य को पुन: प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा):

160. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम पीतलिया बालाजी से लालपुरा नंगला होते हुए जिला सीमा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र महवा में ग्राम पीपलखेड़ा से रसीदपुर तक सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम पाखर से फूलमंडा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम बैजूपाडा से झूथाहेड़ा कलां होते हुए झूंथाहेड़ा खुर्द तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र महवा में अलीपुर से बड़ावाली ढाणी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

165. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के ग्राम लोहागल में स्वीकृत विकास पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. अजमेर शहर में PWD के अधीन कुल 66 सड़कों की नियमित मरम्मत एवं रख-रखाव सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में अजमेर पुष्कर रोड से फायसागर सड़क (4.30 KM) का निर्माण एवं सड़क के दोनों ओर ड्रेनेज सिस्टम का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में 5054 अरबन रोड योजना के तहत स्वीकृत 6 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

169. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के वंचित धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़नें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के सड़क विहीन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/ नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की मुख्य रोड पचपदरा-खेड रोड के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. बालोतरा में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज के शीघ्र निर्माण करने एवं अपूर्ण निर्माण से यातायात बाधित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

174. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम पंचायत चकमहू डी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकमहू डी से चकमहू डी सीमा तक डामरीकरण सड़क मय पावटी वाला पुलिया के सड़क का डामरीकरण एवं बिछीवाड़ा उप खण्ड में खजूरी वाया आलियावाव जगाबोर, मालमाथा तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा उप खण्ड में रतनपुर से वाया डमुणी, माखरेडा तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आने-जाने में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति एवं सड़क के नवनिर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के जालुकुआं गांव में मोबाइल टावर से पनियाला नाका तक क्षतिग्रस्त सड़क के नवनिर्माण एवं ग्राम पंचायत हवेला खैरवाड़ा में गटू/बढा के घर से शंकर/अरजी के घर तक मय पुलिया के सड़क डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

177. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के गोविन्दगढ कस्बे की रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज (पुल) का निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में उप खण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

179. विधान सभा क्षेत्र कामां की मिसिंग लिंक व विकास पथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र कामां में सड़कों के मरम्मतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कामां के विभिन्न गांवों की सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

182. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की पंचायत समिति गढ़ी, पंचायत समिति अरथूना, पंचायत समिति तलवाडा आदि के 500 एवं 250 की आबादी के समस्त राजस्व गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में आंजना रतनपुरा से परनीपुरा, खाकरीया गड़ा से अलोपेश्वर, मादलदा से नाटावाड़ा, भरकडिया पाड़ा से भड़केश्वर वाया कण्डेरी नाला, वजवाना से परतीपुरा मय पुलिया अधूरी सड़क, वजवाना से सागवाडिया वाया टोण्डा, लोडदा से रतनाला घाटी समागड़ा से हिम्मत सिंह गड़ा वाया वजेपुरा में डामरीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की पंचायत समिति गढ़ी, पंचायत समिति अरथूना, पंचायत समिति तलवाडा क्षेत्र में नदी एवं नालों पर आवश्यक जगहों पर विभाग द्वारा सर्वे करवाकर पुलियाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में ग्राम पंचायत बिलोदा माही नदी पर बांसवाड़ा डूंगरपुर को जोड़ने के लिए बेणका टापू में होकर बड़े पुल के निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

186. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी में पूर्व में स्वीकृत सड़कों की स्वीकृति निरस्त किये जाने व वर्तमान में स्वीकृत सड़कों के कार्यादेश जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. बाड़मेर जिले में सड़कों के संबंध में कार्यादेश जारी करने एवं घटिया निर्माण सामग्री में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी में 500 से अधिक आबादी (जनगणना 2011 के अनुसार) के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़े जाने हेतु स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र गुढ़ामालानी में वर्तमान वर्ष में सड़कों की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. बाड़मेर जिले में सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

191. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कें बनाने, चौराहों पर पुल बनाने, गांव के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर अण्डर पास बनाने तथा जयपुर-बीकानेर मार्ग को फोरलेन बनाने एवं हाईवे नम्बर 65 को फोरलेन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

192. विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी मेला से ददरेवा सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र भादरा से लुदेसर तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र भादरा में रेलवे लाइन पर C-65 पर ओवर ब्रिज एवं अण्डर पास के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र भादरा से झांसल सड़क की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र भादरा से साहवा सड़क के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

197. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में कालीमोरी रेलवे फाटक पर स्वीकृत अण्डर पास का निर्माण शीघ्र शुरू कराने, शहर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, एनसीआर फेज-।। के तहत शहर में निर्माण से शेष रही सड़कों का निर्माण कराने एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास पथों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

198. प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध 16 एवं 17 C.C.A. में चल रही विभागीय कार्यवाही एवं महालेखाकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की अभिशंसा के बावजूद जानबूझकर विभाग द्वारा कार्यवाही में विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों में जितनी भी सड़क बनाई गई है, उन सब की थर्ड पार्टी सत्यापन के बाद जिन्होंने अनियमितता की, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

200. प्रदेश में गत दो वर्षों में स्वीकृत सड़कों के अधूरे पड़े रहने, विलम्ब होने तथा संवेदकों को समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विभाग के अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु तैयार प्रोजेक्ट की सही देखभाल नहीं होने एवं सरकार का करोड़ों रुपया व्यर्थ खर्च होने, सड़क की गुणवत्ता सही नहीं होने तथा जनता को इसका लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. उदयपुर संभाग में पूर्व में बनी कई सड़कें वन क्षेत्र में आने के कारण विभाग का करोड़ों रुपया स्वीकृत होने के बाद भी कार्य नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

203. विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्टेट हाईवे 87A जो मोखा, जयसिंहदेसर मगरा से सारूण्डा तक है जिसकी लम्बाई लगभग 100 कि.मी. है, की हालत बहुत खराब है, इसके नवीनीकरण व चौड़ाईकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र नोखा की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विकास पथ बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र नोखा में पंचायत समिति मुख्यालय पांचू से सैंगाल धोरा तक 10 किमी, हिंयादेसर किशनासर सड़क से विश्वत माता मन्दिर किशनासर 3.5 किमी. पक्की सड़क बनवाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

206. नोखा रेलवे फाटक पर बनने वाले आरओबी की डीपीआर जल्दी बनाकर उसे तुरन्त स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र नोखा में महत्वपूर्ण सड़क देसलसर से जेगला 6 किमी., सूरपुरा से बिश्नोईयों की ढाणी सलूण्डिया 5 किमी., बंधाला से मूंजासर 6 किमी., कक्कू से हंसासर 6 किमी., बगसेउ से मुंदड़ 6 किमी., नाथूसर से धरनोक 6 किमी. स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

208. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के घाटोली व केल खापरा के मध्य धार गंगा नदी पर, सरड़ा से मानपुरा रोड के मध्य नदी पर, चित्तौड़ा से मध्य प्रदेश बॉर्डर रोड के मध्य ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के चुरेलिया से घाटोली, घाटोली से छापीबांध, मेन रोड से बोरखेड़ी गुजरान, असनावर से राता देवी मन्दिर, घाटोली से दुर्जनपुरा, एनएच 52 से नानाखेड़ा, एनएच 52 पुराना की क्षतिग्रस्त सड़क, मेन रोड से बागवाला गांव रिछडी, मोहनपुरा से लक्ष्मीपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़कें बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के एनएच 52 से उदयपुर गांव, मेन रोड से गोकुलपुरा गांव, मेन रोड से सागोनी गांव, ठीकरिया से मानपुरा गांव, ठीकरिया से कोड़िया पाटन, उमरिया से सूरी सड़क, सरखण्डिया से भवानीपुरा एवं एनएच 52 से नारायणपुरा तक नई सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

211. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कालू गांव से बीदासर कस्बे तक वाया डूंगरगढ़ स्वीकृत सड़क मार्ग की निर्माण प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के विभिन्न गांवों बाघनू से लालमदेसर छोटा (09 KM), समनदसर से माणकरासर (03 KM), लालमदेसर बड़ा से बिदासरिया (06 KM), बापेऊ से आरवासर नया (08 KM) तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के सूड़सर-सेरूणा सम्पर्क सड़क (10 KM) को एम.डी.आर. सड़क योजना के तहत शामिल कर सड़क की चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव दुलचासर से बासी-महियान आने वाले रास्ते के मध्य बीकानेर-रतनगढ़ रेल खण्ड मार्ग पर खम्भा संख्या 410 के नजदीक एवं गांव दुलचासर से सांवतसर जाने वाले रास्ते के मध्य खम्भा संख्या 411 के नजदीक अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु राशि स्वीकृति प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास श्रीडूंगरगढ़-बीदासर सड़क मार्ग पर ओवर ब्रिज बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

216. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कोलाना पंचायत के श्यामपुरा पुल का नव निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ताथेड से मानसगांव, जाखोड़ा से किशनपुरा 2 KM, कैथून से चैनपुरा तक स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मवासा पंचायत के पीलू की खाल में एवं नोटाना से चन्द्रेसल लिंक रोड पर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कैथून बाईपास बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा कोलाना पंचायत के पचपहाड़ दमदमा की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

221. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सुहागपुरा तहसील की सुहागपुरा मोरी खेड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण व डागपुरा में पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत पिल्लू से एमपी सीमा तक सड़क व पुलिया की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायत चकुण्डा के गांव माण्डरी में एम.पी. सीमा तक सड़क व पुलिया की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

224. प्रतापगढ़ जिले की सड़क प्रतापगढ़-लुहारिया, नकोर, बारावरदा, मधुरा तालाब, भंवरदल होते हुए छोटी सादड़ी की दो तहसीलों को जोड़ने वाली सड़क, अरनोद, जाजली, मण्डावरा कुलथाना, बरोठा, कुणी, कल्याणपुरा, डाबड़ा, वरमण्डल, चन्याखेड़ी, प्रतापगढ़ दो तहसीलों को जोड़ने वाली दोनों सड़कों को MDR बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की देवपुरा से ग्यासपुरा चन्दाना फला

रास्ते के बीच में पुलिया धमोतर ब्लाक, खूंटवास पुलिया-दंलोद ब्लाक, अमरगढ़ एमपी सीमा पर पुलिया व सड़क, छामण से पीपली पठार सड़क सुदृढ़ीकरण व धांटाकटींग व सीसी कार्य सुहागपुरा ब्लाक, लखमा खेड़ी से खतोड़ी तक सड़क निर्माण, जोलर से कोतवाल तक सड़क निर्माण 8 K.M. कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

226. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांव/ढाणियों को पक्की सड़क व पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में दीपावास-लवाचा मार्ग पर पुल, झाला की चौकी, कानूजा, आसन, कलालिया, बगड़ी, कोटकिराणा सड़क मार्ग के बीच नदी-नाले आने वाले स्थानों पर पुलिया निर्माण, जैतारण, तालकिया, पिपलिया, घोड़ावड़ ब्लाक, राबड़ियावास सड़क मार्ग पर नदी-नाला बहाव क्षेत्र में पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पूर्व में स्वीकृत सड़कें जिनका कार्यादेश दिया जा चुका है, को प्राथमिकता से पूर्ण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की जैतारण-निम्बोल, लाम्बिया-कुड़की, झाला की चौकी-कोटकिराणा, भूम्बलिया-कठमोर, बूटीवास-भींवगढ़ रास तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

231. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास बर्फ फैक्ट्री से पातरिया नगला तक सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूदावल के करनपुरा से नगला खोपरा वाया चुरारी तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूदावल-उच्चैन मार्ग वाया बाजौली से खिरनी के नगला तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास-नया गांव मुख्य सड़क से काराई यूपी बोर्डर तक सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र बयाना की बयाना-बसेड़ी मुख्य मार्ग से सामंतगढ़ तक की सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

236. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सड़क मार्गों पर बहने वाली नदियों पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, रपट, पुलिया से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की क्षतिग्रस्त, बदहाल, नोन-पेचेबल सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सड़क विहीन राजस्व गांवों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

240. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बिहारीपुरा-सीरसली सड़क पर पुलिया निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीकर सड़क मार्ग से कालाडेरा बाईपास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्रामीण क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी की ढाणियों को PMGSY सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

243. प्रदेश के बन्द पड़े विकास पथ शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. प्रदेश की मिसिंग लिंक सड़कें पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

245. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गेंडोली, झालीजी का बराना, काली तलाई, बोरदामाल कापरेन रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के उनियारा, बिजौलिया वाया इन्द्रगढ़, लाखेरी, बून्दी रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गेंडोली, अरनेठा जयस्थल, करवाला की झोंपड़ियां, झालीजी का बराना गेंडोली रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में केशोरायपाटन रोड, तालेड़ा रोड का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में ग्राम कोडक्या बालाजी में मेज नदी पर पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

250. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के ग्राम पंचायतों में वाल टू वाल विकास पथ के निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के पार्कों/सार्वजनिक उद्यान की सड़कें विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बाईपास निर्माण के कार्य को गति प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) के 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

254. प्रदेश में राजस्थान सड़क विकास अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के पैट्रोल, डीजल पर देय सैस से प्राप्त राशि का ग्रामीण/नगरीय सड़कों के रख-रखाव पर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

255. डूंगरपुर जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत डामरीकरण सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कमेटी गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल नीलकण्ठ महादेव के पास पूर्व में नदी पर बना पुल जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका है, के नव निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत काकरादरा के राजस्व गांव चकमहूडी-II (डिमिया) में डामरीकरण सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की गोविन्द गुरू की धूणी छाणी मगरी तक जाने की सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं वहां से फावता के लिए जाने वाली सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नानोडा से गुदीघाटा भाणासीमल गांवों को जोड़ने के लिए वातक नदी पर नानोडा के समीप पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

260. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की कलरू-मौकाल-ढाढासनी-गेढीया सड़क का मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता रोड से जारोड़ा जाने वाली सड़क पर रेलवे लाइन के ऊपर से पुल बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की अनेक डामर सड़कें टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम सोगावास से खेड़ूली जाने वाली डामर सड़क का मरम्मत कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय जसनगर के आबादी क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर बाईपास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

265. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अनेक क्षतिग्रस्त डामर सड़कें टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

266. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में खड़ोपा से कड़वासड़ों की ढाणी वाया भोपालगढ़ रोड के स्टेट हाईवे बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में उप खण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

268. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में चांगवा से किरवा-चांचौडी-नादाना भाटान-खौड-पादरलीतुर्कान तक 30 किमी. नवीन सड़क व खनन प्रभावित गांवों में नवीन सड़क निर्माण व सड़कें नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. बाली से जवाई बांध-सुमेरपुर-तख्तगढ़ तक सड़क को चौड़ा कर 65

किमी सड़क स्टेट हाईवे के रूप में निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भावनगर से मणिहारी-गौरी-भाखरी बाला तक 16 किमी. नवीन सड़क व 25 प्रमुख धार्मिक स्थलों को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 23 गांवों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में खांगड़ी व बांगड़ी गांवों के बीच नदी पर पुल निर्माण, पावा से भाचुन्दा के बीच नदी पर पुल व सड़क निर्माण, सोनाईमांजी व बुधवाडा, केरला व जवडिया के बीच नदी पर पुल निर्माण तथा कानपुरा व पुराडा के बीच नदी पर पुलिया रपट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)**:**

273. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ शाखा की 321 आर.डी. रावला मण्डी में पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ शाखा की 150 आर.डी. 2 LM (A) व 4 LM में पुल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम 3 NM ढांवा से 465 हैड (दमोलाई) तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की पुरानी मण्डी घड़साना से रावला मण्डी तक सड़क पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला मण्डी से खाजूवाली (1TKND) तक सड़क पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

278. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कैलाशनगर से जालौर सीमा तक सड़क 5.50 मीटर चौड़ी बनाने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में मडिया से पावरी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

280. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में डोडूआ से वराल तक सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सिरोही मोहब्बत नगर-नून-मडिया-हालीवाडा सिलदर सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में मनादर से बारलावास तक सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

283. विधान सभा क्षेत्र नोहर में हरियाणा बोर्डर से वाया फेफाना, रामसरा से नोहर मोड़ तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं पुनर्निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र नोहर में हरियाणा बोर्डर से वाया श्योदानपुरा, ढाणी लाल खां से देईवास तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं पुनर्निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र नोहर में डामर सड़क से वंचित पंचायत मुख्यालय एवं राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र नोहर में वर्ष 2017-18 में बने गौरव पथ निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र नोहर में ग्रामों में मिसिंग लिंक व मण्डी क्षेत्र में नवीन सड़कों के निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

288. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में अधूरी सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में क्षत्रगंज से पराना लिंक रोड तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

291. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ से कुण्ड रोड का कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ से ऊंटोली तक की सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ से पहाड़ी तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भीटेड़ा से बूढवाल तक की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

295. जयपुर जिले के जोबनेर से फुलेरा की सड़क के अत्यन्त जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पचकोड़िया से मोहन का बास तथा पचकोड़िया से भादवा तक की सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कोरसीना से सांभर तथा नरियासर मोड़ से आदरवा तक की सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में हरसोली शिव मन्दिर से नन्दाबाबा की ढाणी (लिंक रोड डूंगरी-करणसर) तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र में ग्राम मातेड़ा तक डामरीकरण सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

300. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ शहर में स्थित संत नागरीदास पैनोरमा में आने-जाने वाली पुलिया के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बान्दर सिंदरी से मुण्डोती, भामोलाव से डांग मोड़ प्याऊ तक, कुचील से घासी बाबा की ढाणी तक, काली डूंगरी से रहीमपुरा तक, नया गांव से सरगांव तक तथा कासीर से गोठियाणा तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में तेजाजी धाम ग्राम सुरसुरा में एक किलोमीटर की सी.सी. सड़क का डिवाइडर एवं रोड लाइट सहित निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ढिगारिया से देवरिया के रास्ते पर पाइप क्लवर्ट पुलिया का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

304. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सड़क से वंचित गांवों/ढाणियों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र आमेर की जीर्ण-शीर्ण/क्षतिग्रस्त सड़कों के डामरीकरण/नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र आमेर में विभिन्न स्थानों पर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र आमेर की प्रमुख सड़कों की मरम्मत/पेचवर्क नियमित रूप से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र आमेर के हरदत्तपुरा मुख्य चौक से चतरपुरा रोड तक, ग्राम कालवाड़ रीको रोड से श्रीराम मणकसो की ढाणी (ग्राम पंचायत कांट) तक, अखेपुरा पुलियां से धौल्या स्टैण्ड लक्ष्मीनारायणपुरा तक, निम्स अस्पताल से चिताणु कलां होते हुए एन.एच. 8 तक, रायथल से बासड़ी एवं चतरपुरा के ग्राम आछोजाई से सरदारपुरा तक पक्की सड़क के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

309. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामगढ़ बांध से नकची घाटी तक सड़क का चौड़ाईकरण का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

310. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम रायसर से दारोलाई, नीमला से डगोता बस्सी ताला पुलिया से छोटी बिलोड, रामपुरा (चावंडिया) से दौलतपुरा गुस्सार (धामस्या), नीम्बी रोड से केलनवास से सुरेठी तथा नीम्बी से गोपालगढ़ तक सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

311. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के टोडा महादेव जी से सामरेड कलां में पुल एवं सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

312. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में एनएच 148 से रामपुरा बास थली तक एनएच 148 से चेचियों की ढाणी, जगतसर ऊर्जा रिक्शा में डामरीकरण सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

313. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जीर्ण-शीर्ण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

314. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नवीन सड़कों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सड़क विहीन ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की टूटी-फूटी जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

317. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्टेट हाईवे से एमडीआर योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने हेतु वाल टू वाल विकास पथ निर्मित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ शहर में बाईपास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की ग्रामीण सड़कों की समय पर देख-रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में महपालवास से उरिका क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

322. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में बुधवाड़ा से पिचौलिया तक तथा कालेसरा से नागेलाव सड़क का निर्माण कार्य एवं तिहारी से मुण्डोलाव सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

323. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में केसरपुरा से जैतगढ़, पीसांगन से गोविन्दगढ़ तथा कानपुरा से बनेवड़ी में रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में पिचौलिया से मोतीसर सड़क का निर्माण, जेठाना मांगलियावास के बीच रेलवे क्रोसिंग पर ROB पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के अन्सरी से बिडिक्पयावास, बुबानिया से देवाजी का बाड़िया एवं नसीराबाद बाईपास सड़क का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

326. विधान सभा क्षेत्र डग में अधूरे पड़े गौरव पथ व नवीन विकास पथ का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

327. विधान सभा क्षेत्र डग में नवीन सड़कें एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण एवं सुसनेर से स्वासरा, डोडी, डग, पीपलीया खुर्द सड़क का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र डग में टोल टैक्स माफ करने हेतु विभागीय पहल किये जाने एवं आवर से मारूखेड़ी आहू नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, हरनादा एवं केलु खेड़ा में पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. विधान सभा क्षेत्र डग में सड़कों से वंचित गांवों व ROB, RUB, ओवर ब्रिज के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र डग में सिलीगढ़ से दातार खेड़ा, घाटी से गणेशपुरा, पड़ासली से सगतपुर, कोलवा गुर्जर से बोरखेड़ी कर्मचन्द, बरड़िया लाखा से बरड़िया लाखा परमार, सरोड़ से मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

331. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में विकास पथ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के सड़कों से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ब्लैक स्पाट उच्च मार्गो पर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

335. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में Under Bridge बनाने एवं छापर देवाणी सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ में नये विकास पथ बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

337. रतनगढ़ शहर में चूरू फाटक पर रेलवे स्टेशन के पास ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कादिया ढढावता, सांगासर से भूखरेड़ी वाया छाबड़ी मीठी-खारी, सुलखणियां से रिड़मल की ढाणी, दीपसर से सीतसर, मैणासर से रूखासर, श्यानण से न्यामा, आबसर से भानीसरिया, सिमसिया से राजलदेसर, जेगणिया से राजलदेसर, जोरालिया से जैतासर, आबड़सर से राजलदेसर, आलसर से प्रेमनगर, मोमासर रोड से जोरावरपुरा, हरिपुरा से मालपुर, मालपुर से रतनगढ़ दयालु हनुमान जांहवा से बछरारा, बछरारा से रामसीसरा सड़कों के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में बछरारा से बीरमसर, सांगासर से खोतड़ी, भींचरी से खोतड़ी, फ्रांसा से चारणवासी मुखरेड़ी से किशनपुरा, सुलखरिया से बिराणिया, भुखरेड़ी से दीपसर, दीपसर से स्वामी की ढाणी, कनवारी से चारणवासी, तोलियासर से खुड़ी, मालासी से राजियासर, सीतसर से खींचीवाला, मालासी से साण्डन, श्यानण से जेढवा का बास, श्यानण से बाटड़ानाऊ, न्यामा से धानणी, श्यानण डूंगरी माता से खारिया कनिराम, खुड़ी से न्यामा वाया मामुओं की ढाणी रिणंवा की ढाणी वाया इकलाई तलाई होते हु ए डूंगरास अगूणा, ढाणी, रिणवा से कनवारी, बोथियावास से जैतासर, पड़िहारा से धातरी, चुहास से मेगा हाईवे, बीड़ छापर, बडाबर से लालपुरा, जिनरासर से खारिया, बिलासी से लोणा, भोजलाई से बाबासर, गोपालपुरा से चाड़वास, पायली से भावनदेसर, आबड़सर से भरपगसर परसनेऊ से जेगणिया बीकान, आलसर से राजलदेसर, गोरीसर से मालपुर, लधासर से गौरीसर, खारिया से बड़ा खुडेरा सहित सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

340. विधान सभा क्षेत्र जालौर के प्रत्येक गांव को पंचायत मुख्यालय से पक्की सड़क से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र जालौर में धार्मिक महत्व के भागली से चित्तहरणी, तड़वा-पीजोपुरा से हल्देश्वर महादेव, पेलाणा से गोगामाड़, कुआवेर से

झरडांजी, रेवतड़ा से हलदरिया महादेव एवं सुराणा से भांडवपुर तक पक्की सड़क से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

342. जालौर शहर स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या C-48 पर ROB का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यातायात के सुगम आवागमन हेतु व्यवस्थित उप मार्ग (By Pass) का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

343. जालौर के ऐतिहासिक धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किले को सड़क से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र जालौर में केशवणा से माण्डवल, बाकरा गांव से रानीवाड़ा काबा, तड़वा से बैरठ, आलासन से उम्मेदाबाद एवं आसाणा से बोरवाड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

345. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बौंली से लाखनपुरा जाने वाले रास्ते पर घाटी को चौड़ा करने, सुरक्षा दीवार एवं सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

346. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की गुडला नदी पर रपट/पुलिया निर्माण करने तथा ग्राम बास परसा, कीरों की ढाणी, बैरवा बस्ती, देवमण्ड ढाणी, रूंगटी रोड, मित्रपुरा रोड, कांकरिया से मरमढपुरा पिलुखेड़ा से खटवा बीच नदी पर पुलिया निर्माण तथा कोड़याई से भेडोली आश्रम, गालदकलां से लाडोता वाया ऐदलकी बोर्डर, रतनपुरा से डूंगरी तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर सदन पटल पर रखे गये माननीय सदस्यों के लिखित वक्तव्य

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा)

सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल शहरी विकास पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में कुछ सड़कें पूर्व में स्वीकृत हुई हैं जिनका आधा काम हुआ है और आधा काम बाकी है। अतः अधिकारियों को आदेश देकर अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण करवाएं।

निम्न अधूरी सड़कों का ब्यौरा इस प्रकार है-

1. गोपालगढ़ से टीकरी किलानोत
2. टीकरी रोड से मुरारी की ढाणी
3. मण्डावर रेलवे फाटक से बडाबास
4. भूढा रोड से राधास्वामी आश्रम
5. कोंडला से खेड़ला बुजुर्ग
6. सिकन्दरपुर से समसपुर
7. लोटवाडा से देववाला बास होते हुए बालाजी स्कूल तक
8. नांगल से डूंगरीवाला बास
9. खेड़लागदाली से केली बाबा आश्रम

निम्न नवीन सड़कें बनाने हेतु:-

1. पतलिया बालाजी से लालपुर नंगला होते हुए बोर्डर तक
2. खेडलागदाली से कमालपुरा बोर्डर
3. पाखर से फूलमण्डा तक
4. पाखर से केसरा
5. टूडियाना से हुड़ला
6. बालाहेडी चौकी से सायपुर तक
7. मौसमपुर पट्टी से धन्तुरी तक
8. गाजीपुर से काशीदास का पुरा तक

9. बालाहेडा से घाटी तक

10. अलीपुर से बड़ वाली ढाणी

11. अलीपुर ढेर से टुडियाना

12. नांदना रोड से वीरगांव होते हुए धोलखेडा तक

13. उंकरूण्ड से टुडियाना बालाहेडी होते हुए महावीर जी तक

14. बालाहेडा चौकी से हुलाबलीन राजगढ़ होते हुए रसीदपुर तक

15. कोट से घोशराणा रेलवे स्टेशन तक

साथ ही मण्डावर रेलवे फाटक पर आरओबी एवं टेकडा समलेटी और भरतपुर बाईपास पर ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं।

श्री अमर सिंह (बयाना)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत्बहुत आभार प्रकट करता हूं।

आज हम सब सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सड़क पर चर्चा कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में सड़क नहीं होती है वहां का विकास होना असम्भव है। जिस हिसाब से आज जनसंख्या बढ़ रही है उस लिहाज से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किये जाने की भी आवश्यकता है। पहले जो ढाणियां थीं वो अब गांव बन चुके हैं, जो गांव थे, वो कस्बे बन गये हैं और कस्बों ने शहरों का रूप ले लिया है।

(1) माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें सड़कों का नामो-निशान तक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय को देखते हुए सही नहीं है।

"जब मोर नाचते हैं वो लगे पंख से अच्छे,

जिन गांव में सड़क नहीं है वो नहीं लगते अच्छे।।"

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे गांवों का विकास हो लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे अधिकांश गांवों तक आने-जाने के लिए सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को गांव में होने वाली फसल, सब्जी, फलों को स्थानीय मण्डी तक नहीं पहुंच पाने के कारण बहुत ही सस्ते में बेचना पड़ता है जिससे उनको आर्थिक हानि होती है।

(2) मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग डांग क्षेत्र में आता है। जहां पर सड़कों का अभाव होने के कारण कई बार गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी

के समय अस्पताल ले जाने में बहुत देर हो जाती है। डांग क्षेत्र में मुख्य कार्य खनन होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है जिससे घायलों को अस्पताल तक समय पर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए इसको फोर लेन से सिक्स लेन किये जाने की आवश्यकता है। इस राजमार्ग पर डिवाइडरों पर जाली नहीं होने के कारण आवारा पशु बड़ी संख्या में बैठे रहते हैं जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के बयाना-भरतपुर मार्ग पर सालाबाद रेलवे क्रोसिंग और बयाना रूपवास मार्ग पर ब्रह्मवाद रेलवे क्रोसिंग पर रोजाना लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है-

1. रुदावल से बसई वाया पहाड़पुर 8/600 से 13/0 तक (विधायक निवास स्वयं के गांव की सड़क)
2. बयाना बसेड़ी मार्ग से सामंतगढ़
3. बिनउआ मोड़ से पहाड़पुर (रूपवास)
4. घुनैनी से ज्ञानी का बेड़ा, करौली बोर्डर तक (बयाना)
5. मासलपुर-करौली बाजना से यू.पी. बोर्डर तक (बयाना)
6. कोट की पुलिया से लेकर कोडापुरा-बैघपुरा तक (बयाना)
7. तिघर्रा से सिंघनिया तक (रूपवास)
8. बयाना-हिण्डौन मार्ग से नगला छीपी तक
9. बारैठा डुमरिया सड़क से पालीडांग तक (बयाना)
10. बारैठा सड़क से नगला बारैठा तक (बयाना)
11. रूदावल-उच्चैन मार्ग पर स्थित बौसोली से खिन्नी के नगला (रूपवास)
12. जटमासी से हरवीर वैद्य जाटव कालोनी (रूपवास)
13. नयागांव पुलिया से यू.पी. बोर्डर तक (रूपवास)
14. बयाना-भरतपुर सड़क से मिलकपुर तक
15. बयाना-बसेड़ी मार्ग से सिंघनिया तक
16. रूपवास से रूदावल वाया जटमासी 8/0 से 15/0 तक

17. मिसिंग लिंक डामर सड़क जटमांसी रूपवास सड़क से समाहद वाया पातरिया नगला (रूपवास)
18. करनपुरा से चुरारी डांग तक (रूपवास)
21. बयाना-हिण्डौन मार्ग से नगला अर्जुन
22. खेरीडांग से भोलापुरा (बयाना)
23. बयाना-हिण्डौन मार्ग से पीलूपुरा
24. कारवारी से जरूअर (बयाना)
25. मिलस्वां से यू.पी. बोर्डर बाया कारई (रूपवास)
26. रूपवास नयागांव सड़क से यू.पी. बोर्डर बाया कारई
27. पहाड़पुर से नगला खार (रूपवास)
28. नगला अर्जुन सड़क से नगला बर्धा तक (बयाना)

बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में निम्नांकित सड़कों की स्वीकृति जारी कर अनुगृहीत करें:-

क्र. सं.	**सड़क का नाम**	**लम्बाई किमी.**	**लागत राशि (लाखों में)**
1.	सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, कार्य रुदावल से बसई वाया पहाड़पुर सड़क 8/600 से 13/0 तक (विधायक निवास स्वयं के गांव की सड़क)	4.400	333.49
2.	नवीन डामर सड़क निर्माण कार्य बयाना बसेड़ी सड़क से सामंतगढ़	3.500	122.50
3.	सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, कार्य विनउआ मोड़ से पहाड़पुर	7.500	225.00
4.	नवीन डामर सड़क घुनैनी से ज्ञानी का बेड़ा करौली बोर्डर	3.500	122.50
5.	सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य करौली मासलपुर बाजना से यू.पी बोर्डर	11.00	330.00

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई किमी.	लागत राशि (लाखों में)
6.	नवीन सड़क कोट की पुलिया से लेकर कोडापुरा वैधपुरा तक	4.00	140.00
7.	नवीन सड़क निर्माण कार्य तिघर्रा से सिंघनिया	4.00	140.00
8.	नवीन डामर सड़क कार्य क्याना हिण्डौन सड़क से नगला छीपी	2.500	87.50
9.	नवीन डामर सड़क वारेठा डुमरिया सड़क से पालीडांग	2.00	70.00
10.	नवीन डामर सड़क बारेठा सड़क से नगला बारेठा	2.50	87.50
11.	नवीन डामर सड़क बोसोली सड़क से खिन्नी का नगला	2.00	70.00
12.	नवीन सड़क जटमांसी से हरवीर वैध जाटव कालोनी	2.00	70.00
13.	नवीन डामर सड़क नयागांव पुलिया से यू.पी. बोर्डर	1.00	35.00
14.	सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य बयाना भरतपुर सड़क से मिलकपुर	5.50	137.50
15.	सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य बयाना बसेड़ी सड़क से सिंघनिया	8.400	294.00
16.	सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य रूपवास से रूदावल सड़क वाया जटमांसी 8/0 से 15/0	7.00	210.00
17.	मिसिंग लिंक डामर सड़क जटमांसी रूपवास सड़क से समाहद सड़क तक वाया पातरिया नगला	35.00	122.50
18.	नवीन डामर सड़क कार्य करनपुरा से चुरारी डांग	2.00	70.00

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई किमी.	लागत राशि (लाखों में)
19.	नवीन डामर सड़क कार्य बयाना हिण्डौन सड़क से नगला अर्जुन	2.00	70.00
20.	नवीन डामर सड़क खेरीडांग से भोलापुरा	1.50	52.50
21.	नवीन डामर सड़क कार्य बयाना हिण्डौन सड़क से पीलूपुरा	1.00	35.00
22.	नवीन डामर सड़क कार्य कारवारी से जरूअर	2.50	87.50
23.	नवीन डामर सड़क मिलस्वां से यू.पी. बोर्डर	1.00	35.00
24.	डामरीकरण कार्य जटमांसी सड़क से दौरदा	2.00	30.00
25.	रूपवास नयागांव सड़क से यू.पी. बोर्डर वाया कारई	3.00	105.00
26.	नवीन डामर सड़क खेरीडांग से भोलापुरा	1.50	52.50
27.	नवीन डामर सड़क पहाड़पुर से नगला खार	2.00	70.00
28.	नवीन डामर सड़क नगला अर्जुन सड़क से नगला वर्धा	1.500	52.50

आदर सहित।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)

लोकतंत्र में चुनी गई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह आमजन को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा व अच्छी सड़कें उपलब्ध कराए, लेकिन राजस्थान में सरकार को दो वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। दो वर्षों में सड़कों के मामले में राजस्थान की सरकार ने निराश ही किया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की बात करूं तो पाणोद से केनपुरा-रानी-मुन्डवारा स्टेट हाईवे, बांकली से भारून्दा, धनापुरा से नेहरू नगर, पाली से रूपावास चवरडा ढाणी सहित कई सड़कें तीन वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थीं, लेकिन तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इन सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ। सड़कें पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं। आमजन का इन सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है।

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में खनन प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है। 40 से ज्यादा ग्राम खनन प्रभावित क्षेत्र में हैं। खनन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति खराब है। डेन्डा से गुन्दोज सिन्दरू राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से दुजाना, सुमेरपुर, जुना जाखामाताजी से जाखोड़ा, कोलीवाड़ा से जाखोड़ा, चाणोद से गिरवर, गुडा प्रताप सिंह से पादरला होते हुए कुरना, चाणोद से साकदड़ा सड़क व तीन रपटें, मणिहारी से डरी, कानेलाव से कुरना, एनएच-62 से दुजाना रास्ते तक सहित कई सड़कें हैं, जहां बड़े-बड़े डम्पर, जेसीबी, ट्रकें चलने से रास्ते खराब हो गये हैं। पाली जिले का डीएमएफटी का पैसा जिला स्तर पर पड़ा है। इसे स्वीकृत कराने की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एनएच-62 से पुनागर माताजी व पुनागर माताजी से बोमादडा तक सड़क, तख्तगढ़ से राजपुरा, एनएच-62 किरवा से गुडाऐन्दला, एनएच-62 से खुनीगुडा, बसंत से पावा कोशीलाव रोड तक, बसंत से बाबागांव तक एनएच-16 पाली से देसूरी सहित 30-35 सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं। इन्हें नवीनीकरण करवाने का श्रम करें।

सरकार ने पिछले 2 वर्ष में पंचायत हैड क्वार्टरों से गांवों को जोड़ने वाली सड़कों, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों, मिसिंग लिंक की सड़कों के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन 2 वर्ष में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में 2 वर्ष में 100 किमी. से ज्यादा सड़क स्वीकृत की।

लापोद से ढोला, रसीयावास से नोवी, पलासिया से नोवी, सिन्दरू से स्टेट हाईवे साण्डेराव मुण्डारा, पेणावा से कवला, भांगेसर से खाम्बल बोर्ड तक, सापुनी बुसी सड़क से मारू कुमावतों की ढाणी, वाणियावास से राजकीयवास, सलोदरिया रोड से कानपुरा रोड तक 50 से ज्यादा सड़कें हैं। इन्हें स्वीकृत कराने की कृपा कराएं।

सांगवा से किरवा-चांचोडी-नादानाभाटान-खौड-पादरली तुर्कान तक 30 किमी. तक नवीन सड़क, देवतरा से आकदडा-वेनपुरा-बिरामी एनएच-62 तक 20 किमी. तक नवीन सड़क, भावनगर से मनिहारी-गौरी भादवी बाला तक 16 किमी. तक नवीन सड़क, बाली से जवाई बांध-सुमेरपुर-तख्तगढ़ सड़क को स्टेट हाईवे के रूप में विकसित करवाने का श्रम कराएं।

जवाई बांध पर आरओबी आरयूबी का अधूरा काम शीघ्र पूर्ण कराएं, पावा नदी पर पुल निर्माण, बांगड़ी-खांगड़ी-नदी पर पुल निर्माण, बुधवाडा से सोनाईमांजी नदी के बीच पुल निर्माण जवड़िया से केवला के बीच नदी पर पुल

निर्माण, कानपुरा-पुराडा के बीच नदी पर पुल या रपट निर्माण गुंदोज से बस स्टैण्ड के बीच व सोनाईमांजी रास्ते पर पुल निर्माण, जैतपुरा से किरवा के बीच पुल निर्माण करवाने का श्रम कराएं।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरेगा में ग्रेवल सड़कों के कार्य ज्यादा से ज्यादा कराएं। मिसिंग लिंक सड़कों में एक वर्ष में 5 करोड़ राज्य सरकार द्वारा विधायकों को देने के लिये कहा है, उसको 15 करोड़ किया जाए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर)

माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर अपने विचार रख रहा हूं। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर की कुछ सड़कों की मांग रख रहा हूं।

1. कालीमोरी अण्डरपास

दिनांक 1/10/2018 को स्वीकृत हुआ था और 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी तथा रेलवे से ड्राइंग अप्रूव हो गई है। इस अण्डर पास का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाए।

2. दाउपुर फाटक संख्या 113 के आसपास अण्डरपास।

शहर के 10 से 12 वार्डों के आमजन का आवागमन का सुलभ मार्ग है, यह अधिकांश समय बंद रहता है। आमजन की परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस पर ही या इससे आगे फाटक संख्या 113 पर अण्डरपास का निर्माण किया जाए।

3. हसनखां रेलवे फाटक के ऊपर से टेल्को सर्किल तक आरओबी का निर्माण

विभाग द्वारा सर्वे भी करा लिया गया है तथा रेलवे को ड्राइंग भेजी जा चुकी है लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुई है। इसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ के आसपास बताई गई है। इसके निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।

4. रिंग रोड

विभागीय स्तर पर पूर्व में उक्त कार्य बाबत प्रस्ताव बनाया गया था और उसमें टेल्को सर्किल से बाईपास होते हुए करी घाटी, ढाई पेढी, अखैपुरा के पीछे, विजय मंदिर से होते हुए हसनखां टेल्को सर्किल तक बनना है। इसकी

अनुमानित लागत 70 लाख रुपये बताई गई है। इसका भी शीघ्र निर्माण किया जाना आवश्यक है।

5. विकास पथ

ग्राम पंचायत बेलाका एवं दिवाकरी में विकास पथ स्वीकृत कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके।

6. एनएच हाईवे शाहपुरा से अलवर तक

धवाला मोड़ से केसरपुर तक प्रस्तावित है तथा नेशनल हाईवे कंपनी द्वारा सर्वे भी करा लिया गया है एवं जानकारी के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भी शुरू की जा रही है। एनएच-248-ए से इसको मिलाया जाना अति आवश्यक है।

7. फोरलेन निर्माण

ढाईपैढी से भर्तृहरि जी तक का मार्ग तथा अलवर राजगढ़ सिकन्दरा मार्ग तक और हनुमान सर्किल से भूगोर तिराहे तक फोरलेन बनाने की मैं मांग करता हूं।

8. टू लेन मार्ग

एमआईए से मालाखेड़ा तक टू लेन सड़क स्वीकृत की जाए।

9. बाला किला मार्ग पर सड़क का निर्माण

वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण बाला किला मार्ग पर सड़क निर्माण नहीं हो रहा है और आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जन हित में उक्त सड़क का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

10. एलिवेटेड रोड

भूगोर तिराहे से ढाई पैढी की ओर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड रोड बनाई जाए। राजगढ़ रोड से आने वाले वाहनों को जयपुर की ओर जाते समय करी घाटी की ओर घुमाव पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

एनसीआर फेज-2 का प्रस्ताव बनाकर राशि शीघ्र स्वीकृत कर इसका कार्य चालू किया जाए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

आपने मांग संख्या 21-"सड़कें एवं पुल" पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

1. किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे अहम भूमिका सड़कों की होती है।

2. इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए पक्की और अच्छी सड़कें, पुल-पुलिया विकास का आधार होती हैं।

3. अगर हम कहीं जाते हैं और वहां की सड़कें टूटी-फूटी हैं, नदी-नालों पर पुल नहीं हैं तो हम कह देते हैं कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। यानी विकास के आंकलन का सबसे बड़ा पैमाना सड़कें ही हैं।

4. मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस लेह-लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने ये कहकर विकास नहीं करवाया कि वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है।

5. और हमारे अखण्ड भारत को खण्ड-खण्ड होते हुए देखते रहे।

6. आज उन्हीं राज्यों में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ल्ड क्लास सड़कें, पुल और टनल (सुरंग) बनाकर न केवल वहां विकास किया है, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके देश की सीमाओं को भी सुरक्षित किया है।

7. मोदी जी ने न केवल सड़कें, पुल और टनल बनाये हैं, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की हर तरफ से रक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं आसानी से पहुंच सके, अपने हथियार ले जा सकें, इसके लिए नये जलमार्ग भी विकसित किए हैं।

8. सड़कों को तीन भागों में बांटा गया है:-

9. 1. नेशनल हाईवे 2. स्टेट हाईवे और 3. ग्रामीण सड़कें

10. आजादी के बाद से 2013 तक देश में हर साल जितने किलोमीटर लम्बाई के नेशनल हाईवे बनाये जाते थे, 2014 के बाद उससे ढाई (2.5) गुणा ज्यादा लम्बाई के नेशनल हाईवे बनने लगे हैं।

11. यही नहीं 2014 के बाद से सड़कों के निर्माण पर होने वाले खर्च की राशि में भी हर साल बढ़ोतरी हुई है। यानी हमारी सरकार ने आपसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं।

12. जिसका श्रेय माननीय प्रधान मंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयासों को जाता है।

13. जिनकी तारीफ आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद में भी की है।

14. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा 2019 के

आंकड़ों के अनुसार 2013-14 तक देश में सड़कों की विकास दर जहां 11.7 कि.मी. प्रतिदिन थी वो 2018-19 में बढ़कर 30 कि.मी. प्रतिदिन हो गई है।

15. कांग्रेस सरकार ने 2013-14 में 4,260 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कराया, वहीं हमारी सरकार ने 2017-18 में 9,829 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण कराया।

16. 2018-19 में केन्द्र सरकार ने 5,494 कि.मी. लम्बाई की परियोजनाओं का काम सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंपा। उसके बदले में मंत्रालय ने लगभग 2 गुणा ज्यादा 10,855 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनायीं।

17. वहीं 2019-20 में जहां 3211 कि.मी. लंबाई का काम सौंपा, उसको भी 2 गुणा से ज्यादा 6,958 कि.मी. का निर्माण कराया।

18. माननीय गडकरी जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में नेशनल हाईवे की कुल लम्बाई 21,378 किलोमीटर थी, जो अप्रैल, 2014 तक बढ़कर 91,287 कि.मी. हुई थी।

19. और मोदी जी की सरकार में 2014 से लेकर 31 दिसम्बर, 2019 तक यानी केवल 5 सालों में बढ़कर 1,32,500 कि.मी. हो गई है।

20. आपने 66 सालों में 69909 कि.मी. लम्बाई के नेशनल हाईवे बनाये और मोदी जी ने केवल 5 सालों में ही 41,213 कि.मी.।

21. फर्क साफ है आपने 1 साल में 1059 कि.मी. सड़क बनाई और हमने 8,243 कि.मी.।

22. 2013-14 में आपने 1 साल में सड़क निर्माण पर 33,745 करोड़ रुपये खर्च किए थे, हमने 2018-19 में 1 साल में सड़क निर्माण पर 1,37,354 करोड़ रुपये खर्च करके सड़कों का जाल बिछाया है।

23. मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में मोदी जी ने 60,000 कि.मी. लम्बाई के नेशनल हाईवे बनाना तय किया है और जिस तरह से देश में विकास की रफ्तार चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये लक्ष्य भी हासिल कर लिया जायेगा।

24. स्टेट हाईवे की बात करें तो हमारे प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनें, इसके लिए सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1994 में सड़क नीति घोषित की गई।

25. और ये काम भी हमारी भाजपा सरकार के समय में हुआ। इतनी दूरदर्शी सोच रखने वाले राजस्थान की राजनीति के पुरोधा आदरणीय बाबोसा भैरोंसिंह शेखावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये सड़क नीति बनी।
26. और राजस्थान, सड़क नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना।
27. प्रदेश के धार्मिक और पर्यटक स्थल सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। पर्यटकों को परेशानी होती थी। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए और जन भावनाओं के अनुरूप प्रमुख धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारी भाजपा सरकार के समय आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी 7 अक्टूबर, 2005 को मुख्य मंत्री सड़क योजना शुरू की।
28. इस योजना से न केवल धार्मिक और पर्यटन स्थल ही जुड़े बल्कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क भी बनाई गई।
29. हमारे प्रदेश में सड़कों के बीच कई हिस्से छूटे हुए थे, जिससे गांव-ढाणियों के लोगों को काफी परेशानी आ रही थी, उनको सड़क से जोड़ने के लिए 2007-08 में आदरणीय वसुन्धरा जी ने ही मिसिंग लिंक सड़क योजना शुरू की।
30. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शानदार सी.सी. रोड हो, नाली हो, इसके लिए भी 2014-15 में हमारी सरकार में ही मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी ने ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की।
31. फरवरी, 2018 तक हमने 3,713 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1590 करोड़ रुपये खर्च करके 3668 कि.मी. लम्बाई के गौरव पथ बना दिये थे और 2880 ग्राम पंचायतों में काम चालू था।
32. आपने पिछले 2 सालों में केवल 38 विकास पथ बनाये हैं।
33. 182 करोड़ रुपये खर्च करके 60 शहरी गौरव पथ बना दिये थे, 111 का काम प्रगति पर था।
34. पिछले 2 सालों में आपने 1 भी शहरी विकास पथ नहीं बनाया।
35. (2014-18) 4 सालों में हमने 21614 कि.मी. सड़कें बनायी। 1667 गांवों और 4070 ढाणियों को सड़कों से जोड़ा।
36. आपने पिछले (2019-20 तथा 2020-21) 2 सालों में केवल 193 गांव-ढाणियों को जोड़ा है।

37. (2014-18) हमने PMGSY के 2nd Phase में 3464 कि.मी. ग्रामीण सड़कों पर 1662 करोड़ रुपये खर्च करके उनका निर्माण कराया।
38. हमने 4 सालों में 3597 कि.मी. लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कें बनायीं। 800 कि.मी. लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों का काम प्रगति पर था।
39. आपने पिछले 2 सालों में 1 कि.मी. मिसिंग लिंक भी नहीं बनाई।
40. RIDF-22 योजना में हमने 525 करोड़ की लागत के 4748 कि.मी. लम्बाई के 1434 काम स्वीकृत किए।
41. RIDF-23 योजना में हमने 800 करोड़ की लागत के 1614 काम स्वीकृत किए।
42. केन्द्र में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने का प्रदेश को काफी फायदा मिला। डबल इंजन की सरकार का प्रदेश के लोगों को भरपूर फायदा मिला।
43. हमने 746 कि.मी. लम्बाई के 9 नये नेशनल हाईवे स्वीकृत कराये।
44. 5130 कि.मी. लम्बाई के 51 नये नेशनल हाईवे के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।
45. नई सड़कों का निर्माण हो या पुरानी सड़कों के रिपेयर, मेन्टीनेन्स के काम।
46. हमारी पिछली सरकार में जितना काम हुआ, उतना प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था और न पिछले 2 सालों में हुआ है।
47. जैसे हमारे गांवों में लोग कहते हैं कि BJP के राज में लाइट जाती नहीं और कांग्रेस के राज में लाइट आती नहीं।
48. उसी तरह ये भी कहते हैं कि BJP के राज में गड्ढे नहीं दिखते और कांग्रेस के राज में सड़क नहीं दिखती।
49. ग्रामीण सड़कें-आजादी के बाद से वर्ष 2000 तक देश के लाखों गांव सड़कों से नहीं जुड़े थे।
50. इन छोटे-छोटे गांवों को भी सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसम्बर, 2000 को तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की।
51. इसका श्रेय भी हमारी पार्टी और आदरणीय वाजपेयी जी को ही जाता है।

52. PMGSY का 1st Phase और 2nd Phase पूरा हो चुका है और देश के 1 लाख 50 हजार से ज्यादा गांव-ढाणियों को 6 लाख 20 हजार कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाकर जोड़ा जा चुका है।
53. PMGSY योजना में चार चांद लगाने के लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इसको और बेहतर बनाकर 2019 में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की है।
54. जिसमें 1 लाख 25 हजार कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाकर देश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अस्पतालों और कृषि बाजारों को जोड़ा जायेगा।
55. मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कृषि बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों को सड़क से जोड़ने जैसा महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी निर्णय लिया है।
56. पिछले 2 सालों से प्रदेश का विकास पूरी तरह रुक गया है।
57. आपने 2020-21 में 250 से अधिक आबादी के केवल 6 गांव/ढाणियों को जोड़ा है।
58. 500 से अधिक आबादी के केवल 57 गांवों को सड़कों से जोड़ा है।
59. केवल 517 कि.मी. लम्बाई के स्टेट हाईवे और MDR सड़कों की मरम्मत कराई है।
60. आपने हर बार बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं हुआ है।
61. सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क में गढ्ढे हैं या गढ्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता है।
62. जालौर जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आपने पिछले 2 सालों में एक विकास पथ देने के अलावा कुछ नहीं किया है।
63. जालौर जिला मुख्यालय से लेकर हर उप खण्ड को जोड़ने वाली सड़कें, चाहे वो हो, स्टेट हाईवे हो, MDR हो या ग्रामीण सड़कें हों, पिछले 2 सालों से एक भी सड़क की रिपेयर तक नहीं हुई है।
64. रामसीन-भीनमाल - रानीवाड़ा स्टेट हाईवे-31, सांचोर-रानीवाड़ा-मण्डार, भीनमाल-करड़ा MDR सड़क, जसवन्तपुरा-जालौर बीओटी टोल रोड सबकी हालत 2 सालों से खराब पड़ी है।

65. अब की बार जरूर आपने बजट में घोषणा की है।

66. सुनने में आ रहा है कि ये काम भी आप PPP मोड पर कराओगे। जनता से टोल वसूलोगे।

67. हमारी सरकार ने स्टेट हाईवेज को टोल फ्री किया था, आपने वापस टोल लगा दिया।

68. टोल वसूलो, लेकिन सड़क भी तो अच्छी हो। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा।

69. मेरे यहां जसवन्तपुरा-जालौर टोल रोड पिछले 2 सालों से पूरा टूटा पड़ा है। ठेकेदार मरम्मत नहीं करा रहा है, लेकिन टोल वसूली लगातार चालू है।

70. ये जनता के साथ अन्याय है।

71. मैं चाहूंगा कि मेरे जसवन्तपुरा-जालौर BOT Toll Road, भीनमाल-करड़ा MDR रोड, रामसीन-भीनमाल-रानीवाड़ा स्टेट हाइवे-31, सांचौर-रानीवाड़ा- मण्डार MDR को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाये और मेरे यहां की ग्रामीण सड़कें बहुत खराब पड़ी हैं। उनको भी ठीक कराया जाये।

72. मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10-12 नोन पेचेबल सड़कें ऐसी हैं जो 2008 से 2010 तक बनी थीं। वो पूरी तरह टूट गई हैं। उनकी मरम्मत के लिए या नवीनीकरण के लिए पैसा दिया जाये।

73. 15-20 मिसिंग लिंक सड़कें हैं, जिनको बनाने के लिए पैसा दिया जाये।

74. ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कराया जाये।

75. धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए पैसा दिया जाये।

76. बजट में आपने रानीवाड़ा में ROB की DPR बनाने की बात कही है। जल्दी से जल्दी उसकी DPR बनवाकर राशि स्वीकृत की जाये।

77. अन्तर जिला सड़क स्टेट हाइवे-16ए रेवदर-जसवन्तपुरा-भीनमाल-बागोड़ा जो बहुत ही क्षतिग्रस्त स्थिति में है, सिरोही, जालौर एवं बाड़मेर जिले को आपस में जोड़ती है। उसको ठीक कराया जाये।

78. ग्रामीण सड़क, सेवाड़ा से मौखातरा-4 कि.मी., बडगांव से धामसीन 10 कि.मी., - रानीवाड़ा-दईपुर-मैत्रीवाड़ा-हर्षवाड़ा-कूड़ा-16 कि.मी., चाटवाडा से तावीदर चौराहा-10 कि.मी., रानीवाड़ा से मेडा-तावीदर कि.मी., करडा से कोड़का-9 कि.मी. ठीक कराया जाये।

79. अन्तरराज्यीय ग्रामीण सड़क रानीवाड़ा-जाखड़ी-धानोल-भवरिया-धामसीन जो राजस्थान और गुजरात को आपस में जोड़ती है। उस पर जाखडी गांव के पास नदी चलती है, उस नदी पर पुल बनाया जाये।

रानीवाड़ा से मालवाड़ा मुख्य सड़क पर आखराड़ के पास नदी पर पुल बनाया जाये।

ग्रामीण सड़क आलड़ी से रोपसी, सूरजवाड़ा से धूलिया, सूरजवाड़ा से रोड़ा, बिलड़ से चरपटिया, कोड़का से भाटीप पर रपट बनी हुई हैं। बरसात के दिनों में 3-4 महीने तक पानी भरा रहता है। इन पर भी पुल बनाये जाये।

PMGSY की करीब 11 सड़कें हैं जो 2014 से पहले बनी हैं। वे पूरी तरह टूटी हुई हैं DLP में भी नहीं है, उनकी मरम्मत कराई जाये।

250 से अधिक आबादी वाले गांव भक्तों का वास, रूदकों का वास, लालपुरा, तुलसारियों की ढ़ाणी, चारणवास को जोड़ा जाये।

सीनियर सैकण्डरी स्कूल करवाड़ा बी-ढाणी सड़क से जुडी हुई नहीं है। उसको करवाड़ा-करड़ा मेन रोड सड़क से जोड़ा जाये।

भीनमाल डिविजन में 1 Ex. En. लगा हुआ है, बाकी 6 पद A.En. के और 3 पद J. En. के स्वीकृत हैं। खाली 1 A. En. लगा हुआ है। बाकी 5 पद A.En. के और 3 पद J.En. के खाली चल रहे हैं। उनको भरा जाये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भेदभाव किया जा रहा है। अभी तक 2.5 वर्ष होने पर भी एक रोड नहीं स्वीकृत की गई। सरकार द्वारा गौरव पथ हर पंचायत में स्वीकृत किया गया था मगर आपने उसको बंद कर दिया और उसका नाम विकास पथ के नाम से कर दिया। उसके बाद भी पंचायत में एक भी विकास पथ का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

एक रोड जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और 2 वर्षों में अभी तक पेचवर्क भी नहीं किया गया है। रामपुरा से नया खेड़ा नान्देश्वर तक की यह सड़क एनएच 58 का हिस्सा है जो झाड़ोल को जोड़ती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों व पुलियाओं में 176 निर्माण कार्य किये गये थे और 435.52 किमी. लम्बाई और 159 करोड़ 4 लाख का विकास कार्य किया गया था। मगर 2.5

साल में केवल घोषणा के सिवाय कुछ नहीं किया गया। 11 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत की गई थी परन्तु मात्र 92 लाख रुपये ही 2.5 साल में सरकार द्वारा खर्च किये गये हैं क्योंकि सरकार ने बजट ही नहीं दिया।

मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों का कार्य रूका हुआ है उनको पुन: शुरू करवाया जाये और कुछ रोडें नई बनानी हैं जैसे बड़ी ऊंदरी से बोराफला रोड, जो एक जनजाति परिवार का एक बेटा देश सेवा में शहीद हो गया है, जिसको किसी भी मद में लेकर.....

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में दो वर्ष के कार्यकाल में केवल 17 कार्य दिये हैं और उसकी स्वीकृत राशि 1387.40 लाख रुपये हैं जबकि वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में 11573.14 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं व खेरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 4549.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस राशि को देखकर लगता है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की अनदेखी की है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस बजट में जो आपने राशि सभी विधायकों को स्वीकृत की है, वह मेरी विधान सभा क्षेत्र में अलग से बजट देकर विकास कार्य को गति प्रदान करें ताकि आम जनता विकास कार्य से वंचित न रहे। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों एवं पुलों की सूची भी संलग्न कर रहा हूं।

आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मेरी उक्त मांगों को आप यथाशीघ्र करवाये जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। मेरी मांग है कि ये सड़कें व पुलियाएं का इस बजट में बजट देकर विकास करवाने की कृपा करवाएं।

क्रम संख्या	**सड़कों के नाम**
1.	साथपुर मीनान से घाटी वाले होते हुए साथपुर गुर्जरान
2.	पडुणा से नला
3.	बड़ी उन्दरी से खरपीणा
4.	खानिया फला से नला
5.	चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य रामपुरा से नान्देश्वर (एम.डी.आर.-148)
6.	चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य उमराडा-डेडकिया मानपुरा किमी 0/0 9/0

क्रम संख्या	**सड़कों के नाम**
7.	मिसिंग लिंक झाबला से नानबारा।
8.	डाकन कोटड़ा टोलानाका से झाम्बुरिया एनिकट
9.	जयसमन्द सम्पर्क सड़क फायरिंग रेंज से आवरी माता मंदिर खेराखेत तक
10.	महादेव मन्दिर से जाम्बुडिया एनिकट
11.	भवेडी होली चौक से श्मशान घाट
12.	अम्बूआ गांव से आबुआ फला
13.	सम्पर्क सड़क उमराडा झामा-डेडकिया
14.	सुदृढ़ीकरण व नाला निर्माण रिलांयस SH-32 कानपुर हनुमान जी (102/0 से 100/0)
15.	पुलिया निर्माण व सड़क A/R आवीफला
16.	पुलिया निर्माण व सड़क A/R खेडात फला
17.	मोरडूंगरी से झाबला (मिसिंग)
18.	सम्पर्क सड़क लाई से नया खेड़ा (हाइवे)
19.	जावर माता से खेडा फला

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

1. अजमेर से पुष्कर- पुष्कर घाटी में सुरंग बनाने।
2. पुष्कर घाटी की रोड की चौड़ाई बढ़ाकर फोर लेन बनाने।

रेलवे विभाग

3. दिल्ली से मुम्बई फ्रैट कोरिडोर - नई रेल लाइन बिछने से सभी रेलवे क्रोसिंग पर अंडर पास बने, इसकी जगह ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता।

   गेगल, मुहामी, लाडपुरा, नाका मदार, दोराई, सराधना रेल क्रोसिंग पर बने अंडर-पास को ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है।
4. पुष्कर वि.क्षे. के सभी गांव व ढाणियों का सर्वे करके वंचित गावों व ढाणियों में नवीन सड़क बनाने की आवश्यकता।

5. पुष्कर वि.क्षे. की नदी व नालों से गुजरने वाली सड़कों पर नवीन पुल बनाने की महती आवश्यकता है।
6. अजमेर से जयपुर N.H. पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए अजमेर से जयपुर तक वैकल्पिक N.H. बनाने की आवश्यकता है।
7. तीर्थराज पुष्कर के अन्तरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए पुष्कर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने की जरूरत है ताकि पर्यटक व श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके।
8. पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र के अजमेर चुंगी से गनाहेड़ा रेलवे फाटक तक ऐलिवेटेड रोड बनाने की आवश्यकता है।
9. पुष्कर डाक-बंगले के स्थान पर सर्किट हाउस बनाने की आवश्यकता है।

सड़कों का डामरीकरण

1. पालरा से बीट
2. थल से बाज्या की ढाणी
3. पुष्कर से देवनगर
4. तिलोरा से बस्सी
5. N.H. से जाटली
6. पुष्कर से नाद
7. भदूण से काठौद
8. बुबनी से नालखा
9. घूघरा से श्रीनगर
10. हालियावास से किशनगढ़
11. डुमाडा से भावता
12. कानस से पुष्कर घाटी
13. रामनेर ढाणी से किशनगढ़

नवीन सड़कों का निर्माण

1. मुहाली से गोडियावास
2. भूडोल से नारेली
3. गगवाना से कायड
4. घातडी से चाचियावास

5. चाचियावास से पदमपुरा

6. करकेडी से रूपनगढ़

इसके अलावा भी पुष्कर वि. क्षे. के सभी गांव-ढाणियों का सर्वे करके उनको सड़कों से जोड़ा जाए।

श्री जगसी राम (रेवदर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर सड़कें पिछले लम्बे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। (बाईपास मण्डार-रेवदर) अति आवश्यक

- रेवदर से नागानी रोड जिसमें विवेकानन्द माडल विद्यालय आया हुआ है, चौड़ी सड़क की आवश्यकता है।
- भटाणा बोर्ड से मुनीजी की कुटिया तक कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए। सड़क की चौड़ाई व गुणवत्तापूर्ण बनायें।
- माइनिंग सड़कें मकावल बोर्ड से रामपुरा खेडा मकावल।
- मण्डार से गुन्दवाड़ा सड़क चौड़ाई एवं गुणवत्तापूर्ण, भारी वाहनों का आवागमन रहता है।
- रेवदर से आबूरोड के मुख्य मार्ग पर गोमती रपट पर झाबुआ रपट पर पुलिया निर्माण अति आवश्यक है।
- दोलपुरा से धवली के बीच नदी पर पुल निर्माण, वर्षा के समय 25 गांवों को प्रभावित करता है।
- रायपुर से निमतलाई के बीच सड़क पर नाले पर पुलिया निर्माण, वर्षा के समय 10 गांवों को प्रभावित करता है।

राजस्व गांवों को जोड़ना

- पीथापुरा से सुलीवा 2 किमी-
- निमतलाई से गुजरात बोर्डर वाछोल सीतारामजी धुणी तक 2 किमी.
- सोरडा से गुजरात बोर्डर भाडोत्रा तक डेढ़ किमी.
- जेतावड़ा से गुजरात बोर्डर बापला तक 2 किमी.
- राजपुरा से रोउआ 3 किमी.
- भैरूगढ़ से जावल 3 किमी-वासड़ा जेतावाड़ा से भाडोत्रा
- पादर से कातरवाड़ी 5 किमी.
- भटाणा सम्पर्क सड़क से सेमरा खेडा
- भैरूगढ़ से कम्बोईया भटाणा तक सड़क निर्माण

- उडवाटिया से पटोलिया हनुमानजी पाडरू खेड़ा 3 किमी.
- बैखजूरी आवल आबूरोड गुजरात बोर्डर खेतनाजी मंदिर 2 किमी.
- वाडका से रामपुरा 3 किमी.
- वीकणवास से मलावा-वीकणवास से देवडा
- पामेरा नदी पर पुल का निर्माण
- हाथल व मालगांव के बीच की नदी पर पुल निर्माण

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के उपरोक्त समस्त गांवों में हो चुकी जर्जर सड़कों एवं पुलों का निर्माण यथाशीघ्र करवाकर अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)

माननीय सभापति महोदय,

आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। आज मांग संख्या 21-सडकें एवं पुल पर चर्चा हो रही है। मैं जहां तक सम्भव होगा, मैं अपने चित्तौड़गढ़ तक ही सीमित रहूंगा। सड़कों का महत्व तो सबने बताया सड़कों के बिना न तो डवलपमेंट हो सकता है न ही आवागमन हो सकता है। जहां कहीं भी बड़े-बड़े लोगों के विचार देखे हैं, सुने हैं उनमें यही कहा गया है कि सड़कों का विकास कहीं नहीं है तो उस जगह का, उस देश का विकास भी नहीं हो सकता क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख है कि पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से एक भी पैसा सड़कों के लिए नहीं दिया गया है। क्या कारण है यह मेरे समझ में नहीं आता।

गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान जी द्वारा चहुंमुखी विकास के लिए कदम-कदम पर सड़कों का निर्माण कराया गया है। वे सड़कें आज भी इस जनता से गत 5 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास कहती है। उस सरकार से पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस सरकार ने पूरे चित्तौड़गढ़ जिले की सड़कों को खड्डे में डाल दिया था। वहां पर एक भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ और जिन कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ, उनमें भी ठेकेदारों और विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों की मिलीभगत से सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सड़कें बना दी गईं। आज जब ये सड़कें भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के सुशासन का प्रमाण साबित करती हैं तो ऐसे में जो

कुछ घोषणाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की गई थी, उन सड़कों की यूसी सीसी वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति सभी रूप से जारी होने के पश्चात् भी केवल और केवल मौखिक रूप से उन सड़कों के कार्य को बंद करवा दिया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के समय की गई घोषणाएं और स्वीकृतियां गड्ढे में गिर जाएं।

चित्तौड़गढ़ जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी बहुत-सा ऐसा क्षेत्र और ऐसी सड़कें शेष हैं जिन्हें सरकार द्वारा मिसिंग लिंक या गौरव पथ योजना के द्वारा जोड़ा जाना शेष था| कुछ सड़कों की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद, मैं उदाहरण देना चाहूंगा विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मुख्य सड़क जो भदेसर चौराहे से नाहरगढ़ कन्नौज सावा शंभूपुरा गिलुण्ड घटियावली को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर जोड़ने के निमित्त 35 किलोमीटर की महत्वाकांक्षी सड़क को बनाने की बजट में घोषणा की गई थी। उक्त सड़क मार्ग की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद में संभवतया प्रथम किस्त का भुगतान भी हो चुका था और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु सरकार बदलते ही सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को मौखिक रूप से काम बंद करने के निर्देश दिए गए और इसका भुगतान रोक दिया गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतिम फेज की कुछ सड़कें बनाना शेष रह गई थीं जिसके निमित्त भी सरकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत उक्त सड़कों का कार्य भी वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा रोक दिया गया। यह पक्षपात की नीति कांग्रेस सरकार ही कर सकती है| भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में चाहे वह कांग्रेस का विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधान सभा क्षेत्र हो या अन्य किसी दल का विधान सभा क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना को साकार और मूर्त रूप दिया गया और सभी क्षेत्रों का सामूहिक और सिस्टमेटिक तरीके से विकास किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भाषा समझ रही है। वर्तमान सरकार केवल और केवल एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम कर रही है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके गई उस कार्य का श्रेय लेने का और कोई साधन इनके पास नहीं है, इसलिए उन योजनाओं का नाम परिवर्तन करके ही अपना विकास करने पर लगी हुई है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की घोसुंडा, गिलुण्ड और सहनवा 3 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां ग्रामीण गौरव पथ के चतुर्थ फेज की एक 1-1 किलोमीटर की सड़कें बजट के अभाव में बंद कर दी गई हैं। इसी तरह एसआरएफ मद से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 महत्वपूर्ण सड़कें बजट के अभाव में कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत भी बंद कर दी गई हैं। इनमें से मुख्य रूप से वाइडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग आफ भदेसर चौराहा घटियावली गिलुण्ड शंभूपुरा सावा कन्नौज नाहरगढ़ रोड 34 किलोमीटर की।

दूसरी मुख्य सड़क जो 25 किलोमीटर है निंबाहेड़ा केली कनेरा विजयपुर बस्सी आंबा रोड से जिला सीमा तक।

तीसरी महत्वपूर्ण सड़क 7 किलोमीटर की है जो घोसुंडी पाल शादी से पहले चौराहा तक।

चौथी महत्वपूर्ण सड़क 3 किलोमीटर की है जो विजयपुर से ग्वालियर रोड तक प्रस्तावित है।

इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की 22 महत्वपूर्ण सड़कों का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा मौखिक रूप से आदेशित कर रुकवा दिया गया है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस तरह से भेदभाव और पक्षपातपूर्ण की राजनीति को एक तरफ रखकर जनहित और सर्व मंगल मांगल्य की भावना से सभी कार्य को पुनः प्रारम्भ कराने का श्रम करें जिससे आमजन में आपके प्रति भी सकारात्मक संदेश पहुंचे।

खण्ड चित्तौड़गढ़ के अधीन विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में बजट अभाव के कारण बन्द कार्यों का विवरण

क्र. सं.	योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	ग्रामीण गौरव पथ चतुर्थ	अर्जुन सोनी के मकान बस स्टैण्ड से ओम जी यति के मकान तक (घोसुण्डा)	1.00	60.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
2.	ग्रामीण गौरव पथ चतुर्थ	ग्राम सेवा सहकारी समिति से गांव के मध्य होते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तक व लखारा बस स्टैण्ड से कुण्ड के हनुमानजी तक (गिलुण्ड)	1.00	60.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
3.	ग्रामीण गौरव पथ चतुर्थ	अटल सेवा केन्द्र से पचतोली रोड तक (सहनवा)	1.00	60.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
4.	एसआरएफ	बिजयपुर-ग्वालियर रोड किमी. 0/0 से 3/0	3.00	45.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
5.	एसआरएफ	सेमलपुरा बिजयपुर रोड किमी. 20/0 से 21/600	1.60	24.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द

क्र. सं.	योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
6.	एसआरएफ	सेमलपुरा बिजयपुर रोड से गोपालपुर किमी. 0/0 से 1/00	1.10	16.50	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
7.	एसआरएफ	एनएच-76 से सुवावा किमी. 0/0 से 3/300	3.30	49.50	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
8.	एसआरएफ	पालका से जयसिंहपुरा किमी. 0/0 से 2/600	2.60	39.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
9.	एसआरएफ	घोसुण्डी पाल सादी से पालेर चौराहा रोड किमी. 4/400 से 11/400	7.00	105.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
10.	एसआरएफ	एनएच-76 से सियालिया किमी. 0/0 से 1/500	1.50	22.50	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
11.	एसआरएफ	सम्पर्क सड़क रास्या मगरी किमी. 2/500 से 4/300	1.80	27.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द

क्र. सं.	योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
12.	एसआरएफ	घटियावली से गढ़वाड़ा रोड किमी. 0/0 से 5/0	5.00	75.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
13.	एसआरएफ	रूद-चन्देरिया रोड किमी. 20 से चौगावड़ी किमी. 0/0 से 3/350	3.35	50.25	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
14.	एसआरएफ	नगरी चौराहा-अभयपुर-मायरा घाटा रोड किमी. 1/0 से 2/0 एवं 7/0 से 9/0	3.00	45.00	वर्तमान में बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
15.	एसआरएफ	एसएस-09 से बोदियाणा किमी. 0/0 से 0/600	0.60	9.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
16.	एसआरएफ	सम्पर्क सड़क मान्दल्दा क्वारी किमी. 0/0 से 2/0	2.00	30.00	वर्तमान में बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
17.	एसआरएफ	सम्पर्क सड़क आंवलहेड़ा किमी. 0/0 से 2/0	2.00	30.00	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द

क्र. सं.	योजना	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
18.	एसआरएफ	सम्पर्क सड़क घोसुण्डी किमी. 0/0 से 0/800	0.80	12.00	वर्तमान में कार्य बजट अभाव के कारण बन्द
19.	एसआरएफ	एनएच-76 किमी. 233 से सुरजपुरा किमी. 0/0 से 1/500	1.50	22.50	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
20.	एसआरएफ	एनएच-76 किमी. 243 से संग्रामपुरा किमी. 0/0 से 1/100	1.10	16.50	बजट अभाव के कारण कार्य बन्द
21.	एसआरएफ	निम्बाहेड़ा केली कनेरा बिजयपुर बस्सी आम्बा रोड से जिला सीमा तक एमडीआर-20 किमी. 31/0 to 41/0, 48/0 to 55/0, 62/0 to 65/400, 81/0 to 82/0, 82/0 to 84/0, 85/0 to 86/0	24.40	427.00	वर्तमान में कार्य बजट अभाव के कारण बन्द
22.	एसएम एण्ड आर	वाइडनिंग एण्ड स्ट्रेंथनिंग आफ भदेसर चौराहा घटियावली गिलुण्ड शम्भुपुरा सावा नाहरगढ़ रोड (एमडीआर-209) किमी. 0/0 से 22/0, 25/200 से 28/0, 29/150 से 36/0 एवं 36/250 से 39/0	34.00	1500.00	वर्तमान में कार्य बजट अभाव के कारण बन्द
		योग	**102.65**	**2725.75**	

श्री अविनाश (जैतारण)

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण (पाली) में अभी हाल ही के बजट वर्ष 2021-2022 में जैतारण से निंबोल तक की अतिक्षतिग्रस्त सड़क की घोषणा की गई है। उपरोक्त सड़क की लागत लगभग 18 करोड़ रुपये की है। उसकी वित्तीय स्वीकृति शीघ्र ही जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं।

मैं मांग करता हूं कि इस बजट में जो आपने राशि सभी विधायकों को स्वीकृत की है, उसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में अलग से विशेष बजट देकर विकास कार्य को गति प्रदान करें, ताकि आम जनता विकास के कार्य से वंचित न रहे। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों एवं पुलों की सूची मय अनुमानित राशि भी संलग्न कर रहा हूं।

आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि मेरी उक्त मांगों को आप यथाशीघ्र करवाये जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

पंचायत समिति जैतारण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कार्य का नाम	विशेष विवरण/ अनुमानित लागत
1.	जैतारण	बी.टी. रोड जैतारण से वाया (रामावास, लोटोती, निम्बोल) सिणला तक 17 किमी (दोहरीकरण)	1442.02 लाख
2.	जैतारण	बी.टी. रोड खराड़ी से आ. कालू दूरी 10 किमी. (नई सड़क निर्माण)	320.00 लाख
3.	जैतारण	बी.टी. रोड़ बस्सी (आ.कालू.) से बस स्टैण्ड आ. कालू तक (डबल रोड डिवाइडर सहित) दुरी 2.5 किमी.	504.00 लाख
4.	जैतारण	बी.टी. रोड लाम्बिया से कुकी तक दूरी 18 किमी. (सुदृढ़ीकरण)	540.00 लाख
5.	जैतारण	बी.टी. रोड पाटवा से देवली सरहद तक दूरी 6 किमी.	192.00 लाख
6.	जैतारण	बी.टी. रोड आगेवा बेरा पंवारों का नवोड़ा से कुशालपुरा सरहद तक दूरी 5 किमी.	160.00 लाख
7.	जैतारण	बी.टी. रोड किशननगर (बैड़कला) से झाक सीमा तक दुरी 3 किमी.	96.00 लाख
8.	जैतारण	बी.टी. रोड तालकिया (पिपलिया खुर्द) मुख्य सड़क से भोजराज जी मंदिर तक दूरी 3 किमी.	96.00 लाख
9.	जैतारण	बी.टी. रोड बिकरलाई (रामावास कलां) से काणेचा फाटा तक दूरी 3 किमी.	96.00 लाख
10.	जैतारण	बी.टी. रोड धनेरिया (केकिन्दड़ा) से मालियों की ढाणी होते हुए गढ़ तक दूरी 6 किमी.	192.00 लाख
11.	जैतारण	बी.टी. रोड धनेरिया (केकिन्दड़ा) से महादेव मंदिर होते हुए चौकीदारों की ढाणी तक दूरी 6 किमी.	192.00 लाख

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कार्य का नाम	विशेष विवरण/ अनुमानित लागत
12.	जैतारण	बी.टी. बलून्दा खराड़ी रोड पर बेरा रेलाडा वाया बेरा भाम्बियां वाला से आ.कालू सरहद तक दूरी 6.5 किमी.	208.00 लाख
13.	जैतारण	बी.टी. रोड लितरिया (काणेचा) से खराड़ी रोड़ बेरा रेलाडा तक दूरी 4.5 किमी.	144.00 लाख
14.	जैतारण	बी.टी. रोड़ बलून्दा देवासियों की ढाणी से बेरा दुजड़िया रास्ता होते हुए आ.कालू सरहद तक दूरी 6.5 किमी.	208.00 लाख
15.	जैतारण	बी.टी. रोड राजादण्ड (पाटवा) से लखासनी तक दूरी 2 किमी.	64.00 लाख
16.	जैतारण	बी.टी. रोड देवरिया में बेरा रामदेव ढाणी, बेरा नोखड़ा, सुगालिया, रामर दूरी 4.5 किमी.	144.00 लाख
17.	जैतारण	बी.टी. रोड रास पंचायत भवन से थौथी फूलसागर (वाया डींगा की ढाणी) तक दूरी 4 किमी.	128.00 लाख
18.	जैतारण	बी.टी. रोड चावण्डिया बस स्टैण्ड से गौशाला रोड़ (चावण्डिया) तक दूरी 1 किमी.	32.00 लाख
19.	जैतारण	बी.टी. रोड बांझाकुडी बस स्टैण्ड से बेरा किरियाली होते हुए मालपुरिया तक दूरी 6 किमी.	192.00 लाख
20.	जैतारण	बी.टी. रोड लाम्बिया से खारचिया तक दूरी 4 किमी.	128.00 लाख
21.	जैतारण	बी.टी. रोड लिलरिया (आ.कालू) से कांवलिया तक दूरी 3 किमी.	96.00 लाख
22.	जैतारण	बी.टी. रोड लाम्बिया से धनेरिया चौराहा तक दूरी 1 किमी.	40.00 लाख

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कार्य का नाम	विशेष विवरण/ अनुमानित लागत
23.	जैतारण	बी.टी. रोड छोटी कावलियां से बड़ी कावलियां तक 2 किमी.	75.00 लाख
24.	जैतारण	बी.टी. रोड रामावास से बिरोल तक दूरी 2 किमी.	64.00 लाख
25.	जैतारण	बी.टी. रोड केकिन्दड़ा से जसनगर सरहद तक	1.50 लाख
26.	जैतारण	बी.टी. रोड निमाज गेपर जी की डेयरी से आकेली मार्ग पर स्थित चेतन चौराहा तक (Wall to Wall) मय नाला निर्माण रोड के दोनों तरफ दूरी 1 किमी.	32.00 लाख
27.	जैतारण	बी.टी. रोड हाईवे 458 (जैतारण मेड़ता हाईवे) नूतन केमिकल से गांव पातुस (बिरोल) बी.एड. कालेज होते हुए दूरी 3 किमी.	96.00 लाख
28.	जैतारण	बी.टी. रोड भूम्बालिया से कठमोर होते हुए दयालपुरा तक दूरी 5.5 किमी.	176.00 लाख
29.	जैतारण	बी.टी. रोड पिपाड़ा से फालका तक 4 किमी.	128.00 लाख
30.	जैतारण	बी.टी. रोड रास से जवानगढ़ तक दूरी 3 किमी.	96.00 लाख
31.	जैतारण	बी.टी. रोड दयालपुरा (भूम्बलिया) से खींची की ढाणी होते हुए कठमोर तक दूरी 4 किमी.	128.00 लाख
32.	जैतारण	बी.टी. रोड पृथ्वीपुरा झांझनवास मुख्य मार्ग पर स्थित नाड़ी के पास प्याऊ से जोड़ाला बेरा तक 2 किमी.	64.00 लाख
33.	जैतारण	बी.टी. रोड आ.कालू से लिलरिया तक 3 किमी.	96.00 लाख
34.	जैतारण	बी.टी. रोड पिपाड़ा (फालका) से कुड़ाया सीमा तक दूरी 3 किमी.	96.00 लाख

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	कार्य का नाम	विशेष विवरण/ अनुमानित लागत
35.	जैतारण	बी.टी. रोड आकोदिया (फालका) स्कूल से फालकी गांव तक दूरी 4.5 किमी.	144.00 लाख
36.	जैतारण	बी.टी. रोड लिलरिया (आ.कालू) स्कूल से कावलिया कला तक दूरी 1.5 किमी.	48.00 लाख
37.	जैतारण	बी.टी. रोड बांकावास (फालका) से खारचिया गांव तक दूरी 3 किमी.	96 लाख
38.	जैतारण	बी.टी. रोड शिवपुरा (कुड़ा) से निम्बेड़ा तक 3 किमी.	96 लाख
39.	जैतारण	बी.टी. रोड पालियावास रोड से हेन्दा भाटा तक दूरी 2 किमी.	64.00 लाख
40.	जैतारण	बी.टी. रोड ब्यावर मेड़ता फोर लेन से अमरपुरा (राबड़ियावास) गांव के तालाब तक रोड मय दोनों तरफ नाला निर्माण दूरी 2 किमी.	60.00 लाख
41.	जैतारण	बी.टी. रोड कुकी से वाया दासास गांव रियाबड़ी तक रोड दूरी 6 किमी.	192.00 लाख
42.	जैतारण	बी.टी. रोड कुकी से रिचमालीया तह. पीसांगन जिला अजमेर तक रोड दूरी 6 किमी.	192.00 लाख
43.	जैतारण	बी.टी. रोड केकिन्दड़ा में सिपाहियों की ढाणी जीएलआर के पास से बाबूलाल जी मेघवाल के घर तक रोड़ दूरी-1 किमी.	32.00 लाख

विधानसभा क्षेत्र जैतारण जिला-पाली
पंचायत समिति रायपुर

क्र.सं.	उप खण्ड का नाम	कार्य का नाम	विशेष विवरण/ अनुमानित लागत
1	रायपुर	झाला की चौकी से बगडी तक दूरी 30 किमी. (सुदृढीकरण)	450.00 लाख
2	रायपुर	बी.टी रोड रामावास (बुटीवास पंचायत) से मंडी चौराहा रास दूरी 8 किमी.	252.00 लाख
3	रायपुर	ग्राम पंचायत रातडिया बी.टी. रोड चौकी से सिंगोनिया बाड़िया तक (रातड़िया) दूरी 25 किमी	80.00 लाख
4	रायपुर	ग्राम पंचायत रातडिया बी.टी. रोड मोडी मगरी से भाडी घाटी तक (रातडिया) दूरी 1.5 किमी.	48.00 लाख
5	रायपुर	बी.टी. रोड कानुजा से बलुपुरा (राबडियावास) तक दूरी 4 किमी.	128.00 लाख
6	रायपुर	बी.टी. रोड नाहरपुरा (गिरी) से भाउजी जी का बाड़िया दूरी 1 किमी)	32.00 लाख
7	रायपुर	नाहरपुरा से बुटीवास तक डामरीकरण रोड दूरी 4 किमी. (सुदृढ़ीकरण)	70.00 लाख
8	रायपुर	बी.टी. रोड सालाकोट से जगमालपुरा तक दूरी 1.5 किमी.	48.00 लाख
9	रायपुर	बी.टी. कुण्डाल (बुटिवास) से पाटन स्कूल तक 3 किमी	96.00 लाख
10	रायपुर	बी.टी. रोड नाका के बाड़िया (रामावास ग्राम पंचायत बुटिवास) से भीमगढ़ तक दूरी 5 किमी.	96.00 लाख
11	रायपुर	धोली मगरी से कालाकोट डामरीकरण सड़क निर्माण दूरी 5 किमी.	175.00 लाख
12	रायपुर	सबलपुरा से गुड़िया डामरीकरण सड़क निर्माण दूरी 3 किमी	105.00 लाख

पृष्ठ संख्या 2 से 4 तक लिखित पंचायत समिति जैतारण की सभी 43 सड़क मार्गों पर व रायपुर पंचायत समिति की सभी 12 सड़क मार्गों की स्थिति अति क्षतिग्रस्त हैं। इसलिए आप इन सभी सड़क मार्गों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान कराएं। उपरोक्त सभी सड़क मार्गों पर बारिश का पानी नदी व नालों के बहाव क्षेत्र होने से बारिश के समय रास्ता बंद हो जाता है। आपसे निवेदन है कि उक्त सभी सड़क मार्गो पर रपट व पुल भी जरूरत के हिसाब से स्वीकृत कर बनवाये जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ही ग्राम बस्सी से प्रतापपुरा-नया गांव तक के बीच में आने वाले जोड़ (वन क्षेत्र) की NOC प्रदान कर इसे डामरीकरण सड़क मार्ग दूरी लगभग 10 कि.मी. की स्वीकृति प्रदान कराएं।

निम्नलिखित पुल की स्वीकृति प्रदान कराएं-

1. बेरा हिन्डोला के पास ग्राम - रेलमगरा (50 मीटर)
2. दीपावास- लवाचा मार्ग (300 मीटर लम्बाई)
3. बांझाकुडी - घोड़ावड़ मार्ग
4. घोडावड़ - बलाड़ा मार्ग
5. बलाड़ा - राबडियावास मार्ग
6. समौखी - मोहराई मार्ग
7. मोहराई- बिरामपुरी मार्ग
8. रेलडा - रातड़िया मार्ग
9. झाला चौकी - काणूजा मार्ग
10. काणूजा - कलालिया मार्ग
11. कलालिया - कोट किराणा मार्ग
12. देवरिया - पाटवा मार्ग
13. ग्राम रातड़िया गौरव पथ के पास
14. सुमेल - प्रतापगढ़ मार्ग पर
15. बाबरा-सुमेल मार्ग पर

श्री बाबुलाल (झाड़ोल)

माननीय सभापति महोदय, मेरी निम्न मांगें हैंः-

1. देवला से कोटड़ा सड़क जिसे स्वीकृत करवाई जाए।
2. कोटड़ा उपखण्ड के नयावास के मैन नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य।
3. उपखण्ड झाड़ोल के गरणवास नदी पर पुल का निर्माण कार्य।

4. वन क्षेत्र में आने वाले गांवों को वन पथ सड़क से सड़क मार्ग से जोड़ना।

5. टूटी हुई सड़कों को मरम्मत करवाने का कार्य।

श्री प्रतापलाल भील (गमेती) (गोगुन्दा)

सभापति महोदय,

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

आज महत्वपूर्ण मांग सड़कें एवं पुल जो कि किसी देश हो या राज्य हो, सभी क्षेत्रों में विकास की मुख्य कड़ी है। पूर्व में गांवों में सड़क नहीं देखी जाती थी लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने गांवों को सड़क से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई थी और योजना भी ऐसी बनाई कि किसी के साथ भेदभाव न हो और उसका आधार जनसंख्या को बनाया जिसमें जिस गांव की जनसंख्या अधिक है जैसे- 1000, 750, 500, 250 है। हमारे जन जाति क्षेत्र में तो 250 तक के सभी मजरे एवं ढाणी को जोड़ा है।

प्रमुख मांगें:-

(1) वन क्षेत्र की जो सड़कें बन्द हैं उन्हें चालू किया जाए।

- मुख्य मन्त्री जी द्वारा घोषणा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए।
- जो वर्तमान जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों का गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।
- चार भुजा से वाया केलवाडा हल्दी घाटी भटेवर तक नेशनल हाईवे प्रस्तावित है। इस की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए।
- सेनवाडा से झाड़ोल जोड़ने वाली सड़क।
- सेनवाडा से ओगणा को जोड़ने वाली सड़क।
- सायरा से रणकपुर रोड जो मारवाड को जोड़ती है। स्टेट हाईवे 32 वन अभयारण क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाया जाए।
- देवला से कोटडा रोड का नवीनीकरण कराया जाए।

पुलिया निर्माण

- गोगुन्दा करदा वाया पानेर रोड बनास नदी पर पुलिया निर्माण

- गोगुन्दा ओगणा रोड से मादड़ी पुलिया निर्माण
- गोगुन्दा भेवठिया पुलिया निर्माण
- यू.आई.टी. पेरीफेरी की सड़कें

(1) लोयरा से फेरमियों का गुडा

(2) धूर से वडी रोड

अतिवृष्टि- मेरपुर से टेपुर सड़क के पुलिया एवं सड़क को फिर से बनाया जाए

- मेटपुर से तिलोई साबरमती नदी पर पुलिया निर्माण
- मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सहायक अभियन्ता कार्यरत है। रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरा जाए।
- शिवडीपा से अन्बावा साबरमती नदी पर तीन पुलिया निर्माण कार्य

बिलीया नदी पर पुलिया निर्माण

श्री संदीप कुमार (तिजारा)

विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख मांगें -

(1) नगर परिषद् क्षेत्र भिवाड़ी व नगरपालिका तिजारा में शहरी क्षेत्र में लगे टोल बूथों को अन्यत्र स्थापित किया जाए ताकि स्थानीय निवासियों को जाम की स्थिति से निजात मिल सके और अपने ही शहर में घर से निकलते ही टोल बूथ पर दिये जाने वाले शुल्क से मुक्त किया जाना।

(2) भिवाड़ी से नीमराणा लिंक रोड का निर्माण किया जाना चाहिए।

(3) बीबीरानी से जोडिया बिछाला शेखपुर सडक को एमडीआर में लिया जाए।

(4) क्षेत्र में विभिन्न सड़कें, हाईवे से सलारपुर, मेन हाईवे से असलीमपुर, मेन हाईवे से शाहबाद कलगांव सड़कों का नवीनीकरण कराया जाए।

(5) भिवाड़ी बाईपास पर सर्विस लेन व नाले का कार्य कराया जाए जो बाईपास से टोल बूथ तक अधूरा पड़ा है।

श्री लाखन सिंह (करौली)

1. करौली विधान सभा क्षेत्र में करौली शहर में यातायात से जाम लग जाता है। निवेदन है कि करौली शहर में बाईपास बनाया जाये।

2. सिंगान से कांचरौली रोड से जोड़ा जाये।
3. ग्राम पंचायत कोटवास को खीपकेपुरा ग्राम पंचायत से जोड़ा जाये।
4. ग्राम पंचायत भंगो व ग्राम सांकड़ा से जोड़ा जाये।
5. मांडई मोड़ से सीलपडा वाया पालमपुर तक सड़क निर्माण कार्य करवाया जाये।

श्री वाजिब अली (नगर)

नगर विधान सभा क्षेत्र की निम्नलिखित प्रमुख सड़कों की समस्याओं का निवारण किया जाए-

1. खेड़ली से पहाड़ी सड़क PPP मोड पर काम अभी तक नहीं हुआ है। खराब काम किया है और रोड पूरा बनने से पहले ही उखड़ रही है, शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सड़क का कार्य जल्दी पूरा किया जाये।
2. सकका बास ग्राम सेऊ, तह. डीग में लगभग 300 की आबादी के लिये कोई रास्ता नहीं है। वहाँ डीग-कामां रोड पर एक पुलिया की जरूरत है। कृपया पुलिया निर्माण कराया जाय।
3. मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव चन्दाबास से सुकेती से पड़लवास तक सड़क का निर्माण किया जाय।
4. विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ा जाय। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

जैसे हमारे गांवों में लोग कहते हैं कि बीजेपी के राज में लाइट जाती नहीं और कांग्रेस के राज में लाइट आती नहीं। उसी तरह ये भी कहते हैं कि बीजेपी के राज में गड्ढे नहीं दिखते और कांग्रेस के राज में सड़क नहीं दिखती।

ग्रामीण सड़कें:- आजादी के बाद से वर्ष 2000 तक देश के लाखों गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। इन छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसम्बर, 2000 को तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की।

पिछले 2 वर्षों से प्रदेश का विकास पूरी तरह ठप हो चुका है। आपने 2020-21 में 250 से अधिक आबादी के केवल 6 गांव/ढ़ाणियों को सड़कों से जोड़ा है। 500 से अधिक आबादी के केवल 57 गांवों को सड़कों से जोड़ा है केवल 517 किमी लम्बाई के स्टेट हाईवे और एम.डी.आर. सड़कों की मरम्मत

करायी है। आपने हर बार बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं लेकिन धरातल पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो आपने पिछले 2 सालों में मात्र एक विकास पथ देने के अलावा हुछ नहीं किया है।

अजमेर जिला मुख्यालय से लेकर हर उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें चाहे वो स्टेट हाईवे हो, एमडीआर हो या ग्रामीण सड़कें हों, पिछले 2 सालों में एक भी सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है।

पीसांगन उपखंड मुख्यालय से अजमेर वाया पुष्कर सड़क मार्ग भी पिछले 2 सालों से क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत तक नहीं करायी जा रही है।

हमारी सरकार ने स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया था, आपने आते ही वापस टोल लगा दिया। आप टोल वसूलो पर सड़क भी आमजन को अच्छी उपलब्ध करायें, ये सोचना पड़ेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पंचायत समिति मुख्यालय श्रीनगर को अजमेर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 101 को भी स्टेट हाईवे के जैसा बनाया जाए जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है एवं आये दिन दुर्घटनाएं और हादसे होते रहते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 10-12 नोन पेचेबल सड़कें ऐसी हैं, जो 2008 से 2010 तक बनी थीं वे पूरी तरह टूट गई हैं उनकी मरम्मत या नवीनीकरण के लिए राशि स्वीकृत की जाये।

10-15 मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिनके निर्माण के लिए पैसा दिया जाए।

ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण किया जाए।

इसी क्रम में आपसे निवेदन है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में जेठाना ग्राम में बाईपास निर्माण कार्य की घोषणा कर कार्य शुरू कर दिया गया था जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन शुरू किया जाए जिससे जेठाना ग्रामवासियों को भारी वाहनों की आवाजाही से छुटकारा मिले।

इसी क्रम में आपसे निवेदन है कि नसीराबाद शहर में रेलवे लाइन पर स्वीकृत ओवरब्रिज का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराया जाये ताकि लोगों को बार-बार फाटक बंद की समस्या से छुटकारा मिले।

सभी राजस्व ग्रामों को ग्राम पंचायत मुख्यालय से सड़कों से जोड़ा जाये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की करीब 10 सड़कें हैं जो 2014 से पहले बनी हैं, वे पूरी तरह टूटी हुई हैं, डीएलपी में भी नहीं है, उनकी मरम्मत कराई जाए।

250 से अधिक आबादी वाले गांव/ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जाए। नसीराबाद उपखंड कार्यालय एवं पीसांगन उपखंड कार्यालय पर कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जाये।

1. ग्राम बूबानिया से भोमाजी का बाडिया तक सड़क निर्माण
2. ग्राम समर्थपुरा से सेठन सड़क निर्माण
3. ग्राम तिलाना से चांदसेन सड़क निर्माण
4. ग्राम पिचोलिया से बुधवाड़ा सड़क निर्माण
5. ग्राम ब्रिडकच्यावास से असरी देवरा तक सड़क निर्माण
6. ग्राम कालेसरा से नागेलाव सड़क निर्माण
7. ग्राम ल्यालीखेडा से सरसड़ी सड़क निर्माण
8. ग्राम मोतीसर से सवाईपुरा होते हुए पिचौलिया सड़क निर्माण
9. ग्राम दांतड़ा से बुधवाड़ा सड़क निर्माण
10. नेशनल हाईवे 79 से मोतीपुरा तक सड़क निर्माण

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा)

सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल शहरी विकास पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जिला जयपुर में निम्नलिखित नवीन सड़कें बनाने हेतु:-

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
1.	लक्ष्मीनगर शाहपुरा (एनएच 48) से जिला परिवहन कार्यालय	1.20 किमी.
2.	नायन से बिशनगढ़	6 किमी.

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
3.	जगतपुरा लिंक रोड से गढ़वालों की ढाणी माजीपुरा वाया बुरी की ढाणी	1 किमी.
4.	स्टेट हाईवे 37 से दोराका वाली ढाणी होते हुए बड़ा कुआं माजीपुरा	2.5 किमी.
5.	निठारा जोहड़े से सस्तीरा की ढाणी तक	2.5 किमी.
6.	हनुतपुरा (अमरसर) से मीणा वाली ढाणी	1.5 किमी.
7.	सम्पर्क सड़क धवली रोड से मीणों की ढाणी वाया निठारवालों की ढाणी विधान सभा शाहपुरा	1.6 किमी.
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा, जयपुर, विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर		
1.	ग्रा. पं. तिगरिया, कालू का बास, दो गढ़ वालों की ढाणी, नांगल कोजू रोड तक	3 किमी.
2.	फतेहगढ़, वाया डूडियों की ढाणी वाया भावरियों की ढाणी और देवंदा की ढाणी	3 किमी.
3.	सुनारावाली ढाणी वाया झूंपा (खेजरोली) पं.स. गोविन्दगढ़	1.5 किमी.
4.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क बरवाड़ा स्टैण्ड से बीड़वाली सरकारी स्कूल वाया मीनों की ढाणी, सेपटों की ढाणी	3 किमी.
5.	निर्माण कार्य मिसिंग लिंक इटावा सड़क बावली प्याऊ से रामगोपाल सेरावत के मकान तक और गठालों की ढाणी	1.9 किमी.
6.	निर्माण कार्य सम्पर्क सड़क निन्दौला से बीछवालों की ढाणी (सिंगोद रोड) तक	1.9 किमी.

क्र. सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
नवीनीकरण हेतु सड़कें कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड, शाहपुरा, जयपुर, विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर		
1.	खोरालाड़खानी-मनोहरपुर-बिशनगढ़ सड़क (एमडीआर 188)	14 किमी.
2.	देवन रोड से नन्दलाल का तिराहा	3 किमी.
3.	शाहपुरा-देवन बडोदिया रोड, विराटनगर विधान सभा क्षेत्र तक	2 किमी.
4.	बामणवास से खेरालाड़खानी	2.3 किमी.
नवीनीकरण हेतु सड़कें कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा, जयपुर, विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर		
1.	धानोता से नांगल मोड़ (एसएच 37सी) वाया सेवा की ढाणी	8.7 किमी.
2.	अमरपुरा गांधी मोड़ से चारणवास	4 किमी.
3.	खेजरोली रींगस रोड से सुनारावाली ढाणी	4.5 किमी.
4.	सुनारावाली ढाणी से झूंपा	1.2 किमी.
5.	तिगरिया बांस का टीबा से चारणवास	3 किमी.
6.	अमरपुरा से बरवाडा	3.2 किमी.
7.	तिगरिया रोड से ढाणी दंभीकी	3.29 किमी.
8.	कंवरपुरा से कुंभपुरिया	3 किमी.
9.	मेन बस स्टैण्ड तिगरिया से ठंडू हनिनवाल की ढाणी	3.38 किमी.
10.	नांगलकोजू से सरपंच की ढाणी	2 किमी.

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल)

माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर चर्चा में बोलने का समय दिया, आपका आभार। गीत की दो लाइनों से शुरू करता हूं कि

माही नदी रो बांध बनायो जग में बडो तालाब ....

इसके साथ ही जैमन इंडिया पुल का निर्माण बांसवाड़ा राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल जो भाजपा के राज में महाराणा प्रताप के नाम से जनता को समर्पित किया। इस तरह बीजेपी का काम है......

सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज दुनिया में की थी, वह पुल के सहारे समुद्र से होता भारत नहीं पहुंचा था।

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पडोली गोर्धल से बसीयाडा सम्पर्क सड़क के बीच नदी पर आठ करोड़ की लागत का पुल बनाने की मांग करता हूं।
2. घाटोल गंधोडा रोड पर हरोनदी पर पुल निर्माण।
3. ओडवाडिया देवदा बीच नदी पर पुल का निर्माण।
4. परतीपुरा रोहनिया के बीच भुण्डवई नदी पर हमारे राज में स्वीकृत पुल का निर्माण शुरू करवाया जाये।
5. जामली से केसरपुरा नदी पर पुल ऊंचा करवाया जाये।
6. नालपाडा में डूंगलावाणी में तालाब के नीचे का पुल निर्माण करवाया जाये।
7. घाटोल में सरोदिया से सोबनिया पीपलपुर को जोड़ने के लिए रपट का निर्माण करवाया जाये।
8. रूंझिया से मकनपुरा के बीच नाले पर रपट निर्माण करवाया जाये।

प्राचीन काल से मनुष्य ने पुलों के अभाव में तैर कर नदी पार करना, लकड़ी के लट्ठरों को जोड़कर नदी पार करना, इसके बाद नाव का सहारा लिया, जहाज का सहारा लिया। धीरे-धीरे वैज्ञानिकों ने पुल निर्माण कार्य शुरू किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में ब्रह्मपुत्र बड़े पुल का उद्घाटन किया। वर्तमान में देश में बड़ी से बड़ी नदी पर मोदी जी द्वारा बड़े- बड़े पुलों का निर्माण करवाया जा रहा है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि सड़क व पुल के क्षेत्र में देश तरक्की कर रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि

राजस्थान का तीसरा बजट पेश होने के बाद भी एक भी सड़क व पुल स्वीकृत नहीं किया गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी हैं, पुलों का अभाव है। नई सड़कों की स्वीकृति के लिए सूची इस प्रकार है-

1. जाम्बुई से गोरसा सड़क निर्माण।
2. 113 नं. हाईवे चौधरी फार्म से नागदला तक सड़क।
3. कनपुरा से बामनपाडा।
4. बकतौड से बापजी तक सड़क (पीपलखोट)।
5. डुंगलावाडी से माताजी तक सड़क निर्माण।
6. जाटिया से पुतलीखेला रपट निर्माण।
7. पीपलखोट से मोवाई सड़क निर्माण।
8. पन्तोल से घन्टाली सड़क निर्माण।
9. बौरी तालाब से ऊपर वाली सड़क का निर्माण।
10. डागल से पठारा तक सड़क निर्माण वाया देलवाडा।
11. बोरेश्वर पुल का उद्घाटन करने के लिए सरकार से आग्रह है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21 (सड़कें एवं पुल) पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सदन में चर्चा चल रही है सड़कों एवं पुल की, माननीय सभापति जी, आज जब भी हम सड़कों पर चलते हैं तो एक ख्याल जरूर आता है कि अगर वाजपेयी जी व प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो देश की सड़कों के हालात क्या होते, यह किसी से छिपा नहीं है। आज सड़कों से ही पता चलता है कि ये शहर, ये गांव कैसा है। आज पूरे दिन इस मांग पर सत्ता पक्ष के साथियों ने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी। सरकार की तारीफें की, लेकिन एक बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सड़क एवं पुल, इससे सफर भी सुगम रहता है व अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। मैं बात करूं राजस्थान की तो राजस्थान विधान सभा ने वर्ष 2004 में अधिनियम 13 के तहत राजस्थान सड़क विकास अधिनियम लागू किया। इसके तहत राज्य में पेट्रोल व डीजल पर सैस के माध्यम से आज पेट्रोल पर ₹ 1.50 और डीजल

पर ₹ 1.75 पैसे प्रति लीटर की दर से सैस संग्रहित किया जा रहा है। इस संग्रहित निधि का उपयोग राज्य की सड़कों के विकास हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत वर्ष 2005 से वर्ष 2019-20 तक 9160.06 करोड़ रुपए की निधि प्राप्त की गई व दिसम्बर 2020 तक 5576.46 करोड़ रुपये खर्च किये गये, यानी इस निधि के 3583.60 करोड़ रुपये अभी भी राज्य सरकार के पास हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बची हुई राशि को खर्च करके राज्य में नई सड़कों का निर्माण करें क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करें और इससे हर विधान सभा क्षेत्र को करीब 18 करोड़ की सड़कें मिल सकती हैं और इससे पूरे प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को नया जीवन मिल सकता है। वसुन्धरा राजे जी के द्वारा वर्ष 2014-15 में ग्रामीण गौरव पथ की घोषणा की गई जिसके तहत ग्राम पंचायत में करीब एक किलोमीटर लंबाई तक की सीमेंट सड़क मय नाली निर्माण किया जाता है। ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 7527.43 किमी लम्बाई की सड़कों को स्वीकृत किया गया तथा 6967 कार्यों से 6484.99 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के कार्यों को पूर्ण कर लिया गया, करीब 1042 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य बचा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में भी ग्रामीण गौरव पथ के कार्य शेष बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में बचे हुए ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जाए और जनता को राहत प्रदान की जाए।

अगर बात करूं इस सरकार की तो उन्होंने सिर्फ इसी योजना ग्रामीण गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया गया है। जुलाई 2019 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि आने वाले 5 सालों में विकास पथ योजना से 10000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का मय नाली निर्माण किया जाएगा। इसके विपरीत वर्ष 2019 में मात्र एक विकास पथ स्वीकृत किया गया और अगर मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर की तो शाहजहांपुर ग्राम पंचायत में मेरी अनुशंसा पर इसे स्वीकृत किया गया। इसकी स्वीकृति के करीब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें एक भी ईंट लगाने का काम अभी तक नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विकास पथ का काम जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए और जब पहले विकास

पथ का कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो आगे जो विकास पथ का क्या होगा, भगवान ही उसका मालिक है।

अगर बात करें मिसिंग लिंक की तो वसुन्धरा राजे जी ने 2013-18 के कार्यकाल में कुल 2186.74 करोड़ रु. की लागत से 7942 किलोमीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक सड़क निर्माण करने के लिए 3452 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। दिसम्बर, 2020 तक 6261 किलोमीटर लम्बाई के मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर 2771 कार्य पूर्ण किये गये। अगर बात करें इस सरकार की तो पिछलें 2 साल में एक भी मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण नहीं किया गया। साथ ही शेष बचे हुए मिसिंग लिंक के कार्य भी 2 साल से जैसे की तैसे पड़े हुए हैं। जैसे 2 साल पहले थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर के शेष बचे हुए मिसिंग लिंक के कार्यों को पूर्ण कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही पूर्व की तरह हर विधायक को, हर विधान सभा क्षेत्र को 15 किलोमीटर सड़क मिसिंग लिंक योजना के माध्यम से दी जाए क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2019 के बजट में इसकी घोषणा भी की थी। आने वाले 5 वर्षों में सरकार प्राथमिकता से मिसिंग लिंक योजना से सड़क सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। इसलिए सरकार इस पर विचार कर आज ही मिसिंग लिंक योजना के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15 किलोमीटर सड़क देने की घोषणा करे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2019 के बजट भाषण में 500 से अधिक आबादी के 1009 गांवों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की। मै आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन 2 वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में कितने गांव ढाणियोंको मुख्य सड़क से जोड़ा गया, बताने की कृपा करें।

माननीय सभापति जी अगर मैं बात करूं सरकार के बजट 2020 की तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सात संकल्पों की बात की और छठे संकल्प के रूप में पानी, बिजली व सड़क के मान की बात कहीं पर अगर धरातल की बात करें तो प्रदेश की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, बिजली लोगों के साथ आंख मिचौली खेल रही है, और वीसीआर का हाल तो यहां पर किसी से छुपा हुआ नहीं है और बात करें सड़क की तो राजस्थान प्रदेश में सड़कों पर डामर कम गड्ढे ज्यादा हैं। कुछ साल पहले की बात करूं तो जब राजस्थान से हरियाणा में जाते थे तो सड़कों में पड़े गड्ढों से पता चल जाता था कि हम

हरियाणा में घुस गए हैं और बात करें आज की तो हाल इसके बिल्कुल विपरीत है तो क्या सरकार इसी तरीके से अपने संकल्प पूरे करेगी? इस तरह प्रदेश की जनता का मान बढायेगी?

साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने इस सत्र के बजट में 05 करोड रू. तक की सड़क देने की घोषणा जो की है, मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर हर विधान सभा क्षेत्र के लिये 10 करोड़ रु. कर दी जाये जिससे कि क्षेत्र की अधिकतर सड़कों की समस्या में सुधार किया जा सके।

बात करूं नवीनीकरण सड़कों की तो सामदा से बधीन, संपर्क सडक नंगली ओझा, कुमपुर सिहाली कला से शीलगॉव तक, अलवर बहरोड़ रोड से झझारपुर तक, संपर्क सडक श्री कृष्ण नगर तक, सोडावास अजरका रोड से माजरी खोला, संपर्क सडक सानोली, मुण्डनवाडा से जालावास तक, मुण्डावर जाट भगोला रोड से भानोत वाया आमोठ रोड तक, संपर्क सडक बडली, रानोठ से पेहल तक, सोडावास अजरका से स्वरूप सराय तक, संपर्क सड़क अगवानी तक, संपर्क सड़क गोपालदास मंदिर तक इन सड़कों का सुद्दढ़ीकरण करवाने की कृपा करें तथा नई सड़कें गादूवास से फूसापूर की ढाणी तक व बिजवाड़ चौहान से गादली तक व मुंडावर विधान सभा क्षेत्र की अन्य नई सड़कें भी स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

अब अगर मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में सड़कों की तो हाल ही में चल रही किसान आंदोलन की वजह से जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित और इसकी वजह से रूट को विभिन्न अन्य मार्गों से डायवर्ट किया हु आ है। अब आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण सड़क से पिछले कई दिनों से भारी वाहन दिन रात निकल रहे हैं और इसकी वजह से सोडावास से मुंडावर, सोडावास से अजरका, सोडावास से ततारपुर होते हु ए सुहेटा/ खरेटा सुरंग ततारपुर चौराहे से अलीपुर सांचोद, नीमराणा से दौलतसिंहपुरा होते माजरी, नीमराणा से नाघोडी घिलोठ होते हु ए कांकर/ कुतीना, शाहजहांपुर से जोनायचा खुर्द, नेशनल हाईवे से गूगल कोटा, शाहजहांपुर से बीरोद, पलावा, दादीया होते हु ए हरियाणा बॉर्डर तक व हाईवे से सक्तपुरा, मानका होते हु ए रामसिंहपुरा हरियाणा बॉर्डर तक सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि इन पर वाहन चलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है, इसलिए आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल पैकेज देकर इन्हें दुरुस्त करवाया जाए। किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक डायवर्जन के कारण

सोडावास, मुंडावर, ततारपुर चौराहा, श्योपुर चौराहा, भानोत, जाट भगोला, जसाई व अन्य कई गांवों में जाम के हालात बने हुए रहते हैं। भविष्य में वाहनों के भार को देखते हुए सभी गांवों में बाईपास बनाने की जरूरत है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे कराकर इन सभी गांवों में बाईपास बनवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2017 के अंत में एनसीआर योजना के माध्यम से दो सड़कें स्वीकृत हुई थीं। एक ततारपुर चौराहे से अलीपुर/सांचोद, दूसरी शाहजहांपुर वाया जाट बहरोड़ होते हुये बर्डोद। जिसमें पहली सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है पर दूसरी सड़क शाहजहांपुर वाया बर्डोद का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अतः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस सड़क का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंडावर में सभी मुख्य सड़कों पर लगते हुए स्कूल या जहां भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हों, वहां कई जगह स्पीड ब्रेकर नहीं बने हैं। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन जगहों को चिन्हित कर वहां पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाएं।

एक और बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, पूर्व में माननीय वसुन्धरा राजे जी के द्वारा स्टेट हाईवे पर आम जनता को लाभ देते हुए टोल माफ किये थे पर इस सरकार के गठन के साथ ही उन्हें पुन: चालू कर दिए। अत: मैं मांग करता हूं कि इन्हें पुन: माफ करके आम जनता को राहत 'देने का काम करें।

आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभार।

श्री कैलाश चन्द्र मीणा (गढ़ी)

सभापति महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में सड़कों की दुर्दशा हो रही है। पूर्व सरकार के समय में स्वीकृत गौरव पथ डडुका, रेयाना आदि जगहों के कार्य अधूरे हैं। बजट के अभाव में कार्य बंद पड़े हैं, प्रारम्भ करवाये गये विकास पथ के नाम से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के तलवाडा कस्बे में स्वीकृत हुआ था, उसमें भी अर्थ वर्क करके कार्य अधूरा पड़ा है। विकास पथ तत्काल प्रारम्भ करवाये जायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में केन्द्र सरकार ने रेयाना से अरथूना, खोडन से सरेडी बड़ी, समगडा से माही सिमेन्ट तक करोड़ों की सड़कें स्वीकृत हैं, कार्य गति से प्रारम्भ नहीं हुए हैं जिन्हें भी प्रारम्भ करवाया जाये एवं वाया घाटी से ऊंटी वाया माखीया सड़क स्वीकृत है उसे भी प्रारम्भ कराई जाये। मेरे क्षेत्र में आसोडा से लोहारिया 7 किमी., आंजना से कुवालिया 3.5 किमी. प्रस्तावित है जो कि स्वीकृत नहीं हुई है। सड़कें टूट जाने से आनेजाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढी में कई राजस्व गांव हैं जो 250 से 500 की आबादी के होकर डामर सड़कों से नहीं जुड़े हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोडने की स्वीकृति करना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं-

1. आंजना से पृथ्वीपुरा बिलोदा सम्पर्क सड़क 4 किमी.।
2. भरकडिया पाडा से भडकेश्वर वाया कडेरी नाला 2.5 किमी.।
3. वजवाना से सागवाडिया वाया टाण्डा सड़क 4 किमी.।
4. NH 927 से भाणतलाई वाया नथेली की राजस्व गांव 4 किमी.।
5. NH 927 गढ़ी से अरथूना रोड तक बाईपास सड़क आवश्यक है।
6. झडस मुख्य सड़क से चित्तरोडिया डामर सड़क 2 किमी.।
7. मयूर मिल से गारिया 3 किमी.।
8. शाहपुरा से टिम्बा गामडी 2.5 किमी.।
9. NH 927 से सुन्दरगांव सम्पर्क सड़क 2 किमी.।
10. ओडा से कोटडा टावर तक 3 किमी. तक डामरीकरण।
11. वजवाना से नागरिया पृथ्वीपुरा सड़क मय पुलिया निर्माण।
12. रोहनिया से ऊंटी वाया मोहन सिंह का गडा 4 किमी.।
13. नालपाडा से घणोव वाया गोविन्दपुरा 3 किमी.।
14. सेमालिया से नवापादर डामरीकरण 2.5 किमी.।
15. मादलदा से नाटावाडा डामरीकरण 2 किमी.।
16. बखतपुरा से दौलतपुरा डामरीकरण 3 किमी.।

आदि सड़कों को स्वीकृत करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में नदी-नालों को पार करके आने-जाने में मुसीबत रहती है, बच्चों को पढ़ने जाने में

तकलीफ रहती है। इस गम्भीर समस्या को लेकर पुलिया निर्माण आवश्यक है जैसे कि-

1. माकोद एवं सेवना दो पंचायतों के बीच नाले पर पुलिया निर्माण।
2. ग्राम पंचायत देवलिया नदी पर पुल निर्माण।
3. ग्राम पंचायत बिलोदा के कन्डेरी नाले पर पुल निर्माण।
4. बांसवाडा डूंगरपुर दोनों जिलों को जोड़ने के लिए भडकेश्वर महादेव के बेणका टापू माही नदी पर पुल निर्माण स्वीकृत करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विधान सभा में 5 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए घोषणा की है, उसे 10 करोड़ किया जाये ताकि क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को लिखा हुआ स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।